राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम सत्र का 60वां दिवस [संख्या 35

बृहस्पतिवार,

दिनांक 13 मई, 1971.

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-01 को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, अध्यक्ष. पदासीन)

[सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, उद्योग, गृह, समाज कल्याण, जन स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

प्रश्न संख्या 766

श्री देवीलाल बुरासिया।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल वाढ़दार।

जयपुर में सिविल कोर्ट्स का निर्माण कार्य

767. श्री दुर्गालाल वाढ़दार (हवा-महल, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

जयपुर नगर में सिविल कोर्ट्स के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है और राज्य सरकार इसे कब तक पूरा कर देगी ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : जयपुर नगर में सिविल कोर्ट्स के निर्माण में अब तक लगभग 3.12 लाख रुपये की लागत का कार्य हो चुका है। इस धनराशि के द्वारा दायें-बायें दोनों तरफ की विंग्स के कुर्सी के ऊपर तक का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस भवन के 1972-73 तक बन जाने की सम्भावना है।

श्री दुर्गालाल वाढदार : वर्तमान में कार्य चालू है या बन्द ?

श्री माधोसिंह : चालू है।

श्री दुर्गालाल वाढदार: कब से ?

श्री माधोसिंह : इसको चालू किये हुए करीब एक वर्ष हो चुका है और कार्य चालू है। 72-73 तक पूरा हो जायेगा।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना): एक वर्ष में कितने मजदूर लगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता !

श्री दुर्गालाल वाढदार : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि जैसा आपने फर्माया है कि काम चालू है। मेरी अपनी जानकारी के आधार पर और मैं रोज देखता हूं कि वहां पर काम बन्द है और कितने आदमी काम कर रहे हैं मालूम है आपको ?

श्री माधोसिंह : काम चालू है। बीच में सैंक्शन में डिले हो गई थी इसलिए थोड़े दिनों

(श्री माधोसिंह)

के लिए काम रुक गया था। अब काम की रफ्तार ठीक है और काम चालू है।

श्री दुर्गालाल बादवार : सेंक्शन कब दी गई है? कितने रुपयों की और कब तक यह काम पूरा हो जायेगा?

श्री माधोसिंह : यह तय हो चुका है कि इसके लिए 20 लाख रुपया दे दिया जायेगा।

श्री दुर्गालाल बादवार : दे दिया जायेगा या दे दिया है, इसमें तो अन्तर है।

श्री माधोसिंह : इसके लिए प्रावधान किया गया है और वह विचाराधीन है।

श्री मोहनलाल मोदी : क्या मन्त्री महोदय यह बतायेंगे कि एक साल में कितने दिन तक काम चालू रहा है?

श्री माधोसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री मोहनलाल मोदी : आपने कहा है कि एक वर्ष से काम चालू है तो एक वर्ष में कितने दिन तो काम चला है और कितने मजदूर लगे।

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बादवार : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। मैंने मन्त्री महोदय से पूछा था कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा? यह नहीं पूछा कि कितने दिन काम हुआ, क्या प्रगति हुई और काम हो रहा रहा है। यहां पर पूछा जाता ...से रैलेवेन्सी है और यह ... रैलेवेन्सी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। मेरा यह पूछना रेलेवन्ट है। यह रैलेवन्ट क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा रेलेवन्ट क्वेश्चन कर लें।

कब प्रारम्भ हुआ इसका उत्तर दे दिया है और कब समाप्त होगा इसका भी उत्तर हो गया है।

श्री माधोसिंह : 72–73 में पूर्ण हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

ग्राम के अन्तर्गत कर्ज व अनुदान

768. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नीम का थाना तहसील के किस किस ग्राम में ग्रामदान सम्बन्धी अब तक कितनी कितनी एवं कब कब रकम कर्ज व अनुदान स्वरूप वितरण की गई? सूची सदन में प्रस्तुत करें।

(2) क्या अनुदान व कर्ज की राशि का योजनानुसार कार्य पूर्ण किया गया या राशि ले जाने वाले व्यक्ति ने ही रकम को निजी कार्य में उपयोग में ले लिया? इस विषय में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं?

(3) क्या विकास अधिकारी नीम का थाना ने रकम की शीघ्र वसूली हेतु सिफारिश की है लेकिन ग्रामदान अधिकारीगण इस विषय में शान्त हैं? यदि हां, तो वसूली में देरी के क्या कारण हैं?

(श्री मोहनलाल मोदी)

(4) क्या सरकार के समक्ष इस विषय में गबन के मामले आये हैं ? यदि हां, तो सरकार इनमें क्या कदम उठा रही है ? राशि को उपयोगिता की जांच हेतु किस अधिकारी को नियुक्त किया है ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) अनुमोदित योजना के अनुसार राशि का उपयोग न करने के कारण उसे एक मुश्त वसूल करने की कार्यवाही की जारही है।

(3) पंचायत समिति द्वारा ग्राम अध्यक्षों के नाम एक मुश्त राशि जमा कराने के लिये नोटिस जारी कर दिये गये हैं।

(4) जी नहीं। जांच के लिये विकास विभाग को निवेदन किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय यह जो सूची के लिये कहा गया है वह मुझे नहीं मिली है। दूसरा ऐसा है कि आपने यह कहा है कि नोटिस जारी कर देंगे। अभी तक यह रुपया जमा नहीं कराया है तो क्या कार्यवाही करेंगे उनके खिलाफ ?

श्री गंगाराम चौधरी : भू-राजस्व की तरह बाकी से उनको अवगत करा दिया जावेगा।

श्री मोहनलाल मोदी : किस प्रकार से वसूली करेंगे ग्राम सभा से या उसके अध्यक्ष से ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया है, अध्यक्ष महोदय, कि यह जो राशि है लैंड रेवेन्यू की, भू-राजस्व की तरह उसको पी. डी. आर. के तहत भी वसूल किया जा सकता है और उसकी वसूली के लिए इसके अन्तर्गत प्रावधान है।

श्री मोहनलाल मोदी : ग्राम सभा से करेंगे या अध्यक्ष से ?

श्री गंगाराम चौधरी : जिसको राशि दी गई है उससे वसूली की जायेगी।

प्रश्न संख्या 769

श्री अध्यक्ष : श्री परसराम गंगाराम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये।)

प्रश्न संख्या 770

श्री देवीदत्त गाड़िया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये।)

श्री बालसिंह सोढ़ा।

जैसलमेर जिले के छात्रावास

771. **श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) :** क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? अगर हां, तो पूर्ण जिले में कितने छात्रावास हैं और किस छात्रावास में कितने छात्र हैं ? सूची सदन की मेज पर छात्रावास वार रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त छात्रावासों में प्रवेश से लेकर व्यवस्था तक में भारी अनियमितताएं हैं।

(3) क्या जैसलमेर के छात्रावास में जैसलमेर के छात्रों को प्रवेश से वंचित

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
रखा जाता है और बाहर के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है ? अगर हां, तो जैसलमेर स्थित छात्रावास में छात्रों की सूची मय उनके निवास स्थान दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि छात्रों के राशन व अन्य सामान की खरीद में भारी घोटाला है व समाज कल्याण अधिकारी बाड़मेर में रहते हैं और समय पर टेन्डर नहीं मांगे जाते हैं और मनमाने ढंग से खरीद की जाती है ?

(5) क्या यह सही है कि समय पर छात्रों को जो सुविधायें मिलनी चाहिये, अनियमितताओं के कारण नहीं मिल पा रही है और प्रशासन के अभाव में किसी प्रकार का अनुशासन नहीं है ? अगर हां, तो राज्य सरकार भविष्य में इसके लिये क्या विचार रखती है?

(6) क्या यह सही है कि जैसलमेर स्थित छात्रावास की आज तक एक बार भी मरम्मत नहीं कराई गई है जिससे भवन गिरने की आशंका है ? अगर हां, तो राज्य सरकार कब तक मरम्मत की व्यवस्था करेगी और आज तक मरम्मत नहीं करने के क्या कारण है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी): (1) जी हां, पूरे जिले में 5 छात्रावास हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) यह सही है कि भवन की मरम्मत नहीं कराई जा सकी है। पर सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भवन गिरने की आशंका व्यक्त नहीं की है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालसिंह सोढा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा है मैं यह निवेदन कर दूं कि भवन गिरने लगा है और मैं स्वयं देख कर आया हूं और आप कहते हैं कि प्रश्न नहीं उठता और मांग नहीं की गई जो भवन है उसकी मरम्मत के लिये। प्रश्न पूछा है कि जो छात्रावास है वह गिरने लगा है और क्रेक हो गया है और आप कह रहे हैं कि मांग नहीं की गई।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह नहीं कहा है। यह कहा है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग से इसके गिरने की कोई आशंका व्यक्त नहीं की है। आपका फर्माना है कि मरम्मत हो और इसके लिये 7 हजार रुपयों का एस्टीमेट तैयार किया गया है और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जल्दी ही संक्शन कर देने का विचार है ।

श्री बालसिंह सोढा : भाग दो में यह कहा है 'जी नहीं' । तो क्या वहां पर जो वस्तुएं खरीदी जाती हैं उसके लिये टेण्डर लिया जाता है ?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : इसके लिये विभागीय नियम बने हुए हैं और आम तौर

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

से जो टेन्डर लिये जाते हैं वे जिला कलेक्टर के सामने ग्राम तौर से खोले जाते हैं। विशेष स्थिति में या इमर्जेन्सी में जिला कल्याण अधिकारी की राय से कोऑपरेटिव सोसाइटी से निश्चित दर पर वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हरलाल मीणा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): क्या आप यह नहीं जानते हैं कि छात्रावासों में घोटाला है, अनियमिताएं हैं? और दिन व दिन अनियमितताएं, घोटाले बढ़ते जा रहे हैं?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : मैं माननीय विरोधी दल के नेता को निवेदन कर दूं कि विभागीय अधिकारी पूर्णरूपेण सतर्क हैं और आज की तारीख तक आधे दर्जन से ज्यादा छात्रावास के अधीक्षक गड़बड़ियों के कारण अन्डर संस्पेन्शन हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। अब छात्रावासों की व्यवस्था को ठीक करने के लिये स्पेशल स्केलें हाईली क्वालिफाइड सुपरिन्टेन्डेंट के लिये रखी गई है और वह 225–525 की है और इसमें एम. ए. सोशियोलॉजी की क्वालिफिकेशन रखी गई है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज! श्री हरलालमीणा।

श्री बालसिंह सोढा : जो प्रवेश कमेटी बनी है उसके कौन कौन मेम्बर हैं?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : जो कमेटी होती है उसमें एक तो एम. एल. ए. मेम्बर होता है, एक पंचायत समिति का प्रधान मेम्बर होता है, एक स्कूल का हैड मास्टर और एक उस छात्रावास के सुपरिन्टेंडेन्ट मेम्बर होते हैं। दो सोशल वर्कर को और मेम्बर के रूप में लिया जाता है। एक मेम्बर समाज कल्याण अधिकारी होता है और जो सामाजिक कार्यकर्ता लिये जाते हैं उनमें से एक अनुसूचित जाति का होना चाहिये और एक जनरल कार्यकर्ता होना चाहिये।

श्री बालसिंह सोढा : क्या यह सही है कि एक बार भी इन मेम्बर्स की मीटिंग नहीं बुलाई गई है?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : हमारे यहां पर 40 छात्रावास हैं और किन की मीटिंग हुई है या नहीं हुई है इसकी मेरे को जानकारी नहीं है।

श्री बालसिंह सोढा : जैसलमेर में जो छात्रावास हैं उनकी कितनी मीटिंग हुई हैं?

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : वहां पर पांच छात्रावास हैं और किसी भी मीटिंग के बारे में आफ हैन्ड नहीं बता सकता हूं।

श्री बालसिंह सोढा : किसी का भी बता दें।

श्री विश्वम्भर नाथ जोशी : अगर मीटिंग नहीं हुई है तो उसके बारे में जानकारी कर ली जायेगी और आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Page No. 6

श्री बालसिंह सोढ़ा : समाज कल्याण अधिकारी ने किसी मीटिंग में भाग नहीं लिया है, उपस्थित नहीं रहे हैं।

प्रश्न संख्या 772

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्री हर लाल मीणा !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान में किये गये कृषि अनुसंधान

773. श्री **दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में अब तक किये गये कृषि अनुसन्धान कार्य के क्या परिणाम हैं ? क्या इसका कोई मूल्यांकन किया गया है ?

(2) क्या कृषि अनुसंधान कार्य की पूरी रिपोर्ट तैयार की गई है ? यदि हां. तो उकली प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) यह अनुसंधान कार्य कृषि के किस किस क्षेत्र में किया गया और इस पर अब तक कुल कितना व्यय हुआ है ?

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : (1) राजस्थान में अब तक कृषि सम्बन्धी अन्वेषणों द्वारा नई अधिक उपज देने वाली फसलों की किस्में तैयार की गई हैं। उनसे अधिकतम उपज पाने की कृषि विधियां, फसलों को कीट व व्याधियों से बचाने के लिये उपाय व भूमि की उर्वरक शक्ति की जांच व सर्वेक्षण तथा क्षारीय भूमि व पानी को कृषि योग्य बनाने की विधियां निकाली हैं तथा उपज बढ़ी है। परिणामों से कृषकों को लाभ हुआ है तथा उपज बढ़ी है। परिणामों का मूल्यांकन वर्ष में दो बार राजस्थान राज्य अन्वेषण समिति द्वारा किया जाता है तथा अखिल भारतीय स्तर पर विशेषज्ञों की गोष्ठियों में होता है। अन्वेषण राज्य समिति विभिन्न फसलों पर किये गये कार्य का लेखा-जोखा लेती है।

(2) प्रति वर्ष अन्वेषण विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कृषि विभाग द्वारा पुस्तिका निकाली जाती है। सन् 1970-71 में निकाली गई पुस्तिकाओं की प्रतियां संलग्न है। 20 वर्ष का अन्वेषण कार्य के पांचों संभागों को अन्वेषण रिपोर्ट प्रकाशनार्थ भेजी है।

(3) कृषिक वनस्पति विज्ञान, शस्य विज्ञान, पौधे व्याधि तथा कीट विज्ञान व कृषि रसायन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य किये जा रहे हैं। राजस्थान में इस कार्य के लिए जयपुर, श्रीगंगानगर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर केन्द्रों पर कार्य किये जा रहे हैं और उन पर 60-61 से 2 करोड़ रुपया व्यय किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **दौलतराम सारण** : यह आपने कहा प्रश्न एक में कि अनुसंधान का मूल्यांकन किया जाता है यह मूल्यांकन सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। मूल्यांकन सम्बन्धी केवल एक रिपोर्ट पेथोलोजी की दी है। अब तक इस सम्बन्ध में जो कार्य किये गये हैं, जैसा आपने बताया दो करोड़ रुपये खर्च

(श्री दौलतराम सारण)
हुए हैं। इसमें मूल्यांकन सम्बन्धी सारी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है क्या ?

श्री शोभाराम : मैंने निवेदन किया पेथोलाजी की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। चार भाग छप चुके हैं। कम्पाइलेशन होना बाकी है। मैं समझता हूं बाइंडिंग होकर आ जाय तो वह भी छप जायेगी। पेम्फलेट और छोटी पुस्तकों के द्वारा हम किसान के पास भेज देते हैं। 70-71 की प्रतिलिपि भेज दी है। बाकी चार शाखायें हैं। मैं समझता हूं एक महीने के अन्दर अन्दर बाइंडिंग होकर आ जायेगी और सदन के सभी सदस्यों के पास भेज दी जायेगी।

श्री दौलतराम सारण : यह अनुसंधान कार्य जिन जिन क्षेत्रों में किया गया है उन क्षेत्रों में जैसे क्षारयुक्त भूमि को कृषि योग्य बनाया है तो क्या आप यह बता सकते हैं इसमें कितने प्रतिशत तक सफलता मिली है ?

श्री शोभाराम : यह इस बात पर निर्भर है कि क्षार कितने परसेन्ट तक है। कम पर्सेन्टेज वाली जमीन में काफी सफलता मिलेगी। कोटा में जो पानी का लागिंग हो गया और क्षार आ गया वहां वाटर लेवल नजदीक आ रहा है उसमें सफलता मिली है लेकिन जहां क्षार की मात्रा ज्यादा है हम सन्तोषजनक प्रगति नहीं कर सके।

श्री दौलतराम सारण : मैंने पूछा है विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न विषयों में अनुसंधान कार्य किया है, उन अनुसंधान कार्यों में कितने प्रतिशत तक सफलता मिली है ? यह अभिप्राय है।

श्री शोभाराम : क्षारयुक्त भूमि की मात्रा जहां है वहां मैं समझता हूं 75 से 80 प्रतिशत तक सफलता मिली है।

श्री दौलतराम सारण : क्षार युक्त क्षेत्र में मिली है लेकिन इसके अतिरिक्त जो अनुसंधान कार्य किया है उसमें कितनी सफलता मिली है जैसे बीज के क्षेत्र में गेहूं संकर बीज में प्रगति की है थोड़ी लेकिन जो ड्राई फार्मिंग के लिए है– सूखी खेती के लिए आप कोई उन्नत बीज निर्माण नहीं कर सके हैं जिसकी राजस्थान में सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं यह पूछना चाहता हूं राजस्थान ने इस स्थिति में कहां तक सफलता प्राप्त की है ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं जो प्रश्न उठाये हैं इसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है उनमें सफलता मिली है। ड्राई फार्मिंग जहां पानी की मात्रा कम उपलब्ध होती है वहां पिछले साल जौ पर प्रयोग किया है और अभी जब तक तीन साल तक नहीं कर लें तब तक सफलता के बारे में जानकारी नहीं मिल सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है। यह रेगिस्तानी क्षेत्र के अन्दर क्या आप यह आवश्यक नहीं समझते हैं कि राजस्थान का दो तिहाई अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है और जो कृषि प्रधान क्षेत्र है उस क्षेत्र में उन्नत कृषि के लिए आपने कितने प्रतिशत तक प्रयोग किया है और सफलता प्राप्त की है ?

श्री शोभाराम : मैंने निवेदन किया पश्चिमी क्षेत्र में जो ड्राई फार्मिंग की

(श्री शोभाराम)

केटेगरी में आता है उसमें जो कुछ नतीजा निकला है उस पर हम विचार कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को यह पता होगा जोधपुर शहर के अन्दर जो गवर्नमेंट आफ इन्डिया का इन्स्टीट्यूशन है–जितना भी जो काम किया है अगर आप चाहेंगे कितने प्रतिशत सफलता प्राप्त की, कितना प्रोग्राम फालो किया है यह अलग से है। सेन्ट्रल की तरफ से एक इन्स्टीट्यूशन जोधपुर में काम कर रही है खास तौर से पश्चिमी एरिया में किस तरह काम आगे बढे अगर आप चाहेंगे तो उसकी रिपोर्ट भी पेश कर देंगे।

प्रश्न संख्या 774

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री रामनारायण !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री गुप्ता: साहूकारों से लाईसेन्स की फीस।

775. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान साहूकारी अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत ता. 31-3-66 तक अलवर के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर में साहूकारों ने लाइसेन्स की फीस के प्रत्येक ने 15) रुपये दाखिल किये थे ?

(2) क्या यह सही है कि तारीख 4-2-70 को सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति, अलवर ने 2500 00 रुपये से कम लेन देन करने वाले साहूकारों को लाइसेन्स की दरख्वास्तें समाप्त कर दीं ? और स्थानीय 'नूतन आलोक' साप्ताहिक अखबार में यह सूचना छपवा दी ?

(3) अब सरकार पच्चीस हजार से कम का लेन देन करने वाले साहूकारों को लाइसेन्स देने की क्या व्यवस्था करना चाहती है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) कुछ साहूकारों ने बैंक के माध्यम से तथा कुछ ने सीधी सहायक पंजीयक, सहकारिता विभाग, अलवर के कार्यकाल में निर्धारित फीस जमा कराई है।

(2) जी हां।

(3) इस सम्बन्ध में साहूकारी अधिनियम में संशोधन हेतु एक बिल इस समय प्रवर समिति के विचाराधीन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस बिल के लिये तो आपने आर्डर्स पास किये हैं उसके बाद लाइसेन्स फीस खत्म हुई। वे रिन्यू कैसे हुये जब कि गवर्नमेंट ने अमेन्ड कर दिया था ? 25 हजार वालों के लिए लाइसेन्स की व्यवस्था कब कर देंगे ? वह लाइसेन्स खत्म हो गया। कितनी दरख्वास्तें पेन्डिग हैं ? यह कानून अमेन्ड हुआ नहीं। वह सब पेडिग पड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश की मंशा के अनुसार जो बिल प्रवर समिति के पास है 25 हजार से कम आमदनी वाले लोगों से अब तक लाइसेन्स फीस जमा कराने के लिए जोर नहीं दिया जा रहा है उसके उपरान्त भी सिलेक्ट

Page No. 9

(श्री गंगाराम चौधरी)

कमेटी जिस तरह पास करती है, वह इस हाउस के सामने आ जायेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कानून का सवाल है कानून के अमेन्डमेंट वाला खत्म हुआ। उसके लिये 25 हजार जरूरी है इसलिए पेंडिंग है, उसका क्या होगा ?

श्री रामकिशोर व्यास : आर्डिनेन्स के तहत जो ऐक्शन होगा, लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल !

आमेर पेलेस देखने के लिए हाथी की सुविधा

776. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि आमेर पैलेस देखने के लिये आने वाले यात्रियों को हाथी की सुविधा केवल एजेन्सीज के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है ? यदि हां, तो अन्य ट्रैवल एजेन्सीज को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जयपुर नगर में जो दो ट्रैवल एजेन्सीज हैं वे दूसरी एजेन्सीज को हाथी के उपयोग की इजाजत 6 रु. 50 पैसे प्रति हाथी चार्ज करके देती हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस एकाधिकार को समाप्त करने का विचार रखती है ?

(3) मान्यता प्राप्त इन दोनों एजेन्सीज के माध्यम से हाथी ऊपर ले जाने की व्यवस्था के पीछे क्या दृष्टिकोण है एवं इसका क्या औचित्य है ?

(4) क्या अक्टूबर 1970 में राज्य सरकार ने उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके अधीन गैर मान्यता प्राप्त एजेन्सीज को भी निर्धारित शर्तों के आधार पर हाथी के उपयोग की सुविधा प्रदान की गई थी ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार अपने मेहमानों के लिये जब कभी भी हाथियों का उपयोग करती है तब 37 रु. फी हाथी इन एजेन्सीज को जमा कराती है ? जब कि हाथी वाले को सिर्फ 23 रु. ही दिया जाता है ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष जो यह टूरिस्ट डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है और इसकी आगे के लिये व्यवस्था कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया। नेक्स्ट।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मुझे जवाब नहीं चाहिये। इस क्वेश्चन को एग्जामिन करा लीजिये ! डिफिकल्टीज ही टूरिस्ट की है। आप मुझे लिखित में भी जवाब भेज दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी !

जवाई बान्ध की प्राइवेट सड़क

777. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले

(श्री पृथ्वी सिंह)
के जवाई बान्ध रेल्वे स्टेशन से मोरी, बेड़ा मन्दर नाड़ चामुण्डेरी आदि प्रमुख गांवों में जाने वाली सड़क जवाई बान्ध की प्राईवेट सड़क पर से ही होकर जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि जवाई बान्ध को प्राइवेट सड़क के दोनों सिरों पर फाटकें लगी हुई हैं और बन्द रहती हैं जिससे सर्व साधारण को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

(3) क्या इस कठिनाई को दूर करने हेतु सरकार कोई अन्य व्यवस्था करने का इरादा रखती है ?

उप-मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : आपने जैसा कहा यह सड़क जवाई बान्ध की प्राईवेट रोड पर से जाती है अगर मान लें जवाई बान्ध पर से गुजरने की स्वीकृति न दें तो क्या आप उन्हें कम्पेल कर सकते हैं ?

श्री माधोसिंह : जी नहीं।

श्री पृथ्वीसिंह : कम्पेल नहीं कर सकते हैं तो जवाई बान्ध से आगे जाने वाले रास्ते पर किस तरह से गुजरना होगा ?

श्री माधोसिंह : एक बाई पास कच्चा रास्ता जाता है।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय कोई कच्चा रास्ता नहीं जाता है एक पगडण्डी जरूर निकलती है उसमें से ट्रैफिक के आने जाने का रास्ता नहीं है।

श्री माधोसिंह : उसको बाई पास तैयार करवा देंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : कोई कार या जीप निकल सकती है या नहीं निकल सकती है उस बाई पास से ?

श्री माधोसिंह : जवाई बान्ध जो निजी..

श्री अध्यक्ष : बाई पास से ट्रैफिक गुजर सकेगा ?

श्री माधोसिंह : दो-तीन फर्लांग का कच्चा रास्ता है उसको बाई पास बना देंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : यह कब तक बना देंगे ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा निवेदन है पैरेलल रोड बनायेंगे तभी आवश्यकता पूरी होगी। क्या सरकार कभी इस सम्बन्ध में विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री माधोसिंह : माननीय विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा उसमें पैरेलल रोड की जरूरत नहीं है। बाई पास को इस तरह करवा दिया जायगा जिसमें दोनों रोड मिल जायं।

श्री पृथ्वीसिंह : वहां पर बड़े बड़े गांव बहुत ज्यादा पड़ते हैं और काफी ट्रैफिक निकलता है तो बाईपास कच्चा बना देने से काम नहीं चलेगा ? दूसरी सड़कें पक्की बनी हुई हैं तो आप इस सड़क को पक्की बनाने का आश्वासन दें।

श्री माधोसिंह : बाईपास का यही मतलब है कि जिससे पास होकर जाया जा सके। इसको पक्का बना दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

राजस्थान बैंक कोटा

778. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि सन् 1970 में राजस्थान बैंक कोटा में जो रामपुरा बाजार में स्थित है, कई व्यक्तियों की जेब, थैले आदि काट कर रुपयों की चोरी हुई है ? अगर हां, तो कब कब व कितनी कितनी राशि की ?

(2) उपरोक्त सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई।

गृहमंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (1) जी हां, सही है। यह चोरियां दिनांक 11–2–70, 6–11–70, 9–11–70 को हुई हैं व इनमें क्रमशः 6780, 4700, 1900 की राशि चोरी हुई है।

(2) उपरोक्त विषय में हर तीनों चोरियों के अभियोग दिनांक 11–2–70, 6–11–70, 9–11–70 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली, कोटा पर पंजीवद्ध कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान से माल व मुलजिमानों का पता नहीं चल सका। यद्यपि दिनांक 5-3-70, 31-12-70, 14-4-71 को अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता में दे दी गई है। फिर भी मुखबिर मामूर किये हुए हैं ताकि इस गिरोह का जल्द पता लगाया जा सके।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो तीन चोरियां उल्लिखित की हैं अपने उत्तर में ये सारी चोरियां जेबकतरी की हैं जो कि लोग बैंक में रुपये जमा कराने आते थे उनके बैग्स व जेबें काटकर चोरियां की गई हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : चोरियां हुई हैं उसी तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि 11-2-70 को पहली घटना चोरी की हुई जेब काटने की तो उसके बाद में पुलिस के द्वारा बैंक में इन्तजाम नहीं किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खुद आपके उत्तर से ऐसा लगता है कि लगातार ये थैले काटने की और जेब काटने की घटनाएं हुई हैं। 11–2–70 को हुई उसके बाद में 6–11–70 को हुई और 9-11-70 को कान्टीन्युअसली हुई थी तो यह साफ था कि कोई गैंग आकर लोग जो पैसा जमा कराने के लिए आते थे तो उनके बैग्स काटकर और जेबें काटकर रुपये ले गया तो पुलिस के द्वारा क्या सतर्कता बरती गई। बैंक में जब इस की घटनाएं लगातार हो रही हैं तो पुलिस ने कोई सतर्कता नहीं बरती और न कोई इन्तजाम किया।

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस ने क्या इन्तजाम किया इस बारे में आपको मुझे स्पष्ट सवाल पूछना चाहिए तो मैं आपको बता देता कि पुलिस ने क्या इन्तजाम

(श्री दामोदरलाल व्यास)
किया सादे लिबास में कोई आदमी रखे या कोई इन्तजाम किया। आपने सवाल में पूछा नहीं तो सप्लीमेंट्री में मालूम नहीं कर सकते है। मैं यहां तो बैठे बैठे कैसे बता सकता हूं कि पुलिस ने मामूर किये या नहीं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सप्लीमेंट्री में सारे उत्तर की आशा की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष : मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जब लगातार चोरियां हो रही हैं, 11-2-70 को हुई और उसके बाद में 6-11-70 को हुई तो उनमें एफ. आर. दे दी और फिर तीसरे केस के अन्दर भी एफ. आर. लगा दी गई। क्या गृहमन्त्री जी इस प्रकार से लगातार एक ही स्थान पर चोरियां होती रहें और जेबें कटती रहें और एफ. आर. लगाकर वह कर दें और उसमें तफतीश जारी न हो–सारे जेबकतरों को राउण्ड अप करके तफतीश क्यों न की जाय? यह क्या आप जरूरी नहीं समझते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास : एफ. आर. लगाने का यह मतलब नहीं कि मुकद्दमा खत्म हो गया। एफ. आर. के लिए पुलिस में एक रैग्युलर मयाद मुकर्रर है और इस अरसे में अगर पता नहीं लगता है तो फाइनल दे दी जाती है कि यह अदमवकुआ है या अदम पता है या अमद सबूत है, मगर वह मुकद्दमा बराबर कायम रहता है। आप स्वयं वकील हैं और आप जानते हैं कि फौजदारी के लिए कोई ला आफ लिमिटेशन नहीं है। वह मुकद्दमें को नम्बर करके बराबर जानकारी करते रहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपने यह जो जानकारी दी है प्रश्न के भाग (2) में कि वहां पर इस तरह से मुखबिर मामूर कर दिये हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कब से किये हैं? यह बता दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय मेरे समझ में नहीं आता कि जब सप्लीमेंट्री आप पूछना चाहते हैं तो सवाल में ही क्यों नहीं दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि कब से मामूर किये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आपसे सारे उत्तर एक्सपेक्टेड हैं जहां पर प्रश्न पूछा गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कतई एक्सपेक्टेड नहीं हैं। आप गलत सोच रहे हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न बड़ा गम्भीर है और आप इसकी सीरियसनेस को जानते हैं और जानकारी नहीं है। लगातार चोरियां हो रही हैं और बैंक में एक ही जगह जेबें कट रही हैं और पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर!

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य वकील हैं और वह यह समझते हैं कि मैं गवाह हूं इसलिए हर बात को जानता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप गवाह नहीं गृहमन्त्री हैं। और राजस्थान के गृहमन्त्री

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
होने के नाते आपको ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप गवाह नहीं हैं। आप गवाह क्यों बन रहे हैं। राजस्थान में जो अपराध होते हैं उसकी जिम्मेदारी गृहमन्त्री पर आती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

नगर विकास न्यास जयपुर द्वारा भूमि का आवंटन

77). श्री लाभचन्द वेद (सुजानगढ़): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास, जयपुर, द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1497 दिनांक 15-1-70 के द्वारा श्री श्रीराम गोटेवाला, जयपुर को बसन्त विहार क्षेत्र का उप-विभाजन किये जाने हेतु अनुमति दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि यह भूमि नगर विकास न्यास द्वारा तैयार की गई किसी योजना में सम्मिलित है ? यदि हां, तो उपरोक्त अनुमति किस आधार पर दी गई है।

(3) क्या यह सही है कि उस क्षेत्र के विकास के लिए श्री श्रीराम गोटेवाला द्वारा कोई धनराशि नगर विकास न्यास में जमा कराई गई है ? यदि हां, तो कितनी और कब ?

राज्य मंत्री, नगर विकास (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में 6300) रु. से धनराशि विकास कार्यों के सम्बन्ध में अग्रिम रूप में दिनांक 24-2-70 को जमा कराई गई है।

श्री लाभचन्द वेद : कुल कितनी राशि जमा करानी चाहिए ?

श्रीमती सुमित्रा : 10 पर्सेन्ट के हिसाब से इतनी ही करानी चाहिए थी जितनी की कराई गई।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह आपने जिस पत्र का हवाला दिया है और जिसके अनुसार आपने उप-विभाजन की स्वीकृति दी है तो टोटल डेवलपमेंट चार्जेज कितने दिये गये थे और उसके अगेन्स्ट में कितनी राशि दी गई है ?

श्रीमती सुमित्रा : 163 40) टोटल डेवलपमेंट चार्जेज किए गये थे। और 10 पर्सेन्ट सिक्योरिटी के रूप में जमा कराना पड़ता था तो उसके हिसाब से 6300 रु. जमा करा दिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : शेष राशि कब तक जमा होना चाहिए थी और कब तक जमा करा दिये गये ?

श्रीमती सुमित्रा : कुल 10 रुपये हैं।

श्री कृष्णकुमार

श्रीमती सुमित्रा : और क्या ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : 63,440) रु. की रकम थी उसमें से जमा किये गये हैं 6300 रुपये तो शेष रकम 63 हजार में से जमा कब होना चाहिए ?

श्रीमती सुमित्रा : जमा क्यों हुई ? डेव पमेंट किया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जितनी भूमि है वह सारी की सारी एग्रीकलचर लैण्ड है ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, गलत बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि एग्रीकलचर लेण्ड को वजह से तहसीलदार, जयपुर ने इसके लिए रेवेन्यू एपीलेट आथोरिटी में स पेंडिंग कर रखा है ?

श्रीमती सु ा : सन् 46 में इसकी आबादी लैण्ड कन्वर्जन किया गया था। उसके बाद में रैवेन्यू अपीलेट आथोरिटी में केस चला होगा। इसका मुझे पता नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : सन् 46 का वह आदेश जिसके अनुसार इसको आबादी के अन्दर परिवर्तित किया गया था विधान सभा के पटल पर रखने को तैयार है।

श्री ती सुमित्रा : जी हां, तैयार हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या इसके बारे में यू. आई. टी. की कोई स्कीम नहीं थी ?

श्री ती सुमित्रा : सब–डिवीजन करने के लिए यू. आई. टी. को भेजा था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बिना स्कीम के यू. आई. टी. को क्या सब–डिवीजन करने के अधिकार है ?

श्रीमती सुमित्रा : अधिकार हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक्ट की कौनसी धारा में हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसके अन्दर इसमें किसी प्रकार से अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट : श्री केसरीसिंह हाड़ा !

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में बहुत ज्यादा घोटा ले हैं। यह जमीन 42500 वर्ग गज है और 42,500 वर्ग गज जमीन एक्ट की किसी धारा में परिवर्तित नहीं हुई है। मुझे बतादें कि कहां इस प्रकार का यू. आई. टी. अपने सब–डिविजन के अधिकार देकर प्लाट बना कर दे दें।

श्री भीखा भाई : (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शायद इस भ्रम में हैं कि आबादी जमीन पर जो पहले कल्टीवेशन की लेण्ड थी उसमें सब-डिवीजन होता है तो उसकी मन्जूरी लेना पड़ती है। यह बात नहीं है। जहां कोई जमीन है, व्यक्तिगत सम्पत्ति है, जो कि अरबन प्रापर्टी मानी जा सकती है उसमें कोई मकान बनाना हो ी तो उसके निमित मानचित्र देने पड़ते हैं और उसके साथ में नियमानुसार फीस देनी पड़ती है। और ये सब-डिवीजन रूल्स बने हुए है तो उनके अन्तर्गत इसप्रकार का प्रावधान है कि वहां पर कोई निर्माण करने के पूर्व या किसी को विक्रय करने के पूर्व कोई बड़ी जमीन हैं तो विक्रय के सम्बन्ध में सब-डिवीजन कराने के।

(श्री भीखा भाई)
विक्रय कर सकता है और जिस परपज के लिए वह हैं उसी परपज के लिए करता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप बता दें कि एक्ट में किस धारा में यह अधिकार है कि आप इस प्रकार से उसको आदेश दें और प्लाट बनाने को सेंक्शन दे दी। अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इस के अन्दर 70 बाई 100 के 11 प्लाट्स हैं, 40 बाई 60 के 39 प्लाट, 30 बाई 60 के 44 प्लाट्स और 10 बाई 20 के 7 इतने डिटेल्स में ब्रेक अप करके कि इतने इस नाप के प्लाट और इतनी दुकानें इससे इस तरह बनाने के आदेश दिये हैं। आप बता दें कि इस एक्ट की कौनसी धारा में आपको अधिकार है, यू. आई. टी. को कि इस प्रकार के आदेश दें।

श्री भीखाभाई : यह खासतौर से मैंने प्रापर्टी का कहा है। मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य वकील होने के बावजूद इस प्रकार की बात करते हैं। मैं रूल्स पढ़ता हूं और रूल में है-

"Every person shall be required to obtain, in the manner hereinafter mentioned, permission form the Trust in writing for the subdivision, reconstitution and improvement of plots in any urban area towhich these rules apply."

अब इसके बाद में लिखा है।
"Application and other details..."

श्री कृष्णकुमार गोयल: यह मैं आप को बताना चाहता हूं। यू. आई टी. एक्ट की धारा 62 के अन्दर लिखा हुआ है, अध्यक्ष महोदय-

"Where, an improvement having been execute by the Trust in any area, the value of hat property has increased or been increased the Trust shall, with the sanction of the State Government, be entitled to levy on any person having interest therein, a betetrment charge.

इसके अलावा डवेलप्मेंट चार्जेज इस एक्ट के अन्तर्गत कहीं नहीं हैं, केवल ये बतलाये हैं। जानना चाहता हूं राज्य सरकार ने कौन से अधिकार द्वारा ये प्लोट रिलीज किये हैं।

श्री भीखाभाई : यह डेवलपमेण्ट का सवाल नहीं है। तकनीकी सवाल है। किस प्रकार का प्रश्न है यह राय से बनाया गया है। पहले कोई दरख्वास्त आती है, सब डिवीजन के लिए। उसके बाद उसकी मंजूरी होती है। अनुमति देते हैं, उसके अनुसार बनाया जाता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह चार्जेज किस रेट से करते हैं?

श्री भीखाभाई : इनको पता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : रेट नहीं बताई है।

श्री भैरोंसिंह : आप ने किस रेट से डेवलमेन्ट चार्जेज वसूल किये हैं?

श्री भीखाभाई : जैसा कि अभी राज्य मंत्री ने बताया है। वही लिया गया है।

Page No. 16

श्री भैरोंसिंह : आपने जो रुपया लिया है, वह सारा डवलपमेन्ट चार्ज का लिया है ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार ने डवलपमेण्ट की कोई फीस निर्धारित कर रखी है या कैसे ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो मार्केट प्राइस हैं, उसका 115 बेटरमेण्ट चार्ज होगा ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं निवेदन करूंगा कि यह वाकई में गोटेवाला ने 2 लाख में खरीदी थी और अब यह प्रापर्टी सारी की सारी सिन्धी हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी को बिना एक पैसा खर्च किये वह सारी की सारी प्रापर्टी 8 लाख में दे दी है । केवल उसके कागज हो गये हैं। सब-डिवीजन के कागज दिये जाते हैं। या परमीशन ले ली । उस आदमी ने 2 लाख में खरीदी थी उसके मुकाबिले में 8 लाख में दे दी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, 4 हजार वर्ग गज जमीन का तो करीब 2 लाख रुपया बनता है । आपने कितना पैसा बेटरमेण्ट चार्ज का लिया है ?

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, बेटरमेण्ट चार्ज नहीं लिया है । यह गवर्नमेण्ट डेवलपमेण्ट करती है तो उसकी जिम्मेदारी है अगर किसी व्यक्तिगत आदमी ने लिया है जो किसी योजना के अन्तर्गत नहीं आता है । इसके अन्दर कोई बात नहीं है यू. आई. टी. ने एलाट किया है । तो फिर आदमी को पूरा अधिकार है । कोई आदमी सबडिवीजन के लिए मंजूरी लेता है तो क्या गुना है करता है । अगर सब डिवीजन का सवाल आता है । पहला तो सवाल यह है कि मकान बनाने के लिए मानचित्र पेश करता है स्वीकृति लेनी पड़ती है नगरपालिका से परमीशन लेनी पड़ती है । बड़ी जमीन होती हैं तो सब-डिवीजन वह कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि रेजीडेशिअल परपज के लिये 7रु. प्रतिवर्ग गज के हिसाब से विकास शुल्क चार्ज किया जायेगा ।

श्री भीखा भाई : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री भैरों सिंह : क्यों नहीं है । जमीन के बारे में ही कहा है । क्या राज्य सरकार ने इसी सत्र में घोषणा की है कि हम प्राइवेट कालोनीज में आगे अनुमति देनेवाले नहीं हैं । लाल कोठी निर्माण के बारे में जिन लोगों ने जमीन एक्वायर की हैं, उनके लिये यह कहा गया है कि हम किसी व्यक्ति को सब-डिवीजन की इजाजत नहीं देंगे ।

श्री भीखाभाई : यह तो बहुत पुराना मामला है ।

श्री भैरोंसिंह : आप यह बतायें, आप डेवलपमेंट चार्ज किस हिसाब से लेते हैं ?

Page No. 17

(श्री भैरोंसिंह)

जैसा कि रामानन्द जी ने अभी कहा है कि करीब दो लाख रुपये होते हैं। अगर कार्मशियल परपज के लिये होता तो 50 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से चार्ज होना चाहिए था। एक तरफ काश्तकारों की जमीन एक्वायर कर रहे हैं। और काश्तकार जाता है तो प्राइवेट कालोनाइजेशन की इजाजत देते हैं। इसमें सब–डिवीजन की परमीशन देते हैं। लाखों रुपया कमाने की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष : स्पष्ट करें।

श्री भीखा भाई : माननीय सदस्य इसको रेफर कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : (श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर) कहने दीजिये, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : श्रीराम गोटेवाले ने यह जमीन कब खरीद ली थी ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सब-डिवीजन कब अलाऊ किया ?

श्री भीखा भाई : वह तो कभी भी हो सकता है। यू. आई. टी. को अपलीकेशन फारवर्ड करके मंजूरी ली जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आदेश कब निकाला है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : यह 15-1-70 को गवर्नमेंट ने आर्डर निकाला, 15-1-70 के आर्डर से जमीन के सब-डिवीजन की सेंक्शन हुई, यह आर्डर की कापी मेरे पास है, इसमें कोई रेट नहीं है। इसमें लिखा है, इस क्षेत्र के निम्न विकास हेतु 63 हजार का अनुमान आता है, जिसमें से इतना रुपया सेंक्शन किया जाय। मैं पूछ रहा हूं, अनुमान का आधार क्या है ? कितना रुपया एक गज डेवलपमेन्ट के लिए आधार माना है ? यह नहीं बता रहे हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह सेंक्शन गवर्नमेंट की डिक्लेयर्ड पालिसी से हुई।

श्री भीखा भाई : मैंने जो कुछ कहा है....

श्री श्रवण लाल : ओन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री हाड़ा। कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं क्वेश्चन अवर में।

जोधपुर शहर के पास कृषि फार्म

782. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे:-

(1) क्या श्री नाथूराम मिर्धा का जोधपुर शहर के पास एक कृषि फार्म है ? यदि हां, तो वह फार्म इनके पास कितने सालों से है ?

(2) क्या यह सत्य है कि इस फार्म पर खेती के अतिरिक्त सूअर पालन व मुर्गी पालन का कार्य भी होता है ?

(श्री केशरीसिंह हाड़ा)

(3) क्या यह सत्य है कि श्री नाथूराम मिर्धा ने अपने मन्त्री काल में एक पुरानी सड़क को जो इनके फार्म में से निकलती थी बन्द करके फार्म के अन्दर ले ली थी।

(5) क्या यह सत्य है कि उम्मेद सागर की पूर्वी नहर के नीचे की जमीन पर इन्होंने कृषि मन्त्री काल में नाजायज कब्जा करके उसमें मजदूरों के मकान तथा सूअर व मुर्गी पालन के स्थान बना लिये हैं।

(5) क्या यह सत्य है कि श्री नाथूराम मिर्धा ने अपने फार्म के कुए में जवाई नहर में से अन्दर से पानी ले लिया है?

6. क्या यह सत्य है कि श्री नाथूराम मिर्धा के फार्म के कुए का पानी गर्मियों में कम नहीं हुआ जबकि उनके पास के अन्य कुओं में पानी नहीं रहा।

7. क्या सरकार इस सारे में घोटाले की जांच कराने को तैयार है।

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से सम्बन्धित सूचना एकत्रित नहीं हुई है। इसलिए स्थगित करने हेतु निवेदन है।

श्री रामा नन्द अग्रवाल: कौनसी सूचना

श्री केसरी सिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, इस को उपस्थित किये तीन साल हो गये हैं यह तीन साल के बाद में आया है इसकी कौनसी सूचना एकत्र करनी है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

रामानन्द!

श्री भैरोंसिंह : कौनसी इन्फोर्मेशन लेनी है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : कौनसी इन्फॉर्मेशन?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): अध्यक्ष महोदय, यह सवाल है, इसमें ऐसी बातें पूछी हैं, जवाई नहर में से अन्दर से पानी ले लिया है? इसका राजस्व विभाग से सम्बन्ध नहीं है। उम्मेद सागर की पूर्वी नहर के नीचे की जमीन पर कब्जा किया? इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसका पी. डब्ल्यू. डी. जवाब दे सकता है। जमीन के बारे में सम्बन्धित विभाग से जानकारी लेनी पड़ेगी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इसमें लिखा है, उम्मेद सागर की पूर्वी नहर के नीचे की जमीन, जो राजस्व की है। माननीय राजस्व मन्त्री यहां पर हैं, उस जमीन में माननीय नाथूराम मिर्धा ने अपने मजदूरों के मकान तथा सूअर व मुर्गी पालन के स्थान बना लिए हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : दिस इज दी क्वेश्चन!

श्री केशरी सिंह : इसका उत्तर दिया जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है?

श्री भैरोंसिंह : इसी सेशन में दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न और है, सदन के सामने आने वाला है, वह आवेगा तब इसे ले लिया जायेगा।

श्री मोतीसिंह : कभी आये, इसी सेशन में आना चाहिए !

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री विजयसिंह : इस प्रश्न का जवाब तो देना चाहिए क्योंकि वह इनके जमादार हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! नेक्स्ट !

अलवर नगर परिषद् और मजदूर यूनियनों के बीच समझौता

781. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् और वहां की पांच मजदूर यूनियनों के बीच संयुक्त श्रम आयुक्त एवं समझौता अधिकारी के माध्यम से दिनांक 9-4-70 को एक समझौता हुआ था ? यदि हां, तो समझौते की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस समझौते में मांग संख्या 1, 2, 6, 9, के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया था कि नगर परिषद्, उदयपुर, गंगानगर और जयपुर के अनुसार नगर परिषद्, अलवर के कर्मचारियों को राजस्थान सेवा सर्विस (रिवाइज्ड पे रूल्स), 1961 की वेतन श्रृंखलाएं 2-12-63 से दी जायेंगी ?

(3) क्या यह सही है कि उदयपुर, गंगानगर और जयपुर की नगर परिषदों में चुंगी के नाकेदारों को वेतन 2-12-63 से, 90-4-120-ई. बी.-4-110-5-150 ग्रेड में दिया जा रहा है ?

(4) क्या यह सही है कि अलवर नगर परिषद् में नाकेदारों, ड्राफ्ट्समेन, पम्प आपरेटरों को उक्त वेतनमान न दिया जाकर 75-3-120-5-130 का ग्रेड प्रस्तावित किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर और गंगानगर की परिषदों में राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन श्रृंखलाएं लागू कर दी गई हैं ? यदि हां, तो अलवर नगर परिषद् में ये श्रृंखलायें क्यों नहीं लागू की गई हैं ?

राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्रीमती सुमित्रा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है, इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हो सका है, इसलिए इसे स्थगित किये जाने के लिए निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें कौन सी बात है जिसका उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सका ?

श्रीमती सुमित्रा : नगरपालिकायें आटोनोमस बाडी हैं, उनको हम कम्पेल नहीं कर सकते कि जवाब भेजें। भेजे तो भेज देती हैं, नहीं तो नहीं भेजती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री शंकरलाल !

निम्बोल गांव के पास नदी पर कार्य

782. श्री शंकरलाल (जैतारण): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण

(श्री शंकरलाल)
से डिगराना सी. डी. वर्क्स गत अकाल में स्वीकृत हुआ था और पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के मार्फत कार्य शुरू भी हुआ ?

(2) इस कार्य के हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत हुई थी और कितनी व्यय कर दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्य के तहत निम्बोल गांव के पास नदी में पक्का कार्य चालू किया गया था और जो अब बन्द पड़ा है और सामान बिखरा पड़ा है ?

(4) यह कार्य कब तक पूरा कराये जाने की सम्भावना है ?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां।

श्री शंकरलाल : सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री माधोसिंह : (1) जी हां।

(2) 3,25,000 रु० स्वीकृत किया गया था। लगभग 2,18,000 रु० व्यय हुआ है।

(3) सहायता कार्य बन्द होने के कारण यह कार्य रोक दिया गया है।

जी नहीं।

(4) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

श्री शंकरलाल : यह सड़क जैतारण से सावावस मन्जूर कब हुई थी ?

श्री माधोसिंह : एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन दी गई 23-11-69 को।

श्री शंकरलाल : यह काम चालू कब किया गया ?

श्री माधोसिंह : 1970 में काम हुआ है 1969-70 में।

श्री शंकरलाल : 23-11-69 को मन्जूर हुई, काम चालू कब किया गया ?

श्री माधोसिंह : उसके बाद कर दिया गया है।

श्री शंकरलाल : कौनसी तारीख को कितने महिने के बाद में ?

श्री माधोसिंह : इसकी डेट की जानकारी नहीं है मगर 15-8-70 को काम बन्द कर दिया गया।

श्री शंकरलाल : इस सड़क के लिए तीन लाख की मन्जूरी बताई है उसमें से दो लाख रुपया खर्च हो गया है। अभी निम्बोल गांव के पास में सामान बेकार पड़ा हुआ है अगर इस सड़क पर काम नहीं हुआ तो वह बेकार जायगा। राणावास के पास सड़क खराब है निम्बोल नदी के पास खराब है। और आप कह रहे हैं कि अर्थाभाव के कारण काम नहीं हुआ है। आज जो सामान पड़ा हुआ है, वह बेकार जायगा।

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन करूं, अकाल राहत का काम यहां चालू हुआ था, अब अकाल राहत का कार्य बन्द होगया अब पाली जिला रूरल डवलपमेंट वर्क्स स्कीम, जैसा कि मैंने कहा, बनेगी, तब इस को ध्यान में रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह नहीं है, विभाग ने इस काम के लिए 3 लाख 75 हजार की मन्जूरी दी, काम कुछ हुआ, उसके बाद में जिस दिन से काम शुरू किया गया, तब से दो लाख से ज्यादा रकम खर्च कर दी गई लेकिन काम पूरा नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : कह दिया, अर्थाभाव कारण है ! अब ध्यान देंगे।

श्री शंकरलाल : अकाल राहत में वह काम नहीं हुआ, तो जो रुपया खर्च हो गया है वह पैसा वेस्ट हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। नेक्स्ट !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है !

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री शंकरलाल : क्या माननीय मन्त्री महोदय विभाग द्वारा इसको रूरल डेवलपमेंट वर्क्स के तहत लेने की कार्यवाही करेंगे और इसको प्राथमिकता देंगे ?

श्री माधोसिंह : मैंने निवेदन किया रूरल डेवलपमेंट वर्क्स में इसका ध्यान रखा जायगा, इसका कितना महत्व है, उस का वजन समझ कर इसको ध्यान में रख कर कार्य को निपटाने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मेघराज पंवार !

श्री मेघराज पंवार : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के साथ मेरा नाम जोड़ा गया है, लेकिन मैंने जो बातें पूछी थी, वह इसमें नहीं है। यह प्रश्न में जो दिया गया है, वह अपूर्ण है, इसके अन्दर पूरा विवरण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या बात हो गई। रिप्लाई आने दें प्रश्न बाद में।

गाडोलिया लुहारों को बसाने की योजना

783. श्री वृद्धिचन्द्र जैन : (बाड़मेर) एवं श्री मेघराज पंवार (चूरू) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में गाडोलिया लुहारों को स्थाई तौर से बसाने के लिए योजना बनाई थी ?

(2) यदि हां, तो कब और उसका क्रियान्वयन करने के लिए कितनी राशि किस मद पर कहां कहां व्यय हुई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर के नेहरू नगर मोहल्ले में उन्हें बसाने के लिए जमीन एक एक रुपये में दी गई और उन्हें उन पर मकान बनाने के लिये अनुदान किया गया ? यदि हां, तो उनके नाम पते के, प्रत्येक को अनुदान की राशि दी गई का विवरण देते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि उनकी ओर से मकान बनाने के लिए और राशि अनुदान के तौर पर देने के प्रार्थना-पत्र कई अर्से से पेंडिंग हैं।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(5) क्या यह सही है कि उनके अलावा भी दूसरे गाडोलिया लुहारों के प्रार्थना-पत्र एक एक रुपये की राशि में जमीन प्राप्त करने और उन पर मकान बनाने के लिए अनुदान प्राप्ति के लिए कई वर्षों से पेंडिंग हैं ?

(6) क्या समाज कल्याण विभाग उनकी वाजिब मांग की पूर्ति कर उन्हें स्थायी तौर से बसाने में सहायता देने का विचार रखता है ?

राज्य मन्त्री, समाज कल्याण (श्री विश्वम्भरनाथ जोशी) : (1) जिलेवार बसाने की कोई योजना नहीं थी।

(2) गाड़िया लुहारों को मकान सहायता के लिए अनुदान दिया गया उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ज़मीन देने की जानकारी समाज कल्याण विभाग के पास नहीं है । बाड़मेर में 7 परिवारों को वर्ष 55-56 में 21 परिवारों को 56-57 में दी गयी नामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जी हां, पर अब इस योजना के बन्द हो जाने के कारण उन्हें शामिल पत्रादि कर दिया गया है।

(5) जी हां, प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के अनुसार ।

(6) भारत सरकार व योजना आयोग ने इस परियोजना को पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया है। इस कारण इस दिशा में कुछ किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है । पर राज्य सरकार इस विषय पर पुनः विचार करने के लिए प्रयत्न कर रही है।

श्री मेघराज पंवार के प्रश्नों के उत्तर

(1) सूचना की तालिका 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यह प्रश्न स्वायत्त शासन संस्थाओं से सम्बन्धित है।

(3) गाड़िया लुहारों की बस्ती में पानी बिजली पहुंचाने की कोई योजना नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द जैन : गाड़िया लुहारों को बसाने के लिए पहले तो बहुत प्रयास किये और श्री माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से उनको बसाना भी शुरू हुआ, बाड़मेर, नागौर में बसे, अब तीन चार सालों से उनके बसाने के लिए राज्य सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। अब सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, बातचीत करके निश्चय करेंगे, मैं चाहता हूं, उनको बसाना है, तो वह बसना चाहते हैं, उनकी बहुत सी एप्लीकेशन पैंडिंग हैं बसने के लिए, तो राज्य सरकार तब तक कदम उठायेगी।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने निवेदन किया, हमारी यह दुविधा रही कि गाड़िया लुहारों को शिड्यूल्ड कास्ट्स की केटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए हाउसिंग की जो सुविधा शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए दे सकते हैं वह इन्हें उपलब्ध नहीं हुई । अब पंचवर्षीय योजना में प्रावधान

(श्री विश्वम्भर नाथ जोशी)

रखना भारत सरकार और योजना आयोग ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए धनराशि के अभाव में योजना बनाना और उसको कार्यान्वित करना सम्भव नहीं था। अब जैसा कहा, मेरे नोटिस में भी यह आया है और मैं महसूस करता हूं, यथासम्भव इनको कुछ बसाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं तो वह किये जाने चाहिए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए अभी हाल ही में एक अखिल भारतीय समाज कल्याण मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है, उसमें सारे राज्यों की समस्याओं के बारे के केन्द्रीय मन्त्री से परामर्श करेंगे। हमने उसके एजेन्डे में यह इन्क्लूड किया है और आशा है, भारत सरकार और योजना आयोग से पुर्नविचार करा कर कुछ धन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट सेक्टर···

अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ... से भी कुज धनराशि देने की कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री वृद्धिचन्द जैन : इस साल समाज कल्याण विभाग कुछ न कुछ तो गाड़िया लुहारों के लिए व्यवस्था कर सकता है–उसमें क्या रुकावट आ रही है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : रुकावट पैसे की है और कोई नहीं है। मैंने निवेदन किया, हम केन्द्रीय सरकार से बात करके कोशिश कर रहे हैं कि पुर्नविचार करके प्रावधान करने के लिए तैयार हो जाय। दूसरे स्टेट सेक्टर से इस काम के लिऐ दूसरे हैड्स से ट्रान्सफर करके उपलब्ध कराने का इसी वित्तीय वर्ष में करेंगे।

श्री दौलतराम सारण : मैं जानना चाहता हूँ, राजस्थान में कुल कितने गाड़िया लुहारों के परिवार थे, उनमें से कितनों को बसा दिया गया है, कितनों को बसाने की समस्या अब है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अलग से प्रश्न है, यह सारी जानकारी करने के लिए सर्वेक्षण करना पड़ेगा राजस्थान का।

श्री दौलतराम सारण : जब इस समस्या के लिए योजना आयोग ने पैसा देने के लिए इन्कार कर दिया है, योजना छोड़ दी गई है और इस पर पुर्नविचार करने के लिए···

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : समाज कल्याण मन्त्रियों के सम्मेलन के एजेण्डे में रखा है, तो ···

श्री अध्यक्ष : इसकी जानकारी नही है।

श्री दौलतराम सारण : इसकी पूरी जानकारी की जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : श्री बुरड़क !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नीति···

श्री हरजीराम बुरड़क : एक एक परिवार को कितना रुपया दिया गया और उस रुपये से क्या कार्यवाही हुई ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : कब के लिए कह रहे हैं, किस वक्त के लिए ?

श्री हरजीराम बुरडक : जो रुपया दिया है, जो सूची दी है, एक एक परिवार को कितना रुपया दिया और कितना कार्य हुआ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह 28 नामों की सूची दी है, क्या इस बारे में पूछ रहे हैं ? आपको ख्याल होगा, एक मकान के लिए साढ़े तीन सौ रुपये दिये जाते थे, तो उसके अनुसार तीन सौ, साढ़े तीन सौ दिए गये ।

श्री अध्यक्ष : नेता, विरोधी दल ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह नीति का प्रश्न है। मैं समझता हूं कि सरकार की भावना, मदद देने की भावना होनी चाहिए। वह भ्रमणशील लोग हैं, गाड़िया लुहार, नट आदि—इनके लिए क्या आप अनुभव नहीं करते कि जहां बसाने की कोशिश करते हैं, वहां उनको भूखा मारने को व्यवस्था उत्पन्न होती है। यह सरकार फिजूल का पैसा खर्च कर रही है। यह नीति का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में सरकार ने अनुभव प्राप्त किया होगा, उस सम्बन्ध में प्रकाश डालने का मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : एक प्रश्न साथ मैं पूछ लूं ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : माननीय नेता, विपक्षी दल ने जो प्रश्न उठाया वह वास्तव में वाजिब है। अब जो भी योजना इनको बसाने के लिए बने और उसको क्रियान्वित करना सम्भव हो—उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जायगा कि जहां बसाया जाय वहां रोजगार के साधन जुटाये जायें, या तो लैंड एलाटमेंट किया जाय या इनके कुटीर उद्योग को सरकार सहायता दे, कोआपरेटिव बना कर। इस प्रकार की व्यवस्था करने का विचार है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्त्ता श्री मेघराज पंवार।

श्री मेघराज पंवार : इस योजना के अन्तर्गत चूरू जिले में कुछ परिवारों को बसाया गया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी: चूरू जिले का क्योंकि प्रश्न नहीं था इसलिए मैंने…

श्री मेघराज पंवार : प्रश्न ही चूरू जिले का था।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप स्वीकार करेंगे कि सवाल क्वेश्चन पेपर में आपका सवाल नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष : क्वेश्चन पेपर है नहीं, पर चलिए ।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री दौलतराम सारण : इसके प्रथम खंड में साफ है कि क्या राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों गाड़ोलिया लुहारों को स्थाई तौर से बसाने के लिए योजना बनाई थी ? स्पष्ट है और योजना बनाई थी तो वह क्या थी और उसके अंतर्गत…

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता ।

श्री मेघराज पंवार : जो सूची दी गई है उसमें चूरू जिले के बारे में कोई विवरण नहीं है।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री दौलतराम सारण : प्रश्न के खंड एक और दो में साफ पूछा है। पहला जैसे पढ़कर सुनाया और दूसरे में है "यदि हां, तो कब और उसको क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि किस मद पर कहां कहां व्यय हुई ? तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।" तो उस योजना के तहत धनराशि व्यय हुई है, किस किस जगह पर व्यय हुई है ? राशि सही देनी चाहिए।

श्री मेघराज पंवार : दो नंबर में तालिका है, चूरू जिले का कोई हवाला नहीं है। अब मैं पूछता हूं कि चूरू जिले में कोई धनराशि खर्च की गई थी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, जानकारी है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : प्रश्न के भाग दो का जवाब माननीय श्री वृद्धिचंद्र जैन के प्रश्न के उत्तर में है, चूरू जिले का सवाल नहीं था।

श्री दौलतराम सारण: यह प्रश्न सारे राजस्थान से संबंधित है। प्रश्न में साफ लिखा है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बाड़मेर का नाम है।

श्री दौलतराम सारण : मंत्रीजी अनावश्यक जिद्द कर रहे हैं, खंड एक में साफ लिखा है कि क्या राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में गाडोलिया लुहारों· ·

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित प्रश्न ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न 164।

श्री दौलतराम सारण : उत्तर दिलाया जाय।

(कई माननीय सदस्य खड़े हुए)

यह उत्तर है अप्रासंगिक है, अधूरा है, राजस्थान में गाडोलिया लुहारों को बसाने के लिए धन खर्च किया गया है· · · ·

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया इस प्रश्न को श्री बालसिंह सोढ़ा।

श्री विजयसिंह : मंत्रिमंडल के सदस्य भी गाडोलिया लुहारों की परिभाषा में आते हैं, जहां जाते है वहां जम जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। स्थगित प्रश्न संख्या 164।

स्थगित प्रश्न

(31-3-71, 14-4-71, 21-4-71 व 5-5-71)

ट्रकों की खरीद

164. श्री बाल सिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीमा सड़क निर्माण विभाग में कितनी ट्रकें खरीदी गई और आज उनमें से कितनी ट्रकें काम में आने के योग्य हैं ? खरीद की कुल मूल्य की राशि कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकें ठेकेदारों को किराये पर दी गई थी ? अगर हां, तो किस किस ठेकेदार से कितना किराया वसूल किया गया ? जिलेवार व ठेकेदारवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

Page No. 26

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(3) क्या यह सही है कि ट्रकों की मरम्मत भी कराई गई है ? अगर हां, तो आज तक किस डिवीजन में मरम्मत पर कितना खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त ट्रकों के कर का भुगतान भी किया गया है ? अगर हां, तो किस ठेकेदार ने कितना कर विभाग के माध्यम से दिया और किस ठेकेदार के लिए विभाग ने कर से छूट चाही ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि उत्तर अभी तक नहीं आया है। मैंने संबंधित अधिकारी से कई बार कहा है, मैंने उसको ताड़ना दी है, मुझे खेद है, इसलिए इसको स्थगित किया जाए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : मुझे भी खेद है और मंत्री महोदय पर तरस आता है कि इनकी कोई परवाह नहीं करता। दुःख का विषय है कि यह प्रश्न दो साल से चला आ रहा है। इस सैशन में 31-3-71 को, 14-4-71, को 21-4-71 व 5-5-71, 5 डेट्स पड़ी हैं आज छठी बार है तो वह व्यवस्था कैसे चलेगी। जिस मामले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है और जानबूझकर इसको छिपाना चाहते हैं। ऐसा मेरा दूसरा प्रश्न भी था उसका भी जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : अभी तो इस पर चलिए।

श्री बालसिंह सोढ़ा : बार्डर रोड्स का है एक दूसरे से लिंक्ड हैं।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : 164 पर चल रहे है ना?

श्री बालसिंह सोढा : जी हां।

श्री दिग्विजयसिंह : इस प्रश्न को बार बार टाला जा रहा है, साफ जाहिर है या तो गंभीर घोटाला है। अगर इस तरह से रहने दिया जायेगा तो कागजों में हेर फेर हो जाएगा। संबंधित फाइलों को फौरन मंगवाले और आप देखें कि डिले क्यों हो रही है। प्रश्न 5-5 बार स्थगित हुआ है। जरूर कुछ न कुछ बात है और उप मंत्री महोदय कुछ नहीं कर सकते। इनकी चलती तो है नहीं। आप कागजात मंगाकर देखें स्वयं तब मालूम पड़ेगा नहीं तो लीपा-पोती हो जाएगी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सवाल सीधा है कि ट्रकें कितनी खरीदी गई हैं। दो दिन का काम है। निर्माण विभाग पता नहीं क्यों समय चाहते हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार स्थगित हो जाता है। सरकार की ओर से उत्तर नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न की महत्ता को समझता हूं।

श्री मोहनलाल मोदी : तो फिर उत्तर मिलना चाहिए, क्या गड़बड़ है घोटाला है।

श्री विजयसिंह : सीमाओं में संबंधित प्रश्न इम्पार्टेन्ट नहीं होते तो कौनसे इम्पार्टेन्ट होंगे। इसलिए ऐसे प्रश्न के बारे में आपको सरकार को ताड़ना देनी चाहिए

(श्री विजय सिंह)
और इसका जवाब जल्दी से जल्दी अगले सप्ताह में दिलवायें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इस प्रश्न का उत्तर न मिलने के पीछे मुख्य कारण यह है कि बार्डर रोड्स के संबंध में भारत सरकार के इंजीनियर जांच कर रहे हैं। जब यह प्रश्न सदन में उठा था तो मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि इसकी एन्क्वायरी भारत सरकार के चीफ इंजिनियर द्वारा कराई जाएगी और वह आजकल चल रही है। विभाग चाहता है कि उस एन्क्वायरी से पहले विधान सभा में कोई उत्तर न दिया जाए, यह उत्तर डेलीबरेटली सदन में न आए इस बात की चेष्टा की जा रही है।

दूसरा प्रश्न, मंत्री महोदय ने कहा मैंने 4 बार इस बात की कोशिश की कि उत्तर दिया जाए, मैं सरकारी अधिकारी को ताड़ना दे रहा हूं, वह उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो उनको ताड़ना का प्रभाव नहीं पड़ता। जो अधिकारी इसका जवाब देने के लिए जिम्मेदार है उसको सदन की बार में कन्डेम किया जाए और ताड़ना दी जाए ताकि बाकी अधिकारियों को नसीहत मिले कि वे समय पर प्रश्नों के उत्तर भेजें, वे बार बार देरी कर रहे हैं, टाल रहे हैं और उन्होंने तय कर रखा है कि इस सदन में इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे मंत्री महोदय चाहे कितनी ताड़ना दें जब तक अधिकारी को यहां से ताड़ना नहीं दी जाएगी तब तक प्रश्न के उत्तर नहीं आयेंगे।

श्री विजयसिंह : ऐसे अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, डेलीबरेटली प्रश्नों का सरकार की तरफ से उत्तर न देना किसी अधिकारी के कारण, यह डाइरेक्टली कान्टेम्प्ट आफ दिस हाउस हैं। हम आपका प्रोटेक्शन सीक करते हैं, आप सदन की इज्जत बरकरार रखने के लिए सरकार को ताड़ना देंगे और आदेश देंगे कि इसका उत्तर एक पर्टीक्यूलर डेट तक दें वरना कान्टेम्प्ट आफ दी हाउस . . .

श्री मनोहरसिंह मेहता : बार बार होनेका मतलब यह है कि बदबू जाती है कि भयंकर घोटाला है। मैं चाहता हूं कि जवाब तुरन्त मिले और जैसे भैरोंसिंहजी ने कहा अगर उस अधिकारी को ताड़ना दी जाए तब दूसरे समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार रोकने के लिए हैं, यदि नहीं रोक सकते हैं तो बुरी बात है।

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है।

श्री माधोसिंह भैसवाड़ा : मैंने निवेदन किया है कि इस बारे में मैंने अभियन्ता से जवाब तलब किया है कि उत्तर समय पर क्यों नहीं दिया। इसके अलावा भी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह दूं कि जांच करायेंगे कि वाकई किस कारण से इसको रोका है, इसके अन्दर कोई गड़बड़ लगी तो एक्शन लेंगे।

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री दिग्विजय सिंह : उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, आप क्या जांच करायेंगे?

Page No. 28

श्री विजय सिंह : न ताड़ना से कुछ होने वाला हैं न जांच से....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

(श्री विजयसिंह के बोलते पर) आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री विजयसिंह : इतने निकम्मे हैं कि जिसकी हद नहीं !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इसके पहले कि आप इसके संबंध में कुछ निर्देश दें मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं और उप मंत्रीजी के बस की बात नहीं है । यह बहुत गम्भीर मामला है और आये दिन हमारे प्रश्न अनेक बार स्थगित होते हैं, अकारण स्थगित होते हैं तो मुख्य मंत्रीजी को जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और आपके कहने से पहले इसके लिए कुछ घोषणा करनी चाहिए ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो 5 सैकिन्ड के लिए ही कुछ कहना चाहूंगा । (माननीय अध्यक्ष की मौन स्वीकृति से) मेरा तो यह निवेदन है कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसमें जो कुछ भी जानकारी मांगी गयी है और सरकार गुरेज करती है . . .

श्री मदनसिंह : पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : No point of order in question hour

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो मेरे ख्याल से यह एक स्पष्ट इन्सबोर्डिनेशन भी है . . .

श्री मदनसिंह : आपकी नियमावली में है ? Can you force the Minister : You cannot force the Minister.

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तो मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह से इन्सबोर्डिनेशन अगर सरकार टॉलरेट करती है तो फिर यह एडमिनिस्ट्रेशन की वीकनेस है और इसे सरकार की ढिलाई कहे, केयरलेसनेस कहें उसकी पराकाष्ठा है । अध्यक्ष महोदय, मेरा तो विनम्र निवेदन यह है कि यह एक स्पष्ट स्पेसिफिक इश्यू है कि जिसके द्वारा शासन कम से कम सरकार को ताड़ना दे और यह कहे कि एक इन्सबोर्डिनेशन का प्रश्न है और इसके संबंध में सरकार को कोई न कोई एक्शन लेना चाहिए ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहना तो उचित नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके बारे में देखूंगा कि नेक्स्ट थर्सडे को इसका जवाब जो भी हो वह यहां पर आ जाये ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न । श्री दौलतराम आगरी ।

स्थगित प्रश्न

(28–4–71)

देसूरी तहसील की सड़कों पर कार्य

537. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अकाल राहत कार्य में देसूरी तहसील में किन किन सड़कों का निर्माण कार्य हाथ में लिया गया था? इनमें कौन कौन सी सड़कें प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही हैं कि अकाल राहत के अन्तर्गत प्रारम्भ किये गये सड़क निर्माण कार्य अभी तक अधूरे पड़े हैं? इन कार्यों को सम्पूर्ण करने हेतु सरकार ने किस सड़क के लिये कितना रुपया स्वीकार किया है?

(3) क्या यह सही है कि मौजूदा देसूरी—रानी-वेनपुरा सड़क टूट कर इस तरह खराब हो गई है कि उस पर किसी प्रकार के वाहन को चलाना दुष्वार हो गया है, और गत वर्षों से डाभर के ढोल मौके पर पड़े हुए होने पर भी मरम्मत का कार्य नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) (अ) क्या यह सही है कि सादड़ी नाडौल–देवली सड़क के निर्माण हेतु सारा मेटीरियल मौके पर जमा पड़ा है पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है?

(ब) क्या यह सही है कि इस सड़क के पूरा बन जाने पर उदयपुर, जोधपुर की मौजूदा दूरी 35 मील कम रह जायेगी? यदि हां, तो इस महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य कब हाथ में लिया जायेगा?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) जी हां, सूची (अ) में वर्णित सड़कों के लिये धन राशि स्वीकृत नहीं है।

(3) सड़क पर मेटल कुछ स्थानों पर उखड़ रहा है जिससे यातायात को कठिनाई होती है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री विजयसिंह : आगरी को ही दे दो एक लाख रुपया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट,

श्री फूलचन्द बाफणा : एक प्रश्न पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : अब नहीं, मैंने आगे ले लिया है।

श्री फूलचन्द बाफणा : कितने टायर फूटते हैं आप...

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री भैरोंसिंह,

स्थगित प्रश्न

(29–4–61)

पंचायत समिति, डीडवाना के प्रधान के विरुद्ध मामले

551. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1 अप्रैल, सन् 62 से लेकर

(श्री भैरोंसिंह)
अब तक जिला नागौर के किसकिस थाने में किस किस तारीख को किस किस धारा के अन्तर्गत श्री चेनाराम, प्रधान पंचायत समिति, डीडवाना के विरुद्ध मुकदमे रजिस्टर हुए है।

(2) किन किन मुकदमों का कब कब चालान किया गया ? किन किन में किस आधार पर कब कब फाइनल रिपोर्ट दी गई और कौन कौन से मामले अभी तक तफतीश में हैं और क्यों ?

गृह मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) इस अवधि में श्री चेनाराम के विरुद्ध 9 मुकदमे जिला नागौर में दर्ज हुए हैं। मुकदमात की सूची संलग्न है।

(2) संलग्न सूची में विवरण दर्ज है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस सूची के अन्दर उन सारे मुकदमों का उल्लेख नहीं है जो जिला नागौर के विभिन्न थानों में रजिस्टर किये गये हैं ? उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा अनेसरिया गांव का थाना लाडनूं में एक आदमी से रिश्वत लेने का मामला है और उसमें एन्टीकरप्शन डिपार्टमेण्ट ने दोषी माना है और चालान की अनुमति चाही थी, अनुमति दी थी परन्तु बाद में रोक ली गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह ठीक है कि इस मुकदमे में एन्टीकरप्शन डिपार्टमेन्ट ने इनवेस्टीगेशन की लेकिन इस केस को पंचायत विभाग में सेंक्शन के लिए भेजा गया है और वहां पेन्डिग है।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जाये कि वह इस लिस्ट में नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां, वह गलती से लिस्ट में नहीं आया।

श्री भैरोंसिंह : इसी तरह से डीडवाना के गांव बालौर की जल योजना के सम्बन्ध में जो रुपया इकट्ठा किया गया उस सम्बन्ध में श्री चेनाराम के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है...

श्री दामोदरलाल व्यास : कब ?

श्री भैरोंसिंह : अभी इसी गये महीने में।

श्री दौलतराम सारण : और आपने श्री गृह मन्त्री, आपने ही कहा था कि केस रजिस्टर करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो मैंने 9 मुकदमों की लिस्ट दी है उसके अलावा एक रिश्वत का मुकदमा है वह है और उसके अलावा मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप मुझे बता दें तो मैं आपको बता दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : एक तो खास मुकदमा सांसी के मूंछ उखाड़ने वाला है...

श्री दामोदरलाल व्यास : उस मुकदमे में पुलिस ने चालान पेश नहीं किया।

श्री भैरोंसिंह : तो इसका मतलब यह है कि यह लिस्ट तो वह भी है कि जिस चालान पेश नहीं किया।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसे राज्य में मूंछ रखी ही क्यों जाये।

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस मुकदमें का जिक्र आपने किया उसमें चेनाराम का नाम दर्ज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : नाम है उसमें।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसमें नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं कह रहा हूं कि उसमें हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मूंछ वाले मुकदमे में एक आदमी की मूंछ काट ली और होंठ काट ली उस मुकदमें में पुलिस ने अदमसबूत के अन्दर फाइनल रिपोर्ट दी थी लेकिन अदालत ने खुद काग्नीजेन्स ले लिया उस केस का।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार से एफ. आई. आर. और पुलिस के अन्दर रजिस्टर कराये गये थे उनका उल्लेख इस लिस्ट में नहीं है। आप चाहें तो मैं आपको मुकदमे बता देता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मुकदमे तो बहुत से दर्ज है लेकिन जिन मुकदमों में चेनाराम का नाम दर्ज नहीं है उनका हवाला नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह : जिनमें एफ. आई. आर. दर्ज की है उससे मतलब है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एफ. आई. आर. है और इन्वेस्टीगेशन में है दोनों से ही है।

श्री भैरोंसिंह : चेनाराम ने कार जलाई है उसका मामला है। बी. डी. ओ. को मारा, कार जलाई चेनाराम ने...

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको कहा है...

श्री भैरोंसिंह : कब्रों व मस्जिद की जमीन दबाई, नागौर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक से 24 हजार रुपये लेकर डीडवाना में भवन बनाया उसकी जांच के बाद रजिस्ट्रार ने पुलिस में केस भेजा और न मालूम कितने मुकदमे ऐसे हैं कि जो इस लिस्ट में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहा कि मुकदमे रजिस्टर हुए हैं लेकिन जिनमें चेनाराम का नाम नहीं है उनकी लिस्ट मैंने आपको नहीं दी है।

श्री भैरोंसिंह : मैंने दोनों ही बातें आपसे पूछी हैं और आपने दोनों के लिए ही कहा है एफ. आई. आर. में या इनवेस्टीगेशन में दोनों की लिस्ट आप दे रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि एफ. आई. आर. में नाम है वही लिस्ट नहीं है। मेरी याद में यह है, बाकी बहुत से हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपने एक किताब दी थी 'बदबू' उसमें जितने मुकदमे दर्ज थे उन सब की जानकारी करली कि चेनाराम का नाम जिनमें दर्ज नहीं है उसकी लिस्ट आपको नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह : एफ. आई. आर. और इनवेस्टीगेशन में नाम नहीं आये हैं तो आपने लिस्ट नहीं दी और मैंने कहा कि दोनों में है।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन कौन है ?

भैरोंसिंह : एक तो मूंछ उखाडने वाला ही है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैने कह दिया कि पुलिस ने अदमसूबत के अन्दर फाइनल रिपोर्ट दे दी और अदालत ने स्वयं कानीजेन्स ले लिया।

श्री विजयसिंह : पुलिस तो आपकी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पहला केस है जो आप बता रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अनेसरिया वाला जिसमें पंचायत सेंक्शन नहीं दे रही है और बाकी रजिस्टर हुए हैं...

श्री दामोदरलाल व्यास : आप बता दें।

श्री भैरोंसिंह : मैने अभी बताये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : दर्ज केसेज के अलावा और भी हैं क्या ?

श्री भैरोंसिंह : यह तो कह रहा हूं।

श्री दामोदर लाल व्यास : तो आप मुझे लिस्ट दे दें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जगन्नाथ।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और जानना चाहता हूं कि यह केसेज बहुत पुराने हैं। कुचामन में जो रजिस्टर हुआ है उसमें लिखा है गवाहान या मुलजिमान से तफतीश बाकी है। जल्द कार्यवाही होगी। अब इसमें क्या तफतीश होगी मेरी समझ में नहीं आया।

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से नम्बर का केस है ?

श्री भैरोंसिंह : 16 नवम्बर को। गवाहान और मुलजिमान से तफतीश बाकी है इस मुकदमें में यह लिखा है कि मुलजीमान फरार हैं यह आपकी जानकारी के लिए कह दूं। मैं नहीं कहता कि सब में चालान किया जाये लेकिन जो मुकदमें सही हैं अब उनका तो चालान करिये। रिश्वत के मामले में तो परसरामजी अब तक पंचायत मंत्री हैं उसको गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं दे सकते लेकिन बाकी में तो चालान कीजिए।

श्री जगन्नाथ : प्रश्न संख्या 606।

श्री विजयसिंह : मेड़ता के अन्दर बाबरी का कुआ दबा लिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

स्थगित प्रश्न

(4-5-71)

ग्राम लामां का मन्दिर

606. श्री जगन्नाथ पटेल (टोडाराय सिंह) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला टोंक की तहसील वनेड़ा रायसिंह में ग्राम लामां में खसरा नम्बर 2016, रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा गैर

(श्री जगन्नाथ पटेल)
मुमकिन जंगल है ? यदि हो तो यह किसके नाम है ?

(2) इसमें कोई देवस्थान है ? यदि है, तो यह किस समाज का है ? उसकी देखभाल कौन करता है ?

(3) यदि यह प्रसिद्ध मंदिर समाज विशेष का है, तो फिर इसकी भूमि को क्यों अन्य लोगों को अलाट किया जा रहा है ?

(4) इस गलत एलाटमेंन्ट की कार्यवाही में किस किस अधिकारी की विशेष रुचि है ?

(5) क्या सरकार इस जंगल को इस समाज के मंदिर के नाम रखने के प्रश्न पर विचार करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी: (1) जी हां । यह खसरा सिवाय चक बिला लगानी मिलकियत सरकार है।

(2) इसमें लगभग 15 फीट लम्बी तथा 10 फीट चौड़ी भूमि पर देवस्थान चबूतरा बना हुआ है। वह गूजर समाज का है । इसकी देखभाल गूजरान ही करते है ।

(3) कोई भूमि एलॉट नहीं की गयी है ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) सरकार को आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार कार्यवाही होगी।

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदयजी, टोडा रायसिंह तहसील में 26 बीघा में तीन बिस्वा जमीन बिला नाम की है । मंदिर है वहां । काफी जमीन है । ऊपर वन है। इसको अलाट करने की कार्यवाही की जा रही है। इसको एलाट न करना चाहिए और यह जमीन बन विभाग को सौंप दी जावे ।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय ।

श्री गंगाराम चौधरी : जैसा मैने निवेदन किया कि यह भूमि बिला लगानी मिलकियत सरकार दर्ज है आवंटन के योग्य नहीं है। जैसा माननीय सदस्य का कहना है और प्रश्न के भाग 4 में भी मैने कहा है कि ऐसा प्रार्थना पत्र होगा तो आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। आप कृपया स्थान ग्रहण करे। काफी समय हो गया है।

श्री दिग्विजय सिंह : रेगुलराइजेशन के आर्डर निकले हैं इनको देखते हुए रेगुलेराइज कर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

केकड़ी से बघेरा सड़क

766. श्री छबीलाल बुरासिय (केकड़ी): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर

(श्री देवीलाल बुरासिया)
जिले में केकड़ी से बघेरा सड़क पर गत साल फेमिन में 2,00,000) रु. मंजूर हुये थे ?

(2) उक्त मंजूर शुदा राशि में कुल कितना खर्चा किस किस कार्य के लिए किया गया ? और क्या जो जो कार्य हाथ में लिए वो पूरा हो गये ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क एक महत्व पूर्ण सड़क है और एक जिले को दूसरे जिले से मिलाती है और 5000 से की जन संख्या वाले कस्बे को भी जोड़ती है ?

उत्तर

(1) 1,50,000 रुपये स्वीकृत हुआ था।

(2) 1,33,997.46) रुपया अर्थ वर्क तथा 12 मील में ग्रेवल रोड निर्माण पर व्यय हुआ है।

(3) जी हां !

चुकन्दर से शक्कर बनाने का प्लाट

769. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सच है कि गंगानगर शुगर मिल्स में चुकन्दर से शुगर बनाने के लिये प्लाण्ट बाहर से मंगाया गया है ? अगर हां, तो कितनी धन राशि खर्च की गई है और कहां से कब मंगाया गया है ?

(2) क्या चुकन्दर की खेती के लिये गंगानगर व आस-पास की जमीन उपयोगी हैं ? अगर हां, तो सन् 1968-69 तथा 1969-70 में किस तादाद में चुकन्दर पैदा हुआ और कितनी शक्कर बनाई गई ?

(3) क्या उपरोक्त प्लाण्ट लगाने के बाद शक्कर के उत्पादन में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो कितना मुनाफा हुआ है ?

उत्तर

(1) मुख्य संयंत्र हिंदुस्तान की प्रसिद्ध इन्जिनियरिंग फर्म लारसन एण्ड ट्यूबरो से खरीदा है, जिसका निर्माण उक्त फर्म ने उनकी डेनमार्क स्थित प्रधान फर्म मैसर्स डी. डांस्के सुकर फ्रेबीकर के डिजाइन पर भारत में ही किया है। चुकन्दर को डिफ्यूजन के लिये तैयार करने हेतु कुछ मशीनरी डेनमार्क से भी मंगवाई गई है। लारसन एण्ड ट्यूबरो से जो मशीनरी खरीदी गई है उसकी लागत करीब 40 लाख रुपये है और जो मशीनें डेनमार्क से आयात की गयी है उसकी लागत करीब 9 लाख रुपये है। इनके अतिरिक्त बाकी मशीनरी, सिविल वर्क्स, निर्माण आदि पर कुल मिलाकर 40 लाख रुपया और व्यय किया गया है। इस प्रकार प्लांट के ऊपर कुल पूंजीगत लागत करीब 90 लाख रुपये हो चुका है।

(2) जी हां। वहां की जमीन, जल-वायु और उसके साधनों को राष्ट्रीय शकर संस्थान, कानपुर ने अपने अध्ययन द्वारा चुकन्दर की खेती के लिये उपयुक्त बताया है सन् 1968 व 1969 में प्रयोगात्मक चुकन्दर की खेती व चीनी का निर्माण हुआ उसके

(उद्योग मंत्री)

आंकड़े निम्न प्रकार हैं :-

वर्ष	कृषि क्षेत्र	चुकन्दर की मात्रा प्राप्त की गई व डिफ्यूज्ड की गई	चीनी उत्पादन की मात्रा	प्राप्ति
1967–68	83 बीघा	6435.85 क्विण्टल	604 क्विंटल	9.1%
1968–69	172.75 बीघा	5330.22 ,, (4809.00 डिफ्यूज्ड की गई)	446 ,,	9.05%

चूंकि लोन पर लिया गया प्लान्ट कम्पनी ने वापस लौटा दिया था अतः 1969-70 में चुकन्दर से चीनी का उत्पादन नहीं किया गया।

3. पिछले दो वर्षों का उत्पादन परीक्षणात्मक था। प्लान्ट लग रहा है उससे उत्पादन प्रारम्भ नहीं हुआ है। अतः हानि लाभ का प्रश्न पैदा नहीं होता।

आदिवासी महिला के साथ बलात्कार

770. श्री देवोदत्त गाडिया (वारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि 5–6 अप्रेल 1971 को वारां पुलिस स्टेशन क्षेत्र के ग्राम सुन्दलक में एक 16 वर्षीय आदिवासी सहरिया (भील) महिला के साथ कुछ व्यक्तियों ने बलात्कार किया है ? यदि हां, तो इस बलात्कार काण्ड में कौन कौन व्यक्ति (मय पते सहित) सम्मलित हैं और वह लड़की किस जाति व गांव की है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त बलात्कार के मामले में पुलिस ने अपराधी व्यक्तियों व लड़की की डाक्टरी परीक्षा करवाई है ? यदि हां, तो डाक्टर की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) पुलिस ने इस काण्ड में किस किस व्यक्ति को किस किस दफा के अन्तर्गत गिरफ्तार किया है ?

(4) क्या पुलिस ने उक्त लड़की के घटनास्थल से सम्बन्धित कपड़े आदि जब्त करके किसी टेक्निशियन से जांच करवाने हेतु भेजे हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। ता. 5/6-4-71 की रात को रामचन्द्र पुत्र बांगला को. भील सा. भांदला जिला झाबुआ मध्य प्रदेश की औरत मुसम्मात जोगडी के साथ, रामगोपाल पुत्र किशन लाल, धन्ना पुत्र रामनारायण,

(श्री गृहमन्त्री)
छोतर पुत्र चन्दा मीन गान साकिन ग्राम सुन्दलाक तेहत थाना बारां जिला कोटा द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट ता. 6-4-71 को जाना बारां में मुसम्मी रामचन्द्र द्वारा की गई जिस पर अभियोग सं. 39 दिनांक 6-4-71 धारा 34 2।36।366ए,376 आई. पी. सी. पंजीबद्ध किया जाकर तफतीश अमल में लाई गई।

(2) जी हां डाक्टरी मुआयना की रिपोर्ट की प्रतिलिपियां संलग्न है।

(3) पुलिस ने इस मुकदमें में राम गोपाल पुत्र किशनलाल, धन्ना पुत्र राम नारायण, छीतर पुत्र चन्दालाल मीनगान सा. सुन्दलाक को ता. 6-4-71 की धारा 376।366ए,365।342 आई. पी. सी. के तहत गिरफ्तार किया गया है।

(4) जी हां। मुस्मात जोगडी के कपड़े तथा उपरोक्त लिखित तीन मुलजिमान के कपड़े ता. 6-4-71 को जब्त किये जाकर मुआइना के लिये केमीकल एक्जामिनर जयपुर को भेजे गये हैं, नतीजे का इन्तजार है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील प्रतापगढ़ की वाटर वर्क्स की टंकी

772. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला चित्तौड़गढ़ तहसील प्रतापगढ़ शहर में वाटर वर्क्स की टंकी बहुत छोटी है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि दूसरी व तीसरी मंजिल के नलों में पानी बहुत थोड़ा कम समय के लिये आता है ? यदि हां, तो बड़ी टंकी बनाने की योजना है ? और इसके लिये कितनी धनराशि योजना में रखी गई है ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां, पुनर्गठित योजना विचाराधीन है इसमें बड़ी टंकी जिसकी क्षमता 1.50 लाख गैलन है और जो 60' ऊंचाई पर बनाई जावेगी, के लिये 1.70 लाख रुपये हो गये हैं।

झुंझुनूं से मलसीसर और राजगढ़ रोड

774. श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुंझुनूं जिले से मलसीसर और राजगढ़ रोड कब से पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत है, तथा इस सड़क पर फैमिन के रुपयों में कितने रुपये खर्च हो गये हैं ? तथा योजना में काम चालू नहीं करने के क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित की थी कि जिन सड़कों की स्वीकृति आने में है उन सड़कों का कार्य फैमिन इलाकों में प्राथमिकता देकर चालू किया जावे ताकि लोगों को काम

(श्री रामनारायण चौधरी)
मिले तथा सड़कों का कार्य भी हो जाये ? यदि हां, तो क्या इस नीति का पालन इस उपरोक्त सड़क के मामलों में किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या मुकुन्दगढ़ से विसाऊ रोड पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब से तथा उसका कितना कार्य हो चुका है और वह कितने वर्षों में हुआ इस सड़क पर भी फेमिन में कितना व्यय हो चुका है ?

(4) क्या यह सही है कि अगले वित्तीय वर्ष में मुकुन्दगढ़-विसाऊ वाया मंडावा सड़क के काम को करने हेतु कोई धन का प्रावधान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सड़क तृतीय पंचवर्षीय योजना से स्वीकृत है। सहायता कार्यों में 26,33,217·74 रुपया व्यय हुआ है। अर्थाभाव।

(2) जी हां। सहायता कार्य कराया गया है।

(3) जी हां। तृतीय पंचवर्षीय योजना से। 17 किलोमीटर पक्की रोड बनाई जा चुकी है। यह कार्य 3 वर्ष में हुआ है। सहायता मद से 10,34,634 रुपया व्यय किया गया है।

(4) वर्ष 71-72 में एक लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन विभाग से राजस्व विभाग को भूमि का स्थानान्तरण

697. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पिछले पांच सालों में वन विभाग की जमीनें राजस्व विभाग के अधीन ट्रांसफर हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी व किस किस वर्ष में कितनी कितनी व कहां कहां किस किस जिले में ?

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर वो जमीनें जो वन विभाग के अधीन थी और जिन लोगों ने काश्त करली थी वो ही जमीनें सरकार ने राजस्व विभाग को सौंपी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस तरह से तहसील छीपा बड़ौद में भी महकमा जंगलात की जमीनें जो नाजायज काश्त हो रही थीं राजस्व विभाग के सुपुर्द हुई हैं ? यदि हां, तो कितनी जमीन वन विभाग से राजस्व विभाग में ट्रान्सफर हुई है ?

(स्थगित किया गया)

इंतकाल दर्ज करने पर पाबन्दी

698. श्री गंगा सहाय (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में सेटलमेन्ट के कारण इन्तकाल दर्ज

(श्री गंगा सहाय)
करने पर कई तहसीलों में पाबन्दी लगी हुई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्तकाल दर्ज न होने के कारण बहुत से किसान सहकारी समितियों से ऋण प्राप्त करने से वंचित रह रहे हैं ? यदि हां, तो यह रुकावट कब तक दूर करदी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी यह सही नहीं है। इस जिले में 5 तहसीलों का सेटलमेन्ट हो चुका है और चार तहसीलों का चालू है। जिन तहसीलों का सेटलमेन्ट हो चुका है उनमें इन्तकालात नियमानुसार ही किये जाते हैं। अन्य 4 तहसीलों में सेटलमेन्ट चालू है, उनका रेकार्ड सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों को दिया हुआ है और अब इन्तकालात की कार्यवाही उनके द्वारा ही की जाती है।

(2) जी यह भी सही नहीं है। इस प्रकार की कोई शिकायत जिलाधीश कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है।

किसानों को पास बुकों का वितरण

699. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता तहसील में किसानों को पास बुकें बांटी गई है ? यदि हां, तो अब तक कितनी पास बुकें बंट चुकी हैं एवं कितनी बांटने के लिये बाकी हैं ?

(2) कृपया मेड़ता तहसील में कुल खातेदारों की संख्या बताएं ? सब लोगों को पास बुकें कब तक दे दी जावेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां। मेड़ता तहसील में 400 काश्तकारों को पास बुकें बांटी जा चुकी हैं। शेष को पास बुकें यथा शीघ्र दे दी जायेंगी।

(2) मेड़ता तहसील में 25606 खातेदार हैं। शेष काश्तकारों को पास बुकें यथाशीघ्र दे दी जायेंगी।

राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि की नीलामी

700. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि की पुख्ता नीलामी की गई है ? यदि हां, तो यह रकबा कौन सी तहसील में कौन से चक में कब और कितनी कीमत में नीलाम किया गया है, नीलाम शुदा मुरब्बे की कीमत व अन्तिम बोली देने वाले का नाम दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि भूमि नीलामी से सरकार को पूरी कीमत नहीं मिली है ? यदि हां, तो फिर भूमि नीलामी करने से क्या लाभ हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त भूमि की नीलामी में शराब के ठेकेदारों व सरकारी अधिकारियों द्वारा आपस में मिलकर बढ़िया किस्म की भूमि सस्ते भाव में खरीद

Page No. 39

(श्री रामचन्द्र आर्य)
कर जनता के खजाने पर भार डालने जैसी नाजायज हरकत की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ रकबा नीलामी शुदा खारिज कर दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितना रकबा कौन से चक में किसके नाम से नीलाम शुदा खारिज हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि जिस रकबे को नीलाम किया गया है वह अधिकतर भूमिहीन काश्तकारों के कब्जे काश्त में है ? यदि हां, तो कौन से चक की नीलाम शुदा भूमि पर किन किन काश्तकारों के कब्जे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। सूची परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई।

सघन कृषि योजना के लिये सर्वेक्षण

701. श्री दौलतराम सारण (डूंगरपुर): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज के उत्पादन व्यय सम्बन्धी अध्ययन हेतु क्या कोई योजना है ? यदि हां, तो कब से चालू है और उसके परिणाम क्या हैं ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत कहां-कहां अध्ययन कार्य किया गया है ? और उसके क्या नतीजे रहे हैं ? इस अध्ययन दल के कौन सदस्य हैं ?

(3) क्या सघन कृषि योजना के प्रभाव के अध्ययन हेतु भी कोई सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब, कहां, किस के द्वारा और क्या परिणाम रहे ?

उत्तर

(1) व (2) जी हां।

योजना सन् 1963-64 में प्रारम्भ की गई थी किन्तु कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण उस वर्ष पूरे आंकड़े एकत्र नहीं किये जा सके। सन् 1964-65 से 1967-68 तक 4 वर्ष में मुख्य जिलों का प्रति एकड़ आय एवं व्यय का पूरा अनुपात निम्न तालिका में दिया गया है।

जला कोटा-बूंदी (चम्बल सिंचित क्षेत्र)

(रुपयों में)

वर्ष	गेहूं सिंचित	गेहूं असिंचित	चना	जौ	गेहूं+चना	ज्वार
1964-65	1.56	2.20	1.91	1.38	2.45	3.18
1965-66	1.15	2.30	1.31	1.17	2.10	2.18

(कृषि मंत्री)

1966–67	1.26	3.40	2.16	1.20	2.53	5.57
1967–68	1.66	–	1.93	–	1.14	4.17

जिला श्री गंगानगर

वर्ष	गेहूं	चना	बाजरा
1964–65	2.52	–	–
1965–66	2.74	–	–
1966–67	9.15	6.40	2.59
1967–68	4.11	3.37	6.43

जिला उदयपुर

वर्ष	गेहू	गेहू+जौ	मक्का
1964–65	0.89	1.00	1.80
1965–66	1.07	0.96	0.73
1966–67	1.40	1.19	1.20
1967–68	1.06	0.86	1.93

2. नोट– जहां पर चुने गये काश्तकारों के यहां किसी जिंस के खेत कम थे, वहां पर उस जिंस का आय व्यय का विश्लेषण नहीं किया गया है क्योंकि यह सांख्यिकीय आधार पर विश्वसनीय नहीं है ।

अध्ययन कार्य जिला उदयपुर. जिला श्री गंगानगर का गंग सिंचित क्षेत्र एवं कोटा, बून्दी में चम्बल सिंचित क्षेत्र में किया गया है। इस अध्ययन के परिणाम ऊपर दिये गये है ।

इसका अध्ययन कृषि विभाग की सांख्यिकी शाखा ने किया है ।

हां ।

(3) सन् 1967–68 में ।

अलवर में बाजरा, कोटा, झालावाड में ज्वार तथा जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, चितौड़ व श्री गंगानगर में गेहूं पर सघन कृषि के लिये चयनित पंचायत समितियों में यह सर्वेक्षण किया गया था ।

यह कार्य कृषि विभाग की सांख्यिकी शाखा द्वारा किया गया था । विभिन्न जिलों में परिणाम निम्न रहे ।

जिंस	जिला	फार्म प्लान वाले कृषकों की औसत उपज क्विंटल/हैक्टर	नान फार्म प्लान वाले कृषकों की औसत उपज क्विंटल/हैक्टर	उपज में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
बाजरा	अलवर	17.10	8.77	94.98

(कृषि मंत्री)

ज्वार	कोटा	10.04	8.30	7.95
	झालावाड़	12.64	8.74	44.65
गेहूं	जयपुर	30.57	19.72	55.03
	भरतपुर	30.02	18.48	62.48
	चित्तौडगढ़	23.17	14.59	58.82
	उदयपुर	29.32	15.29	39.42
	श्री गंगानगर	25.20	16 38	53.86

राजस्थान गुप्तचर विभाग

702. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे––

(1) राजस्थान के गुप्तचर विभाग में कितना अमला है और उसका कुल गुप्त बजट कितना है ? तालिका सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि गुप्त बजट का दुरुपयोग होता है ?

(3) क्या यह सही है कि काफी बड़ी रकम गुप्त बजट पर खर्च की जाती है ? यदि हां, तो जिले वाईज खर्चों का ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

1. राजस्थान के गुप्तचर विभाग (अपराध शाखा एवं विशेष शाखा) में 898 एक्जीक्यूटिव स्टाफ एवं 164 मिनिस्ट्रियल स्टाफ का अमला है । गुप्त बजट के विषय में बताना जनहित में उचित नहीं है । स्टाफ की तालिका संलग्न है ।

2. जी नहीं । यह गलत है । इस धनराशि का उपयोग अभियोगों में मुखबिर मालूम करने, राजनैतिक, साम्प्रदायिक, सीमा, इन्टेलीजेन्स, पाक जासूस एवं डकैत उनमूलन के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने में खर्च की जाती है ।

3. इस विषय में बताना जनहित में उचित नहीं है ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

सड़क निर्माण कार्य पर व्यय

703. श्री केसरीसिंह हाडा (हिन्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि राजस्थान सरकार का सड़कों पर कोई ध्यान नहीं है ? यही कारण है कि एकीकरण के बाद में सड़कों की बरबादी सुनियोजनार्थ यह सड़कें 5-6 वर्षों में सर्वथा बरबाद हो जावेंगी ?

(2) क्या यह सत्य है कि सड़कें जो ठेके के आधार पर बनाई जाती हैं उनका सीलिंग व गिट्टी अनुपात से कम होने से स्थान-स्थान से बैठ जाती है और गिट्टियां निकल जाती हैं ?

Page No. 42

(श्री केसरीसिंह हाडा)

(3) क्या यह सत्य है कि नवनिर्मित सड़क को कम से कम आठ वर्षों में उनकी मरम्मत छरा और डामर की परत से होनी चाहिये पर अब तक सरकार इस प्रकार उदासीन रही है?

(4) राज्य की समस्त सड़कों के लिये क्या 2.35 करोड़ रुपये रखे गये थे जिसमें से विभागीय मरम्मत गैंग जो लगभग 7,500 है इनके वेतन में 1.86 करोड़ व्यय हो जाता है? तो क्या शेष 36 लाख की राशि में सड़कों के प्रति न्याय किया जा सकता है?

(5) क्या सरकार जो धनराशि वाहनों के रजिस्ट्रेशन व रोड टैक्स की रकम के रूप में प्राप्त करती है, का नव-निर्माण सड़कों व मरम्मत पर व्यय नहीं करती?

(6) क्या सरकार मरम्मत की राशि को बढ़ाने व नई सड़कों के निर्माण के लिये अधिक राशि देना अनुचित समझती है?

(स्थगित किया गया)

दौसा–खवा सड़क

704. श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दौसा में दौसा-लालसोट रोड से गांव अलुदा-पापडा होती हुई खवा तक डेली बस सर्विस जाती है और इस सड़क पर अकाल राहत के तहत सरकार ने कार्य कराया है?

(2) यह सही है कि सरकार ने पहले भी कई बार रूट पर काफी पैसा खर्च किया है?

(3) क्या यह सही है कि बरसात के दिनों में अधिक बरसात होने से यह रास्ता बन्द हो जाता है जिससे डेली बस सर्विस भी रुक जाती है?

(4) क्या कभी सरकार ने इस रूट पर सड़क बनाने के लिए सर्वे कराई है और क्या सरकार इस रूट पर सड़क बनाने का कोई विचार रखती है? यदि हां तो इस रूट पर सड़क बनाने का कार्य कब किया जावेगा?

(5) क्या इस सड़क को खवा से आगे राणोली होकर गढ राणोली से लांका जाने वाली सड़क में मिलाने की सरकार कोई योजना रखती है?

(6) क्या यह सही है कि इस मार्ग पर काफी ट्रक खान में से पत्थर आदि ले जाते हैं जिसकी वजह से सड़क बनना आवश्यक है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। अर्थाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं है।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां।

सांचोर की ढाणी के लिये पेय जल की व्यवस्था

705. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचोर में जल प्रदाय योजना द्वारा 'सांचोर की ढाणी' बस्ती में पानी पहुंचाने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत सांचोर ने भेजा है ? अगर हां, तो कब ?

(2) उपरोक्त योजना में 'सांचोर की ढाणी' बस्ती में पाइप लाइन ले जाकर उस स्थान पर हौज बना कर भरने में कितनी धनराशि खर्च होगी ? उक्त वांछित धनराशि की मंजूरी कब तक कर दी जावेगी ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर ग्राम पंचायत की 'सांचोर की ढाणी' बस्ती में अब मीठा पानी का कोई प्रबन्ध नहीं है ? अगर हां, तो अब तक उपरोक्त जल प्रदाय योजना द्वारा वहां पर पानी क्यों नहीं पहुंचाया गया ? अब वहां पर जल्दी से जल्दी कब तक पीने का पानी पहुंचा दिया जावेगा ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत सांचोर द्वारा 'सांचोर की ढाणी' बस्ती में जल प्रदाय योजना द्वारा पानी पहुंचाने की योजना अधिशासी अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य विभाग, पाली के पास काफी अर्से पहले भेजी जा चुकी है ? अगर हां, तो कब ? अब तक उस बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

(5) क्या सरकार इसी बजट साल में 'सांचोर की ढाणी', बस्ती में जल प्रदाय योजना द्वारा पानी सप्लाई कर दिया जावेगा ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, दि. 19–3–71 को ।

(2) उन ढाणियों में पाइप लाइन डालने व होज बनाने में लगभग 57,400 रुपया व्यय होने का अनुमान है इन ढाणियों की दूरी सांचोर से लगभग डेढ से दो मील है अतः इन ढाणियों में पाइप लाइन डालने व हौज बनाने को कोई योजना नहीं है ।

(3) जी हां इन ढाणियों के लिए पानी वितरण का आवश्यक प्रावधान क्षेत्रीय योजना में ले लिया गया है तथा इन ढाणियों के निवासी सांचोर कस्बे से पानी प्राप्त कर सकते हैं ।

(4) जी हां, प्रारम्भिक योजना प्रस्ताव के साथ दि. 19-3-71 को प्राप्त हुई हैं । कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(5) जी नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण पेय जल योजना और जिला बून्दी के ग्रामों को प्राथमिकता

706. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक ग्रामीण पेय जल योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत

Page No. 44

(श्री नन्दलाल बैरवा)
प्रत्येक जिले के लिये कितना कितना प्रावधान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इस योजना के अन्तर्गत जिला बून्दी में कौन कौन से ग्रामों को प्राथमिकता दी गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या एवं इसके समाधान हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक जिले में प्रस्तावित प्रावधान की सूची संलग्न है।

(2) इस मास्टर प्लान के अनुसार जिला बून्दी में उन ग्रामों को प्राथमिकता दी गई है, जिनमें या तो सार्वजनिक कुंआ है ही नहीं अथवा 400 की आबादी पर एक कुएं के हिसाब से भी कम है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

सेन्ट एन्जिला स्कूल के निर्माण कार्य की सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यवस्था

607. श्री लक्ष्मणसिंह तानीवाल (डग) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान के जन स्वास्थ्य विभाग में कार्य करने वाले अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिदर्शकों को प्राइवेट पार्टीज के निर्माण कार्यों की व्यवस्था करने एवं उनकी संरक्षणता में कार्य किये जाने की छूट है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत है ?

(2) क्या यह सही कि अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिदर्शक गण सरकार से पूर्व स्वीकृति लेकर ही किसी भी प्राइवेट पार्टी का निर्माण कार्य करवा सकते हैं ? यदि हां, तो उस कार्य से मिलने वाले आर्थिक लाभ का कितना अंश सरकार में जमा करना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य विभाग जयपुर नगर खण्ड के सहायक अभियन्ता श्री धनराज व अधिदर्शक श्री पुरनानी ने सेन्ट एन्जिला स्कूल के निर्माण का कार्य सरकार की बिना पूर्व स्वीकृति के करवा कर उससे प्राप्त धनराशि के किसी भी अंश को जमा न करवा कर राज्य सरकार के आदेशों एवं नियमों का उल्लंघन किया है तथा सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है ? यदि हां, तो सरकार उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कब तक कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान सेवा नियम के नियम संख्या 4? (ए) व (बी) में इस प्रकार की छूट दी गयी है किन्तु सरकार से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् मेनुअल आफ आर्डर्स के पेरा 121 से 126 तक में भी इसी आशय का प्रावधान है।

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

(2) जी हां, मेनुअल आफ आर्डर के पैरा 126 (बी) के अन्तर्गत चार्ज की जाने वाली फीस का 1/3 भाग सरकार को जमा करवाना होता है।

(3) यह सही है कि श्री धनराज सहायक अभियंता, सैन्ट ऐन्जेला स्कूल के कुछ एडीशन एवं आलट्रेशन के कार्य में वहां के अधिकारियों को केवल मेजरमेंट वगैरह करके राय दी है इसी प्रकार श्री शंकरलाल पुरनानी ने भी स्कूल के एक हाल के एडिशन आलट्रेशन के कार्य की मेजरमेंट ली है। दोनों ही अधिकारियों ने यह कार्य अवकाश के समय में किया है। दोनों अधिकारियों ने यह कार्य धर्मार्थ समझ कर किया है और इस कार्य के एवज में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है यह भी सही है कि उक्त कार्य करने के लिये दोनों ही अधिकारियों ने कोई पूर्व स्वीकृति राज्य सरकार से अथवा विभाग से प्राप्त नहीं की, क्योंकि अधिकारियों ने किये गये कार्य के एवज में कोई धनराशि नहीं ली है इसलिये कोई अंश राज्य सरकार के खाते में जमा नही करवाया।

सहकारी विभाग में पदोन्नति करने के आधार

708. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह यही है की सहकारी विभाग के सहायक निरीक्षक, निरीक्षक (कार्यकारी) एवं आडिट तथा सहायक रजिस्ट्रारों की स्थायी/अस्थायी, आफीसियेटिंग एवं एडहाक पदोन्नति में राज्य सरकार के सीनियोरिटी कम मैरिट एवं मैरिट फार्मूला के परिपत्र क्रमांक फा. 1 (6) नियुक्ति (डी) 60, दिनांक 27-8-66 के अनुसार की जाती है। जिसमें वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट एवं सेवा रिकार्ड पर विचार किया जाकर 75 अंकों में से 62½ अंक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नति देना जरूरी होता है? यदि नहीं, तो उन्हें पदोन्नति किन नियमों के अनुसार दी जाती है और क्या वे नियम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हैं? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखी जावे?

(2) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी सहायक निरीक्षक एवं निरीक्षकों की पदोन्नतियों में राज्य सरकार के सीनियोरिटी कम मैरिट और मैरिट फार्मूले के परिपत्र क्रमांक (6) नियुक्ति (डी) 60 दिनांक 27–8–66 के पैरा नं. 5 के प्रावधानों के अनुसार गोपनीय प्रतिवेदन और सेवा रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए अंक देने का तरीका नहीं अपनाते हैं। और न ही उसका रिकार्ड बनाया जाता है और न रखा जाता है और मनमाने अवैधानिक तरीकों से तरक्कियां दी जाती हैं उक्त मार्किंग सिस्टम के अनुसार 62½ प्रतिशत प्राप्त अंकों के योग्य कर्मचारियों को पदोन्नतियों से लगातार महरूम रखा जाता है? यदि हां तो क्या ऐसे अधिकारियों को उनके पद से हटाया जाकर उन्हें दण्डित किया जावेगा यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

यदि उक्त परिपत्र के अनुसार अंकों के आधार पर पदोन्नतियां दी जाती हैं, तो उनका प्रमाण प्रस्तुत करें।

(श्री देवीदत्त गाडिया)

(3) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा प्रकाशित आखरी वरिष्ठता सूची के अनुसार श्री जुगलकिशोर शर्मा, श्री एम. एल. जैन, श्री गोरधनलाल जैन, श्री बेनी प्रसाद, श्री ऋषिदेव सिंह, श्री राधेश्याम, श्री बी. के. मूर्ति, श्री धर्मनारायण निगम श्री रेवतीरमण, श्री कमल अहाद आदि सहायक निरीक्षकों की पदोन्नति अब तक हो जानी चाहिये थी क्योंकि इनसे जूनियर पड़ने वाले को पदोन्नत किया जा चुका है? उन्हें पदोन्नत क्यों न किया गया ? जबकि नियमानुसार उन्हें 75 अंकों में से 62 अंक प्राप्त होते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि सहकारी विभाग में श्री गोविन्द प्रसाद माथुर, श्री गया प्रसाद माथुर, श्रीछाजूराम, श्री छिदासिंह एवं श्री स्वरूप सिंह निरीक्षकों को उनके विरुद्ध गम्भीर आरोप एवं शिकायत चालू होते हुए भी राज्य सरकार ने सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत कर दिया और इसी प्रकार विभागीय जांच सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार ने श्री तारासिंह, श्री भगवान सिंह आजाद, श्री हरिसिंह चौधरी, श्री मुहम्मद यूसफ टांक, श्री हर शर्मा श्रीदयानन्द शर्मा आदि सहायक निरीक्षकों को द्वितीय श्रेणी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति कर दिया? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति के समय मेरिट (योग्यता) आंकने का कौन सा तरीका अपनाया गया था? यह तरीका प्रश्न नम्बर 3 में वर्णित कर्मचारियों पर क्यों न लगाया

(5) 1 जनवरी, 1959 से आज तक सहायक रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के कार्यालयों के स्तर पर सहायक निरीक्षकों के विरुद्ध कौन कौन सी तारीखों से क्या क्या शिकायतें चालू हुई और कौन सी तारीखों में उनका क्या क्या फैसला किया और कौनसी का फैसला होना बाकी है उनमें से कौन कौन से कर्मचारियों को किस किस पद पर तरक्कियां कौन सी तारीख में दी गई और ऐसी पदोन्नतियों में उनकी मेरिट आंकने का कौनसा माप दण्ड अपनाया गया? क्या यह मापदण्ड राज्य सरकार से अनुमोदित है? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे। और उनमें कौन कौन से सहायक निरीक्षकों एवं निरीक्षकों को पदोन्नतियों से वंचित रखा गया और क्यों? उक्त पूर्ण सूचना की पूर्ण सूची सदन की मेज पर उपलब्ध कराई जावे।

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(21-4-71, 28-4-71 व 6-5-71)

मोराझड़ी ग्राम के पास पुलिया का निर्माण

410. श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मोरझड़ी ग्राम के पास राहत कार्यों में 69 में पुलिया का निर्माण हुआ?

(2) क्या यह सही है कि उस पुलिया में वर्षा का पानी नहीं निकालने से पुलिया के आगे की भूमि कट कर यातायात ठप्प हो गया है?

(श्री शंकरसिंह रावत)

(3) क्या उस पुलिया को सन् 70 में पूर्ण करने की स्वीकृति हुई थी ? यदि हां, तो पूर्ण क्यों नहीं की गई ?

(4) क्या सरकार उस पुलिया के अधूरे कार्य को यातायात की सुविधा हेतु पूर्ण कराने की इच्छा रखती है ?

(5) यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी हां, कलक्टर अजमेर से दिनांक 19-5-70 को 7000 रु. की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अपर्याप्त धनराशि तथा वर्षा प्रारम्भ होने के कारण कार्य नहीं कराया गया।

(4) जी, हां।

(5) अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

स्थगित प्रश्न

(22-4-71, 29-4-71 व 6-5-71)

चम्बल क्षेत्र की सड़क निर्माण योजना

431. श्री केशरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डाकूग्रस्त चम्बल क्षेत्र में 500 मील की लम्बाई की सड़कों के निर्माण की योजना राज्य सरकार ने भारत सरकार को प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो कब और इस योजना के अन्तर्गत किस जिले की कौन-कौनसी सड़कें बनाने की प्रस्तावना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि केशोरायपाटन से लाखेरी जाने वाला कच्चा मार्ग दूसरी पंचवर्षीय योजना का जीता जागता अवशेष का प्रतीक है जबकि तहसील पाटन के मध्य में एक मात्र यही सड़क है और जब कि इस तहसील में ग्राम रंगराजपुरा में और ग्राम घाटा का बराना में डकैतियां पड़ चुकी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सड़क को प्रस्तावित योजना में क्यों नहीं लिया है ?

(3) क्या यह तहसील चम्बल क्षेत्र से लगी हुई नहीं है ?

(4) क्या यह सत्य नहीं है कि यह सारी तहसील चम्बल सिंचाई योजना के अन्तर्गत आती है और बरसात में सिवाय रेल के इस क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किया जा सकता ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(27-4-71 व 4-5-71)

बड़गांव नदी पर पुल

497. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अन्ता पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम बड़गांव के पास

Page No. 48

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
नदी का पानी व चौड़ा खाल होने के कारण वर्षा ऋतु में एवं उसके दो तीन माह बाद तक बड़गांव के किसान पैदल व बैल गाड़ियों द्वारा अपने खेतों पर व अन्ता पंचायत समिति केन्द्र तक व अन्य गांवों में इस नदी की खाल में होकर नहीं आ जा सकते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस नदी खाल के रास्ते से यातायात को चालू रखने के लिए पुल बनाया जाना अनिवार्य है ? यदि हां, तो इस पर कितना रुपया व्यय होगा और यह कार्य कब तक चालू हो जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। ग्रामवासियों को परेशानी होती है।

(2) जी हां। अनुमानतः 1,00,000) रुपये व्यय होंगे, अर्थाभाव के कारण फिलहाल सम्भव नहीं।

स्थगित-प्रश्न

(29-4-71 6-5-71)

भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि का अलाटमेंट

550. श्री हरजीराम बुरड़क (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व सैनिकों को कृषि भूमि एलाट की गई है ? यदि हां, तो नागौर जिले के किस किस भूतपूर्व सैनिक को नागौर जिले में कहां-कहां पर कौन कौनसी कितनी-कितनी भूमि कब एलाट की गई है और उनका कब्जा कब कब दिया गया है ? तहसील वार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां, नागौर जिले के किस किस भूतपूर्व सैनिक को नागौर जिले में कहां कहां पर कौन कौन सी कितनी-कितनी भूमि कब कब एलाट की गई और उनको कब्जा कब-कब दिया गया की तहसीलवार सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित-प्रश्न

6-5-71

खातेदारों से पानी का मुआवजा

624. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू (लैण्ड रिकार्ड्स) नियम, 1957 के नियम 167 के अनुसार फार्म नं. पी. 29 में पटवारी द्वारा कूप विवरण रखा जाता है ? यदि हां, तो निम्न गांवों के पिछले पांच वर्षों के फार्म नम्बर पी. 29 की नकल सदन में प्रस्तुत की जावे :-

(अ) ग्राम बोरूंदा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
(ब) ग्राम भागासनी ,, ,,

(2) फार्म पी. 29 के खाना नं 6 व 7 का ऐसे कुओं का जिनसे एक से अधिक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गांव व एक तहसील से दूसरी तहसील में सिंचाई होती है का सही इन्द्राज करने का क्या आधार है ? प्रश्न के भाग नं. 1 में पूछे गये गांवों के कुओं से जिन-जिन गांवों में व जिन जिन तहसीलों में सिंचाई होती है कुए और खाता नम्बर 6 व 7 का सही क्षेत्रफल बताया जावे ?

(3) फार्म पी. 29 के खाना नम्बर 4 में दर्ज व्यक्ति की खातेदारी की भूमि कितनी है व खाना नं. 7 में दर्ज क्षेत्र कितना है ?

(4) क्या सरकार भूमि के अन्दर सिंचित जल भण्डार का एकाधिकार समाप्त करने या दूसरो की भूमि सिंचित करने की दशा में दूसरे खातेदारों से पानी का मुआवजा लिया जाने बाबत कानून बनाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

फार्म नं. पी. 29 की प्रतिलिपि संलग्न है।

2 पी. फार्म 29 में सिंचित क्षेत्रफल खसरा के आधार पर अंकित किया जाता है। ग्राम भागासनी के कुए से दूसरे गांव की सिंचित भूमि का विवरण पी. फार्म 29 में दे दिया गया है।

ग्राम बौरूंदा के कुए से दूसरे तहसील के गांवों के सम्बन्ध में निश्चित सूचना एकत्रित की जा रही है।

(3) पी. फार्म के खाना नम्बर 7 में जो भूमि अंकित है। वही भूमि खाना नं. 4 में अंकित व्यक्ति की खातेदारी की भूमि है।

(4) जी नहीं।

स्थगित–प्रश्न

6-5-71

मजदूरों की बकाया राशि का भुगतान

636. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सत्य है कि पिछले वर्ष के आकाल राहत कार्य करड़ा से जब सड़क पर 15 गेंगों के मजदूरों को आखरी सप्ताह की मजदूरी ता. 1-8-70 से 15-8-70 तक का भुगतान कई दरख्वास्तों के बावजूद अभी तक नहीं किया गया है ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि सार्वजनिक निर्माण खण्ड द्वारा उपरोक्त मजदूरी के भुगतान के सम्बन्ध में उनके वास्तविक कार्य की जांच करली गई है ? अगर हां, तो कब ? उस जांच के तहत मजदूरों के कार्य के अनुसार कितनी मजदूरी का भुगतान करने का एसेसमेन्ट किया गया है ?

(3) उपरोक्त मजदूरों की वास्तविक मजदूरी का भुगतान कब तक करा दिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जावेगा ? निश्चित अवधि बताने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं :

(1) ग्राम खतोली जिला कोटा के थानेदार के अत्याचारों के विरुद्ध एक समाज सेवी कार्यकर्ता द्वारा भूख हड़ताल के संबंध में श्री देवीदत्त गार्डिया, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना निम्नांकित माननीय सदस्यों से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 28–4–71 को ग्राम सकतपुर, तहसील अटरू में एक वैरागी की हत्या कर दी गयी थी किन्तु पुलिस सही अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ रही है :

1. श्रीमती शिवकुमारी
2. श्री नन्दलाल
3. श्री जुझारसिंह
6. श्री प्रेमसिंह सिंघवी
7. श्री केसरीसिंह हाडा
8. श्री रामप्रसाद बोहरा
9. श्री दिग्विजय सिंह
10. श्री वालसिंह सोढा
11. श्री कृष्णकुमार गोयल
12. श्री श्रवणलाल
13. श्री लाभचन्द वैद
14. श्री गंगासहाय

(3) श्री चुन्नीलाल जेलिया, सदस्य विधान सभा के ग्राम सारसोम में एक व्यक्ति को दिनांक 13-4-71 को छुरा भोंक कर हत्या कर देने व पुलिस द्वारा उस सम्बन्ध में मुलजिम को गिरफ्तार न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) जयपुर में सी. टी. एस. के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से भी प्राप्त हुई है।

(5) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री बद्री-प्रसाद गुप्ता, सदस्य विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें जिला गंगानगर में किसानों को चुकन्दर से चीनी निकालने के निर्देश देने व बाद में

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त कुछ और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। ये इस प्रकार हैं:--

(1) श्री सुवालाल चौधरी, सदस्य विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें कहा गया है कि कस्बा नैरना में पेयजल योजना का काम 4 वर्ष पूर्व चालू किया गया किन्तु वह कार्य बन्द पड़ा रहने से लोगों को पीने के पानी की कठिनाई हो रही है।

(2) इन्हीं माननीय सदस्य ने एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें पंचायत समिति दूदू में अकाल राहत कार्यों के तहत बनाये गये तालाबों की देखभाल सिंचाई विभाग द्वारा न होने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

(3) श्री पृथ्वीसिंह चौहान व श्री बालसिंह सौढा, सदस्य विधान सभा, ने देश के न्यायाधीश अथवा न्यायालय द्वारा लोगों की भावनाओं को न समझने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री बद्री-प्रसाद ... कई मैनहोल लीक कर रहे हैं जिससे गटर का गंदा पानी आमेर रोड पर तेजी से निकल रहा है।

(5) जयपुर नगर परिषद् के अध्यक्ष के चुनाव न कराने के सम्बन्ध में श्री सतीश-चन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा, ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जावे। अत: मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई है जिसमें ग्राम खुड़ी थाना डीडवाना जिला नागौर के कुछ व्यक्तियों को दिनांक 5–4–71 को 14 व्यक्तियों द्वारा मकानों में घुस कर बुरी तरह से मारने व पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही न करने का उल्लेख किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक व्यक्ति भयभीत अवस्था में विधान सभा के समक्ष आया हुआ है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आज तो जवाब देना मुश्किल है। कल या आयन्दा दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जवाब आप देंगे जब आपकी मर्जी होगी। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को किस प्रकार से बुरी तरह से पीटा गया है, उनकी इन्जरी रिपोर्ट को देखिये, अध्यक्ष महोदय ने देखी है, किसी के हाथ तोड़ दिये गये, किसी के पैर तोड़ दिये गये, विधान सभा के सामने आये हैं। सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखिये, वे बलाई जाति के लोग हैं।

समितियों के चुनाव का कार्यक्रम

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी आदि के मनोनयन-पत्र आज ही प्रस्तुत होने वाले हैं। सब ही पार्टीज के माननीय चीफ व्हिप्स और सदस्यों से बात करके आपस में यह तय किया है कि बहुत से माननीय सदस्य शादियों में गये हुए है बाहर इसलिये मनोनयन की तारीख 19 को रख ली जाय तो अच्छा होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन में प्रस्ताव पेश किया जाय तो लिखित में देना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनसंघ के माननीय सदस्य से भी परामर्श कर लिया गया था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं। किन्तु प्रोसीजर की बात कह रहा हूं। प्रस्ताव रखने की बात है। उसमें यह सब होगा कि इस रोज मनोनयन-पत्र दाखिल किये जा सकते हैं। इस तारीख को स्क्रूटिनी होगी और इस तारीख को विथड्रावल की डेट होगी। लेकिन मुख्य सचेतक ऐसे सुपरसोनिक आदमी हो गये हैं कि खड़े होकर कह दिया।

श्री शंकरलाल : मेरा निवेदन है कि अध्यक्ष महोदय रूल्स रिलेक्स कर सकते हैं सब पार्टीज सहमत हैं।

एक माननीय सदस्य : कल रख लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल वर्किंग डे रखने के बारे में बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी ने यह तय किया था कि कल न रखी जाय लेकिन अब ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि रखी जाय। बहुत से इम्पोर्टेन्ट प्रोग्राम रख लिये हैं। उनको आल ओवर केन्सल करने में बड़ी दिक्कत है। या तो बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मिटिंग दुबारा बुला लें।

श्री भैरोंसिंह : बात तो सही है।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे व्यक्तिगत कठिनाइयां हैं। मेरा बिजिनेस आज ही ले लिया जाता तो अच्छा रहता। मेरी बच्ची की शादी है।

श्री भैरोंसिंह : आपका बाद में ले लेंगे बिजीनेस।

श्री अध्यक्ष : और सुविधाजनक निवेदन करूंगा। कल प्रातःकाल का समय कर लिया जावे।

कई माननीय सदस्य : नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री भंरोंसिंह : आगे आप तय कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : इसको बाद में एडजस्ट कर दिया जावेगा।

श्री हरिदेव जोशी : तो आज मेरा बिजीनेस रहेगा ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : आज का कैंसिल करके 21, 22 को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आगे एडजस्ट कर लेंगे।

माननीय सतीशचन्द्र जी ने आपत्ति उठाई है। रूल्स रिलेक्स करने की सहमति है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति नहीं है। इसके लिये तिथि बढ़ायी जा सकती है। विधिवत् प्रस्ताव आना चाहिये। मुख्य सचेतक ऐसे सुपर सोनिक आदमी नहीं हैं। तरीका नहीं है कि इस प्रकार से कह दिया जाय। मैंने प्रोसीजर की बात कही है।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह आपसी मामला है। मुख्य सचेतक ने जो निवेदन किया है वही प्रस्ताव के रूप में मान लिया जाये। इसमें बाल की खाल निकालने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के आग्रह पर राजस्थान विधान सभा की तीनों वित्तीय समितियों अर्थात् जनलेखा समिति, प्राक्कलन समिति व राजकीय उपक्रम समिति 1971-72 के सदस्यों के चुनाव के सम्बन्ध में निम्न संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है—

1. नामजदगी के पर्चों का पेश करना	—19 मई, 1971 को 1.30 बजे मध्यान्होत्तर तक।
2. नामाजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उस समय उपस्थित रहना चाहें	—19 मई, 1971 को 3 बजे मध्यान्होत्तर से
3. नामजदगी के पर्चों को वापिस लेना	—20 मई, 1971 को 5 बजे सायं तक।
4. चुनाव यदि आवश्यक हों	—24 मई, 71 को प्रातः 11 बजे से मध्यान्होत्तर 3 बजे तक
5. मतों की गणना	—24 मई, 1971 को मध्यान्होत्तर 3 बजे से।

सदन की अनुमति है

(श्री अध्यक्ष)

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी की दो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना चाहता हूं। क्योंकि मेरी अवधि आज तक की है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्तुत कर दी जाये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं –

(1) हाई टेक प्रेशिजिन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर, अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1966–67 एवं 1967–68 से सम्बन्धित विधेयक राजकीय उपक्रम समिति का 24वां प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान वित्त निगम अंकेक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1968–69 से सम्बन्धित विषयक राजकीय उपक्रम समिति का 25वां प्रतिवेदन।

विधायी कार्य

राजस्थान ग्रामदान विधेयक पर अग्रेत्तर विचार

श्री अध्यक्ष : राजस्थान ग्रामदान विधेयक, 1971 खण्ड दो पर विचार हो रहा था।

श्री फूलचन्द बाफणा :

श्री रामकिशोर व्यास : आपका जो संशोधन आया है कि 18 के बजाय 21 वर्ष कर दी जाये। यह अब सम्भव नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : शुक्रवार को विधान सभा का बिजिनेस होगा या नहीं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरा अमेन्डमेन्ट लेन्डलेस के बारे में है। वह वेग है। इसका दूसरा डेफीनेशन किया है और वह अमेन्डमेन्ट पेश कर दिया है और सरक्यूलेट भी हो गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है····

श्री भैरोंसिंह : उस भूमि पर परिश्रम न करे परिश्रम तो मैनेजमेन्ट का भी हो सकता है।

श्री रामकिशोर व्यास : स्वयं या परिवार····

श्री भैरोंसिंह : स्वयं काश्त की हुई तब तक नहीं माना जायेगी जब तक वह व्यक्ति या उसके परिवार के व्यक्ति उस भूमि पर परिश्रम नहीं करते हों।

श्री रामकिशोर व्यास : जब तक खुद या उसके परिवार के लोग नहीं करें। यह तो ठीक है।

··· अध्यक्ष महोदय

(श्री मोहन लाल मोदी)

रूल्स में रखा गया है। एक तो यह है कि ग्रामदान कुछ तो ऐसे घोषित हो गये हैं जिस पर कि वहां की जनता को ऐतराज है उनके दस्तखत नहीं कराये गये हैं और उनको किसी प्रकार से भी विश्वास में नहीं लिया गया है, तो क्या उन ग्रामदानों को निकालने का कोई प्रावधान रखा गया है? दूसरा यह है कि जो अध्यक्ष है उनको तीन-चौथाई मेम्बर ग्राम सभा के उसको हटाने चाहें तो हटा सकेंगे। यह उनको राईट होना चाहिये। इन दो प्रावधानों के रखने के लिये मैंने पहले भी निवेदन किया था। इसके बारे में मैं चाहूंगा कि मन्त्री महोदय जवाब दें।

श्री रामकिशोर व्यास : एक के लिये तो दिया हुआ है सेक्सन 18 में। उसमें प्रेसीडेन्ट को हटाया जा सकता है।

श्री मोहनलाल मोदी : यह तो सरकार ही हटा सकती है। मेरा मतलब यह है कि ग्राम सभा के तीन-चौथाई या दो-तिहाई मेम्बर उसको हटाना चाहें तो उसको हटा सकते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : The President of a Gram Sabha shall be removable from office for such reasons, in such umtances and in such manner. as may be prescribed

श्री मोहनलाल मोदी : और दूसरा ?

श्री रामकिशोर व्यास : दूसरा डिक्लेरेशन का रखा है। वह ...

उसके बाद कोई बात है तो गवर्नमेंट को अपील हो सकती है।

श्री मोहनलाल मोदी : ऐसा कोई एक मामला चल रहा है और आपको भी वह मालूम है। एक गांव के लोग हाई कोर्ट में गये हैं। उनका चार हजार रुपया खर्च हो गया है। मैं ग्राम सभा बनाने के विपरीत नहीं हूं। मैं स्वयं चाहता हूं कि यह हो लेकिन जिस तरीके से इसको रखा गया है उसमें मैंने यह निवेदन किया है कि ग्राम सभा के अध्यक्ष को वहां के लोग दो-तिहाई और जो भी बहुमत हो आप चाहें उसे हटा सकें इसके लिये प्रावधान जरूर रखा जाना चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : कर देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मुझे भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना है। रिमूवल आफ दी प्रेसीडेन्ट के लिए सरकार के क्या विचार हैं यह मैं जानना चाहता हूं। आप रूल मेकिंग आथोरिटी हो, लेकिन मुझे भी अनुभव है कि रिमूवल के सम्बन्ध में बड़ी दिक्कतें होती हैं। आखिर डेमोक्रेसी के अन्दर कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिये। मेजोरिटी चाहे तो तीन-चौथाई से या जो कुछ भी रखें उससे उसको हटा सकें। माननीय सदस्य के इस प्रस्ताव से मैं पूरी हद तक सहमत हूं और यह मिनिट्स के अन्दर, प्रोसिडिंग्स के अन्दर आना चाहिये अगर आपकी मन्शा पवित्र है तो सरकार को चाहिये कि वह इसको रिजिड न बनावे।

श्री अध्यक्ष : श्री बाफणा, आप बिदड़ा करेंगे ?

श्री फूलचन्द बाफणा : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री फूलचन्द बाफणा ने रखा है उसको वापिस लिये जाने की अनुमति दी जाये ।

(अनुमति दी गई)

वापिस लिये जाने की आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि····

श्री फूलचन्द बाफणा : क्योंकि मेरी भावना की पूर्ति हो जाती है इसलिये मैं वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन राजस्व मन्त्री जी ने उपस्थित किया है खण्ड 2 में उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एज अमेन्डेड स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एज अमेन्डेड स्वीकार किया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : खण्ड दो में अमेन्डमेंट है ।

श्री अध्यक्ष : हो गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : तीन में है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में जो संशोधन राजस्व मन्त्री जी ने उपस्थित किया है उसको स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 एज अमेन्डेड स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

क्लाज 3 अमेन्डेड स्वीकार की गई ।

श्री रामकिशोर व्यास : अब 26 में है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 से 25 तक स्वीकार किये जायं ।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 से 25 स्वीकार किये गये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 26 के अनुच्छेद 3 में संशोधन स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 26 अमेन्डेड रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 26 संशोधित रूप से स्वीकार किया गया ।

प्रश्न यह है कि खण्ड 27 से 50 स्वीकार किये जायें ।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

खण्ड 27 से 50 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये जायें।

(स्वीकृत)

खण्ड 1, प्रिएम्बल इत्यादि स्वीकार किये गये।

श्री रामकिशोर व्यास : अध्यक्ष महोदय विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

मंत्री महोदय के विरुद्ध प्रस्ताव पर विचार। श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल।

मंत्री मंडल के एक सदस्य (श्री अमृतलाल यादव) के आचरण की जांच के लिए जांच समिति की नियुक्ति का प्रस्ताव।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में इस राज्य मंत्री मंडल के एक सदस्य श्री अमृतलाल यादव के विरुद्ध एक सब्सटेन्टिव मोशन प्रस्तुत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, मेरा यह प्रस्ताव न तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव है और न यह निन्दा का प्रस्ताव है, बल्कि इस सदन में उठाये गए कुछ प्रश्न और कुछ मुद्दे, कुछ स्वीकृत तथ्य और कुछ विवादास्पद तथ्य उनको लेकर इसी सदन के तीन माननीय सदस्यों की एक जांच समिति नियुक्त कराने के सम्बन्ध में हैं। अध्यक्ष महोदय इसके पूर्व कि मैं आगे कुछ कहूं अथवा मैं अपना प्रस्ताव और संकल्प इस सदन में आपकी अनुमति से पुन: पढ़ूं, मेरी स्वयं की ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार का प्रस्ताव यदि एडमिट हो जाय तो प्राइमा फेसी तथ्य ऐसे हैं जिसके आधार पर यह मानकर चलना चाहिये कि इस प्रकार की समिति के निर्माण की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्माननीय सदस्यों को विशेषाधिकार हैं, लेकिन साथ में सम्माननीय सदस्यों के कुछ कर्तव्य भी हैं। विशेषाधिकार की रक्षा, उनके उल्लंघन के प्रति हम लोग बहुत जागरूक हैं, लेकिन सदन के माननीय सदस्य हैं और उनसे जिस कर्तव्य निष्ठा कि अपेक्षा की जाती है, जिस आचरण की अपेक्षा की जाती है, वह यदि आचरण उनका न हो तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाय ? अधिकारों के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति बनी हुई है लेकिन कर्तव्य निर्वहन में भूल हो, उल्लंघन हो, अगर सदस्य का आचरण सदन की परम्परा के अनुकूल, सदन की गरिमा को बढ़ाने में, सदन के सम्माननीय सदस्यों के जीवन में उच्च स्थान प्राप्त कराने वाला और सार्वजनिक जीवन में लोकतन्त्र के प्रति आस्था रखने वाला न हो तो उसके सामने कौनसी व्यवस्था है ? कोई भ्रष्टाचार का मामला हो तो उसके लिये प्रिवेन्शन आफ करप्शन एक्ट है। सदन सार्वभौम है, इस सदन के माननीय सदस्यों को अधिकार है उनके उल्लंघन के मामले और सदन के सम्माननीय सदस्यों के कर्तव्य और उनके आचरण पर नियंत्रण इस सबके मामले

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस सदन के अन्दर आते हैं–यह सदन कन्ट्रोलिंग आथोरिटि है। इसलिये अध्यक्ष महोदय आपको मैं स्मरण दिलाऊं और सदन को भी स्मरण दिलाना चाहता हूं प्रथम लोक सभा में जिस समय संसद् के एक सदस्य श्री मुदगल की जांच के बारे में मामला आया था तो अध्यक्ष महोदय आपको स्मरण होगा उस समय के लोकसभा के सदस्य श्री मुदगल के विरुद्ध सदन की एक समिति जांच के लिये बनाने का प्रस्ताव स्वयं प्रधान मंत्री ने रखा। सदन के तीन सदस्यों की जांच समिति बनाई गई। उन्होंने जांच की, कुछ मुद्दे और तथ्य रेफर किये गये और जांच करने के बाद प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हुआ और प्रस्तुत करने के बाद कमेटी निर्णय पर पहुंची और सदन ने यह माना कि संसद के उस सदस्य का आचरण, सदन के सम्माननीय सदस्यों से जिस आचरण की अपेक्षा की जाती है वह नहीं है लिहाजा उनको सदन से एक्सपेल किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरी भी एक मान्यता है और मेरा निवेदन भी है। मैं समझता हूं इस विधान सभा में इस प्रकार का प्रस्ताव इस फोर्म में शायद पहली बार आया है और इसलिए इस फोर्म में दूसरी बार (अन्य माननीय सदस्यों के व्यवधान करने पर) तो मेरा निवेदन यह है और ज्यादा अच्छा तो यह होता इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन के नेता, वे कोई दल के नेता नहीं हैं, वे सदन के नेता हैं। कोई व्यक्ति विशेष का सवाल नहीं है। सदन के सम्माननीय सदस्यों के प्रति अगर उनके आचरण का प्रस्ताव खड़ा होता है, उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव आता है और यदि वे महसूस करते हैं, प्रस्ताव ऐडमिट होता है तो परम्परा की दृष्टि से ज्यादा अच्छा होता जिस प्रकार मुदगल के प्रति स्वयं प्रधान मंत्री ने तीन सदस्यों की एक जांच समिति बैठायी उसी प्रकार श्री अमृतलालजी यादव की जांच कराने के लिये तीन सदस्यों की समिति नियुक्त करने के बारे में प्रस्ताव स्वयं मुख्य मन्त्री जी को उपस्थित करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न को कोई दलीय दृष्टि से नहीं देखता हूं। मेरे सामने जो प्रश्न है वह प्रश्न केवल सदन के सम्माननीय सदस्यों और जिस सम्माननीय सदस्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा है उनके सम्बन्ध में मैंने कुछ तथ्य अपने उस प्रस्ताव में अंकित किये हैं उन तथ्यों की डिटेल में नहीं जा रहा हूं बहुत सूक्ष्म में निवेदन करूंगा, क्योंकि सदन के समक्ष अनेक बार इस प्रकार के मसले आ चुके है, वे प्रश्न उठ चुके हैं उनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध में कोई डिसप्यूट नहीं है, कोई विवाद नहीं हैं। प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनके सम्बन्ध में विवाद है। इसके पूर्व कि मैं अपना भाषण प्रारम्भ करूं या एक एक बात सदन के सामने रखूं तो बहुत अधिक समय लग जायगा इसलिए मैं सदन के सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं मैंने यह प्रस्ताव कोई राजनैतिक राग-द्वेष से नहीं रखा है। मैंने इस प्रस्ताव की सूचना आज के तीन साल पहले दे दी थी जिस समय सदन में राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के सम्बंध में एक प्रश्न आया था। प्रश्न के दौरान में सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया गया था, उन उत्तरों की समस्त जानकारी आ जाय इसलिये मेर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मन बड़ा उद्वेलित हुआ कि सदन के सम्माननीय सदस्यों का आचरण किस प्रकार हो। प्रश्न पूछे गये, तथ्य रखे गये किन्तु सैटिसफैक्शन नहीं हुआ अन्ततोगत्वा इस स्थिति में पहुंचा कि श्री अमृतलाल जी यादव का आचरण सदन के सम्माननीयों से जिस प्रकार की अपेक्षा की जाती है उसके अनुरूप नहीं है इसीलिये एक कमेटी बैठाई जानी चाहिये जो सारे मामलों की जांच करे। मैंने तीन वर्ष पूर्व प्रस्ताव को सूचना दी है साल डेढ़ साल तक तो मामला लैप्स होता रहा उसके बाद यह हाउस में मूव हुआ और आज इस आखिरी बजट अधिवेशन में इस गंभीर मसले पर इस सदन में विचार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन के सम्माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मान कर चलें कि हम रीजनेवल वे में श्री अमृतलाल यादव को दोषी के रूप में सावित करने वाले और यहां पर जैसे कि जजमेंट करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैंने तो केवल प्राइमा फेसी केस जिस प्रकार से कि एफ. आई. आर. थाने में दर्ज की जाती है तो इमीजियेटली इन्वेस्टीगेशन होता है और प्राइमा फेसी केस बनता है कि इसके सम्बन्ध में जांच की आवश्यकता है, तो यह मामला जांच तलब हो सकता है If it is a case and it leads to investig tion and that is the only thing that I have to prove. जितने भी डाक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, जितने भी दस्तावेज हैं वह जितने भी मेरे पास हैं व अन्य माननीय सदस्यों के पास में हैं तो वह इन्वेस्टीगेटिंग एजेन्सी की जानकारी के लिए और उसके समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। मुद्गल के केस में यही हुआ कि एक कमेटी बनी। उसमें तो यहां तक हुआ कि मुद्गल और प्राइम मिनिस्टर के बीच में जो पत्र-व्यवहार हुआ वह पत्र-व्यवहार उस कमेटी के सम्मुख प्रस्तुत किया गया और कमेटी ने और एवीडेन्सेज भी ली।

अध्यक्ष महोदय, संकल्प जो मेरा है उसमें मेरे आग्यूमेंट्स हैं और वह प्रसारित भी किया गया। इसके साथ में यहां पर यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर कोई आज श्री अमृतलाल यादव के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव नहीं है, कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है, सदन से उनको एक्सपेल करने का प्रस्ताव नहीं है। कुछ मुद्दे मैंने उठाये हैं उनमें उनके आचरण की जांच करने के लिए सदन की एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मेरा प्रस्ताव इस सम्बन्ध में अंग्रेजी में वह मेरे भाषण का अंग समझ कर इन्क्लूड कर लिया जाय, क्योंकि उसको रीड करने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में मेरा मूल प्रस्ताव है और चूंकि ओरीजिनल मोशन अंग्रेजी में है देट मे बी टेकन् एज रेड। जहां तक उसका हिन्दी का अधिकृत अनुवाद है सदन के सदस्यों को मालूम हो जाय और हिन्दी में एक बार उन तथ्यों की विधिवत् रूप में जानकारी हो जाय इसलिए पढ़ देता हूं :—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह सदन एतत्द्वारा संकल्प करता है कि श्री अमृतलाल यादव जो इस विधान सभा के सदस्य हैं, के निम्नलिखित विषयों से सम्बन्धित आचरण की जांच करने के लिए 3 सदस्यों की एक समिति गठित की जाय जिनका मनोनयन अध्यक्ष महोदय करें :

(1) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ, जिसका केन्द्रीय कार्यालय एम. एल. ए. क्वार्टर नम्बर बी–13 में स्थित था, को किराये पर लिये हुए मकान को सब-लेट कर और उससे पानी, बिजली व टेलीफोन का खर्चा तथा मकान किराया वसूल करके सदस्यों के विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करना।

(2) राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ, जिसका केन्द्रीय कार्यालय श्री अमृतलाल यादव के निवास स्थान 'नर्मदा सदन' अशोक नगर, जयपुर में था, को किराये पर मकान देकर और नल, बिजली व टेलीफोन का खर्चा व मकान का किराया वसूल करके एक मन्त्री के विशेषाधिकारों का दुरुपयोग।

(3) नगर विकास न्यास, जयपुर की जमीन पर अनधिकृत कब्जा करना और उस पर अनधिकृत निर्माण करना।

(4) राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ को दी गई धनराशि का दुरुपयोग।

(5) कार कन्ट्रोल आर्डर तथा राज्य सरकार के निदेशों के नियम 8 (1) का उल्लंघन करके फिएट कार को बेचना।

(6) कार कन्ट्रोल आर्डर तथा राजकीय निदेशों का उल्लंघन करके फिएट कार खरीदना।

(7) राजकीय गाड़ियों को अपने परिवार के सदस्यों द्वारा काम में लेने की अनुमति देकर उनको दुरुपयोग करना और उनके द्वारा राज्य कोष को आर्थिक हानि पहुंचाना। ऐसी एक गाड़ी उनके दामाद द्वारा दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुई थी और वह राजकीय मोटर गैरेज, राजस्थान, जयपुर में ठीक करवाई गई थी।

(8) राजस्थान प्रदेश दलित संघ के उदयपुर में हुए दूसरे सम्मेलन के सम्बन्ध में समाज-कल्याण विभाग, राजस्थान को बिलों और वाउचरों के बगैर 3518 रुपये का झूठा हिसाब पेश करना।

(9) विधान सभा सदस्यों को फिएट गाड़ियों तथा स्कूटरों के एलाटमेंट के लिए घूंस मांगना।

(10) सदन के प्रांगण पर इस प्रकार के आरोपों के लगाये जाने पर सदस्यों को जानबूझकर गुमराह करना और झूठा वक्तव्य देना।

(11) जयपुर में अपने मकान पर पुष्पा देवी नामक भगाई हुई लड़की को रखना।

(12) राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(13) अपनी आय के अनुपात में न होते हुए गैर कानूनी तरीकों से दो लाख रुपये की लागत का मकान बनवाना।

(14) मन्त्री की हैसियत से अपने अधिकारों का दुरुपयोग।

(15) जयपुर जिले में अपने कृषि फार्म के लिए सहकारी जमीन पर कुए का निर्माण।

अब नं. 2, अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस विषय में विचार-विमर्श करके प्रतिवेदन देना कि आया माननीय सदस्य, श्री अमृतलाल यादव का आचरण सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल और उन मर्यादाओं के प्रतिकूल था जिनकी यह सदन अपने सदस्यों से अपेक्षा करता है। दिस इज दी संकल्प।

3. इस समिति का कोरम दो सदस्यों का होगा।

4. इस समिति को इस जांच के विषयों से सम्बद्ध मौखिक या लिखित साक्ष्य मांगने और सुनने का अधिकार होगा और यह इस समिति के विवेक पर निर्भर करेगा कि वह उसको दिये गये किसी भी साक्ष्य को गुप्त या गोपनीय समझे और इस समिति को राजस्थान में किसी भी जगह जिसे वह उचित समझे, मौखिक या लिखित साक्ष्य लेने या सुनने का अधिकार होगा।

5. यदि श्री अमृतलाल यादव उचित समझें तो उन्हें समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए सदन की अनुमति है। मैंने हाउस की लीव के लिए मोशन रख दिया है।

6. इस समिति के कार्य के संगठन और प्रक्रियाओं का नियमन करने के लिए माननीय अध्यक्ष समय समय पर समिति के सभापति को ऐसे निदेश जारी कर सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें।

7. इस समिति के सभापति की नियुक्ति माननीय अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए मनोनीत किये गये तीन सदस्यों में से की जायगी।

8. किसी सदस्य की मृत्यु या त्याग-पत्र या अन्य असमर्थता के कारण होने वाले रिक्त स्थान की पूर्ति माननीय अध्यक्ष करेंगे।

29 अगस्त ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : पहले ही मरने का कैसे लिखा है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी तक तो मेरा निवेदन करना यह है कि मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव को, अध्यक्ष महोदय, 1-9-69 को इस सदन में मैंने मूव किया था। इसकी सूचना 68 में मैंने दी थी मार्च में और मूव हुआ है एक सितम्बर, 1969 को, और विवाद में आ रहा है अब मई, 1971 में। इसलिए कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में कुछ और डेवलपमेंट हो गये होंगे, लेकिन मैंने अपने मोशन को चेंज नहीं किया और जिस फार्म में था उसी फार्म में रखा है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में केवल मैं एक एक करके कुछ मामले सदन के सामने रखना चाहूंगा।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

(श्री शंकरलाल)

जहां तक इस प्रस्ताव के एडमिशन का सवाल है उसको अध्यक्ष महोदय ने एडमिट कर लिया है और उस पर चर्चा की जा रही है और विचारार्थ लिया गया है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह इसकी चर्चा की सीमा वही हो सकती है जो कि नियमों के अनुसार हो। जो यह प्रस्ताव है इसमें यह कहा गया है कन्डक्ट आफ श्री अमृतलाल यादव, मेम्बर 'आफ दिस असेम्बली।' 'दिस असेम्बली' का मतलब यह है कि 67 के बाद में यह असेम्बली बनी है तो उन्हीं कन्डक्ट्स के बारे में यह प्रस्ताव होना चाहिए और इसके तहत उन्हीं पर विचार कर सकेंगे जो कि 67 के बाद के हों। अगर 67 के पहले भी वे असेम्बली के मैम्बर रहे हों और अगर इसके बारे में कहीं जिक्र आता है तो उसके बारे में आज चर्चा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे ?

जहां तक मेरा निवेदन है वह यह है कि इस असेम्बली का मतलब यही है कि 1967 के बाद की असेम्बली और इस असेम्बली के दरम्यान जो भी उनके एक्शन्स हैं उनके बारे में ही कह सकते हैं, लेकिन 67 के पहले के जो कार्य है और उनके बारे में जो प्रस्ताव है उनके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकेंगे। एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : रूल कौनसा साइट कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : रूल 119 और 120 के तहत यह एडमिट हुआ है और यह रिजोल्यूशन पढ़कर सुनाया गया है:--

"This House hereby resolves that committee consisting of three members to be nominated by the Speaker be constituted to enquire to into the conduct of Shri Amritlal Yadav, member of this Assembly...", This Assembly will mean the Assembly commencing from March, 1967.

तो 1967 के बाद जो असेम्बली के दरम्यान कोई भी कार्य हो उनके ऊपर चर्चा हो और 1967 के पहले के जो आये हैं उसके ऊपर मेरे खयाल में चर्चा नहीं होना चाहिए, जैसा कि एम. एल. ए. क्वार्टर का हवाला दिया गया जो कि 67 के पहले के मैम्बर रहे, तो एक प्रश्न यह है।

दूसरा निवेदन यह है कि परिभाषा मैम्बर और मिनिस्टर की अलग अलग है अपनी प्रक्रिया के संचालन के नियमों के अन्तर्गत तो मैम्बर के तहत इनके कार्य हैं उनके ऊपर ही चर्चा कर सकेंगे या जो मिनिस्टर के तहत के कार्य किये हैं उनके ऊपर वह चर्चा कर सकेंगे। जो परिभाषा रूल्स के अन्दर है रूल के अन्दर रूल नं. 2 में मैम्बर का डेफिनिशन दी है "Member means a member of the Assembly." नियम (2) जो है इसमें मिनिस्टर की डेफिनिशन अलग से दी गई है, अध्यक्ष महोदय Minister means a Member of the Council of ministers or a Dy. Minister does not include a member.

और मिनिस्टर की परिभाषा अलग दी है। यह प्रस्ताव मैम्बर आफ दिस असेम्बली के लिए किया है जो यानी जो 67 के बाद में इन्होंने कार्य किये हैं और उसके तहत इस प्रस्ताव की जो है सीमा रहेगी न कि मिनिस्टर के तहत जो उन्होंने कार्य किये है, नं. 2। Shri Amrit Lal Yadav a

(श्री शंकरलाल)
member of this Assembly and not Minister.

दूसरा मेरा निवेदन है यह है 119 के तहत यह प्रस्ताव आपके सम्मुख आया है और उसका जो एडमिशन आपने फरमाया उसकी कन्डीशन 121 के नियम के अन्दर दी गई है.... Conditions of admissibility of motion in order that a motion may be admissible it shall satisfy the following conditions, namely---.

(i) It shall raise substantially one definite issue,

तो डेफिनेट इशू के तहत यह प्रस्ताव आ सकता है लेकिन यह प्रस्ताव है-About the following matters. That means there are so many issues involved in it.

तो एक इशू का यह प्रस्ताव नहीं है। दूसरा मेरा निवेदन यह है-

It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions imputations or defamatory statements.

मैं समझता हूं डिफेमेटरी बातें आई हैं। जिनको डिफेमेटरी कहा जा सकता है-

It shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity.

प्रस्ताव आ सकता है। जो इन्होंने सार्वजनिक हैसियत से जो काम किये हैं उसके तहत प्रस्ताव आ सकता है। जो भी बातें इन्होंने बताई हैं, यह कहीं नहीं बताया है कि कौनसी हैसियत से काम किया है ? जिसके बारे में निवेदन यह है-

"Misuse of the privileges of members by subletting and realising charges for the use of water, electricity, telephone and accommodation from the Rajasthan Pradesh Dalit Varg Sangh whose Central Office was situated in MLA Quarter No. B-13.

कौनसी हैसियत से किया है ? दूसरा यह कि-

"Misuse of privileges of a Minister by subletting and realising charges for the use of water, electricity and telephone and accommodation from the Rajasthan Pradesh Dalit Varg Sangh, whose central office was situated at his residence 'Narmada Sadan—Ashok Nagar, Jaipur.

Next—Unauthorised occupation of the land belong to the U. I. T. Jaipur and unauthorised construction thereon.

इन्होंने नाजायज कब्जा किया यू. आई. टी. की जमीन पर। यह इन्होंने किस हैसियत से किया है। किस कैपेसिटी में किया है। क्योंकि हर मामला मेम्बर की हैसियत से नहीं होता है। अगर ये मिनिस्टर नहीं होते तो भी मकान बनाते। यह नाजायज आक्यूपेशन किस हैसियत से किया ?

Page No. 64

(श्री शंकरलाल)

(4) Misuse of the funds granted to Rajasthan Pradesh Dalit Varg Sangh by the State Government.

दलित वर्ग संघ के कोष का दुरुपयोग किया है। यह किस हैसियत से किया है। असेम्बली मेम्बर की हैसियत से या मिनिस्टर की हैसियत से ? किस हैसियत से किया है ? यह भी इसमें नहीं है। दूसरा यह है कि–

(5) Sale of Fiat Car in contravention of Rule 8 (1) of the Car Control Order and State Government instruction.

(6) Purchase of Fiat Car in contravention of Car Control Order and Government Instructions.

इसमें भी कोई नहीं बताया है। in what capacity—As a member or as a Minister.

कहने का हमारा तात्पर्य यह है अध्यक्ष महोदय, कि यह किस कैपेसिटी में किया है ? यह इसमें नहीं है। इसी प्रकार 3, 4, 5, 6, और 7 है, इसमें भी–

Misuse of State Vehicle by permitting them to be used by his family members thereby causing Financial loss to the State Exchequer. One such car was damaged in an accident by his son-in-law, which was got repaired in the State Motor Garage, ajasthan, Jaipur.

मेरे ख्याल में लिखा नहीं है। फिर भी यह हो सकता है कि मिनिस्टर की हैसियत से किया हो। इसी प्रकार 11, 12, 13, 14 और 15, इसमें कहा है–

(11) Harbouring an abducted girl named Pushpa Devi at his residence in Jaipur.

(12) Misbehaviour with the members of the Rajasthan Leg. Assembly.

(13) Construction of House worth Rs. 2 lacs in Jaipur by unlawfull means not commensurate with income.

(14) Misuse of powers as a Minister.

(15) Construction of well on Government land near his agriculture Farm in Jaipur District.

श्री मदनसिंह : आप के मिनिस्टरों के कई रूप हैं ? यह कैसे पता चले कि जब मिनिस्टर होते हैं तो यह करते हैं।

श्री शंकरलाल : यह तो आप जानते हैं।

श्री मदनसिंह : Minister is always a minister.

श्री शंकरलाल : इस तरह से एलीगेशन 15 है।–

(15) Construction of well on Govt. land near his agriculture farm in Jaipur District...

Page No. 65

(श्री शंकरलाल)
एग्रीकल्चर फार्म, गवर्नमेंट लैण्ड पर कब्जा किया है। यह कौन सा एक्शन किस हैसियत से किया है?

इसके साथ जो सवाल आगे–

It shall restrict to a matter of recent occurrence.

जो प्रस्ताव 119 नियम के तहत होता है, वह प्रस्ताव किसी रीसेण्ट अकरेंस से ताल्लुक रखने वाला होता है।

It shall restrict to a matter of recent occurrence.

अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि इसमें एक मैटर नहीं है। वह मैटर किसी रीसेण्ट अकरेंस There are matters. And whether any matter is of recent occurence अन्दर कोई रीसेण्ट अकरेंस नहीं है। कौन सा सन् है? कौन सी तारीख है? इसलिए 119 के तहत इस रिजोल्यूशन पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है:––

And it is essential under the rules. Here are matters and they are not of recent occurence.

इसलिए यह 119 के और रूल 5 के तहत-

It shall not raise a question of privilege. कोई विशेषाधिकार का मैटर इस प्रस्ताव के जरिये से नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा–

Misuse of the privileges of members by subletting and realising charges for the use of water, electricity, telephone and accommodation from the Raj. Pradesh Dalit Varg Sangh···

यह क्वेश्चन आफ प्रिविलेजेज का जो प्रस्ताव में रखा है, इसमें and Misuse of privileges of a Minister. इसमें भी क्वेश्चन यही है। अध्यक्ष महोदय, 119 के तहत कोई प्रिविलेज का प्रश्न भी नहीं उठाया जा सकता है।

इसलिए इतना ही नहीं, ये 1, 2, 9, 10 और 12 हैं, 9 नम्बर जो है–

'Demand of illegal gratification in the allotment of Fiat Cars and Scooters to the members of the Assembly. It is a Question of privilege and whether it can be raised by this resolution

फ्लोर आफ दी हाउस कोई मिनिस्टर या मेम्बर गलत जवाब दे तो यह प्रिविलेज में आता है।–

Deliberate misleading and false statemet to the Members in the House regarding allegations of this nature on the floor of the House··· It is a question of privilege.

(श्री शंकरलाल)
क्वेश्चन आफ प्रिविलेज 119 के तहत नहीं उठाया जा सकता है। इसमे अध्यक्ष महोदय, जो एलीगेशन है–

Misbehaviour with the members of the Rajasthan Legislative Assembly.

It is also a Question of privilege.

अगर किसी के साथ मिसबिहेव किया जाये तो प्रिविलेज कमेटी उन तथ्यों को देखेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रिविलेज के बारे में क्या पढ़ा है ? what do you mean by privilege?

श्री शंकरलाल : विशेषाधिकारों के सम्बन्ध में। अगर मिनिस्टर हाउस में गलत जवाब देता है तो यह माना जायेगा कि उसने प्रिविलेज ब्रीच किया है।

इसी प्रकार दो तीन जगह प्रिविलेजेज की बात लाये हैं। तो अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से 119 के तहत जो अनिवार्य शर्तें हैं, वह 10 से 5 तक कोई पूरी नहीं होती हैं। इसलिये यह मामला 119 के तहत उठाया ही नहीं जा सकता है। और इसको आज उठा दिया गया। तो वहां एडमिट किया है, तो एडमिट उस हद तक 119 के मामले पर विचार किया जा सकता है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इस बारे में व्यवस्था चाहूंगा कि इस मामले में जो प्रस्ताव है, वह असेम्बली के मेम्बर तक सीमित है, जो प्रिविलेज आफ मेम्बर्स का प्रश्न है, वह अभी नहीं है, जो रीसेन्ट आकरेन्स का मामला है वह अभी नहीं है। इसलिये आप व्यवस्था दें कि किस हद तक और कहां तक हम विचार कर सकते हैं और किस हद तक और किस बारे में हम विचार नहीं कर सकते हैं। यह मेरा व्यवस्था जो प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न-ड्यूरिंग दिस असेम्बली ड्यूरिंग व टेन्योर आफ दिस असेम्बली आपने उठाया है, वह इसमें निकालिये। कहां दिया है इस असेम्बली का ?

श्री शंकरलाल : वह नेकस्ट है रिजोल्यूशन है, इसलिए कह रहा हूं···

श्री अध्यक्ष : देट इज राइट !

श्री शंकरलाल : रिजोल्यूशन है न साहब !

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया !

श्री शंकरलाल : Shri Amrit lal Yadav member of this Assembly.

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान असेम्बली!

श्री शंकरलाल : वह ठीक है, राजस्थान असेम्बली, यह कह सकते हैं, 1952 से चल रही है ! असेम्बली इसका मतलब यह हुआ कि कोई आदमी···

श्री अध्यक्ष : मैं वह समझ गया !

श्री शंकरलाल : ने बीस साल में क्या क्या किया वह सारा आ सकता है।

श्री अध्यक्ष : उस प्रश्न को समझ गया हूं।

श्री वालसिंह सोढा : वह उठाया जा सकता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य शंकर लाल जी जैतारण से आने वाले ने पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है, उसके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। नियम 119 के अन्तर्गत जो शर्तें निर्धारित की गई हैं…

श्री विजयसिंह : जैतारण जालौर एक राशि है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! यस !

श्री रघुनाथ विश्नोई : मोशन की एड-मिसिबिलिटी के लिए कन्डीशन्स निर्धारित की हैं, उनको देखते हुए मोशन के आइटम्स हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद जरूर हैं जिनमें डाउट होता है। आपके द्वारा यह मोशन एडमिट करने से पूर्व यह देखा जाता है कि इन मुद्दों को सरसरी तौर पर एड-मीशन के वक्त के पहले हाउस में…

श्री अध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी, ने जो प्रश्न रखे हैं उनके अतिरिक्त कुछ कौलिक कहें, शुड नाट रिपीट !

श्री रघुनाथ विश्नोई : पहले मूव किया है, जो आकरेन्स है, यह कई बार डिमाण्ड के वक्त, और दो तीन बार डिस्कशन में आ चुका है, और उसके ऊपर माननीय मंत्री जी की तरफ से जवाब हो चुका है। यह हमारी जानकारी में है, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि यह मेटर आलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। यह वी 13 का मामला है, किराये का मामला है—यह डिस्कस हो चुका है, अब दुबारा वही मेटर रिपीट हुआ है।

श्री मदनसिंह : नाट इन दिस सेशन।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसका मतलब यह हुआ।

दूसरा प्रश्न आता है, आकरेन्स आफ रीसेन्ट। रीसेन्ट आकरेन्स के लिये उन्होंने बताया है। माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में माननीय सदस्य श्री मथुरादास माथुर के बारे में डेफिनेट इश्यू के बारे में, एक एम.एल.ए. के कन्डक्ट को लेकर डिस्कशन हुआ था।

But there was one definite issue. There was a letter and the matter was discussed but there were not many issues involved therein.

उसके अन्दर
There were not many issues.
तो उसमें जो कन्डीशन्स डेफिनेट इश्यू की है, रीसेन्ट आकरेन्स की है, वह चीजें इसमें मौजूद हैं, रीसेन्ट आकरेन्स का सवाल है इसमें मौजूद है……

श्री मदनसिंह : मिनिस्ट्री के लिए सिलेक्ट कर लें, इन पन्द्रह में से कर लें।

श्री अध्यक्ष : माननीय शंकरलाल जी ने जो कहा है, वह प्रेस कर लिया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इन चीजों को मद्दे नजर रखते हुए आप अपनी व्यवस्था दें ताकि जो डिस्कशन हो, उसमें दोनों तरफ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
के माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सकें और इसके ऊपर जो भी हो, निर्णय हो सके।

श्री मदनसिंह : Select these two out of fifteen

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक आपत्ति का प्रश्न इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उठाया है उसके सम्बन्ध में एक तो निवेदन करना यह है कि यह संकल्प और यह प्रस्ताव 1-9-69 को इस सदन में मैंने प्रस्तुत किया था, लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व 1–9–69 को जब मैंने मोशन हाउस में मूव कर दिया, और समयाभाव के कारण इस पर वाद विवाद नहीं हो सका, तो इस पर पाइन्ट आफ आर्डर प्रिलिमिनरी आब्जेक्शन अब रेज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उस समय करना चाहिए था। वह स्टेज अब चली गई है। अब एडमीशन के बाद हाउस में मैं मोशन मूव करता हूं डिस्कशन के लिए····

श्री शंकरलाल : 1969 की थर्ड सेप्टेम्बर !

श्री अध्यक्ष : आर्डर, उन्हें कहने दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1969 की थर्ड सैप्टेम्बर !

श्री मनोहरसिंह मेहता : उसमें फर्क पड़ गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : it was listed to be moved, on last but it was actually moved on third and they did not take any objection on then perhaps they had no mind or they had an idea to support me. Now they might have been approached or they might have been briefed.

डेढ़ वर्ष के बाद मोशन मूव जब हो चुका है, उस समय करते हैं तो यह तो ऐसे हुआ। मैं जब घण्टे भर बोल लेता, फिर भैरोंसिह जी बोलने खड़े होते, फिर आप पाईन्ट ऑफ आर्डर रेज करते। तो पाइन्ट आफ आर्डर रेज करने की स्थिति समाप्त हो गई। वह समाप्त हो गई···

श्री भैरोंसिह : Motion have been moved

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Motion had already beeu moved on 3rd Sept. 69 and these two members or any of the members did not raise any objection at that time.

यह तो समयाभाव के कारण उस रोज इस पर वाद-विवाद नहीं हुआ, नहीं तो वाद-विवाद शुरू हो जाता और डिस्पोज आफ भी हो जाता। एक बात तो यह है।

दूसरी बात यह है, माननीय सदस्य ने यह बातें कही हैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, इसमें क्वेश्चन आफ प्रिविलेज आ गया। इसमें यह आ गया, यह रीसेन्ट आकरेन्स का नहीं है, पुराना मेटर है–मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, पहली बात तो एक यह है कि रीसेन्ट आकरेन्स का है या नहीं ? मुझे खुद दर्द इस बात का है, अध्यक्ष महोदय, आपको ध्यान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

है, 22 जनवरी, 68 को पहली बार जिस समय विधान सभा में एक प्रश्न संख्या 33 श्री परसराम गंगाराम का आया, वह प्रश्न समाज कल्याण मंत्री, राव श्री नारायण सिंह से पूछा गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, 22 जनवरी, 68 को सबसे पहले यह मसला स्टैण्ड होता है। उस समय दलित वर्ग संघ का सवाल था। उस प्रश्न में यह कहा था, राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का मुख्य कार्यालय कहां पर है तथा कार्यालय का मासिक किराया क्या है? मंत्री महोदय ने कहा, 40) रु. है। यह मंत्री ने जवाब दिया, फिर उन्होंने कहा–"कहां पर है?" फिर सप्लीमेन्ट्री आ गये। फिर मथुरादास जी माथुर ने कहा था–"मेरा यह निवेदन है कि आफिस का वैसे होना अलग चीज है और ऑफिस का किराया उस जगह का लेना और दूसरी चीज है।" फिर उन्होंने कहा था–"किराया चार्ज किया है तो उसकी जांच करेंगे।" फिर प्रश्न स्थगित कर दिया गया। प्रश्न स्थगित कर दिया गया, उसके पहले प्रश्न किये गये थे कि क्या कार्यवाही की जायगी, उस पर श्री मथुरा दास जी माथुर ने कहा था–"ऑफिस का वैसे होना अलग चीज है और ऑफिस का किराया उस जगह का लेना और दूसरी चीज है।" फिर उन्होंने कहा था–"किराया चार्ज किया है तो उसकी जांच करेंगे।"

उसकी जांच की जायगी और उसके बाद में कार्यवाही होगी।' फिर आगे कहा है–'किराया चार्ज किया है तो उसकी जांच करेंगे।' यह मसला सबसे पहले 22 जनवरी, 1968 को प्रश्नोतर काल में डिस्कस हुआ। उसके बाद, अध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न को स्थगित कर दिया। 22 जनवरी 68 के बाद 23 जनवरी 68 को श्रीमान अमृत लाल जी यादव आये। उन्होंने आकर कहा, 23 जनवरी, 68 के पेज 114 पर है–'यह प्रश्न मेरे से सम्बन्धित है। कल मैं सदन में मौजूद नहीं था इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि और सब बातों का फैसला हो जायगा लेकिन मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि कोई किराया नहीं लिया गया।" इतनी बात कह कर वह बैठ गये। बाद में रामानन्द जी और दूसरे माननीय सदस्य पूछते रहे लेकिन जवाब नहीं दिया गया। और उपाध्यक्ष महोदय द्वारा नेक्स्ट आइटम ले लिया गया। इसके बाद मैं 24 जनवरी को फिर कोशिश की गई। 24 जनवरी..."

श्री अध्यक्ष : 22 जनवरी 68 के लिए कहा, उस समय श्री अमृतलाल जी यादव मंत्री थे या मेम्बर थे?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय शायद मंत्री हो गये थे।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मंत्री थे, निश्चित रूप से।

श्री अध्यक्ष : आगे शुरू रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसके बाद मैं केवल बता रहा हूं कि यह मसला 22 को डिस्कस हुआ, 23 को डिस्कस हुआ, 24 को यह मामला आया। इस मामले में उस दिन श्री अमृतलाल जी यादव ने काफी क्लेरिफिकेशन दिया, क्लेरिफिकेशन के बाद बाकायदा स्टेटमेंट दिया है–"दलित वर्ग संघ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

का कार्यालय 1 जनवरी, 1962 से 3 अगस्त, 1964 तक इस बी 13 एम.एल.एज. क्वार्टर में रहा, यह हुआ, यह हुआ–यह मैं बाद में पढ़ूंगा। फिर मैंने कहा है–बिजली पानी समेत' उसका उत्तर दिया है–मैं किराये की बात कह रहा हूं। बिजली और पानी का 5 रु. महीने के हिसाब से लिया गया। यह एडमिट किया है। यह 24 जनवरी को इन्होंने एडमिट किया है कि बिजली और पानी का 5 रुपये के हिसाब से लिया गया...

श्री अध्यक्ष : एम.एल.ए. क्वार्टर का था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री अध्यक्ष : जिसका अर्थ हुआ he was nor then a Minister.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : He might be a Minister but...

उस समय यह बात कही हुई है। यह 1963 64, 1964–65 की बात है। यह फैक्ट सदन के सामने आये। अब यह मामला किस तरह डवलप हुआ यह मैं अर्ज कर रहा हूं। यह बात हुई, काफी झगड़ा हुआ। बिजली पानी का पांच रुपया लेते रहे। इतना ही नहीं है। फिर यह मसला आया 20 मार्च को। इसका स्पष्टीकरण होता रहा, फिर डिमाण्ड पर बहस हुई, इसमें डिटेल्स में जाकर बात कही है। जिस समय 30 मार्च को डिमाण्ड थी, उसके बाद 25 को मैंने सब्सटेंटिव मोशन पेश कर दिया। सब्स्टेंटिव मोशन मैंने 25 मार्च, 68 को पेश कर दिया जिस समय सारे तथ्य सदन में आ गए और जो अन्डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जब उन्होंने स्वीकार किए कि दलित वर्ग संघ का कार्यालय मेरे बंगले पर था, मैंने बिजली पानी का पैसा चार्ज किया, उन्होंने रेंट का डिनाई किया लेकिन मसूदा साहब ने कहा। इन सब तथ्यों को रखने में मेरा तात्पर्य यह है कि सारे मसले चलते चलते 25 मार्च को जब मामला आया यहां पर तो श्री सुखाड़िया ने 25 मार्च को फिर कहा। इसके बाद में मैंने अपने मोशन का नोटिस दे दिया तो मोशन हर सेशन में लेप्स होता रहा, मैं आपसे कहता रहा। 4 सेशन्स निकल गए। मेरे पार्ट पर ओमीशन का सवाल नहीं है.....

श्री अध्यक्ष : It should relate to only one issue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The issue is the conduct of Shri Amrit lal Yadav. These are only details. The issue is only one.

मेरा मोशन देखें : "This House hereby resolves that a Committee Consisting of three members to be nominated by the speaker be constituted to nquire into the conduct of Shri Amrit lal Yadav, Member of the Assembly in connection with the following matters.

यह तो डिटेल्स हैं। आइटम्स हैं। एक आइटम, दो आइटम्स, तीन आइटम, चार आइटम। दो चार आइटम हो सकते हैं। श्री भैरोंसिहजी ने संशोधन दिया है तो गोयल साहब ने संशोधन दिया है, शायद

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कांग्रेस के 4–5 सदस्य संशोधन देंगे आज नहीं तो कमेटी के सामने एवीडेंस दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर चर्चा न हो, मैं बिल्कुल इन्ट्रेस्टेड नहीं हूं कि इन आरोपों को सदन में रिपोर्ट करूं पब्लिसिटी पाइंट आफ व्यू से, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं।

I will not make a speech. You constitute a committee, and finish the matter.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 1967 के पहले कोई आपने फैक्ट्स दिए हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : 1967 के बाद ड्यूरिंग दी कोर्स आफ दिस सेशन उस. पहले के तथ्य हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एवीडेंस में आयेंगे। वह सदस्य हैं फिर मंत्री बन गए फिर सदस्य। इसके बाद 1968 में मंत्री मंडल का रिकान्स्टीट्यूशन हुआ तो पोर्टफोलियो छीन लिया, आप कहेंगे कि बिना पोर्टफोलियो थे। दिस इस कन्टीन्यूअस चेन। सीरीज आफ एक्शन्स हैं।

श्री अध्यक्ष : यह क्यों नहीं माना जाए कि 1967 से जब विधान सभा शुरू हुई तो कन्डक्ट के डिफरेंट इश्यूज विधान सभा के समय के होने चाहिए ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं है। वह चीज नहीं है। आर्टीकल 191 या 192 वाले जिसमें इलेक्शन के पीरियड के किसी डिस्क्वालीफिकेशन के बिना पर चुनाव के बाद में चर्चा नहीं की जा सकती, सदस्य को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता–आर्टीकल 191, 192··

श्री शंकरलाल : आपका रीजोल्यूशन यह है····

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : 191 व 192 कहते हैं कि चुनाव के बाद कोई सदस्य कोई डिस्क्वालीफिकेशन इन्कर कर ले, उस सम्बन्ध में सदन चाहे, उस मेटर पर कोई सदस्य मूव कर सकता है, वह सदन की सदस्यता से डिबेर हो सकता है, चुनाव सेट असाइड हो सकता है जैसे जसराज के मामले में सवाल खड़ा हुआ था कि जसराज को करप्शन के केस में 2 साल की सजा हुई है, वह आम चुनाव से पहले की है, उस समय इलेक्शन पिटीशन हो सकती था लेकिन हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट की आॅथोरिटीज हैं कि इलेक्शन रिजल्ट से पहले के डिस्क्वालीफिकेशन्स 191 व 192 से कवर नहीं होते हैं। डिस्क्वालीफिकेशन करने का सवाल फार सर्टेन डिस्क्वालीफिकेशन्स इन्कर्ड बाई हिम, वह चीज यहां नहीं है। यहां 1967 के जनरल इलेक्शन्स के बाद हम यह आरोप नहीं लगाते कि वह इन्सालिवेण्ट हो गए, मैं नहीं कहता कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऐसा सरकार से लिया है जिसके तहत डिस्क्वालीफिकेशन लिया है··

श्री अध्यक्ष : 1967 के पहले के आरोप हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तो कन्टीन्यूअस हैं।

श्री अध्यक्ष : इसको छोड़कर, कौन-कौन से आरोप 1967 से पहले के हैं ?

Page No. 72

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कैटेगोराइजेशन नहीं है, अलग-अलग हैं। न मेरे लिए जरूरी है। मोशन सरकार के पास गया, ला विभाग में गया, सीतलवाड की राय ली, दुनिया भर की राय ली, तब लेकुना नजर नहीं आया, हजारों रुपये खर्च कर दिए, किसी की राय होगी, लॉ डिपार्टमेंट ने एग्जामिन किया होगा, इसी बिना पर टेकनीकली टालना चाहें और संशोधन मूव करना चाहें और कहें कि यह आइटम नहीं आ सकता तो शंकरलालजी कहदें कि कौनसा आइटम आ सकता है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कानून की छोटी-छोटी बातों पर आपत्ति उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष : मुदगल के केस में कितने आरोप हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां (विधि मंत्री) : यह न तो लॉ डिपार्टमेंट में भेजा गया न··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह मोशन था। On 8th June 1951 the following motion was adopted by Parliament—

"(1) That a Committee consisting of Shri T. T. Krishnamachari Prof. K. T. Shah, Syed Nausher Ali, Shrimati Durgabai and Shri Kashinath Vaidya be appointed-

(a) to investigate the conduct and activities of Shri H. G. Mudgal, Member of Parliament in connection with certain dealings with the Bombay Bullion Association which include canvassing support and making propaganda in Parliament on problems like opinion business, stamp duty, etc. and receipt of financial or business advantages from the Bombay Bullion Association; and····

कोई पीरियड नहीं लिखा हुआ है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : सिम्पल एक इश्यू था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुनिए तो सही।

श्री अध्यक्ष : मोशन क्या था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मोशन पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह तो कमेटी···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नो नो।

श्री अध्यक्ष : ऑपरेटिव पोरशन क्या है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (बी) to consider and report by the last day of the first week of the next session whether the conduct of the Hon'ble member was derogatory to the House and inconsistent with the standards which Parliament is entitled to expect from the members."

To consider and report by the last day of the first week of the next session . . .

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अब मेरा दिल लीजिए क्या है :

"To consider and report by the last day of the first week of the nex session, whether the conduct of the Hon'ble member, Shri Amrit Lat Yadav was derogatory to the dignity of the House and inconsistant with the standards which this House is entitled to expect from its members."

मैंने नाम लिख दिया है। वहां लिखा है "ग्रानरेबल मेम्बर" मैंने लिखा है,"ग्रानरेबल मेम्बर श्री ग्रमृतलाल यादव।"

Shri T. T. Krishnamachari be appointed as chairman of the ~mmittee."

हमने स्पीकर को ग्रधिकार दे दिया। उसमें था कि 'कोरम शेल बी देयर'। मैंने लिख दिया "दैट दी कमेटी शेल हैव दी पावर।" ग्राप समझते हैं मोशन बनाते समय मैंने यह पढ़ा नहीं था? मैंने पढ़ा था, उन्हीं चीजों को जोड़ लिया। मैंने फूलप्रूफ मोशन बनाया है।

"That Shri Mudgal has leave to be heard before the committee by himself or counsel, if he thinks fit and that committee may hear counsel to such extent as they think fit on behalf of any other person."

'That the Hon'ble Speaker may, from time to time issue such directions to the Chairman of the Committee as he thinks necessary for regulating the procedure and organisation of the work of the Committee."

ऐसा ग्रगर कर दें, एग्जामिनेशन ग्रौर स्कोप के स्पीकर ने डाइरेक्शन्स कर दिए, प्रोसीजर के मेटर्स उन्होंने तय किए। न इसमें पीरियड है, कोई जरूरी नहीं है।

श्री मदन सिंह : श्री ग्रमृत लाल यादव नहीं जानते हैं कि 1967 से पहले के..

श्री रघुनाथ विश्नोई : ग्राप कानून नहीं जानते।

श्री शंकरलाल : ग्रमृतलाल जी के जानने या न जानने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि प्रक्रिया है, उसके ग्रनुसार कोई कार्यवाही कर सकते हैं। ग्रागे के लिए एग्जाम्पल्स क्रीएट हो सकती हैं।

श्री विजयसिंह : ग्रापका मतलब है, हम प्रक्रिया नहीं जानते हैं ?

(कई माननीय सदस्य बोलने लगे)

श्री ग्रध्यक्ष : ग्रॉर्डर प्लीज।

श्री विजय सिंह : व्यक्तिगत विशेष ग्रारोप लगाए जाएं ग्रौर पेश किए जाएं तो एतराज क्या है ?

श्री ग्रध्यक्ष : पाइंट मेरे सामने है, इसमें रूलिंग देनी है. . . .

श्री भैरोंसिंह : जेतारण से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने जो ग्रापत्ति उठाई है, मैं उन्हीं की भाषा में थोड़ा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। उन्होंने रूल 121 का हवाला देते हुए कहा कि इसमें जिन बातों का उल्लेख

(श्री भैरोंसिंह)

किया गया है, उसके कारण यह प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। पहले उन्होंने कहा है इट शेल रेज सबस्टेन्शली वन डेफीनेट इश्यू।

अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने डेफीनेट इश्यू क्या है, यह उन्होंने बताया है। एक सदस्य के कन्डक्ट के बारे में उनका एक प्रस्ताव है, लेकिन इसके साथ में निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें यह कोई रोक नहीं है कि उसमें बाकी की बातों का उल्लेख नहीं किया जा सकता उसमें स्पष्ट लिखा है "इट शेल रेज सबस्टेन्शली वन इश्यू।" तो सबस्टेन्शल इश्यू क्या है? वह इन सारे तथ्यों के आधार पर सबस्टेन्शल इश्यू बनता है। एक व्यक्ति के कन्डक्ट के संबंध में जांच कराई जाए। तो मैं समझता हूं उसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। यदि माननीय सदस्य ने इस संबंध में कई प्रकार के डिटेल्स दिए हैं और डिटेल्स का सब्स्टेन्स आता है कि इनका कन्डक्ट जांच करने योग्य है तो मैं समझता हूं इसमें माननीय सदस्य को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती।

दूसरा है

It shall not contain arguments, inferences, ironical expressions imputations or defamatory statements.

मैं समझता हूं हमने पढ़ा है। इसमें इस प्रकार की बातें नहीं लगती केवल तथ्य हैं और तथ्य की लैंग्वेज की बात हो तो आप आपत्ति उठायें तो उसका निराकरण किया जा सकता है। यह भाषा असंगत है, असंसदीय है, डिफेमेट्री है इसको दूसरे रूप में लिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनको इस प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

तीसरा आता है –

"It shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity."

मैं आपकी जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि असेम्बेली का मेम्बर, चाहे मिनिस्टर हो, केवल मेम्बर हो उसको पब्लिक कैपेसिटी तो रहती है इसलिये इस रूल को लिया है खास तौर से

"It shall not refer to the conduct or character of persons except in their public capacity.

किसी मेम्बर की, विधान सभा का सदस्य हो, मंत्री हो या न हो, उसकी पब्लिक कैपेसिटी तो है, उस पब्लिक कैपेसिटी मे किसी प्रकार का काम किया उसकी चर्चा करना और प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है उसी चर्चा से उसका सम्बन्ध है. जो पब्लिक कैपेसिटी से है, यदि आप इसको पब्लिक कैपेसिटी नहीं मानते हैं, पर्सन को रेस्टिकेट कर दिया है...

श्री शंकरलाल : यही तो एलीगेशन उसमें नहीं है। एक एक को देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : सारी पब्लिक कैपेसिटी है।

श्री शंकरलाल : आप कह दें।

श्री भैरोंसिंह : कहने का नहीं है। 52 से पहले वे सदस्य नहीं थे। उसके सम्बन्ध में कोई उन पर आरोप नहीं है। वह हाउस में चर्चा में नही आ सकता है जब पब्लिक कैपेसिटी में काम किया है, मिनिस्टर अथवा मेम्बर, यदि उसमें कोई हवाला आवश्यक है और चर्चा करने का है तो यह उचित और आवश्यक है ...

"It shall not raise a question of privilege."

यहां भी आपको आपत्ति नही है।

"It shall not anticipate discussion of a matter which is likely to be discussed in the same session."

यहां भी आपको नहीं है। क्वेश्चन का हवाला इसमें दिया हुआ है।

"It shall not relate to any matter which is under adjudication by a court of law having jurisdiction in any part of India.

यहां भी नहीं है।

तो इस रूल के मातहत इस प्रस्ताव को जो स्वीकृति के लिये दिया है। किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। इसलिये माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है उसको निरस्त किया जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : रिसेंट आकरेन्स का क्या कहना है ?

श्री भैरोंसिंह : यह सब रिसेन्ट आकरेन्स है। पहले हाउस में रखे गये हैं या नहीं उसके विवेचन में मैं नहीं जाना चाहता। एक सदन में प्रस्ताव रखा गया और सदन में प्रस्ताव रख दिया जाय तो उसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में चर्चा करना कतई उपयुक्त नहीं है। रूल्स में कहीं प्रावधान नहीं है कि एक बार मोशन की स्वीकृति देने के बाद विथड्रा कर लें ऐसा नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है उसको निरस्त किया जाय।

श्री शंकरलाल : जवाब नहीं देता हुआ स्पष्टीकरण करूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब कोई स्पष्टीकरण नहीं।

श्री शंकरलाल : I am not giving any reply. एक तरफ उन्होंने बताया कि डेफिनेट इश्यू हो जाता है इसलिए कमेटी एपाइन्ट की जाय कन्डक्ट के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : मैने सुना नहीं आपने क्या कहा ?

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य ने यह रखा कि डेफिनेट इश्यू इज रिगार्डिंग हिज कन्डक्ट लेकिन साथ में 119 में बताया है "It shall be restricted to a matter of recent occurrence, but not matters."

श्री अध्यक्ष : सब्स्टेन्शियल इश्यू है।

श्री शंकरलाल : मेरा निवेदन यह है कि चूंकि मूव हो गया है इसलिये इस स्टेज पर यह आपत्ति नहीं की जा सकती है। मेरा निवेदन यह है कि 30 सितम्बर को मूव किया। किस स्थिति में मूव किया और कैसे किया? यह तो उस तारीख की प्रोसीडिंग्स बतायेगी। पाइन्ट आफ आर्डर उठाने के लिये 294, उसकी सब-क्लाज 2 में है :

"A point of order may be raised in relation to the business before the house at the moment."

जब भी बिजिनेस हमारे सामने आये उस वक्त पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठा सकते हैं। मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर ऐसा नहीं है कि डिस्कस नहीं किया जा सकता इस पर डिस्क्शन 119 के तहत ही हो सकता है। सारे मामले पर डिस्कशन नहीं हो सकता है। यह उचित समझा कि पॉइन्ट ऑफ आर्डर उठाता इसलिये उनकी आपत्ति सही नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपत्ति सही नहीं है यह कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री शंकरलाल जी ने आपत्ति का प्रश्न मोशन की एडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में उठाया। प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या यह उपयुक्त स्टेज है जब कि यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है? इस व्यवस्था के प्रश्न को जिस प्रस्ताव के सम्बन्ध में उठाया गया है उसको श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने मूव किया था। आपत्ति उठाने की एक स्टेज वह थी। मूव करते वक्त व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता था और किन्तु, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर किसी भी स्टेज पर भी उठाया जा सकता है। ये दो प्रश्न विचारार्थ हैं। अध्यक्ष ने इस प्रस्ताव पर नियमानुसार स्वीकृति दी। स्वीकृति देने के बाद ही सदन में मूव किया गया इसलिये व्यवस्था के प्रश्न को उठाये जाने का उचित समय वह था जब माननीय सदस्य ने इसको मूव किया था। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवस्था का प्रश्न किसी भी स्टेज पर जब उठाया जाय तो उस पर विचार नहो किया जाय। व्यवस्था के प्रश्न की व्याख्या हमारे नियम में दी गई है। जिसका अर्थ है इन्टरप्रिटेशन आफ दी रूल्स उस व्याख्या की उस सीमा में माननीय सदस्य है जो कई स्थितियां इस प्रस्ताव के सम्बंध में सदन में प्रस्तुत की हैं, मैं उनको अधिक महत्व नहीं देता। माननीय सदस्य ने जिस स्टेज पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह स्टेज नहीं है इसलिए इस आधार पर मैं माननीय सदस्य की व्यवस्था की व्याख्या हमारे नियमों में दी गई है। जिसका अर्थ है इन्टरप्रिटेशन आफ दी रूल्स उस व्याख्या की उस सीमा से माननीय सदस्य ने जो कई स्थितियां इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत की हैं, मैं उनको अधिक महत्व नहीं देता। माननीय सदस्य ने जिस स्टेज पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया वह प्रापर स्टेज नहीं है इसलिए इस आधार पर मैं माननीय सदस्य की व्यवस्था के प्रश्न के अंश को निरस्त करता हूं।

दूसरा प्रश्न जो महत्वपूर्ण व्यवस्था का उठाया वह है "मस्ट कान्सटीच्यूट ए सब्स्टेन्शियल इश्यू" जिसका अर्थ माननीय सदस्य का यह था कि कई इश्यूज इसमें सन्निहित

(श्री अध्यक्ष)

कर दिये गये हैं। कई मुद्दे न उठाये जाकर आज एक ही मुद्दा इस प्रस्ताव में उठाया जा सकता है। इस प्रस्ताव को देखने से स्पष्ट होता है कि मुद्दा क्या है। माननीय सतीशचन्द्रजी ने जैसा कहा है "टू एन्क्वायर इन्टू दी कन्डक्ट आफ दी मेम्बर" यही एक मुद्दा है और इसके साथ जुड़ा हुआ है आचरण सम्बन्धी जांच। कन्डक्ट तो उसकी एक परिभाषा मात्र है। माननीय सदस्य की इस आपत्ति पर अपनी असहमति प्रकट करते हुए निर्णय देता हूं कि प्रस्ताव में मुख्य मुद्दा आचरण की जांच करना है जिसमें कई अलग विभिन्न आरोप सम्मिलित हैं। अतः सब्स्टेन्शियल इश्यू एक ही है। प्रस्ताव में जिस भाषा का उपयोग किया गया है वह यह है—

"This House hereby resolves that a Committee consisting of three members to be nominated by the Speaker be constituted to enquire into the conduct of Shri Amritlal Yadav......"

मुद्दा यह है 'टू कान्स्टीट्यूट ए कमेटी और वह कमेटी क्या करे? टू एन्क्वायर इन्टू दी कन्डक्ट आफ दी मेम्बर'.............. इसलिए इस सन्दर्भ में प्रस्ताव का एक ही मुद्दा माना जायेगा और मुद्दा यह है।

दूसरा प्रश्न रिसेन्ट आकरेन्स का माननीय सदस्य ने उठाया है। मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को स्वयं इस पर उनको विश्वास हो गया होगा कि इस प्रश्न पर जो विवेचन माननीय सदस्य ने दिया है, वह उपयुक्त नहीं है। 25 मार्च 1968 को Motion submitted and the issue was raised on 22nd June, 1968. उसके बाद ही...

श्री शंकरलाल : अकरेन्स कब होता है।

श्री अध्यक्ष : Chair is on legs.

इस प्रश्न पर मैं बाद में आऊंगा। इसलिए इन तथ्यों का विश्लेषण बिना किये हुए एक प्रश्न और रह जाता है कि 67 के क्या प्रश्न हैं और 67 के बाद के क्या प्रश्न हैं इसलिए ये मुद्दे क्या इसमें आते हैं? बिना उनका विश्लेषण करते हुए वह मुद्दा रिसेन्ट आकरेन्स का है। क्योंकि यह पहले प्रश्न उठा दिया गया है, प्रस्ताव रख दिया गया है और स्वीकृत हुआ है और मूव किया गया इसलिए जो कुछ भी इसमें देरी हुई है वह माननीय सदस्य की ओर से नहीं है। यह देरी इस बिजिनेस में रखने का समय नहीं मिलने के कारण हुई और इस देरी का आधार आफिस होता है या बिजिनेस हो सकता है जिसमें यह एडजस्ट नहीं हो सका है। इसलिये रिसेन्ट अकरेन्स को माना जायेगा।

दूसरा प्रश्न महत्व का है जो माननीय सदस्य ने यह उठाया है कि 1967 के पूर्व जो मुद्दे हैं, इसमें आये हैं वे इस असेम्बली के मुद्दे नहीं माने जाने चाहिये। इसलिये जो आरोप इस असेम्बली के कार्यकाल के हैं उन्हीं आरोपों को माननीय सदस्य उठाने के अधिकारी हैं। इस आपत्ति में वजन है वजन इस तरह से है कि माननीय सदस्य जो इस सदन के 67 से लगा कर अभी तक सदस्य हैं, इस कार्यालय में जो कुछ भी हुआ

(श्री अध्यक्ष)

है उनके व्यवहार के सम्बन्ध में तो उस पर यह सदन विचार करने की क्षमता रखता है लेकिन इसके पूर्व के जो कार्य हैं उनको, उन पर यह सदन विचार कर सकता है या नहीं, ऐसी स्थिति में मेरे लिये कठिन है--67 के ऐसे तथ्य, ऐसे आरोप जो 67 से लिंक्ड हों उनको अलग करके विश्लेषणात्मक स्थिति में रखते हुए माननीय सदस्य प्रस्तुत न करें यह कठिन है, लेकिन मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य स्वयं सोचें कि अगर 67 के पहले के कोई ऐसे तथ्य हैं जिनका कोई अधिक प्रभाव इन तथ्यों पर नहीं है, वेललिंक्ड नहीं हैं, तो उनको इस सदन के प्रांगण पर रखना उस सन्दर्भ में उचित नहीं होगा।

तीसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है देखिये मैं इस परम्परा का उल्लेख करना भी उचित समझता हूं। यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उसमें विभिन्न आरोपों का उल्लेख किया गया है जबकि सबटेन्शियल एक ही इश्यु होना चाहिए। पहला जो प्रस्ताव है वह इसी तरह का है और इसी सदन के प्रांगण पर उठाया गया था। उस प्रस्ताव पर यह आपत्ति का प्रश्न नहीं उठा था और उस प्रस्ताव में आरोपों का इसी तरह से अलग अलग से उल्लेख था। उसी प्रस्ताव में 67 के ऐसे ही तथ्य थे। इसलिए मैं मानता हूँ कि सदन की परम्परा के अनुकूल ही यह प्रस्ताव है कि To constitute a committee to enquire into the allegations about the conduct of a member. इस प्रस्ताव में भी सदस्य के कन्डक्ट के बारे में आरोपों की जांच के लिए समिति के गठन का ही केवल एक मुद्दा है तथा सदस्य के कन्डक्ट पर आरोपों को स्पष्ट करने के लिए वेरियस पैक्ट्स बताये गये हैं। अतः परम्परा के अनुसार यह प्रश्न भी केवल एक ही मुद्दे की परिधि में आता है।

श्री शंकरलाल : जो परम्परा, व्यवस्था की बात आप फर्मा रहे हैं कि उस पर कोई पाइन्ट नहीं उठाया गया था इसलिए अब नहीं उठा सकते। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। पाइन्ट उठाया जा सकता है। पहले नहीं उठाया गया हो तो वह अलग बात है। वह परम्परा नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं माननीय सदस्य।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि परम्परा है यह सदन के प्रस्ताव का फार्म रहा है और वह फार्म सदन के स्वीकार किया है चूंकि आपत्ति का प्रश्न नहीं उठाया गया। फार्म जिस ढंग का है, और एक ही ढंग का फार्म नहीं है। दो फार्म आ चुके हैं तो आखिर परम्परा स्टेन्ड रहती है To enquire into the conduct conoture various items of allegations. इस परम्परा का स्टेन्ड होता है।

दूसरी आपत्ति यह की गई है कि यह प्रस्ताव डिफेमेटरी है तथा इसमें विशेषाधिकार-प्रश्न भी अन्तर्गत है। डिफेमेटरी के विश्लेषण में कैसे तथ्य हों, जो आरोप लगाए जायें वे केवल आरोप मात्र हों, डिफेमेटरी न हों इसका विवेचन आरोप सदन के प्रांगण पर आने पर हो तथा प्रत्येक आरोप की मन्शा ली जाये कि वह डिफेमे-

(श्री अध्यक्ष)

टरी है अथवा नहीं तो कोई भी आरोप माननीय सदस्यों के प्रति रखे ही नहीं जा सकते। 'डिफेमेटरी' की ऐसी विशद व्याख्या करके नहीं चला जा सकता और मैं इस प्रस्ताव को डिफेमेटरी की संज्ञा नहीं देता।

दूसरा प्रश्न है कि सदस्य के नाते उनके द्वारा किये गये कार्यों पर चर्चा की जा सकती है मन्त्री के रूप में किये गये कृत्य चर्चा का विषय नहीं बन सकते मेरे ख्याल में चर्चा उठाई जा सकती है एक मिनिस्टर इज ए मेम्बर। पब्लिक इन्टरेस्ट में जिस मेम्बर के प्रति आरोप है वह मेम्बर यदि मिनिस्टर बनता है तो वह मिनिस्टर की हैसियत से और मेम्बर की हैसियत से, दोनों तरह से उत्तरदायी है हर प्रश्न के लिए। इसलिए इसका विश्लेषण करना उपयुक्त नहीं है। जहां तक पब्लिक इन्टरेस्ट का प्रश्न है कि आया सब पब्लिक इन्टरेस्ट के आधार पर काम किया गया है, केवल यह प्रश्न विश्लेषण का है और माननीय सदस्य जब वाद-विवाद करेंगे तो यह विश्लेषण करेंगे। इसलिए माननीय सदस्य ने जो आपत्ति का प्रश्न उठाया है उसको इस सन्दर्भ में निरस्त करता हूं।

श्री शंकरलाल : प्रिविलेज का है।

श्री अध्यक्ष : बीच आप प्रिविलेज का है The issue referred to a Privilege committee may not be raised here and it is a simple privilege with a simple meaning.

इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री मदनसिंह : इसके अध्यक्ष भी आप हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय··

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : पारडन।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको ऐतिहासिक रूलिंग के लिए धन्यवाद।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसके सम्बन्ध में अधिक विस्तार से चर्चा करने की मुझे आवश्यकता नहीं। जैसा मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया इस समय हमारे सामने प्रश्न केवल प्राईमाफेसी यह देखने का है कि आया श्री अमृतलाल जी यादव के आचरण के सम्बन्ध में और जांच करने के लिए सदन की किसी समिति की गठन की आवश्यकता है या नहीं। फैक्ट्स तो बियोण्ड रीजनेबल डाउट्स हैं। मुझे कोई दोषी करार देने की यहां पर या साबित करने की, सारे डाकुमेन्ट्स पेश करने की आवश्यकता नहीं है। यह स्कोप आफ दी रेज्योल्यूशन के भी बाहर है और दूसरे समयाभाव के कारण भी आवश्यकता नहीं है। जब कमेटी कान्सटीट्यूट होगी तब मेरे पास इस सम्बन्ध में जितने भी कागजात होंगे, दस्तावेज होंगे, तहरीर आदि होंगी वह मैं कमेटी के समक्ष रखूंगा और यह साबित करने की कोशिश करूंगा कि मैंने जितने आरोप लगाये हैं इन सभी आरोपों के संबंध में मेरे पास पर्याप्त प्रमाण हैं तो अध्यक्ष महोदय, मैं मोटे तौर से एक सवाल श्री यादव साहब के सिलसिले में है जैसा मैंने निवेदन किया सन् 68 में जिस समय इस विधान सभा के अन्दर राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के संबंध में एक सवाल खड़ा हुआ और उसके सिलसिले में जब कि सदन में आये उस समय एक सवाल यह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

खड़ा हुआ, अध्यक्ष महोदय कि श्री अमृतलाल जी यादव एम. एल. ए क्वाटर्स में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपको तो स्मरण होगा और सदन के सम्माननीय सदस्यों को हमारे यहां रेजिडेन्शल एकोमोडेशन रूल्स 1956 के बने हुए है इन रेजिडेन्शन एकोमोडेशन रूल्स में लिखा हुआ है। अध्यक्ष महोदय यहां पर निश्चित रूप से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा संक्षेप में कि 1-1-62 से 31–8–64 तक राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का कार्यालय एम. एल. ए. क्वार्टर के नम्बर बी–13 में रहा जहां श्री अमृतलाल जी यादव निवास करते थे। अध्यक्ष महोदय, इन अमृतलालजी यादव ने राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के केन्द्रीय कार्यालय से 10 रुपया प्रतिमाह टेलीफोन का उपयोग का चार्ज किया, 5 रुपया प्रतिमाह बिजली और पानी के उपयोग का चार्ज किया और इस प्रकार इन्होंने दलित वर्ग संघ के जो आडिटेड अकाउन्टस पब्लिश हुए हैं उनमें सारी सीरीज देखेंगे तो 1962–63 में बिजली और पानी का 60 रुपया चार्ज किया, 19-64–65 में भी चार्ज किया और 1964–65 में जिस समय इनके प्रदेश दलित वर्ग संघ का केन्द्रीय कार्यालय, अध्यक्ष महोदय, नर्मदा सदन या यादव सदन जो इनका खुद का बंगला है और जब ये मन्त्री बन गये तो वहां पर भी इन्होंने उस प्रदेश दलित वर्ग संघ के कार्यालय से किराया चार्ज किया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में जो इस सिलसिले में आरोप है कि एम. एल. ए. क्वाटर्स के नियम के अन्तर्गत जो निवास स्थान एम. एल. ए. को मिलता है जिसको कि सबलेट करने का अधिकार किसी को नहीं है, बिजली और पानी के पैसे वसूल किये, इन्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 39 के तहत बिजली की चोरी की उसका तो जुर्म बना ही और इस सिलसिले में मैं नहीं कहना चाहता हूं कुछ भी पर यह आडिट रिपोर्ट, जो प्रदेश दलित वर्ग संघ की है 1966–67 के आसपास की इसमें कम्पलीट फैक्ट्स एण्ड फिगर्स दिये हुए हैं कि यह किया माननीय श्री अमृतलाल जी यादव ने। जब राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का केन्द्रीय कार्यालय यादव सदन में या नर्मदा सदन में चला गया और जिस समय आप एम. एल. ए. हो गये थे और मिनिस्टर हो गये थे तो वहां पर भी किराया चार्ज किया, बिजली और पानी का चार्ज किया . . .

श्री मदनसिंह : आप स्कोप के बाहर जा रहे हैं।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर। वैसे तो, अध्यक्ष महोदय आप रूलिंग दे चुके हैं जो कि सर माथे पर है लेकिन सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि यह कार्यवाही जो अब होने जा रही है वह गलत हो जायगी और वह भी इस माने में कि अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी कि यहां इश्यू कमेटी कान्स्टीट्यूट करने का है और कन्डक्ट का इश्यू नहीं है। यह आपका रूलिंग है . . . .

श्री अध्यक्ष : That is not the Ruling. There are three ingradients in the Ruling.

श्रीमती कान्ता कथूरिया : यह सब्सटेन्शल इश्यू है।

श्री अध्यक्ष : Please do not challenge the Ruling

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैंने शुरू में यही कहा कि आपकी रूलिंग हो चुकी। वह सर माथे है और मैं उसको नहीं चेलेन्ज कर रही हूं लेकिन एक चीज है जो रूल्स में स्पष्ट है और जब तक रूल्स ध्यान में आये नहीं तब तक तो चल जाये कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपकी तवज्जोह दिलाती हूं कि जब कमेटी कान्सटीट्यूट करने का इश्यू हम मान कर चलते हैं तो उस कमेटी की बात की जाये बाकी कन्डक्ट तो माना ही नहीं है। हालांकि वह भी बड़ा वेग है, कन्डक्ट वर्ड ही वेग है। रूल्स में दिया है रिसेन्ट अकरेन्स का। तो 67 में माननीय सदस्य ने एक मोशन रखा उससे पहले के इश्यू उस में आये हैं-इसको रिसेन्ट अकरेन्स मानते हैं तो ठीक है लेकिन जब कमेटी का इश्यू मान लिया तो फिर कन्डक्ट के बारे में नहीं जा सकते और कमेटी के ऊपर ही डिसकशन होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : रूल्ड आउट।

श्री मदनसिंह : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर सर, अध्यक्ष महोदय यह ठीक है कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी हुई है तो यह अभी कैसे कह सकते हैं और कैसे इस भाषा में कह सकते हैं। अगर रूल्स में ऐसा है और इन्होंने चोरी की है तो यह कमेटी कहेगी कि चोरी की, माननीय सदस्य कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : भाषा संयमित होनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, तो मैं बेसीकली कुछ फेक्ट्स रख देता हूं। मैं माननीय सदस्यों से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि समय को ध्यान में रखते हुए मैं जल्दी से जल्दी अपना भाषण समाप्त कर दूं क्योंकि अब मोशन तो मूव हो गया और बीच बीच में इस तरह से इन्टरप्शन्स होंगे तो परेशानी होगी इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, तो मैंने निवेदन किया आखिर बेक ग्राउण्ड बताने के लिए माननीय सदस्य जो कुछ बोल रही थीं वे एक वकील हैं आखिर केस में फेक्ट्स भी रखने पड़ते हैं, बेकग्राउण्ड भी रखना पड़ता है, सीरीज क्या है, कन्टीनुएशन आफ सीरीज क्या है उस आधार पर मैं निवेदन कर रहा था कि राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का केन्द्रीय कार्यालय एम एल. एज. क्वार्टर बी-13 में रहा जो कि श्री अमृतलाल जी यादव सदस्य विधान सभा को अलाट किया गया था जो कि विधान सभा के द्वारा बनाये हुये नियमों के अनुसार किसी को सबलेट नहीं किया जा सकता था इन्होंने सबलेट करके राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ से किराया वसूल करके, बिजली और पानी का पैसा वसूल करके, टेलीफोन के सम्बन्ध में जो इनको सुविधायें थीं उसका पैसा वसूल करके इन्होंने इस प्रकार का आचरण किया है जो कि इस सदन के माननीय सदस्य से अपेक्षित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद इस सम्बन्ध में जो भी स्थिति है उसके

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

सम्बन्ध में सारी डिटेल्स दी हुई हैं। बिजली और पानी का पैसा वसूल किया यह श्री अमृतलाल जी यादव ने स्वीकार किया है। किराये के सम्बन्ध में विवाद है–ये कहते हैं कि मैंने नहीं लिया, यह आडिट अकाउंट्स कहते हैं कि इन्होंने इस सम्बन्ध में किराया उनसे वसूल किया है। केन्द्रीय कार्यालय जो कि प्रदेश दलित वर्ग संघ का है उसने किराये का खर्चा लिखा है कि वह कार्यालय एम. एल. ए. क्वार्टर बी–13 में था और हिसाब में लिखा हुआ है तो या तो कहें कि हिसाब झूठा है या कहें कि किराया लिया गया है। तो इस संबंध में इस डाकुमेंट के संबंध में समय नहीं लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उसके बाद सन् 1964–65 में यह कार्यालय श्री अमृत लाल जी यादव के मकान में चला गया जो कि इनके स्वयं का मकान है। वहां पर 1964–65 में, 65–66 में, 66–67 में और 67–68 में इन्होंने अध्यक्ष महोदय···

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पाइंट करना चाहता हूं। माननीय सदस्य तो बोलने में बहुत माहिर हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो मकान किराये का××××

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस शब्द को हटाया जाये।

श्री अमृत लाल यादव : (अश्रव्य)।

श्री मदनसिंह : आन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मैं यह आशा नहीं करता था कि मन्त्री जी उठ कर कहेंगे कि बोलने की आदत है। आप चाहें तो आप रेज्योल्यूशन दीजिये, आप चार्ज लगाइये कि माननीय सदस्य एक चीज सुना रहे हैं और तथ्यों के साथ सुना रहे हैं और आप कहें कि आदत हो गयी है। यह मन्त्री महोदय को नहीं कहना चाहिए।

श्री अमृतलाल यादव : जो बात गलत है उसके कहने का अधिकार मुझे है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : शब्द अनपार्लियामेंटरी है और उसको एक्सपन्ज किया जाये।

श्री अध्यक्ष : मुझ को एक्सपन्ज करने में आपत्ति नहीं है लेकिन माननीय सदस्य भविष्य में इस शब्द का प्रयोग नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन करते हैं।

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपन्ज किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ की आडिट रिपोर्ट यह है:-

For the period ending 31st March 1969.

Grant in aid through Social Welfare Deptt..

××× अध्यक्षपाठ के आदेशानुसार निकाला गया।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उदाहरण के लिए एक आइटम सिर्फ बता रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है–इनकम में

Office rent 480
Light and water charges 460

और खर्चे में है पोस्टेज एण्ड टेलीफोन 217.60, आफिस रैन्ट 480 रुपया..

लाइट एण्ड वाटर चार्जेज 60 रु.। यह है (किताब दिखाते हुये) 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाले वर्ष में केन्द्रीय कार्यालय को 480 रु० लिखा हुआ है–40 रुपये महीना। इस सिलसिले में..

एक माननीय सदस्य : यह क्या किताब है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह है, राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ की आडिट रिपोर्ट जो हम सब माननीय सदस्यों को दी गई है। इसका हाउस में प्रश्न आ चुका है। राज्य सरकार से प्रश्न दिया है उसका लिखित में जवाब यहां फाइल में मौजूद है समयाभाव के कारण मैं रैफर नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न 22, 23 जनवरी 1968 का है और यह प्रश्न परसराम गंगा राम जी द्वारा पूछा गया है। प्रश्न के खन्ड तीन में है," राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ जयपुर का मुख्य कार्यालय कहां पर है तथा कार्यालय का मासिक किराया क्या है ?

इसका जवाब सरकार ने दिया है। राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का मुख्य कार्यालय जयपुर में है तथा कार्यालय का मासिक किराया 40 रु. है। यह गवर्नमेंट की तरफ ऐडमिट किया गया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर): ये किस एम. एल. ए. क्वार्टर में थे और किस एम. एल. ए. क्वार्टर का किराया लिया ?

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं होगा लेकिन गोकुल प्रसाद जी ने उस बोर्ड को देखा है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मैंने तो कई संघ देखे है। जन संघ को भी देखा है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं मेरा जवाब तो पाइन्ट टू पाइन्ट बाद में दूंगा। लेकिन जिस कदर ये असत्य कह रहे है उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सदन को भ्रम में डाल रहे हैं। ये 40 रुपया किराया बता रहे हैं। वह 40 रुपया किराया मेरे अध्यक्ष बनने से पहले श्री पन्नालाल, बारूपाल, जो अध्यक्ष थे, उस समय के किराये के एक साल के पैसे वसूल होने थे उनको दिये गये हैं और वह मेरे नाम से दिये गये हैं, उसकी जांच कर सकते हैं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : जांच की ही तो कह रहा हूं। सारा मसला ही खतम हो जायगा।

श्री अमृतलाल यादव : दूसरा मेरा निवेदन है एम. एल. ए. क्वार्टर जिसमें मैं रहता था एक टेलीफोन था वह न दलित वर्ग संघ की ओर से दिया गया था और न सरकार की ओर से दिया हुआ था। वह मेरा निजी टेलीफोन था जिसका खर्च

(श्री अमृतलाल यादव)
मैं बियर करता था। वह एम. एल. ए. के रूप में मुझे सुविधा नहीं थी। ये दो बातें मैं अर्ज करना चाहता हूं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक एक बात के सम्बन्ध में इस तरह स्पष्टीकरण देना शुरू किया तो इसका मतलब तो..इसकी जांच कर ली जाय ये भी समझते हैं। और यही तो मैं समझता हूं कि जांच कर ली जाय। और भी यही कहते हैं। कौन कौन से घोटाले हुये हैं और कौन कौन सी गड़बड़िया हुई हैं सारी सच्चाई जांच से साबित हो जायगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : जांच कहां की जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सन् 1964 में ये बी. 13 में रहे हैं। यह बात सही है और दलित वर्ग संघ का मुख्य कार्यालय उसमें था यह भी बात सही है। केन्द्रीय कार्यालय बनने पर उस मकान में चला गया जहां पर मिनिस्टर हो गये। बिजली पानी का पैसा उस संघ से चार्ज हुआ है। टेलीफोन के सारे बिल चार्ज किये गये हैं। जो गवर्नमेंट बंगले में इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर की फेसिलिटी मिली हुई थी उसके पैसे इन्हों दलित वर्ग संघ से लिये-इससे इन्कार कर सकते हैं? बिजली पानी के बारे में इन्कार नहीं करते हैं। किराये के लिये कहते है 66 का है 67 का नहीं है कभी कह देगे 67 का नहीं 68 का है. 68 का नहीं 64 का, 65 का 63 का कब का है उसके बारे में कहेंगे श्री पन्नालाल बारूपाल के मकान के किराये का है, मुझे मालूम नहीं है। यह आडिटेड रिपोर्ट है 60 में, 65 में, 64 में 66 में-यह लिखा हुआ है। आफिस का रेन्ट लिखा हुआ है। या तो यह हिसाब झूठा है या यह कह दें यह किराया नहीं है इसलिये मैं कहता हूं कुछ फेक्टस एडमिटेड हैं और कुछ फेक्टस डिसप्यूटेड हैं। यह मैंने प्रारम्भ में ही कहा है। यह नहीं मानते हैं श्री पन्नालाल बारूपाल के घर के होंगे मुझे मालूम नहीं डिसप्यूट है। जो फेक्ट्स मैंने रखे हैं वे हैं और वे इन सारे डाक्यूमेंटस को रेफर करने में ज्यादा समय नहीं लेना है इतना निवेदन है प्राइमा फेसी को सेटिसफाइड करना चाहते हैं।

that there is a case for the constitution of a committee to enquire into the misconduct of Shri Amritlal Yadav.

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये प्रेसीडेन्ट इलेक्ट हो गये 62 से लेकर 67 तक, 75 हजार का अनुदान मिला–सोशियल वेलफेयर से मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन है जो रूल्स बने हुये हैं उनके आधार पर चाहे एम. एल. ए. क्वार्टर हो और चाहे नर्मदा सदन का हो, चोरी की है- मैं निवेदन करना चाहता हूं दोनों जगह सबलेट किये गये हैं जो, कर नही सकते थे। बिजली पानी का चार्ज किया है और यह सब अनधिकृत किया है, गैर कानूनी किया है। इस सारे मामले की जांच होनी चाहिये एक बात। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय यह है इस सिलसिले में अगर चाहेंगे तो मैं राजस्थान मिनिस्टर सेलेरीज एक्ट है-

Concessions of water and electricity charges Rules ...

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल),

अध्यक्ष महोदय आपकी इजाजत से पढ़ देता हूं-

Concession on account of electricity and water for the purposes of section 5A of the Rajasthan ministers salaries Act 1956 (Rajasthan Act 43 of 1956) each minister shall be entitled to the concession of payment by Government for him and on his behalf throughout his term of office of all charges due from him on account of consumption of electricity and water at his residence provided that such payment shall not exceed the limits specified below :

गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया मिनिस्टर्स को 1800 रु० बिजली के और 900 रु० पानी के और गवर्नमेंट ने सारा पेमेन्ट कर दिया लेकिन इसमें से इन्होंने बिजली पानी के दूसरों के उपयोग करने पर चार्ज किया है। चाहे 5 रु० लिया हो चाहे 10 रु० लिया हो इन्होंने बिजली और पानी को बेचा है यह एडमिटेड है। इन्होंने भाषण में ऐडमिट किया है रिपोर्ट में एडमिट किया है। अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं पढ़कर सुना सकता हूं जिसमें श्री अमृत लाल जी यादव ने इस हाऊस में एडमिट किया है।

मैंने बिजली और पानी के 60 रु० चार्ज किये हैं। यहां बिजली व पानी को बेच सकते हैं ? और सरकार उसका खर्चा दे यह दुराचरण है, मेरी यह मान्यता है। अध्यक्ष महोदय, अब इसके आगे . . .

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतनी जल्दी जल्दी तो कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। यू. आई. टी. के सवाल में कहा यह भी हाउस में आ चुका है। इन्होंने साफ कहा है 4-5 फीट जमीन यू. आई. टी. की दबाई है, उस पर नाजायज कब्जा किया है। 4-5 फीट के कब्जे की बात बताते हैं मैं इनको 4-5 फीट के बजाय 20 फीट छोड़ता हूं, 40 फीट छोड़ता हूं, 50 फीट छोड़ता हूं, अध्यक्ष महोदय, 100 फीट तक मैं इनको छोड़ता हूं अगर 100 फीट तक नाजायज कब्जा किया है तब तो ठीक है और इससे आगे किया हो तो फिर क्या ? यह ज्यादा जमीन है।

(श्री गोकुल प्रसाद जी के व्यवधान करने पर)

माननीय गोकुल प्रसाद यह नक्शा देख लें आप यू. आई. टी. का।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : यह नाजायज कब्जा जितना है उठा लिया जाय। दूसरों ने नाजायज कब्जा जितना बना रखा है उसको तो रहने दिया जाय और एक अमृतलाल जी यादव-शिड्यूल कास्ट के आदमी ने कर लिया तो क्यों बुरा लगे। एक शिड्यूल कास्ट का आदमी लेकर बैठा हुआ है उसी के लिये लड़ रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इसको रहने दें, इसको रहने दें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : गरीबों के नाजायज कब्जों के लिये तो आप लड़ते हैं

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

फिर अमृतलाल जी गरीब नहीं है क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मेरी बात सुनिये··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ?

श्री भैरोंसिंह : आप तो एक बात स्वीकार कर लीजिये यह कब्जा नाजायज है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर (व्यवधान, अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय एक जानकारी करना चाहता हूं आन बीहाफ आफ अमृतलाल जी यह स्वीकार कर लें यह नाजायज कब्जा है। मैं एस्योर करता हूं हम हमारे प्रस्ताव को ड्राप कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : (माननीय सतीशचन्द्र जी से) माननीय सदस्य आरम्भ रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस सिलसिले में श्री अमृतलाल यादव ने 2 मार्च को प्रश्न संख्या 354 में इस बात को स्वीकार किया है कि यू. आई. टी. की जमीन पर उन्होंने नाजायज कब्जा किया है इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री शंकरलाल : कौन सी तारीख को ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस में कब एडमिट किया है ? यह वह बता देंगे कि कब किया नाजायज कब्जा। मैं हाउस की बिना इजाजत एवीडेन्स नहीं दे सकता। इनका कहना है कि 4–5 फीट पर कब्जा किया है। क्या यह सही है कि मुन्सिफ मजिस्टेट की कोर्ट में चालान किया गया है ? क्या यह सही है कि उसमें केस कम्पाउन्ड किया गया है ? क्या यह सही है कि विधान सभा में सवाल उठने के बाद 8 हजार का नोटिस कम्पाउण्ड का यू0आई0 टी0 ने दिया तो कितनी कीमत जमा कराई गई। उससे माननीय सदस्य अन्दाज लगायें कि मेरी कितनी जानकारी है। 8 हजार में केस कम्पाउन्ड करने के सिलसिले में नोटिस दिया और मजिस्ट्रेट के यहां केस गया। आपको मालूम होगा कि गन्दे नाले के दोनों तरफ यू0 आई0 टी0 की जमीन खाली पड़ी हुई है, चाहे एडीशनल डी0 आई0 जी0 त्रिपाठी हों उनको किसी को टुकड़े नहीं दिये गये, क्योंकि यू0 आई0 टी0 की स्कीम थी कि उस पर मार्केट बनाया जायेगा। इस लिए दोनों तरफ के टुकड़ों को खाली रखा है तो इन्होने उस जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर लिया। सारे गन्दे नाले पर मार्केट की स्कीम थी और वहां पर इन्होंने सर्वेन्ट्स क्वार्टर या गाय का शेड बना लिया। उसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उसको उन्होंने रेग्युलेराइज करा लिया और हाउस में उन्होंने इस प्रकार के असत्य बयान दिये कि 4–5 फुट पर नाजायज कब्जा किया। अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में अन आथोराइज्ड का आरोप तो इसी बात से साबित हो जाता है कि वह रेग्युलेराइज हुआ, केस कम्पाउण्ड हुआ। यह आरोप उस समय लगाया गया है जब कि इन्होंने अन आथोराइज्ड कब्जा

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
किया था और मेरी जानकारी सही है कि यू0 आई0 टी0 में जमा कराने थे।

अब अध्यक्ष महोदय, 3518 रु0 जो राजस्थान दलित वर्ग संघ के थे उस सिलसिले में इन्होंने मन्त्री पद का दुरुपयोग किया और 3518 रुपये के फाल्स बिल्स और वाउचर्स पेश किये। ये सारे चार्जेज ऐसे हैं कि जो करीब करीब इस रिपोर्ट और असेम्बली की प्रोसीडिंग्स में है तो उनमें कोई डिटेल्स में आने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी के पास में आडिट रिपोर्ट और असेम्बली की प्रोसीडिंग्स को जिनमें इनके बयानात हैं यह बता दें तो कमेटी किस नतीजे पर पहुंच सकती है। तीन आदमियों की आप कमेटी बनायें और कोई भी तीन आदमी हों उनकी कमेटी बना लें और वह विचार कर ले।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि टोटल ग्रान्ट 75 हजार है जो कि दलित वर्ग संघ को दी जाती है। यह इनकी जिम्मेदारी थी। यह कहते हैं कि कोई साहब मर गये, नंदलालजी का देहान्त हो गया। मीटिंग हुई। ये वाइस प्रेसिडेन्ट थे। मीटिंग हुई और मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ उदयपुर में स्वागत समिति का। उसमें कानूनी कार्यवाही का नोटिस दिया गया यादव साहब को कि यदि हिसाब पेश नहीं किया तो कानूनी कार्यवाही की जायगी तो यह इस किताब में लिखा है। फिर क्या हुआ कि यादव साहब को 3518 रु0 दिये गये थे और जिनके जरिये दिये गये थे तो उनका देहान्त हो चुका है।

उसके बाद यादव साहब प्रेसीडेन्ट हो गये। हिसाब बन गया बिल्स एण्ड वाउचर्स आये नहीं तो बिना बिल्स और वाउचर्स के हिसाब बन गये, और प्रस्ताव पास करके स्वीकार किया गया। गवर्नमेंट आडिटर ने इस सिलसिले में आरोप लगाये हैं कि इस तरह से मिसयूज किया गया। एक आदमी मर गया, लेकिन आडिट ने बताया और आब्जेक्शन किया है डिटेल्स में पैरा नं0 26 में उसमें 3518 के बाबत में सब डिटेल्स हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस सिलसिले में एक आरोप है कि दलित वर्ग संघ में कितना दुरुपयोग होता है स्टेट फण्ड का। यह आरोप लगाया है तो जांच की आवश्यकता है। दलित वर्ग संघ को राज्य सरकार द्वारा अनुदान किया जाता है जिसके वे अध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष चाहे आज हों कि नहीं लेकिन इस तारीख को थे और इन्होंने धन राशि का दुरुपयोग किया है। उसके साथ साथ इस सदन के सामने

श्री अध्यक्ष : और संक्षेप में

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक फियेट कार का मामला आया है। अध्यक्ष महोदय, फियेट कार परचेज और फियेट कार के सेल के बारे में आरोप लगाया है अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक फियेट कार 11–10–66 को परचेज की गयी और 16624 रु0 88 पैसे में उसकी खरीद की गई और सेल किया 11–12–67 को धीरज भाई गणपतभाई यानी एक साल और दो महीने बाद हुआ ये कहते हैं कि एक्सीडेन्ट हुआ और वह

Page No. 88

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

डैमेज्ड हो गयी और हजार 12 सौ का इन्शोरेन्स है इन्श्योरेन्स कम्पनी का। एक्सीडेन्ट हुआ और स्टेट गेराज से सर्टिफिकेट ले लिया। इसके बाद इन्होंने कार कन्ट्रोल आर्डर का वायोलेशन किया। कार कन्ट्रोल आर्डर यह कहता है, अध्यक्ष महोदय कि दो साल तक कोई गाड़ी बेच नहीं सकता है मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार में जब मथुरादासजी माथुर मन्त्री थे तो उन्होंने इस प्रकार के रूल्स बनाये थे, और उन्होंने इस प्रकार की शर्तें रखी थी

श्री शंकरलाल : मन्त्री तो आज भी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यातायात मंत्री से मेरा मतलब है। उस समय उन्होंने यह बताया था कि कोई भी व्यक्ति जो सरकार से गाड़ी एलाट कराये वह व्यक्ति :

"Whereas it was a condition of the said allotment that if sold the allotted car earlier than five years he would have to sell it to the Government at the depreciated value assessed by the Chief Superintendent, Garages, Rajasthan, Jaipur in accordance with the prescribed rules of Rajasthan State Government in respect of allotment of cars available against the State Govt. discritionary quota.

और अगर यह नहीं तो

"That if the allottee violate the aforesaid terms or the Government so decides he, i. e. the allottee and in case of his death hi heirs or legal representatives who may receive his properties shall be liable to pay a sum of Rs. 5000/-as a compounding fee.

यह प्रेस्काइब किया है। इन्होंने गाड़ी ली 11-10-66 को। वह सारा एलाटमेंट आफ कार स्टेट गवर्नमेंट के डिस्क्रीशनरी कोटा में से हुआ। स्कूटर्स की सारी लिस्ट मेरे पास है उस पर मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। अक्तूबर, 66 में एलाटमेंट हुआ यानी अमृतलाल यादव ने गाड़ी ली और यह गाड़ी इन्होंने 12-12-67 को एक साल 2 महीने बाद बेच दी। तो अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस गाड़ी के लिये राज्य सरकार से कर्ज लिया राज्य सरकार से कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद इसके नियम अलग हैं उन्होंने कार कन्ट्रोल आर्डर का वायलेशन किया क्योंकि दो साल से पहले गाड़ी बेचना अपराध है। मेरा एक्स्प्लेनेशन इस सम्बन्ध में कुछ और है। अध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन की एक एन्युअल रिपोर्ट है इसमें इस प्रकार से एक मेम्बर्स श्री ललित सेन थे उन्होंने गाड़ी टाइम से पहले बेच दी तो उस सिलसिले में क्या हुआ यह उसमें लिखा है–

Shri Lalit Sen, Member of Parliament was fined Rupees Two thousand for having sold out his car allotted to him by the Government within the prohibited period.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

और भी दूसरे लोग हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा कि बड़े दुःख की बात है यह, इन पर केस चलाया जाय और प्रोसीक्यूशन किया जाय। वहां पर प्रोसीक्यूशन किया गया और यहां पर आप जांच करने के लिये भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने कार कन्ट्रोल आर्डर का वायलेशन किया है। उन्होंने गाड़ी को खामी पूरी कर दी इनका यह कहना है कि गाड़ी डेमेज हुई है। वह गाड़ी डेमेज हो गई तो उस गाड़ी को तो राजस्थान गवर्नमेंट खरीदने के लिये तैयार थी। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहने को तैयार हूं कि इन्होंने गाडी परचेज करने के लिए राज्य सरकार से कर्जा लिया। उन्हें इस सम्बन्ध में जानकारो थी कि 15 हजार का कर्जा उन्होंने 20-6-66 को लिया उनके कहने के अनुसार केवल 2 हजार रुपये जमा करवाये और बाकी 13 हजार रुपये रहते हैं जो इन पर बकाया बने हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि नियम में लिखा हुआ है कार कन्ट्रोल आर्डर तो अलग, लेकिन इन नियमों में यह आता है:–

A Ministar shall not, save with the previous sanction of Government, sell or otherwise dispose of the car purchased with the aid of an advance till the advance together with the interest thereon has been fully repaid.

यह जो नियम बने हुए हैं और जैसे नियम हैं–

These rules may be called the Rajasthan Ministers (Advances for purchase of Motor-Cars) Rules, 1965.

कार कन्ट्रोल आर्डर का वाइलेशन किया है। यह नियमों के बिलकुल खिलाफ है और गलत किया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि आपको इस कार खरीदने के लिये अपनी राज्य सरकार से कर्जा दिया गया था। जैसा कि नियमों में प्रावधान है कि गवर्नमेन्ट कोटा से एलाट की हुई कार आप बगैर गवर्नमेन्ट की परमीशन के बेच नहीं सकेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या श्री अमृतलालजी ने इसके लिये सरकार से कोई इसे वेचने की पूर्व परमीशन ली थी? अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से नयी कार खरीदने के लिये पहले सरकार की अनुमति प्राप्त करनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, पहले पुरानी कार जो हो उसे सरेन्डर करना पड़ता है। मेरा निवेदन इसमें यह है कि सिर्फ यही कह देना कि गाडी कम्पलीटली डेमेज हो गयी या गाडी अनसर्विसेबल हो गयी इससे इनका उत्तरदायित्व खतम नहीं हो जाता इसमें गाड़ी कब और किस हालत में बेची यह एक जांच का मसला है अगर वे यह कहते हैं कि एक्सीडेन्ट में कम्पलीट डेमेज हो गयी तो यह पता लगाना जरूरी हो जाता है कि उस गाड़ी को ठीक कराने में करीब 10 या 12 हजार रुपये का खर्चा तो आयेगा। अध्यक्ष महोदय मैं यह समझता हूं कि मुश्किल से करीब हजार या बारह सौ रुपये का खर्चा आयेगा। लेकिन इन्होंने उस कार को बेचने के लिए स्टेट गेरेज के किसी व्यक्ति

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

से यह सर्टिफिकेट ले लिया कि कार कम्प-लीटली डेमेज हो गई है और अब सर्विसेज नहीं है अतः गाड़ी बेचने में कोई एतराज नही है ।

It is not serviceable, अध्यक्ष महोदय, The Gadi is completely unserviceable.

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सिर्फ इतना हो है कि वह गाड़ी वास्तव में कितने रुपये में बेची गई । उस गाड़ी के डेमेज होने से इन्होंने इन्शोरेन्श के कितने रुपये क्लेम किये । अध्यक्ष महोदय, जरा सोचने का विषय है कि अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेन्ट हो जाता है तो उसके लिए इन्शोरेन्श लेम किया जाता है । तो मैं यह इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितना रुपया इन्शोरेन्श का क्लेम किया और कितना रुपया इनको मिला ? अध्यक्ष महोदय, आखिर गाड़ी कम्पलीटली डेमेज हो गयी तो कम से कम से फिफ्टी परसेन्ट तो क्लेम किया होगा । करीब 16000 रुपये की गाड़ी के चार हजार रुपये इन्शोरेन्श के मिले होंगे : खैर इस मामले में मैं ज्यादा नहीं जाकर आगे यह निवेदन करूंगा कि अध्यक्ष महोदय एक गाड़ी 12 महीने चलाई जाय और बाद में उसे बेच दी गई । अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करता चाहता हूं कि यह गाड़ी धीरजलाल गणपत लाल को बेच दी गई सिर्फ 16000 रुपये में । अब यह कह सकते हैं अध्यक्ष महोदय कि मैंने नहीं बेची अध्यक्ष महोदय, यह सारा मामला जांच का हैं । यह मेरे सोचने का विषय नहीं है । मैंने तो प्राइमा फेसी मामला आपके सामने पेश किया है कि श्री अमृतलाल यादव ने कार कन्ट्रोल आर्डर का वायलेशन किया है इसमें इनका मोटिव प्रोफिट कमाने का प्रूव होता है ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो इन्होंने अपने पद का किस प्रकार दुरुपयोग किया इन्होंने दूसरी गाड़ी परचेज की वह की है तारीख 12-2-68 को । अध्यक्ष महोदय इन्होंने गाड़ी बेची थी 12–12–67 को । ठीक दो महीने गाड़ी बेचने के बाद इन्होंने दूसरी गाडी खरीदी तो अध्यक्ष महोदय, क्या इस तरह से गाडी का बेचना, गाड़ी का खरीदना, और गाड़ी का बेचना और गाड़ी का खरीदना लोग क्या लोगों के मन में भ्रम पैदा नहीं करता प्रोफिट का मोटिव होने का अपने पद का दुरुपयोग करने का, और उससे अनुचित लाभ उठाने का । अध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण मैं इसमें और अधिक नहीं जाता हूं, पर एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में मैंने इस प्रकार का एक प्रश्न किया था तो मन्त्री महोदय ने विधान सभा के प्रांगण में यह उत्तर दिया था कि एलोटमेंट के नियम बने हुए हैं कि किस प्रकार से गवर्नमेन्ट का कोटा एलाटमेन्ट होता है । इसके अलाटमेन्ट के लिए एक कमेटी बनी हुई है । उस कमेटी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डिप्टी मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, डाईरेक्टर ट्रांसपोर्ट तथा होम सेकेट्री मेम्बर हैं । इस गवर्नमेंट कोटा के अलाटमेन्ट के बारे में इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने शिकायत की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

थी कि इसमें काफी गड़बड़ियां है । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से दुख नहीं होता कि अगर ये कार का या स्कूटर का अलाटमेंट किसी डाक्टर को, किसी इन्जीनियर को या किसी हाईकोर्ट के जज को ओवलायज करने के लिये कर देते और किसी एम. एल. ए. या एम. पी. को एलाट नहीं करते । लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी एम. पी. या एम.एल. ए. या किसी सरकारी अधिकारी को एलाट न करके अगर मिर्जा इस्माइल रोड के किसी दुकानदार को अगर कार एलाट कर दी जायगी तो जरूर सन्देह होगा । मिर्जा इस्माइल रोड का दुकानदार न तो कोई डाक्टर है, न वह कोई इन्जीनियर है, न कोई एम. एल. ए. न कोई एम. पी. है तो अध्यक्ष महोदय, एम एल. एज. का शिकायत करना उचित नहीं है क्या ? अध्यक्ष महोदय मैं इस बारे में आपसे निवेदन कर दूं कि वह दुकानदार धन्धा करता है और कार के अन्दर 8 हजार रुपये का ब्लेक चल रहा है । इससे आप क्या अन्दाज लगायेंगे ? क्या इन्फरेन्स निकालेंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे कई इन्सटाइन्सेज आपके सामने रख सकता हूं जिन केसेज में इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। लोगों को कारों का व स्कूटरों का एलाटमेंट किया है । इसके लिये तो, अध्यक्ष महोदय, कोई कमेटी बना कर जांच की जाय तो ही पता लग सकता है । अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे पास में एक लिस्ट है । अक्टूबर 1963 में जो एलाटमेन्ट इन्होंने किये हैं ।

एक माननीय सदस्य : किस किस को ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिस्ट में हैं । लिस्ट बहुत बड़ी है । अध्यक्ष महोदय जब यह यातायात मन्त्री थे तो इन्होंने मिर्जा इस्माइल रोड पर एक कोई श्री मनोहर लाल सन आफ श्री रामलाल, बड़ की बगीची, को अलाट की दूसरा एक श्री आर. एन. सिंह सन आफ श्री जे एन. सिंह को अलाट किया गया जो कि स्कूटर वाले हैं मिर्जा इस्माइल रोड़ पर दुकान हैं जहां पर कि आपके साले काम करते हैं । इसी प्रकार श्री बृजमोहन गुप्ता हैं उन्हें अलाट किया गया हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये बृजमोहन लाल गुप्ता सन आफ श्री जगदीशनारायण गुप्ता ऊंचा कुआं हल्दियों का रास्ता में कहीं रहते हैं । तो, अध्यक्ष महोदय, यातायात मन्त्री अगर किसी एम. एल. एज. को या किसी एम. पी. को तो एलाट करे नहीं और उनके बजाय कारों का और स्कूटरों का वेस्पाज का एलोटमेन्ट करे इस तरह से तो यह इनके पद का दुरुपयोग नहीं तो क्या है ? अध्यक्ष महोदय, इस लिस्ट में कुछ ऐसे भी आदमी है जो इनके मर्जीदान है, इनके प्राइवेट रिलेशन वाले हैं । उन्हें स्कूटर दिये गये हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें आगे ज्यादा न जाना चाहता हूं क्योंकि यह जांच की बात है । अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात में भी कोई शिकायत नहीं होती कि अगर कोई बीमार होता और उन्हें इस तरह के एलाटमेन्ट किये गये हों, बिमार कोई होता तो मुझे कोई इनकार भी नहीं होता ।

श्री गोकुल प्रशाद शर्मा : अगर कोई बीमार हो तो⋯

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां हो सकता है अगर आप कहते हैं तो…

श्री गोकुल चन्द जाटव : आपके किसी रिश्तेदार को या आपके किसी दल के सदस्य को दी है क्या ?

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : ये हमारे और आपके किसी रिश्तेदार को नहीं देंगे, ये तो किसी सुखाड़ियाजी के रिश्तेदार को देंगे। जो इनको मन्त्री बनाते हैं। इसी तरह से मेरे पास कुछ और लोगों के नाम हैं जो न कोई डाक्टर हैं न कोई इन्जिनीयर हैं उन्हें एलाटमेन्ट किया गया है। एक श्री विमलचन्द हैं सन आफ श्री केशरी चन्द कोठारी, कौन हैं यह जौहरी जिसे अलाट किया गया है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी ही समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। तो अध्यक्ष महोदय मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो कार्स और स्कूटरों का अलाटमेन्ट किया हुआ है। इसमे मैं समझता हूं कि इन ऐलीमेन्टस का इलीगल सर्टीफिकेशन लेकर किया गया है। अध्यक्ष महोदय यह क्लीयर कार्स और स्कूटर्स ऐलाट मेन्ट आफ गवर्नमेंट कोटा के नियमों का वायलेशन में आ सकता है। मुझे कोई एतराज नहीं होता अगर कारों का और स्कूटर्स का अलाटमेन्ट किसी एम. एल. ए को किसी एम. पी. को, किसी डाक्टर को किसी इन्जीनियर को या किसी इन्कम टैक्स अधिकारी को किया होता। इनमें अगर ये अपना डिस्क्रीशन काम में लेते तो कोई मुझे एतराज नहीं होता, लेकिन आप अगर किसी पब्लिक के आदमी को या किसी दुकानदार को अलोट कर देते हैं तो इसका मोटिव सस्पेक्टफुल हो जाता है…

श्री अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा आपके सामने जमीन के मामले के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। इसमें मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्होंने ग्राम बालमुकुन्दपुरा, तहसील सांगानेर में खसरा नम्बर, 93-139 में 15 बीघा जमीन अपनी पत्नी नर्मदा देवी के नाम से अलोट करवायी। इसी प्रकार इन्होंने खसरा नम्बर 92 की जमीन जो कि अजमेर रोड पर भाकरोटा से आगे गोचर भूमि है उसका इन्होंने नाजायज कब्जा करके दाब रखी है। इस जमीन को इन्होंने अपने फार्म में शामिल कर लिया है। मैं आपको यह कह दूं अध्यक्ष महोदय, कि यह जमीन गोचर भूमि में आज तक दर्ज है और इन्होंने वहां नाजायज कब्जा करके उस जमीन पर कुआ भी बना लिया है…

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, आपके दल बदलुओं की वजह से ऐसा हुआ है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : नर्वदा देवी के नाम ही कराया है, अपनी पत्नी के नाम ही कराया है।

श्री संतोशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि श्री अमृतलाल यादव ने गोचर भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है इसमें खसरा नम्बर 93।139 है इसी प्रकार इन्होंने खसरा नम्बर, 77 की जमीन जो कि लाला जाट के नाम थी वह जमीन नर्वदा देवी के नाम एलाट करवायी। इस तरह से इन्होंने खसरा नम्बर 82,88,89 और 90 हैं, जोकि इनके फार्म के पश्चिम में हैं 13 बीघा जमीन गोचर की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इसको सिवायचक घोषित करवाया। अध्यक्ष महोदय, अजमेर रोड पर जो श्री अमृतलाल जी यादव का फार्म हैं As it is a joint family, it is a joint family property.

अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में इतना जरूर कहूंगा कि मेरे पास में इस सम्बन्ध में तथ्य हैं। इन सब मामलों के बारे में अदालतों में फैसला हुआ है। ये सब मामले रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में यह भी और निवेदन करूंगा कि इन्होंने जो गोचर भूमि की सिवाय चक घोषित करवाया, उसका दूसरा एलाटमेंट राजेन्द्रकुमार के नाम हो गया है। पता नहीं ये, अध्यक्ष महोदय, राजेन्द्रकुमार बीच में कहां से आ गये ? इस बारे में तो, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि एस. डी. ओ. ने उस गोचर भूमि को कनवर्ट कर दिया था सिवाय चक भूमि में उसकी अपील ए. डी. एम. की कोर्ट में हुई। ए. डी. एम. ने उस कनवर्जन आफ लैण्ड को कैंसिल कर दिया और फैसला दिया कि लैण्ड के कनवर्जन करने का ज्यूरिसडिक्शन एस. डी. ओ. का नहीं है। इसके आगे मैं यह भी आपको बताना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय उसके बारे में आगे कानूनी कार्यवाही की गई उस पर स्टे आर्डर हुआ और मामला हाईकोर्ट में रेफरेन्स के वास्ते गया।

नाजायज आक्यूपेशन किया है। गोचर भूमि पर कब्जा किया है। केस चल रहे हैं। हाई कोर्ट में केस चल रहा है ये इनवेस्टीगेशन के मामले हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं, बालमुकुन्दपुरा में जमीन का नाजायज आक्यूपेशन किया है।

जहां तक विधान सभा सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार का मामला है, अनेक सदस्यों ने मुख्यमन्त्री से शिकायत की है। कोई भी माननीय सदस्य सदन के सदस्यों से दुर्व्यवहार करे, यह उचित नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य दुर्व्यवहार करता है तो एक्शन लें न लें यह पार्टी का प्रश्न है। पर जहां तक हाउस का सवाल है, यह एक आचरण का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, जो एलीगेशन मैंने लगाये हैं, मेरे पास उसकी शहादत है। ये सारे डाक्यूमेन्ट्स हैं। सारा रिकार्ड है। मैंने जो 15 सूत्री आरोप लगाये हैं, उन पर एवीडेंस होगी। मैं उसे एन्क्वायरी कमेटी के सामने पेश करूंगा। मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि इस सारे मामले पर यहां विस्तार से चर्चा हो नहीं सकती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
यह तो वह कमेटी ही तय करेगी कि सदन के माननीय सदस्य श्री यादव ने किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है : किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है । इस पर एक जांच कमेटी बनाये जाने की आवश्यकता है । सदन के माननीय मेम्बर्स के खिलाफ आखिर क्या करें । मेम्बर्स के खिलाफ विजीलेन्स कमीशन नहीं। लोकपाल नहीं । हाउस में उठायें नहीं तो देश की जनता में किस प्रकार विश्वास पैदा करें । जिससे कि विधान सभा के माननीय सदस्य भ्रष्टाचार से ऊपर हों ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री विजयसिंह : (अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे जनता में विश्वास पैदा होगा सदन के माननीय सदस्य कम से कम दूसरी अदालतों में न जाकर खुद की जांच कराने को तैयार हों। सदन के माननीय सदस्य पार्टी से ऊपर उठकर सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुये मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे और समर्थन देंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उसमें मै एक संशोधन रखना चाहता हूं। संशोधन इस प्रकार है :–

प्रस्ताव के भाग । के सम्भाग (15) के पश्चात् निम्नांकित सम्भाग और जोड़ा जाय:–

गंगानगर जिले में कतिपय मार्गों के राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण के निर्णय से प्रभावित श्री निरंजन सिंह, तेजाराम, बलजीत सिंह से 15000 रु. लिए और उनको यह आश्वासन दिया कि तो राष्ट्रीयकरण की योजना वापिस ले ली जाऐगी या श्री जगजीवन राम (केन्द्रीय मंत्री) के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट में बस ऑपरेटर्स की राष्ट्रीयकरण योजना के विरुद्ध प्रस्तुत याचिका में उनको जितवा दिया जायेगा। इस रिश्वत की श्री यादव ने एक रसीद भी लिखी है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह रसीद देखना चाहते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बंध में मैं पहले यह निवेदन करना चाहूंगा कि जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव को स्वीकार करने की आवश्यकता क्यों है ? अध्यक्ष महोदय, जब से इस देश में लोकतन्त्री व्यवस्था का जन्म हुआ है, उस समय से लेकर अब तक राज्य सरकार की गतिविधियों का विस्तार और विकास निरंतर द्रुत गति से होता रहा है । ज्यों ज्यों विस्तार होता रहा है, यह निश्चित् बात है एग्जीक्यूटिव शासन को डिस्क्रीशनरी पावर मिलते रहे हैं । डिस्क्रीनरी पावर से आम जनता को अपेक्षा रहती है, इन पावर्स को इस्तेमाल करने के लिये जो उनको दिये गये हैं, उनके औचित्य की एक सीमा रहेगी । लेकिन इन डिस्क्रीशनरी

(श्री भैरोंसिंह)

पॉवर्स को चेक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई तो ऐसे अधिकारों के दुरुपयोग होने की बहुत बड़ी संभावना रहती है और इस कारण आज सारे देश में भ्रष्टाचार के विरोध में एक वातावरण तो बना है लेकिन भ्रष्टाचार को रोका किस प्रकार से जा सकता है ? इस की किसी भी प्रकार से व्यवस्था नहीं बन पाई है। इस व्यवस्था के अभाव में जन-जीवन भ्रष्टाचार के कारण बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। भ्रष्ट व्यक्तियों को खुलकर भ्रष्ट कार्यों द्वारा अपनी सम्पत्ति बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, वह तो मैं समझता हूं बहुत ही इन्नोसेंट रिजोल्यूशन है। जिसको स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कल भी मेरी कई माननीय सदस्यों से बात हुई है। मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि मैं ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर सदन में चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आखिर एक मन्त्री के विरुद्ध आरोप लगाये जायेंगे। सत्तारूढ़ लोग विरोध में बोलेंगे। मतदान होगा। मतदान के जरिये भ्रष्टाचार का फैसला होगा। यदि ऐसी परम्परा बन गई तो मैं समझता हूं कि देश के लिये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। विधेयक के सम्बन्ध में, नीति के सम्बन्ध में, मतदान होता तो निश्चित रूप से जनता के सामने औचित्य का प्रदर्शन होता। मेरे दल की नीति कुछ है। कांग्रेस पार्टी की नीति कुछ है। नीति के सम्बन्ध में मतदान हो और मतदान में सरकार को बहुमत मिले, विरोधी दल अल्पमत में है। यह एक प्रक्रिया है। इस कारण कोई जलन नहीं होगी। लेकिन ऐसे मामलों में और खास तौर से भ्रष्टाचार के मामले में आप यह मानकर चलिए जो बहुमत वाला दल है वह भ्रष्टाचार को रोकने की कल्पना भी नहीं करेगा। इसीलिए मैंने निवेदन किया है कि इस पर विचार करने के लिए एक समिति निर्धारित हो। जो भी सत्तारूढ़ दल चाहे विधान सभा सदस्यों की एक समिति बना ली जाये। इन मामलों में औचित्य है या नहीं है। सारे प्रश्नों की जांच कराई जाये। अगर जांच नहीं होती है तो केवल एक ही रास्ता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जिस प्रकार विधान सभा में मतदान के आधार पर बहुमत के द्वारा निर्णय हो। एक बुरी परम्परा को हम जन्म दें। अध्यक्ष महोदय, करप्शन के मामले में हाउस में मतदान हो। इस स्थिति में हमें मजबूर होकर आना पड़ा है।

सरकार जब सुनती नहीं, जिसको कहें वह सुनता नहीं, किसी जगह जायें वह सुनता नहीं तो उस हालत में सदन को सुप्रीम समझ कर, सुप्रीम बाडी के सामने इस मसले को रखा जाय और सदन के जो माननीय सदस्य हैं उनकी कांसस जगाई जाय–इस बात के लिए यह प्रस्ताव सदन में लाया गया। प्रश्न केवल अमृतलाल जी यादव का नहीं है, औरों का प्रश्न भी हो सकता है–ऐसे विषय के अन्दर, मैं समझता हूं, दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर माननीय सदस्य इस पर विचार करेंगे तो इसका अच्छा परिणाम निकलेगा, अन्यथा बहुमत से इस प्रस्ताव को गिरा करके आप एक नई परम्परा को जन्म देंगे, जिसकी भविष्य में आने वाला कोई व्यक्ति इस कार्यवाही की सराहना नहीं करेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी भूमिका बताना चाहते

(श्री भैरोंसिंह)

हूं, आखिर सदन की कमेटी की मांग क्यों की गई है। इस सम्बन्ध में मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा और इस सदन के साथ ही जानकारी देना चाहूँगा लोक सभा की। पहले पहल यह प्रश्न लोक सभा में उठाया गया, वह सबसे पहले प्रश्न उठाया गया 1952 में, जिस समय प्रिवेंशन आफ करप्शन (सेकिण्ड एमेंडमेंट) बिल, 1952 पर लोक सभा में चर्चा हुई। तो जिस समय प्रिवेंशन आफ करप्शन (सेकण्ड अमेंडमेंट) बिल, 1952 पर लोक सभा में चर्चा हो रही थी, उस समय लोक सभा के मेम्बरों ने मांग की कि पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनके द्वारा किसी प्रकार के मिसकंडक्ट की कार्यवाही होती है तो उसकी जांच करने के लिए कोई इन्डिपेंडेंट बाडी होनी चाहिए। इसके बाद जब क्रिमिनल ला (एमेंडमेंट) बिल, 1952 पर लोक सभा में चर्चा हुई, उस दिन लोक सभा में पुरजोर शब्दों में माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उसके बाद कमीशन आफ इन्क्वायरीज बिल 1952 पर चर्चा हुई, इस मामले को फिर उठाया गया और उस पर सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार इस प्रश्न पर सजग है, और उचित समय पर उचित निर्णय लेगी और उचित व्यवस्था की जायगी। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद 1954 के अन्दर प्रिवेन्शन आफ करप्शन के लिए, करप्शन को रोकने के लिए कोई प्रोसीजर इवाल्व किया जाय–इस सम्बन्ध का एक रिजोल्यूशन पेश किया गया, उस पर डिबेट हुई लोक सभा में, फिर भारत सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि भारत सरकार इस मामले पर सजग है और जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में निर्णय लेगी। उसके बाद 1955 के अन्दर प्रिवेंशन आफ करप्शन (थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 1955 पर चर्चा होती है, उस समय यह मसला उठाया गया और फिर भारत सरकार की ओर से इसी प्रकार का आश्वासन दिया गया। इसके बाद 3 अप्रेल, 1963 को जिस समय ला कमीशन के ऊपर डिबेट हो रही थी, उस समय पार्लियामेन्ट में इस प्रश्न को उठाया गया और उस समय यह बात कही गई तो यह कहा गया कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी ओम्बड्समैन की व्यवस्था को मंजूर कर लेगी, या के समानान्तर किसी दूसरी बात को हिन्दुस्तान में लागू करेगी। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद 1964 में पार्लियामेन्ट में इस सम्बन्ध में एक रिजोल्यूशन मूव किया गया। उस पर चर्चा नहीं हुई। फिर 1965 में रिजोल्यूशन मूव किया गया और वह इस बात के लिए मूव कया गया कि भारत सरकार कोई कमेटी नियुक्त करने के बारे में या ओम्बड्समैन की नियुक्ति करने के बारे में विचार करे और यह बताये कि हिन्दुस्तान में यह व्यवस्था लागू कर सकती है या नहीं। इसके बाद में एक स्टडी ग्रुप पार्लियामेन्ट का बना। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन बना, उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने खुले शब्दों में स्वीकार किया कि इस प्रकार के व्यक्तियों, जो इलेक्टेड हैं, जो मैम्बर आफ पार्लियामेन्ट हैं, जो पंचायत समिति के

(श्री भैरोंसिंह)

प्रधान हैं, या जिला परिषद् के प्रमुख हैं, या एम. एल.एज. हैं या मिनिस्ट्रेटर हैं, उनके कन्डक्ट के विषय में जांच करने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। यह व्यवस्था नहीं की गई तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने कहा है, डेमोक्रेसी के ऊपर सरकार के ऊपर दायित्व आता है, सरकार उस दायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभायेगी तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उनकी शिकायतें नहीं सुनी गईं तो उनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। उस फ्रस्ट्रेशन से किसी प्रकार हिन्दुस्तान में ऐसी स्थिति न बन जाय कि सिविल डिसओबिडिएन्स की स्थिति बन जाय और लोग कानून की अवहेलना करने लग जायं। यह स्थिति पैदा नहीं हो इसलिए यह व्यवस्था करनी चाहिए। इस व्यवस्था के आधार के लिए एक माडल बिल बना और वह माडल बिल राजस्थान सरकार के पास भेजा गया, अन्य राज्य सरकारों के पास भी भेजा गया। वह मॉडल बिल मेरे पास है। उस माडल बिल के एक पैरा का उल्लेख मैं सदन में करना चाहूंगा जिससे पता लगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने इस प्रश्न पर चिन्तन करके किस प्रकार का माडल बिल बनाया है और किस प्रकार की उसने रिपोर्ट पेश की थी। इसके पैरा सात में लिखा है :

"Subject to the provision of this Act, the Lokpal may investigat any action taken by or with the approval of the Minister or the Secretary in his administrative functions in any case where...."

अब बाकी उसमें डिटेल्स हैं। इसका मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने केवल इतना काम करके अपनी जिम्मेदारी समाप्त समझ ली कि उसने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, बल्कि भारत सरकार के सुझाव के लिए उसने मोडल बिल भेजा। वह मोडल बिल भारत सरकार के पास भेजा था और वह मोडल बिल राज्य सरकारों के पास भी भेजा था। यह तो मैंने निवेदन किया केंद्रीय सरकार के सम्बन्ध में, इसके अतिरिक्त अब मैं इस सदन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। इस सदन के अन्दर अब तक जो प्रोसीडिंग्स से निकाल पाया हूं, प्रोसीडिंग्स में 17 बार इसका जिक्र किया गया है। 17 बार इस सदन में मांग की गई है, किसी कमीशन के रूप में, ओम्बडसमेन के रूप में, जुडिशियल आफिसर के रूप में या तीन आदमियों की कमेटी के रूप में कि किसी न किसी रूप में ऐसी व्यवस्था की जाय कि मंत्रियों और इलेक्टेड मेम्बर के आचरण के बारे में जांच हो सके। अगर जांच नहीं हो पाती है तो इस सदन में एम. एल. एज. ने रोष प्रकट किया और यह सन्देह प्रकट किया कि राजस्थान में करप्शन बढ़ेगा और डेवलपमेंट एक्टिविटीज में खर्चा बढ़ता जायगा और जनता को राहत मिलनी चाहिए वह नहीं मिलेगी। यह सरकार ने भी स्वीकार किया है कि डवलपमेंट एक्टिविटीज में करप्शन जितना बढ़ता है उसके कारण में जो टार्गेट्स फिक्स आ किये जाते हैं वह अचीव नहीं होते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं अब निवेदन करना चाहूंगा, मुख्य मन्त्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजस्थान सरकार ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव प्राबलम इस प्राबलम की सीरियसता को मानते हुए स्वर्गीय हरिश्चन्द्र

(श्री भैरोंसिंह)

माथुर की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी, जिसको हरिश्चन्द्र माथुर समिति कहते हैं। उस समिति ने जो रिपोर्ट दी वह रिपोर्ट इस सदन के माननीय सदस्यों ने पढ़ी होगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से राज्य सरकार को सलाह दी थी कि समय आ गया है, जबकि ओम्बडसमेन की व्यवस्था राजस्थान में लागू करनी चाहिए, क्योंकि जो पब्लिक लाइफ में करप्शन फेल गया उसको रोकना किसी भी तरह से असम्भव हो जायगा। इसलिए राजस्थान सरकार को जल्दी से जल्दी कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई, उसके बाद में भारत सरकार ने संथानम कमेटी एप्वोइण्ट की, इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में जो हरिश्चन्द्र माथुर समिति ने राज्य सरकार को सलाह दी थी उसके आधार पर इस संथानम कमेटी ने इस बात को स्वीकार किया है. इसका एक पैराग्राफ मैं सदन की जानकारी के लिए पढ़कर सुनाऊंगा

Speceific allegations of corruption on the part of Minister at the Centre or State should be promptly investigated by an agency whose findings will command respect. We recognise that irresponsible allegation be taken serious note of. We therefore suggest that if a formal allegation is made by any ten members of Parliament or a Legislature in writing addressed to the Prime Ministe, or Chief Minister through the Speaker or Chairman the Prime minister or Chief Minister should consider himself obliged by convention to refer the allegation for immediaste invenstigation by a commission as has been suggested later on in the section.

यह भारत को उसमें, उस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट के बाद में, अध्यक्ष महोदय, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन ने जो अपनी अन्तिम रिपोर्ट दी है, इस अन्तिम रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख करते हुए पेज 151 पर लिखा है:–

"Action should be taken to vest in the Lokpal, when he is appointed, the jurisdiction to deal with complaints against actions of Ministers in the States. Lokayukt should be appointed in the States to deal with complaints against State Government official, including Secretaries. Complaint against district officers, viz. Collectors and various officers attached to the Panchayat Raj institutions will be looked into by them.

तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक इस समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने जो एक्सपर्ट कमेटी अपाइन्ट की है, उन सारी एक्सपर्ट कमेटी ने एक राय से इस बात को स्वीकार किया है कि हिन्दुस्तान में बढ़ती हुई इस समस्या को रोकते हुए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पर जाकर जनता के लोग शिकायत कर सकें और उनकी शिकायतों की सुनवाई हो सके और जनता को इस बात का कम से कम सन्तोष हो

(श्री भैरोंसिंह)

सके कि कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार के आचरण का दोषी है तो इस व्यवस्था के आधार पर उसको सजा दी जा सकती है। अध्यक्ष महोदय, सदन स्वयं विचार कर ले, इतना सब कुछ होते हुए भी आज मिनिस्टर के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाय तो कौनसी एजेन्सी राजस्थान के अन्दर स्थापित की हुई है जिसके सामने जाकर हम अपनी शिकायतें पेश कर सकें, जहां गवाह पेश कर सकें, जहां प्रमाण दिये जा सकें और उसकी वजह से नतीजा निकाला जा सके। आज इस बात को लोगों ने स्वीकार किया है कि मिनिस्टर का मामला कोर्ट में डिसाइड नहीं किया जा सकता, और किसी लेवल पर तय नहीं किया जा सकता-तो मैं सदन में जानकारी करना चाहता हूं. कौनसा लेवल है जिस पर ऐसे मसलों को उठा सकते हैं और इस बात का सन्तोष कर सकते हैं और इस सारे प्रश्न की जांच निष्पक्ष रूप से होगी और इस प्रकार का इसका परिणाम निकलेगा। ऐसी हालत में विवश होकर, अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव जो मैंने पहले कहा बिल्कुल इन्नोसेंट है, तीन आदमियों की समिति नियुक्त करने के संबंध में है जिनको आप उचित समझें, मतलब एक प्रकार है अध्यक्ष महोदय पर हमारा विश्वास हैं। वह सदस्य का चयन इस प्रकार से करेंगे इस भ्रष्टाचार के मामले में, कि निष्पक्ष निर्णय सदन के सामने प्रस्तुत हो जाए। मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, पर अपनी पूर्ण आस्था हम प्रकट करते हैं। क्या सत्तारूढ दल अध्यक्ष महोदय में इतनी आस्था प्रकट करता है कि आपको अधिकार दे दे कि तीन माननीय सदस्यों की समिति नियुक्त करा कर श्री अमृत लाल यादव के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच कर ले? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री वृद्धिचंद जैन : अध्यक्ष महोदय पर हमारा विश्वास है।

श्री भैरोंसिंह : तो आप अध्यक्ष महोदय को अधिकार दें।

श्री वृद्धिचंद जैन : यह अलग प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय को बीच में न लायें।

श्री भैरोंसिंह : जब इस प्रकार की परिस्थिति है, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लें या न करें कम से कम एक रास्ता अपोजीशन को बतायेंगे कि यदि इस प्रकार के मसले आते हैं तो लेकर कहां जायें और संतोष कर दें कि किसी मन्त्री के विरुद्ध यदि कोई आरोप लगाए जाएं, मैं नहीं कहता कि हमने लगाए कांग्रेस के माननीय सदस्य ने भी आरोप लगाए हैं। आज यह भी देखें कि किसको शिकायत करें किसके पास जायं तो मैं उन माननीय सदस्यों से जो मन में शायद मेरी बात को स्वीकार करें लेकिन मजबूरी से उनके साथ खड़े हो जाएं उन से जनकारी करना चाहूंगा कि यदि यह सदन प्रांगण नहीं है तो सदन के बाहर कौन सी ताकत है जिसके सामने इस समस्या को रखा जाए।

श्री वृद्धिचंद जैन : मुख्यमन्त्री जी हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुख्यमंत्री के खिलाफ ले जायं तो किसके पास ले जायें?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जनता की ताकत बड़ी है।

श्री भैरोंसिंह : जनता की ताकत ही सही है।

श्री मदनसिंह : जनता की ताकत बुरी होगी, मंत्रियों का घेराव हो जाएगा, पिट भी जायेंगे, रहने दीजिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपके साथ भी हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह : मैंने जो प्रश्न रखा···

श्री विजय सिंह : आप खुल्लमखुल्ला कहिए···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री भैरोंसिंह : मैं स्पष्ट रूप से प्रश्न को रखना चाहता हूं। इस सदन को जानकारी है कि 1963–70 को श्री मोहन लाल मोदी जो नीम का थाना से निर्वाचित होकर आए हैं, उन्होंने सदन में आरोप लगाया कि श्री अमृतलाल यादव ने गंगानगर के कुछ बस ऑपरेटर्स से 15,000) रुपए लिए। उन्होंने एक रसीद लिखी, उस पर काफी चर्चा हुई। उसके बाद में अध्यक्ष महोदय को रेफर किया। अब उस समस्या पर बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने सन् 1968 में गंगानगर जिले के रूट्स नेशनलाइजेशन का फैसला किया। समाजवादी सरकार है और समाजवादी सरकार से अपेक्षा की कि बस रूट्स का राष्ट्रीयकरण करेगी लेकिन कई बार अलवर से आने वाले माननीय सदस्य जैसा कहते हैं, सरकार में कई लोग ऐसे बैठे हैं जो राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं, कई ऐसे एक्शन करते हैं जिससे वह स्कीम पूरी की पूरी खत्म हो जाए। गंगानगर जिले में रूट्स का राष्ट्रीयकरण हो, इस संबंध में जब सरकार ने निर्णय लिया तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों को अपने रूट्स से वंचित होना पड़ेगा गाड़ियां छोड़ने के बाद में, वह एग्रीव्ड थे। यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जिसका रोजगार छीना जाए, तो वह एक बार अपना रोजगार बचाने के लिए छीनाझपटी करेगा। तो गंगानगर में छीनाझपटी शुरू की। यादव जो 1969 में रायसिंहनगर चले गए। एक श्री निरंजन सिंह, म्यूनिसिपल चेयरमैन थे, उन्होंने एक हरिजन सम्मेलन का आयोजन किया। उस सम्मेलन में भाषण देने के बाद श्री निरंजनसिंह के यहां उन्होंने भोजन किया। हरिजनों का सम्मेलन हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, निरंजनसिंह के यहां भोजन करें कोई आपत्ति नहीं लेकिन भोजन के साथ साथ सारे बस ऑपरेटर्स इनसे मिले और मिल कर कहा, क्या हो रहा है ? हमारे बसेज का यदि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो हम बेरोजगार हो जायेंगे। हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है बसेज में, वह सारे का सारा ब्लाक हो जाएगा, हमें दूसरे रूट्स नहीं मिले तो हमारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। श्री निरंजन सिंह का कहना है कि उस समय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आप लोग बड़े लेट आए हैं, अगर थोड़ा पहले आते तो मैं इसकी रोकथाम की व्यवस्था करता लेकिन अब भी मेरे में अधिकार है, अगर जयपुर आयें तो सारे मसले पर बैठकर विचार करेंगे और उसके बाद इसको रोका जा सकता है। अब किसी

(श्री भैरोंसिह)

की रोटी छीनी जा रही हो और उनसे कहा जाए कि जयपुर आओ, वहां आपकी रोटी का इंतजाम करेंगे तो स्वाभाविक है कि वह आदमी जयपुर आए। इनमें थे श्री बलदेवसिंह, श्री निरंजन सिंह और श्री तेजाराम। तीनों जयपुर आये और यादव साहब से बातचीत हुई। उनके घर पर बैठकर बातचीत हुई और उसमें निर्णय लिया गया कि भाई इसके दो पहलू हैं, आज तुम लेट आये हो, गाडियां वहां चलना शुरू हो गईं, तुम्हारी हाईकोर्ट में रिट खारिज हो गई, अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसी हालत में दो पहलू हैं। एक तो गवर्नमेंट लेविल पर कोशिश करें कि गवर्नमेंट इस स्कीम को विथड्रा करे या दूसरी में कोशिश करूं कि सुप्रीम कोर्ट से, जिस स्टे आर्डर की तुमने एप्लीकेशन दी है, वह मन्जूर हो या तुम्हारा रूट मन्जूर हो। ये दो पहलू कोई आसान नहीं हैं। एक दो पैसे में निर्णय नहीं होगा, काफी रुपये लगेंगे। जो निरंजन सिंह बताते हैं उनका कहना है कि 80 हजार रुपए दिए और कहा कि 15 हजार नकद देने पड़ेंगे, बाकी 65 हजार दिल्ली में दो। उनको विश्वास दिलाया, आखिर बस आपरेटर्स हैं, गंगानगर जिले के हैं, वह होशियार होते हैं इसमें दो राय नहीं, उनसे कहा सुप्रीम कोर्ट से हमारा केस जितायेंगे। उन्होंने कहा बाबू जगजीवनरामजी बैठे हैं, उनकी मुझ पर विशेष कृपा है, उनके पास जायेंगे और उनका इतना बड़ा प्रभाव है कि कोई सीमा नहीं बांधना चाहूंगा इस मामले में। यह खेद की बात है कि इसमें श्री जगजीवनरामजी का नाम आ रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन तथ्य है जो सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं। दिल्ली जाने के लिए तय हुआ। पहले 5 हजार देने थे। 5 हजार उनके पास नहीं थे तो रुपया कहां से लाया जाय, तो भूतपूर्व स्वर्गीय सदस्य श्री शीशराम पूनिया थे उनसे उन लोगों ने 5 हजार रुपये लिए और लेकर 9-8-68 को श्री अमृतलाल यादव के मकान पर जाकर दिये। फिर उसके बाद में यह कहा कि दिल्ली चलो, बाकी रुपयों का दिल्ली में भुगतान किया जायगा। तो कहा दिल्ली नहीं पहले 10 हजार यहीं दो। तो वहां दिया उसके बाद दिल्ली चलने का कार्यक्रम बना। 16–8–68 को 10,000) और दिए और तय हुआ कि दिल्ली चलना है तो हवाई जहाज के टिकट अमृतलाल के नाम से रिजर्व किए गए, जो आज भी एरोड्रोम के रैकार्ड पर है लेकिन उस दिन गए नहीं। बाकी पैसा देने वालों में से एक व्यक्ति चला गया, वहां जाकर इन्तजार किया कि यादव साहब कब आयेंगे तो दूसरे आदमी ने उनको टेलीफोन किया उनसे कहा वापस आओ तो ये वापस आकर यादव साहब से कहा कि क्या गड़बड़ी हो रही है, हम पैसे लेकर दिल्ली गए, आप काम नहीं करवा रहे हैं तो कहने लगे कि जरूरी काम था, जगजीवनरामजी की पत्नी और पुत्री जयपुर यात्रा करने के लिए आ गए हैं, मैं उनका होस्ट हूं, गेस्ट को छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए होस्ट के नाते उनका ध्यान रखना पड़ता है। उनको कुछ संदेह हुआ, इस बात में कोई चाल है, पैसों का उपयोग नहीं होने वाला है, ऐसी हालत में इसी सदन के एक माननीय सदस्य जो पहले

(श्री भैरोंसिंह)

उपमन्त्री थे श्री थिंद, दोनों उनके पास गए, उनसे बातचीत की, शीशराम पूनिया से बातचीत की और उसके बाद में दोनों ने थिंदके कहने के अनुसार श्री अमृतलाल को जाकर समझाया कि पैसा वापस दे दो, नहीं तो गड़बड़ी होगी। अमृतलालजी ने उनसे कहा कि अभी श्री जगजीवनरामजी की पत्नी और पुत्री आई थीं, उनकी खातिर तवाजे में, सामान खरीदने में मेरा 15 हजार रुपये खर्च हो गए, तुम विश्वास रखो, तुम्हारा काम करवाया जाएगा। अब कहने लगे कि विश्वास कैसे रखूं ? आखिर कोई काम तो कराओ। काम कौनसा हो ? दूसरे रूट का नाम, मैं अभी भूल गया हूं, बताता हूं। उसकी एक एप्लीकेशन चल रही थी ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ओथोरिटी के पास उनमें नानक रोडवेज के नाम से इसमाक कोई गंगानगर में रोडवेज है उसके खिलाफ कोई रूट था और एप्लीकेशन पेन्डिंग थी, कोई परमिट लेना चाहे तो रायसिंह नगर से स्वरूपसिंहपुर तक का परमिट दे दें। वह कहता है कि उससे पेट भरने वाला है नहीं, रोज चलने वाले रूट से पेट भरेगा। अपीलेट आथोरिटी में बुलाकर जो कुछ भी कहा गया उनके झगड़ा चला। थिंद साहब यादव साहब के पास गये। समझाया कि वापिस पैसा देना चाहिए नहीं तो हालत खराब होगी। वह पैसा नहीं दिया। फिर झगड़ा बढ़ा तो रसीद लिख कर दी। उन्होंने वह रसीद शीशराम जी को दी। कोन्शियस के लिए कहना चाहूंगा, मुझे शीशरामजी ने वह रसीद बतायी, रोशनलालजी जो उदयपुर डिवीजन से आते हैं उनको यह रसीद बतायी। हम दोनों ने वह रसीद देखी। हम दोनों ने सोचा कि चल कर फोटो स्टेट कापी करवानी चाहिए और मुख्य मन्त्री जी के पास दिखानी चाहिए दुर्भाग्य से उस रोज इतवार था। मुझे दूसरे दिन जाना था। वह नहीं हुआ। फिर रोशनलाल जी से कहा कि वह रसीद कहां गई ? उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को दे दी, नाम नहीं बताना चाहता, रसीद सुरक्षित पड़ी है। शीशराम जी ने कहा 15 हजार रुपये दिये, मैं भी बस आपरेटर हूं और हजार रुपये मुझे भी देने पड़े हैं और एक हजार रुपया देकर आया हूं। यहां तक स्थिति पैदा हुई। जब यह मसला माननीय सदस्य श्री मोहनलाल मोदी ने इसी सदन में उठाया और उसके साथ ही अध्यक्ष महोदय के यहां चर्चा हुई। यादव जी ने उसका विरोध किया कि यह मामला गलत है। श्री विजयसिंह जी मकराना ने श्री मोहनलाल मोदी के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन उठाया। अध्यक्ष महोदय, आपको उस पर अभी निर्णय देना है। इसलिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत बड़ा मामला सदन में डिस्कस किया जा रहा है, वे जितने भी कागज सचिवालय में हैं सदन की मेज पर रख दें, मुख्य मन्त्री जी के हाथ में दे दें और चुनौती देकर कहता हूं कि मुख्य मन्त्री जी यह कह दें कि यह झूठ है। सारे वाक़यात में जिन लोगों ने गवाही दी हैं और प्रमाण प्रस्तुत किये हैं, मुख्य मन्त्री जी वे सब देख लें और कह दें कि श्री यादव के ऊपर लगाये आरोप झूठे हैं तो मैं मान लूंगा। आप से निवेदन करूंगा कि विशेषाधिकार के नाते आप सदन की मेज पर रख दें ताकि यह मालूम हो जायेगा

(श्री भैरोंसिंह)
कि हमने कहा वह कितना है और उस पर निर्णय हो जाय। मैं आपसे चाहूंगा कि वे कागज सदन की मेज पर रख दिये जाय।

श्री अध्यक्ष : जो विशेषाधिकार का प्रस्ताव माननीय श्री मकराना ने प्रस्तुत किया उसको मैंने विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द कर दिया और जो कुछ भी कागजात थे वे भी विशेषाधिकार समिति को दे दिये उसके साथ।

श्री भैरोंसिंह : विशेषाधिकार समिति के वे कागजात आपने दे दिये और वे विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन महोदय भी यहां हैं। मैं समझता हूं कि वे भी इस बात में इन्टेरेस्टेड होंगे कि भ्रष्टाचार रुके। मैं उनका निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं चाहता कि यह ब्रीच आफ प्रिविलेज भी है या नहीं, उनका उल्लंघन होता है या नहीं, माननीय मोहनलाल मोदी ने आरोप लगाये तथ्यहीन थे, या तथ्यपूर्ण, इस पर मैं उनका निर्णय नहीं चाहूंगा, इस सारे मसले में पेचीदगियां खड़ी हो रही हैं, सदस्यों का मन साफ करने के लिये आप उन पत्रों को सदन की मेज पर रख दें और नहीं रखते हैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह साफ प्रतीत होता है कि मामला सही है और उसको दवाने की चेष्टा की जा रही है। आपके मार्फत मैं चेयरमैन महोदय से निवेदन करूंगा कि निर्णय आप एक महीने पन्द्रह दिन बाद देना लेकिन यह पत्रावली सदन की मेज पर रख दी जाय इस सारी डिबेट का फैसला हो जायेगा। मुख्य मन्त्री जी फैसला कर देंगे कि क्या स्थिति रहती है क्या नहीं। मैं आप से चाहूंगा कि क्या आप वे कागज पेश करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : इसके पूर्व कि इस सम्बन्ध में पुकारा गया हूं, मैं उस पर अपनी बात रखूं मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि मुझे आदेश दें–।

श्री भैरोंसिंह : कमेटीज प्रोपर्टी इज दी प्रोपर्टी आफ दी हाउस। आदेश की आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं सोच लें।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे यही निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय कि जो आदेश होंगे उसका पालन करूंगा। मैं तो साधारण सदस्य हूं।

श्री परसराम : मेम्बर हैं।

श्री भैरोंसिंह : कमेटी के चेयरमेन हैं। हम आपका डिसीजन नहीं चाहते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : प्रिविलेज कमेटी की सदन में कोई बात कहूं उसके लिये आदेश होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आप बोल सकते हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं यह निवेदन करूंगा कि हम नियमों से बंधे हुए हैं और मैं इस सदन का ध्यान और अध्यक्ष महोदय का ध्यान हमारी प्रक्रिया के रूल 200 और 201 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें केवल यह बात है कि जो नियम है उसके अनुसार प्रिविलेज कमेटी के सामने लिट्रेचर है वह लिट्रेचर केवल अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से ही सदन की टेबल पर रखा जा सकता है। केवल

Page No. 104

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से। उसके बाद सचिव महोदय और यहां के कार्यालय जो अध्यक्ष महोदय आज्ञा देंगे तो सदन की टेबल पर रखने में कोई आपत्ति नहीं है और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष महोदय की इजाजत से ही कार्यवाही समाप्त होनी चाहिये। पहले सदन की मेज पर रखे जा सकते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का इन्तजार करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपने अध्यक्ष महोदय की कोर्ट में डाल दी।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : रूल देख लीजिये आप।

The evidence report and proceedings will be treated as confidential. A comittee may direct that the whole or a part of the evidence or a summary thereof may be laid on the Table.

(2) No part of the evidence oral or written report or proceedings of a committee which has not been laid on the Table shall be open to inspection by anyone except under the authority of the Speaker.

(3) The evidence given before a committee shall not be published by any member of the Committee or by any other person until it has been laid on the Tabe.

तो यह फार्मेलिटी की बात है इसके लिये हाउस इज सुप्रीम...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : माननीय अध्यक्ष से आज्ञा चाहता हूं। वह कान्फीडेन्शल रिपोर्ट है और उसका उपयोग नहीं होता है, परन्तु सदन को अधिकार है कि वह हरेक चीज को देख सके। परन्तु जो रूल है वह मैंने बता दिया है। अध्यक्ष की आज्ञा चाहता हूं।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय, नाहर साहब ने जो बताया है वह ठीक है?

श्री भैरोंसिंह : यदि आप चाहते हैं कि इस मामले का निराकरण हो...

श्री शंकरलाल : टेबल आफ दी हाउस पर रखा जाये इस प्रकार की इजाजत नहीं हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : आप भी रिक्वेस्ट कर दीजिये।

श्री शंकरलाल : जैसा उचित हो आप आदेश दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको कोई ऐतराज तो नहीं है...

श्री शंकरलाल : नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिविलेज कमेटी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। रूल्स के आधार पर वह कह रहे हैं। यह एक टेक्निकल ग्राउन्ड है कि अध्यक्ष की बिना अनुमति के प्रस्तुत नहीं कर सकते

(श्री भैरोंसिंह)

हैं। किसी भी सदन के सदस्य को आब्जेक्शन नहीं है। इसलिये आपसे मेरी अपील है कि सारे मसले के निराकरण के लिये उन पत्रों को मेज पर रख देना चाहिये। आप पत्र प्रस्तुत कर दें यदि डिबेट को कोई परिणाम देखना है। यह ऐतिहासिक होगा और इस ऐतिहासिक कड़ी के अन्दर एक कड़ी और जुड़ जायेगी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदस्यों की भावनाओं के अनुसार उन पत्रों को सदन के अन्दर प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष : जो रूल 200 साइट किया गया है 200 (2) No para of the evidence oral or written report or proceedings of a committee inspection by anyone except under the authority of the Speaker.

वो जो हवाला दिया गया है वह कमेटी के पार्ट आफ दी इवीडेन्स नहीं है। उस स्थिति में वह यहां पर रखा जाये यह स्थिति नहीं है। दूसरा यह (3) The evidence given before a Committee shall not be published by any member of the Committee or by any other person until it has been laid on the Table.

इसलिये पार्ट आफ दी इवीडेन्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हमने जिन लोगों के बयान कराये हैं हम उन बयानों की कापी चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : टेबुल पर रखने का प्रश्न नहीं है।.......Hon'ble Member can have access to the papers.

श्री भैरोंसिंह : वह दिला दीजिये। मैं चाहता हूं कि वह पेपर्स जो हम गंगानगर से लाये हैं और लोगों को चिट्ठियां लिखी हैं वह दिला दीजिये तो कोई निराकरण होगा। .

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सारी स्थिति आनी चाहिये···

श्री मदनसिंह (दांता): मेरा एक कहना है···

श्री अध्यक्ष : Hon'ble Member can only have access to the papers. Access does not mean that they may be brought to the member.

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके अन्दर जो फेक्ट्स हैं प्राइमा फेसी उसको एस्टेब्लिस करने के लिए रिलेवेन्ट है, महत्वपूर्ण है और इस स्टेज पर उनका आना आवश्यक है। वह सदन के अन्दर आने चाहिये। किसी व्यक्ति ने सब्सटेन्टिव फेक्ट्स दिये हैं जिसके बिना पर ऐसी कमेटी नियुक्त होनी चाहिये तो कमेटी नियुक्त हो और कमेटी नियुक्त करने के लिए माननीय सदस्य कह रहे हैं। वे फेक्ट रिलेवन्ट है और महत्वपूर्ण है इसलिये उसको रखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : एक्ससेस से मेरा मतलब है कि Hon'ble Member can proceed to the Chairman and have an access to the papers.

श्री भैरोंसिंह : इस समय कितना रिलेवेन्ट टाइम है, इम्पारटेन्ट टाइम है; इस समय कागज मिलता है तो सदन को

(श्री भैरोंसिंह)
एक मिनिट में कन्वीन्स करा दूंगा और कमेटी नियुक्त र दी जायेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सदस्य शंकरलाल जो भी देख सकते हैं। इसमें कोई ऐतराज नहीं है, न होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : यह प्रिविलेज का डाक्यूमेन्ट है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इससे किस नतीजे यर पहुंचते हैं तो इसमें ऐतराज की कोई बात नहीं है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, जैसा गम्भीर आरोप है और उस आरोप के सम्बन्ध में जिस डाक्यूमेन्ट को रेफर किया गया है और वह सदन के सामने आ जाता है तो मैं समझता हूं कि केवल प्रिविलेज कमेटी का डाक्यूमेन्ट आ जाता है तो कमेटी को बनाने में और निर्णय करने में सुविधा रहेगी।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें गवाहों के बयान हो गये हैं और निर्णय होना बाकी है। और मन्त्री महोदय पर आरोप सिद्ध होते हैं तो कमेटी की जरूरत नहीं है। इतना ही काफी है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन कर दूं कि यहां लाने की बजाय आप स्वयं जाकर देख लें।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो 'कापी करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : पत्र को देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं देख कर यहां आकर कह सकता हूं लेकिन उसे इस सुप्रीम बाडी से कैसे छिपा सकता हूं। कोई भी मुझे चेलेन्ज कर सकता है। मेरे खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन आ सकता है। इसलिये इसमें आपको क्या ऐतराज है। यह कोई प्रिविलेज का डाक्यूमेन्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष : हाऊस में लाने का प्रश्न पैदा नहीं होता The on'ble member can have an access the papers how can we proceed ?

श्री दौलतराम सारण : विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट इस सदन को प्रस्तुत करती है। सदन के प्रति वह रेस्पान्सिबल है और वह इस सदन के द्वारा नियुक्ति होती है। सदन के बीहाफ में आप नियुक्ति करते है। इसलिये इसका कोई डाक्यूमेट सदन से परे नहीं रखा जाता और सदन से छिपाया नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष : छिपाने का प्रश्न नहीं है

श्री दौलतराम सारण : जब यह नहीं है तो यह जनरल क्वेश्चन है कि विशेष अधिकार समिति के पेपर्स को कोई भी माननीय सदस्य देखना चाहें तो यह आवश्यक है कि उन पेपर्स को उस मेम्बर को दिखाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। वह पत्र कोई भी देख लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रूल 200 यह कहता है A committee may direct that the whole or a part of the evide-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
nce or a summary thereof may be laid on the Table."

तो जब कमेटी डाइरेक्ट कर सकती है, एवीडेन्स हैं तो किसी भी डाक्यूमेंन्ट को देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : I is no part of the evidence to the Committee.

श्री रामानन्द अग्रवाल : और भी सरल हो गया है यदि एवीडेन्स को कान्फीडेन्शल रखने की बात नहीं हैं··· तो उस डाक्यूमेंट को दिखाया जा सकता हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न टेबल ऑफ दी हाऊस पर रखना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सदन की मेज पर न रखा जाये। सदन के कागजों में रहेगा तो वह रिकार्ड बनेगा।

श्री दुर्गालाल बाढदार : अध्यक्ष महोदय···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसके लिए आदेश दिये जायें। मेम्बर तो देखने के लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको दिखा दें कागज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां, हां दिखाइये।

श्री मदनसिंह : एक कमेटी को जजमेंट के लिए कागज भेजे हुए हैं उसके पहले कैसे दिखाये जा सकते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : जब यह मामला···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गोकुलचन्द : अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द जो मामला है, मैं भी उस समिति का मैम्बर हूं मैं यह मांग करता हूं कि मेरे नोटिस में ये सारे कागज लाये जाये जब तक यह कागज मुझे न दिखाये जाये तब तक दूसरों को न दिखाये जायें। यह मेरे को जानकारी होनी चाहिये। जब तक मेरे नोटिस में यह न हो कि क्या लिखा है, उस पर किसी के दस्तखत हैं या नहीं हैं। इसलिये आपकी आज्ञा अन्य सदस्यों को इस तरह की नहीं मिलनी चाहिये। हम उस कमेटी के मेम्बर हैं और हमारी जानकारी में यह नहीं है। जब तक हम उस कमेटी के मेम्बर हैं, तो हमारे सामने यह रखा जाना चाहिये और उसके पहले किसी को नहीं दिखाना चाहिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह सवाल नहीं है। कोई इम्पार्टेन्ट मसला है और वह इस डिबेट में मदद करता है तो रैफरेन्स के लिए उसको लिया जा सकता है, देख सकते हैं।

श्री गोकुलचन्द : वह कमेटी की चीज हो गई।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि आपकी व्यवस्था हो गई है लेकिन उनका आर्ग्यूमेंट

(श्री भैरोंसिंह)
फोर्सफुल नहीं है जिसको आपको बदलना पड़े।

एक माननीय सदस्य : पाईन्ट आफ आर्डर।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी पाईन्ट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं। इसके बीच में कोई पाईन्ट आफ आर्डर नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि उन पत्रों को दिखाने की इजाजत है। एक-एक मेम्बर ने कहा पत्र देखें और पत्र देख सकते हैं। इसलिये सदन की कार्यवाही 15 मिनिट के लिये स्थगित कर दी जाय ताकि सदन के सभी सदस्य बाहर जा सकें और पत्र देख सकें।

श्री मदनसिंह : मेरा पाईन्ट आफ आर्डर यह है, प्रिविलेज कमेटी के डिसिजन के लिए दिया हुआ है, उसका डिसिजन नहीं हुआ और उस डिसिजन को, आप किस प्रकार गवाहों के सबूत लिये जा रहे हैं··

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ! स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : मैं एक निवेदन करना चाहती हूं कि विशेषाधिकार समिति अपने आप कार्य करती है। इस सिलसिले में मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने मोहनलाल जी मोदी पर एक ब्रीच आफ प्रिविलेज का मोशन रखा। उसमें ऐविडेन्सेज एकत्रित करके शायद विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर दिया और यह कमेटी विचार करेगी। आज एक कमेटी कान्स्टीट्यूट करने की अचानक बात··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अचानक··?

श्रीमती कान्ता कथूरिया : सदन में आये।··(अश्रव्य)· दूसरे कौनसे मुद्दे हो सकते हैं? उसमें इनके कुछ रेफरेन्सेज हों। वह दूसरे मुद्दों से ताल्लुक रखती है। उस कमेटी को इन्ट्रोड्यूस करके यहां पर सदन का फैसला करवाया जाना, जो प्रस्ताव लाये हैं और जो इश्यू है उसका इस कमेटी से मेल नहीं बैठता है। वह अलग इश्यू है। वह कमेटी जब फैसला कर देगी लेकिन आज सदन में यह फैसला करना चाहें और जांच कमेटी की बात कहना अनुचित है।

श्री अध्यक्ष : आप आरम्भ रखें भाषण।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा : इस प्रकार का कोई मेटर जजमेंट में नहीं है। मैं भी उसका मेम्बर हूं।

एक माननीय सदस्य : वे कागज प्रिविलेज कमेटी को किसी जजमेंट के लिये दिये गये हैं ऐसा कोई मामला विचाराधीन नहीं है, निर्णयाधीन नहीं है। वह कागज दूसरे की सम्पत्ति नही है, हाऊस की सम्पत्ति है इसलिये हाऊस में रखें।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय आपके इस प्रकार के निर्देश हो गये हैं, व्यवस्था हो गई है कि जो मेटर देखना चाहें देख सकते हैं। जिस प्रचार का सारा प्रश्न चल रहा है और जिस डाक्युमेंट को

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लेकर सारी डिबेट शुरू हुई मैं समझता हूं अब यह डिबेट ज्यादा लम्बी चले तो इसको कोई सार नहीं है। माननीय सदस्य गण उस डाक्यूमेंट को देखते हैं और उस डाक्यूमेंट को देखने के बाद अमृतलाल जी का डिबेट वाला मामला खतम हो जाता है। मैं समझता हूं उसको देखने के बाद सारा निर्णय हो जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि हाऊस की कार्यवाही स्थगित की जाय···

श्री अध्यक्ष : स्थगित करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मदनसिंह : भैरोंसिहजी व सतीशचन्द्रजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें अमेण्डमेन्ट ला रहे हैं। और अब डाक्युमेंट चाहने के अधिकारी हो गये––काफी स्पीज हो चुकी है। अब यह मैन इश्यू··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माफ करना, बीच में मैं कुछ कहना चाहता हूं, एक सेकण्ड अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को कुछ भ्रम हो गया है, मैं स्पष्टीकरण कर दूं माननीय भैरोंसिह जी ने मेरे प्रस्ताव में जो संशोधन रखा है वह इस सम्बन्ध में रखा है कि गंगानगर के बस आपरेटेर्स हैं जिनके नाम बताये हैं उन्होंने 15 हजार की रिश्वत श्री अमृतलाल जी यादव को दी है, यह भी उसमें जांच की जाय और इस प्रस्ताव को मेरे प्रस्ताव के साथ और जोड़ा जाय और उस सवाल पर माननीय मोहनलालजी मोदी ने सदन में कई आरोप लगाये हैं। आपको भ्रम हो रहा है, तथा इसलिये निवेदन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं इस सदन में मामला आया और मेटर प्रिविलेज कमेटी में गया। शायद एक मोशन अमृतलालजी के खिलाफ मैंने दिया उसकी मुझे जानकारी नहीं दी। जानकारी दे देते तो ज्यादा अच्छा होता। 15 हजार की रिश्वत का मामला आपने प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया, उसके साथ वे डाक्युमेंट भेज दिये। प्रिविलेज कमेटी श्री अमृत लाल जी यादव के खिलाफ जांच करेगी फरदर क्या इन्वेस्टीगेशन करेगी और किस आधार पर निर्णय लेकर हाऊस को रिपोर्ट करेगी और हाऊस फिर उस पर विचार करेगा। मेरा निवेदन है चूंकि जो संशोधन श्री भैरोंसिह जी ने रखा है उसी सम्बन्ध का आरोप इस हाऊस में लग चुका है जिसके सम्बन्ध में विशेषाधिकार प्रस्ताव आया। अब विशेषाधिकार समिति ने अपना विचार उस पर शुरू कर दिया प्राइमा–फेसी यह सेटिसफाई होकर कि इन डाक्यूमेंटस से इस तरह की चीज बनती है। इसलिये मेरा निवेदन है प्रिविलेज कमेटी फरदर इन्वेस्टीगेशन करेगी, उसकी रिपोर्ट हाऊस में देगी लेकिन कम से कम वह बात जब हाऊस में दुबारा आई है एक अमेन्डमेंट की फार्म है, उसका जवाब दिया जाय तो मैं समझता हूं बहुत रिलेवेन्ट है। वे सारे कागज हैं जिनके आधार पर प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया है। एक सब्सटेन्टिव मोशन के सिलसिले में माननीय सदस्य संशोधन रखना चाहते हैं, हाऊस को सेटिसफाइ करना चाहते हैं···

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि भैरोंसिहजी को मैंने अवसर दिया। वे डाक्यूमेंट देख लें इस बीच में आपने चाहा कि हाऊस की कार्यवाही को स्थगित कर दें यह नहीं जगता इसलिये मैं माननीय सदस्यों को समय देता हूं वे उनके भाषण के बीच में देख सकते हैं । माननीय कृष्ण कुमार जी जिनके विचार...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष जी एक सब्सटेन्टिव मोशन सदन में विचार के लिये चल रहा है और उस विचार के दौरान एक प्रश्न यह उत्पन्न हुआ प्राइमाफेसी उस मोशन को...

श्री अध्यक्ष : आप किस पर बोल रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मेरा प्रश्न है जो व्यवस्था आपने अभी दी है उन दो बातों को देखना होगा जिसमें सहूलियत की दृष्टि से और न्याय की दृष्टि से उन डाक्यूमेंट्स को...

श्री अध्यक्ष : अब आप प्रोलांग न करें ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपने यह अनुमति माननीय सदस्यों को दे दी है...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : और मैं भी उसे देखूंगा । एक प्रश्न पैदा होता है...

श्री अध्यक्ष : माननीय गोयल जी ! (माननीय सदस्य के बराबर बोलते रहने पर अश्रव्य) ।

क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय यह माना गया एक डाक्यूमेंट रिलेवेन्ट है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य उसके लिये मैंने आदेश दे दिया है । (माननीय कृष्णकुमार गोयल के खड़े होने पर) हां, आरम्भ करें आप। आर्डर, आर्डर !

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने अपना जो प्रस्ताव श्री अमृतलाल जी यादव के विरुद्ध रखा है उसमें मैंने अपना एक संशोधन प्रस्तुत करके यह निवेदन किया हैं । मेरा वह संशोधन भी इसमें जोड़ दिया जाय । यह संशोधन इस प्रकार है, श्री अमृदलाल यादव ने सहकारिता मंत्री के नाते राजस्थान कन्ज्यूमर्स फेडरेशन जयपुर को अपने हस्तक्षेप के द्वारा उसमें खरीद तथा नियुक्तियों द्वारा लाखों रुपयों का नुकसान पहुँचा कर लाभ उठाया है अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इससे पूर्व जयपुर से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने निवेदन किया कि आज लोकतन्त्र ऐसी स्थिति से गुजर रहा कि देश के अन्दर यह विचार धारा उत्पन्न होने लगी है कि देश की सफलता के लिये क्या लोकतन्त्र में जीवित रहकर जीवन चला पायेंगे। या नहीं ? इस सम्बन्ध में अनेक प्रकार के तर्क दिये जाते हैं यह हम देख रहे और बिलकुल नजदीकी से

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

देख रहे हैं। मुझे स्वयं को भी 8 साल का अनुभव है। कई प्रश्न विधान सभा में लाये जाते हैं और विधान सभा में उन प्रश्नों के द्वारा कई प्रकार के तथ्य विधान सभा के सामने रखकर प्रयास ही नहीं हम उसमें सफल होते हैं और वता देते हैं कि इस प्रकार की वदबू आती है पैसा खाया गया है। अपनी तकरीरें देते हैं, वाद-विवाद होता है लेकिन हरऐक निर्णय सदन के अन्दर बहुमत के आधार पर होगा। उसके अन्दर, दल के अन्दर कितने आदमी हैं, कितने मेम्बर्स हमारी तरफ, है और कितने उस तरफ, इसका निर्णय इस बात पर नहीं होगा, बल्कि इसका निर्णय इस आधार पर होगा कि बात कहां तक ठीक है। एक दल के पास कितने मत हैं और दूसरे के पास में कितने मत हैं इस आधार पर इस बात को खत्म कर दिया जाता है तो जन मानस में एक भावना बन जाती है कि विरोधी पक्ष मंत्रियों के भयंकर से भयंकर आरोप के सवालात लेकर आते है और सत्य होते हैं यह हम जानते हैं, चाहे जंगलात के मामले हों, जमीन के कब्जे के मामले हों, कोआंपरेटिव के मामले हों चाहे ट्रान्सपोर्ट के मामले हो और अन्य प्रश्नों के मामलें हो वे इस सदन के बीच रखते हैं और इस बात को साबित करके चलते हैं कि हमने जो कहा है कि वह सत्य है लेकिन मतों के आधार पर उनको समाप्त कर दिया है तो जन मानस ऐसा बनता है कि जो कुछ बात विधान सभा में कहते हैं, तथ्य पूर्ण आंकडे देते हैं और जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है, लेकिन होता क्या है ? आप कुछ भी कहे होगा वही जो बहुमत के आधार पर निर्णय लेकर होगा। तो, अध्यक्ष महोदय, इस व्यवस्था से जन-मानस आज क्या बनता है कि इस देश के अन्दर लोकतन्त्र सफल नहीं हो सकता है, चुनाव व्यवस्था देश के अन्दर नहीं चल सकती। देश को अगर चलाना हैं तो तानाशाही के आधार पर देश को चलाना होगा। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति देश में पनपे यह मैं समझता हूं देश के लिए उचित नहीं है।

यद्यपि आज जो मसला लाया गया है मैं समझता हूं प्रतिष्ठा का प्रश्न किसी के लिए नहीं है जो कि सत्तारूढ दल के लिए बन सकता है। जो कुछ कहा है वह सत्य है इसलिए वे किसी प्रकार की भर्त्सना करने के लिए नहीं हैं प्रश्न में साफ कहा गया है, कुछ आंकड़े रखे गये हैं, कुछ तथ्य रखे गये हैं, जो कि एक प्रस्ताव द्वारा लाये गये हैं और उसमें मांग की जा रही है कि प्राइमा-फेसी इसमें बहुत कुछ आकड़े दिये हैं इसलिए केस बनता है, जांच करने के लिए। यहां पर केवल इस प्रश्न को लेकर एक कमेटी का निर्माण कराया जाय यह चर्चा है। वह कमेटी सारे प्रश्नों की जांच करे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। मैं आपकी मारफत माननीय अमृतलालजी से कहना चाहता हूं कि वे खुद कहा करते हैं कि मेरे पर तलवार लटक रही है और कितने सालों से लटकती चली आ रही है.......

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

(3.22 म. प.)

श्री अमृतलालजी को, उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

वे अभी तक नहीं बोले अब खड़े होकर कहें कि आप जो कुछ चार्ज मेरे पर लगाते हैं तो मैं तैयार हूं कि कमेटी का निर्माण किया जाय और कमेटी अपने आप तथ्यों को देख लेगी और जो कुछ होगा निर्णय दे देगी। यह खड़े होकर यादव साहब पहल करें। खास तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को चाहिये जैसा कि माननीय सतीशचन्द्रजी ने कहा था कि इसके अन्दर पहल करते और स्वयं एक प्रस्ताव लेकर आते कि ठीक है कुछ सदस्य इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, और कुछ इस प्रकार के तथ्य अपने प्रस्ताव के माध्यम से दिये हैं, लेकिन तथ्य क्या हैं और क्या नहीं उसके लिये आवश्यक है कि उनकी जानकारी की जाय उसके लिये कमेटी का निर्माण किया जाय। इसलिये ऐसा प्रस्ताव लेकर माननीय मुख्य मंत्रीजी को आना चाहिये, लेकिन वह स्टेप नहीं लिया गया है। और जो माननीय सदस्य आज इस प्रश्न के ऊपर जिस प्रकार के विचार रखते हैं मैं समझता हूं कि उनकी इस प्रकार की मान्यता तो नहीं है कि श्री अमृतलालजी के खिलाफ जो आरोप हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार के तथ्य हैं वे सदन के सामने नहीं लाये जायं। अगर ऐसी मान्यता नहीं है तो मैं समझता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये और इस डिबेट को आगे एलाऊ नहीं करना चाहिये और अपने आप खड़े होकर मांग करना चाहिये कि इस सम्बन्ध में एक समिति का निर्माण किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकार का संशोधन दिया है उस संबंध के अन्दर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्री अमृतलाल यादव सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। इस सहकारिता विभाग के मातहत जयपुर के अन्दर एक राजस्थान कन्ज्यूमर्स फेडरेशन है जो कि राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो उपभोक्ता भण्डार हैं उनको माल सप्लाई करता है। कई प्रकार के सामान जो जप्त किये जाते हैं, सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं उनकी यह खरीद करती हैं। यही नहीं बल्कि कई चीजें हैं जिन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है रूल्स के अन्दर उन चीजों के लिये फेडरेशन को अधिकार है कि वह एक्साइज ड्यूटी न दे। उस ड्यूटी के अन्दर रिबेट मिल जाय और वे सस्ते दामों में परचेज की जायं ताकि कन्जूमर्स जो विभिन्न स्टोर्स सदस्य हैं उनको सस्ती चीजें प्राप्त हो सकें। ऐसी व्यवस्था यहां पर चली आ रही है। इसलिये फेडरेशन का चेयरमैन डिप्टी रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार होता है। ऐसी व्यवस्था चल रही है इनके नियमों के अनुसार। हाउस में मेरा एक आरोप है कि श्री अमृतलाल यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करके––मैं अहम प्रश्न पर आऊं उसके पहले आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कन्जूमर्स फेडरेशन के बारे में इसके जो एक डाइरेक्टर हैं हमारे एम. पी. श्री विश्वेश्वरप्रसाद भार्गव अजमेर वाले, उन्होंने आपको एक पत्र लिखा था। मैं आपकी याददाश्त को ताजा करना चाहता हूं कि अमृतलाल यादव अपने पद का दबाव डालकर 30 हजार रुपये का चूरण इस कन्जूमर्स फेडरेशन

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
के लिए खरीदना चाहते थे और उस समय वहां पर जो डाइरेक्टर थे एम. पी. साहब, अजमेर के श्री भार्गव साहब, उन्होंने एक पत्र आपको लिखा है और उस पत्र के अन्दर लिखकर मांग की है कि जो कन्जूमर्स फेडरेशन के लिये चूरण खरीदा जा रहा है इसमें भ्रष्टाचार है, इसके पीछे अमृतलाल यादव की नेकनीयती में शक है, निजी लाभ उठाकर कन्जूमर्स फ़ेडरेशन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। यह पत्र आपको लिखा था और मेरी जानकारी है उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि जिस चूरण की खरीद होने वाली थी फेडरेशन के लिये वह चूरण खरीदने से बच गया और फेडरेशन और जनता नुकसान से बच गई। यह इन्स्टान्स मैंने इस वास्ते रखा है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की नालेज के अन्दर है जो कि एक जिम्मेदार संसद सदस्य हैं श्री विश्वेश्वर प्रसाद भार्गव उन्होंने एक यह पत्र आपको लिखा है।

इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, वह है इस फैडरेशन के लिये कपड़े की खरीद। स्वयं श्री अमृतलाल यादव ने सहकारिता मंत्री होने के नाते इस फैडरेशन के चेयरमैन पर दबाव डाला कि उनके कहने के अनुसार उनकी जो मनचाही फर्म है जो कि मद्रास के अन्दर है उससे खरीद की जाय। उस फर्म का नाम वैंकटेश ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मद्रास है। मैं समझता हूं इससे भी शायद माननीय मुख्य मन्त्रीजी, परिचित होंगे। मैं इस फर्म के साथ अगला नाम नहीं ले सकूंगा और वह नाम बडा भारी है मैं उस नाम को लेकर इस प्रश्न की गम्भीरता तथा विवाद को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार पर दबाव डाला गया कि केन्द्र के अमुक नेता, केन्द्र के अमुक व्यक्ति इन्ट्रेस्टेड हैं किसी मद्रास की कार्पोरेशन में जिसका नाम वेंकटेशन ट्रेडिंग कार्पोरेशन है और यह कपड़ा खरीद लिया जाय। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि नियमानुसार हम सीधे कार्पोरेशन, दुकान या फर्म से नहीं खरीद सकते। नियमों के अनुसार हमें मिलों से खरीदना होगा जहां से हमको एक्स–मिल रेट पर कपडा मिल जाता हैं। अगर वहां से नहीं खरीदना चाहते हैं तो हमको यह कपडा नेशनल को-आपरेटिव कन्जूमर्स फेडरेशन है उससे खरीदना चाहिए। इन दोनों जगहों से हमें सस्ता कपडा मिलता है, रिबेट मिलती है, एक्साइज हमें देना नहीं पडता तो माल सस्ता आ जायेगा। इसलिए कपडा नियमानुसार हम मिल से खरीदें या आल इण्डिया लेवल का जो फेडरेशन है को-आपरेटिव उससे परचेज करें। उस पर दबाव डाला गया और उसको खरीदना पडा, और, उपाध्यक्ष महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि मेटी स्टिक सूती कपडा होता है, उनके पास फारेन कपडा काफी आया हुआ है। 40-50 हजार का यह कपडा खरीदकर चला आया। वह कपडा आ गया। आज वह कपडा जितने भी हमारे कन्जूमर्स स्टोर्स हैं। राजस्थान के, मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, युनिवर्सिटी का जो कन्जूमर्स स्टोर है वहां पर यह कपडा पडा है और वह कपडा सड रहा है। कोई खरीदने वाला नहीं है यह 40–50 हजार का कपड़ा है जिस पर 6–30 रु० प्रति मीटर मिल रेट से अधिक पैसा देना पड़ रहा है। अगर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

शायद मिल से खरीदते, अगर फेडरेशन से कपड़े खरीदते तो यह छूट तो मिल जाती, लेकिन मिल रेट से 6–20 रु. अधिक पैसा देकर इस मद्रास की कार्पोरेशन से यह 40 हजार कपड़ा खरीद कर लाया गया, और कपड़ा आ गया और भिन्न भिन्न कन्जूमर्स के जो सदस्य हैं वे लिख लिखकर शिकायत कर रहे हैं कि इस कपड़े का भाव केवल 14 रु. प्रति मीटर है लेकिन 14 रु. से अधिक चार्ज किया गया है। इसका बाजार भाव 44 प्रति मीटर है लेकिन चार्ज किया जा रहा है 59 रु. प्रति मीटर। इस प्रकार से 1 मीटर पर 14–15 का अन्तर है बाजार भाव में। यह भाव मैं न तो, उपाध्यक्ष महोदय, मिल का बता रहा हूं और न आल इंडिया फेडरेशन का बता रहा हूं। यह जो कपडा कन्जूमर्स स्टोर्स को खरीदना पड़ा है वह आपके मेहरबानी के कारण। बाजार में 45 रु. में मिल जाता है, लेकिन कन्जूमर्स स्टोर्स में जिन्होंने आपके दबाव के कारण मद्रास की कार्पोरेशन से जो कपड़ा खरीदा है वह कपड़ा 59 प्रति मीटर में बेचना चाहते हैं और नतीजा यह है कि सारे का सारा कपड़ा डम्प होकर पड़ा है और माल सड़ता चला जा रहा है और इसलिए मैं मुख्यमन्त्रीजी आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इस मामले की जांच कीजिये। इस सम्बन्ध में मिसाल है। सहकारिता में जो उस समय मि. त्यागी थे, उनको नोटिस सर्व किया गया। उन्होंने जवाब दिया मुझे नोटिस सर्व क्यों करते हो। मैंने तो दवाव के कारण श्री अमृतलाल यादव के दबाव के कारण खरीदा था। वह मसला दबा दिया गया। और भी प्रश्न हैं।

मैं उन प्रश्नों पर, मेरे लिए यह असम्भव है कि मैं हलकी बात करूं। यह जो कोआपरेटिव में रंगमंच है? क्या हिन्दुस्तान में कहीं भी कोआपरेटिव रंगमंच का निर्माण किया गया है। हजारों रुपये उस पर खर्च किये जाते हैं। कितने ऐक्टर्स और कितनी ऐक्ट्रेसेस रखी गई हैं। हजारों रुपया उस पर खर्च किया जाता है। उनका काम क्या है? किसी किसी मिनिस्टर के यहां शादी हो तो वहां चले जायें। मुख्य मन्त्री जी वहां श्री धन्नाराम जी कौन हैं? ये एक साधारण अध्यापक हैं। उनको यहां लाकर रखा गया। उनकी पत्नी का ट्रांसफर भरतपुर हो गया तो फिर उनको भी भरतपुर भेज दिया गया। आज अमृतलालजी यादव इस कोशिश में हैं कि श्री धन्नाराम को पब्लिसिटी आफिसर बनाया जाये। न किसी रूल को फालो किया गया है। उनको प्रमोशन देने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। उनको एडजस्ट करने की कोशिश की गई है और लोगों को निकाल दिया जाये? ऐसा नहीं हो सकता पर आप कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। विभाग में जो कहना नहीं मानता है उसी का तबादला कर दिया जाता है। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा एक हैं श्रीमती कान्ता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : ये कान्ताजी कौन हैं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सहकारिता का जो रास्ता है, वह पूंजीवादी व्यवस्था से शोषण से बचने का एक रास्ता है। उसके द्वारा मंत्री महोदय, अपने पद का दुरुपयोग करें। अपने फायदे के लिए कोआपरेटिव की कबर खोदना चाहें। अपने फायदे के लिए यह सब करें। इसलिए मेरा यह निवेदन है, आरोप के रूप में यह सिद्ध हो सकता है। यह साफ कहा गया है कि श्री अमृतलाल यादव के कहने से ऐसा किया। मैं कहना चाहता हूं कि इस हाउस में जांच समिति का निर्माण कराया जाये। अध्यक्ष महोदय उस कमेटी का निर्माण करेंगे। जिनको वह चाहें देखें। यह दायित्व हम उन पर छोड़ते हैं। मेरा विश्वास है, जो आरोप हैं उनको लेकर हम आये हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसको वह पार्टी का प्रश्न न समझें। गवर्नमेंट डाउन होने वाली नहीं है। केवल एक व्यक्ति के आचरण का आरोप है। आशा है, आप इसको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय सदन में नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य के विरुद्ध मकराना से आनेवाले माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उस पर यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है या नहीं, यह समिति के सुपुर्द किया गया था। उसकी फाइल मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से जल्दी में देख पाया हूं। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा उपाध्यक्ष महोदय, उस पत्रावली में श्री बलदेवसिंह, निरंजन सिंह।

एक माननीय सदस्य : बलजीतसिंह।

श्री भैरोंसिंह : और श्री तेजाराम के भी स्टेटमेंट हैं। श्री मुल्कराज थिन्द और श्री शीशराम पुनियां के भी स्टेटमेण्ट हैं। उस स्टेटमेण्ट में मैंने जो बात कही है, उसका उन्होंने समर्थन किया है। रिपोर्ट को सही माना है। शीशराम पुनिया ने कहा है कि वह रसीद मेरे पास थी। मैंने किसी व्यक्ति को दे दी है। मुझे मिलते ही मैं रसीद पेश कर दूंगा। लेकिन अपने बयान में उन्होंने रसीद में क्या लिखा है, वह लिखा हुआ एक्चुअल मुझे याद नहीं है। लिखा है, 15 हजार रुपये लिये हैं; अगर काम नहीं हुआ तो दे दिये जायेंगे। उन्होंने यह लिखा है कि मैंने यादव साहब को 1500 रु. दिये एक हजार रुपया, श्री जगजीवनराम की पत्नी और पुत्री आई थी, उसके स्वागत में खर्च हुए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह मसला विशेषाधिकार समिति के विचाराधीन है। और विशेषाधिकार समिति की जो प्रक्रिया होती है, वह उस पर जब कभी सदन के विशेषाधिकारों का हनन होता है और वह सदन के सामने हो तो तो उस समय मामला विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द किया जाता है। उसमें जो बहस हो, उसके बारे में जो हवाला है, वह दो तो मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन जो सदन में लोग हैं, वह उसके विरुद्ध या पक्ष में

(श्री उपाध्यक्ष)

मत बनायें। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है तो सदन को अधिकार है कि वह चाहे जितनी गहराई से विचार करें। लेकिन पहले मामला आता है तो उससे कमेटी प्रेजुडिस होती है। इसलिए मेरा कहना यह है कि उस विस्तार में न जायें।

श्री भैरोंसिंह : थोड़े में ही।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे जब उस रसीद का जिक्र करें तो पहले आप को खुद को यह कान्फीडेंस होना चाहिए कि वह रसीद उनके दस्तखत में है। उन्होंने स्वीकार किया है या नहीं? यह भी कहें–रसीद, रसीद है। आप इस प्रश्न को उठा रहे हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, आपको यकीन है–यह दस्तखत उनके है। पूरा यकीन हो उसके बाद सदन के सोचने की बात है, वरना रसीद जाली थी या नहीं, ये तो बातें हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन को पहले निवेदन कर रहा था, ऐसी रसीद स्व. श्री पूनिया के पास थी। पब्लिक अन्डरटेकिंग की जिस समय बैठक चल रही थी, उस संदर्भ में मुझे तारीख याद नहीं है, उस या दूसरे दिन यह डायरी देख कर मैं बता सकता हूं, मैंने सारी घटना का उल्लेख किया था–उस दिन मैं था, और सदन के माननीय सदस्य श्री रोशनलाल जी थे। उनको रसीद बताई। उस दिन कई देर तक बैठ कर उस रसीद पर हस्ताक्षर श्री अमृतलाल जी के हैं या नहीं–इस सम्बन्ध में जितने कागज श्री अमृतलाल जी के हस्ताक्षर के थे, वह एकत्र किये, और एकत्र करके हम कोई हैंड राइटिंग के एक्सपर्ट नहीं थे, लेकिन कामन सेन्स से यह परिणाम निकाल सके कि ये हस्ताक्षर श्री अमृतलाल जी के हैं। अब उसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, आपके समक्ष क्या बयान दिये, क्या वर्णन रखा? जो रसीद थी, उसके विषय में शीशराम जी ने स्वीकार किया है, अध्यक्ष महोदय के सामने बयान में कहा हैं, मैंने रसीद किसी व्यक्ति को दे दी है, जल्दी ही आपको लाकर दे दूंगा। मैं उस सारी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैंने केवल हवाला दिया है। हवाला इसलिए आवश्यक था, मैंने अमेंडमेंट के जरिये यह आरोप लगाया है, उस आरोप के समर्थन के अन्दर वह सारी कार्यवाही प्रस्तुत करना चाहता था। प्रिविलेज क्वेश्चन के सम्बन्ध में क्या निर्णय हो–इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह रहा हूं। प्रिविलेज कमेटी में, जो मैं कह रहा हूं उससे उसके चेयरमैन और सदस्य के प्रति मैं यह विश्वास करके चलता हूं कि वह इससे प्रेजुडीस नहीं होंगे, और उनका जजमेंन्ट ऐसा होगा, जो हम सबको स्वीकार्य होगा। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर रहा था।

अब मैं निवेदन करूं, इस मामले के सम्बन्ध में स्वयं मैंने अपनी आंख से देखा है. वह बता दूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक डायरी देखी, वह डायरी थी. श्री बलदेवसिंह का नाम उस डायरी में लिखा हुआ था 9–8–68 को। वह डायरी मैं समझता हूं, शीशराम जी के पास होगी, मैंने और शीशराम जी ने

(श्री भैरोंसिंह)

दोनों ने देखी थी, वह डायरी रेगुलर मेन्टेन की हुई स्थिति में थी। ऐसा नहीं लगता था कि बीच में आल्टरेशन, एडीशन कहीं हों, या कहीं इरेजर का इस्तेमाल कर वर्ड टेम्पर किये हों, इरेजर से डिसाइफर करने जैसी बात हो। डायरी में लिखा था, 9-8-68 को लिखा था, बलदेवसिंह 268 एक, 400 एक। उसके आगे लिखा था टी. एम.। टी एम का मतलब मुझे बताया, वह मतलब था ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। टी. एम. का मतलब ऐसे ही इस संदर्भ में नहीं निकाला··

श्रीमती कान्ता खथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के आगे विचार सुनें, उसके पहले दो मिनट मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि इस सदन में एक गलत परम्परा का निर्माण होने जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी, ऐसी क्या बात है, जो आप बता रहे हैं, जो सदन में एवीडेंस के रूप में चीज लाई जा रही है, रिश्वत लेने के बारे में, यह क्रिमिनल आफेन्स है, तो क्या इसकी चाराजोही नहीं हो सकती, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? भैरोंसिंह जी ने कहा इसकी तह में जायें, तह में जाकर देखें. तो देखने के बाद ऐसी स्थिति पैदा होती है। इसके बजाय मैं यह कहूं कि यहां भाषण पोलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। कृष्ण कुमार जी गोयल ने कहा था कि यहां कुचल दिया जाता है बहुमत से। मैं इस बात का समर्थन करती हूं कि बहुमत से कुचली नहीं जाय बात। बल्कि आरोप सही है, सत्य है तो कोर्ट में चाराजोही की जा सकती है। पन्द्रह हजार की रसीद अमृतलाल जी यादव की दी हुई है तो उनके खिलाफ कोर्ट में कार्यवाही हो सकती है, पन्द्रह हजार की वसूली कराई जा सकती है, उनको सजा दी जा सकती है। उस कार्यवाही को न करें, और इस सदन में कोई भी यह कह दे कि फलां आदमी चोर है, और उस पर वादविवाद का प्रश्न उठा दें और उसके लिए सबूत दें कि जब कि उसकी कोर्ट में चाराजोरी हो सकती है। मैं निवेदन करूंगी कि पोलिटिकली मोटिवेटेड कागज यहां लाकर पेश कर दें। यह फलां साहब के दस्तखत हैं यह मोहन लाल सुखाड़िया के दस्तखत हैं यह फलां साहब के हैं···

श्री उपाध्यक्ष : यह बात मैंने कह दी है किसी न किसी रूप में।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह कह दी लेकिन माननीय सदस्या से उपाध्यक्ष महोदया मैं यह बात पूछना चाहता हूं क्या मिनिस्टर का इल्लिगल ग्रेटिफिकेशन का मामला प्रिवेंशन आफ करप्शन एक्ट में कोर्ट में जा सकता है?

श्रीमती कान्ता खथूरिया : जब परिचित हैं, कानून से, नियम से तो नियमों के अनुसार यहां पर विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता है··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं जा सकता। आपने हजार रुपया ले लिया पैरवी करने का, आपको यह मालम होना चाहिए···

श्रीमती कान्ता खथूरिया : आप मेरे खिलाफ कार्यवाही करा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्या स्वयं ...

श्री श्रवणलाल : आपके लिए, स्वयं आपके लिए यहां विधेयक लाया गया है।

श्री भैरोंसिंह : वह स्वयं जानती है कि मिनिस्टर के खिलाफ ऐसा कोई केस कोर्ट में चला हो, ऐसा एक भी लाकर नहीं बता सकती...

श्रीमती कान्ता खथूरिया : इजाजत ली जा सकती है। ऐसी बात नहीं है। इजाजत ली जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !!

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आयन्दा जरूरत पड़ेगी तो माननीय सदस्या का सहयोग लूंगा कि कानूनी दृष्टि से पूरी तरह से हर मामले को देख कर केस किया जा सके और वकालात करने का भार लेने को तैयार होंगी तो वकील भी उनका किया जा सकता है....

श्री दौलतराम सारण : आयन्दा क्यों, माथुर साहब के खिलाफ केस पेंडिंग है हाउस के सामने, उनका केस बना कर वकील बना कर कोर्ट में ले जा सकते हैं।

एक माननीय सदस्य : केस नहीं बनाना चाहते हैं।

श्री विजयसिंह : मथुरादासजी माथुर के केस में वकील बनायें।

श्रीमती कान्ता खथूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं, माननीय सदस्य, जिस तरह खुद का रवैया होता है उसी तरह की बात करते हैं। कांच में वैसी ही शक्ल दिखती है जैसी अपनी होती है। हल्की-फुल्की बात कह कर जो बात कहना चाहते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूं, मथुरादासजी माथुर का केस हो, किसी का हो मैं केस ले सकती हूं। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाये जाते हैं.....

(शोरगुल-अश्रव्य)

तो मैं निवेदन करना चाहूंगी, माननीय सदस्य, अपनी जबान पर काबू रखें। मुझे वकालत करना आता होगा, तो मैं किसी की भी वकालत कर सकती हूं, उसमें कोई गुनाह नहीं है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

मैं खास तौर से कहना चाहती हूं कि इस सबका कहीं जाकर अन्त होगा। अब रसीद अमृतलाल जी की है, यह कह कर आप संतोष कर सकते हैं, लेकिन क्या इस सम्बन्ध में सदन फैसला कर सकता है। यह रसीद का मामला किसी हैंड राईटिंग एक्सपर्ट के पास चला जाय तो वह कहेगा कि इनके दस्तखत नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बात आप, जब आपको वक्त मिले, तब कह सकती हैं।

श्री श्रवणलाल : आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री मदनसिंह : कमेटी में यह राय कायम हुई कि इनका हैंड राइटिंग है, वहां इन्होंने इसको देखा-भाला है।

श्री भैरोंसिह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को मेरे कहने से आपत्ति हुई है, तो मुझे खेद है, मैंने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है····

(शोरगुल व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर !

श्री भैरोंसिह : मैंने इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जिससे उन्हें आपत्ति हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक मामला है, 16–8–68 को 10 हजार की एन्ट्री का है। उसमें 122 टिकट की एन्ट्री है, 367 की टैक्सी की एन्ट्री है। यह जिस तारीख को दस हजार रुपया देने की बात लिखी गई है, उस तारीख की एन्ट्री है। यह उन्होंने रुपया शीशराम जी को लाकर वापिस दिया है, युनाइटेड कामशियल बैंक, गंगानगर का 15–8–68 का 442 का चैक है और एन्ट्री कोरोबोरेट होती है। इस आधार पर मैं कहना चाहता हूं, यह मामला अब अपने आपमें बहुत गम्भीर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मंत्री जी से, इस मसले में उनको भी जानकारी होगी–यह नहीं हो सकता है कि उनको जानकारी नहीं हो। उनको जानकारी है तो हम यह उम्मीद करते थे कि मुख्य मन्त्री जी उसमें कोई न कोई एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक एक्शन नहीं लिया है। इस आधार पर मैंने सदन में यह संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और मैं आशा करता हूं कि सरकार और सदन के माननीय सदस्य इस प्रकार गहराई से विचार करेंगे। यह एक क्लियरकट मामला है। यदि सदन इसे स्वीकार नहीं करता है, तो कम से कम एक ऐसी परम्परा का निर्माण तो कर दे कि इस सदन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में चर्चा करने का कोई परिणाम निकलने वाला है।

यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, यादव साहब यह समझें कि मैं हरिजन हूं इसलिए मेरे खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया है तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने श्री बृजसुन्दर शर्मा के खिलाफ प्रस्ताव रखा था, शिवचरणजी माथुर के खिलाफ प्रस्ताव रखा था और मथुरा दासजी माथुर के खिलाफ भी इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था। शायद माननीय सदस्यों को जानकारी नहीं हो, मैं 1952 से इस सदन का सदस्य हूं, मैंने 1954–55 के अन्दर मथुरादास जी माथुर के खिलाफ इस प्रकार का प्रस्ताव रखा था। इसलिए कोई यह न समझे कि यह हरिजन मन्त्री हैं, इस कारण इनके खिलाफ प्रस्ताव रखा है। न व्यक्तिगत राग-द्वेष है और न यह हरिजन हैं इस कारण ज्यादा लगाव है, जिस कारण यह प्रस्ताव इस रूप में रखा हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब तक को प्ररम्परा यह निर्मित हुई है कि श्री बृजसुन्दर के खिलाफ प्रस्ताव रखा तो उन्होंने जमीन सरेन्डर की। श्री शिवचरण जी माथुर के खिलाफ प्रस्ताव रखा था तो जमीन··

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : त्याग–पत्र दे दिया ।

श्री भैरोंसिह : त्याग-पत्र देकर आदर्श उपस्थित किया । इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले मथुरादास जी माथुर को आबू की जमीन के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाया था , तो उन्होंने जमीन को सरेण्डर कर दिया । तो करप्शन की रोक–थाम के लिए जमीन का मामला उठाया जाय और जमीन पकड़ी जाय तो यह कह दें की जमीन वापिस सरेन्डर कर दी है, वह जमीन वापिस हो जाती है । तो इस आधार पर करप्शन रुकेगा नहीं । यह तो इस प्रकार हुआ कि कोई आदमी चोरी कर ले, पुलिस चोरी का माल बरामद कर ले तो वह कह दे कि माल ले जाओ और मुझे छुट्टी दो । यह स्वस्थ परम्परा नहीं है ·

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह पन्द्रह हजार वापसी दे दें तब भी तसल्ली नहीं होगी ।

श्री भैरोंसिह : किसको ?

इस आधार पर इस चीज को भूल जायें । अब जहां तक अमृतलाल जी का प्रश्न है, मुख्य मन्त्री जी स्वीकार करेंगे कि यह नई चीज नहीं है । इस प्रस्ताव में जिन बातों का उल्लेख है, और जिन पर चर्चा की जायेगी, जो बाकी के तथ्य है, ऐसा नहीं है उन पर चर्चा नहीं चली हो । मुख्य मन्त्री जी जानते हैं, 1952 से 1957 तक जो इन्होंने कारनामे किये. उनका जिक्र हमने ही नहीं किया है बल्कि कांग्रेस के लोगों ने भी शिकायत की थी, जिसके कारण 1957 के चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। इसलिए नहीं दिया गया कि कोई इनसे ज्यादा प्रभावशाली उम्मीदवार आ गया हो । मुख्य मन्त्री जी का पता है, कूकस बीड़ी का मामला उन लोगों के सामने गया, जिसकी जांच की और उसका ही यह परिणाम था कि इनको टिकट नहीं दिया गया । इतना ही नहीं, एक आरोप यह था कि लोगों के साथ उनका व्यवहार ठीक नहीं है । यहां पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं उसमें भी मुख्य मन्त्री को भी गवाई में लाना चाहता हूं । मुख्यमन्त्री को याद होगा कि 1968 में एक स्थान है, गांव का नाम मैं भूल गया, उदयपुर से करीब 40 मील दूर है–उसका शायद नाम है मासी, वहां किसान सम्मेलन हुआ जिसमें आपने कहा था कि ये ब्राह्मण सब शराब पीते हैं । आप हृदय को टटोलें सब ब्राह्मण शराब पीते हैं ? और मुख्य मन्त्री ने खड़े होकर कहा था कि यादव जी का शराब से विरोध है, ब्राह्मणों से नहीं है । आपने स्पष्टीकरण दिया और उत्तेजित भीड़ को किस तरह से शांत किया । आपने कोशिश की, सफल हो गये और उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं लेकिन मैं तो उनके व्यवहार की बात करता हूं । ब्राह्मण समाज के लिए कहते हैं कि शराब पीते हैं ।

अन्त में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों के साथ उनका व्यवहार कैसा है । एक ड्राइवर था । सीकर के पास ये गाड़ी से उतरे । वहां के ठाकुर मदनसिंह दांता भी गुजरे ड्राइवर ने उनको कहा खमा । इस पर

Page No. 121

(श्री भैरोंसिंह)

यादव जी नाराज हो गए। ड्राइवर से कहा कि ठाकुर साहब को तो खमा कहा, और मुझे नमस्कार भी नहीं कहते। झगड़ा चला। उसके बाद उसको सस्पेंड किया इस बात पर। वह आरोप भी सुनाता हूं।

"आप सुखदेव 12 जुलाई 1967 को यातायात मन्त्री ने रास्ता देने के लिए मुझे आपकी शिकायत की कि आपने उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया और यहां तक कि जब वह गाड़ी में बैठने वाले थे तो आपने गाड़ी का फाटक तक नहीं खोला।"

फाटक नहीं खोलने से सस्पेंड किया। इससे व्यवहार का अंदाज लगायें। उन्होंने जो जवाब दिया वह भी मेरे पास है और भी ऐसे कागज हैं जिनसे पता लगेगा कि इनका सरकारी कर्मचारियों के साथ, अपने चपरासियों के साथ, ड्राइवर्स के साथ किस प्रकार का व्यवहार है। ऐसी हालत में मैं तो ऐसा समझता हूं कि सतीश चन्द्रजी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह न तो प्रतिष्ठा का प्रस्ताव है, एक परम्परा निर्माण करने का प्रस्ताव··

श्री मदनसिंह : मैं माफी चाहता हूं मेरा नाम आया, मैंने कभी पक्ष नहीं लिया···

श्री उपाध्यक्ष : आप निष्पक्ष हैं।

श्री मदनसिंह : मैंने कभी ब्राह्मणों के बारे में नहीं कहा।

श्री भैरोंसिंह : ऐसी स्थिति में मैं निवेदन कर रहा था कि जब इस प्रकार के व्यवहार का प्रश्न आ जाए या और कोई प्रश्न आ जाय तो माननीय सदस्य यह न समझें कि सतीशचन्द्रजी ने आज सवाल उठाया है। यादवजी खड़े होकर कहें, 1957 से 1962 तक हमने सवाल उठाया। उन्होंने छोटी सादड़ी में माइनर लड़के के नाम पर 500 बीघा जमीन ली थी उस पर से कब्जा मैंने छुड़ाया और इनके एक भाई एक आदमी की नाक खा गया, उसको छः महीने की सजा हो गई। ये बाद के डवलपमेन्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो रीसेंट अकरैन्स के हैं।

श्री विजयसिंह : नाक में जो कुछ भरा था वह भी खा गया।

श्री अमृतलाल यादव : जब से मैं पैदा हुआ और जब तक मरूंगा, आप मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सदन में जमीन सरेन्डर करने की मन्त्री महोदय ने घोषणा की। जालोर से कैसे खड़े हुए। हरीप्रसाद यादव की एप्लीकेशन है. उम्मेदलाल से किस प्रकार सीट खाली कराने का षडयन्त्र किया गया, उसकी शिकायत है। बैंक चेक आपको दिखाए और जालोर के सदस्य हरीराम से सीट खाली कराई। कई बार विधान सभा में जिक्र हो चुका है। उस आधार पर हम परेशान थे कि जिन बातों का जिक्र हो जाता है तो उनका इस प्रस्ताव से अंत होना चाहिए। कल एक आदमी ने अमृतलालजी से कहा कि कल का दिन आपके लिए खराब है लेकिन दांत दवा कर 6 घन्टे तक बैठना, प्रस्ताव पास नहीं होगा।

(श्री भैरोंसिंह)

इतने दिन तक तलवार लटक रही है तो यदि आप दांत दबा कर बैठ जाए तब तो नहीं कहना चाहता लेकिन सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में दांत नहीं दबायें। जो कुछ हमने कहा है गलत है या सही है, हमने केवल मांग की है कि जो कुछ हमने कहा है गलत है या सही है हमने केवल मांग की है कि यादव सहाब के हित में होगा, टिकट देने का सवाल आ रहा है नहीं तो मुख्य मन्त्री कहेंगे कि ये आपके खिलाफ आरोप हैं, टिकट नहीं दिया जा सकता तो दरअसल अमृतलाल यादव का भला करने के लिए यह प्रस्ताव आया है, बुरा करने के लिए नहीं है। ऐसी हालत में सदन से निवेदन है कि यादवजी का भला करना है तो कमेटी नियुक्त करें बुरा भी चाहते हैं तो भी कमेटी नियुक्त करें और न्याय की दृष्टि से भी कमेटी नियुक्त की जाय इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अच्छा होगा कि यादव सहाब बोल लें तो दोनों साइड सुन कर बोलने का निष्पक्ष मौका मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहना चाहें तो कहें।

श्री रामानंद अग्रवाल : लेकिन यादव सहाब पहले बोल लें।

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस की तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, यह मान कर चले।

श्री उपाध्यक्ष : सबकी बात सुन कर····

श्री भैरोंसिंह : कांग्रेस वाले बोलेंगे या नहीं।

श्री रामानंद अग्रवाल : उसी हिसाब से एडजस्ट करें।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस मोशन को लेकर विधान सभा में जो चर्चा चली इसमें निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि राजस्थान के मंत्रि-मण्डल में जितने मंत्री बैठे हैं आज तक हर मन्त्री पर कोई न कोई किसी न किसी समय पर सदन में आरोप लगाये हैं और साबित भी हुए हैं। उसके बाद भी बहुमत के आधार पर उनको बचाने के लिए और करप्शन को बढ़ाने के लिए जो जनतन्त्र की प्रणाली है उसके अनुसार आपके भ्रष्ट साथी हैं उनको बचाते हैं। यह ऐसी परम्परा है कि बहुमत के आधार पर इस बात का निर्णय लें और एक भी वोट उधर से ज्यादा होजाय कि यह दूध का धुला हुआ है तो चाहे कितने भी गंदे हों इल्जामों से बरी किया जाता है। मैं नहीं कह सकता कि यह परम्परा गलत है पर इस बात के लिए हम जरूर कह सकते हैं कि जहां भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जायं जहां लोगों के साथ जुल्म और ज्यादा हों और उनमें न्याय मांगा जाय, उनमें भी यह परम्परा अपनाई जाय तो ठीक नहीं होगा। इसके लिए विशेष कर ऐसी प्रणाली होनी चाहिए कि जो उन पर आरोप लगाये जायं उनकी जांच कराई जाय और उसके लिए अपने अपने विचार सभी लोग कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज एक मोशन को लेकर ये अमृत-

(श्री लादूराम सुलानिया)

लालयादव जो राजस्थान के मन्त्रि-मण्डल के एक सदस्य हैं और आज से नहीं मेरे ख्याल से सन् 1952 से यह मन्त्रि-मण्डल में चले आ रहे हैं।

बीच में कभी 2 शायद किसी कारण-वश टिकट न मिलने पर विधायक न चुनने पर मन्त्री न रहे हों, पर आरोप लगाये गये हैं। विधायक बन कर आये लोगों को यह संभावना नहीं कि उनको मंत्रि-मंडल में सीट मिलेगी। फिर भी मंत्रि-मंडल में सुरक्षित सीट रही। उसके लिए तो हम उनको बधाई देते हैं। इसके लिए तो हम कहने में विवश हैं! लेकिन कोई न कोई बधाई का पात्र अवश्य है। अगर ऐसा न होता तो आज बीस वर्ष के काल में एक ही व्यक्ति को मन्त्री पद पर आसीन रख कर चला जाय और करीब राजस्थान में 30 सीटें हरिजन लोगों की हैं जो चुन कर आते हैं और यहां पर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या वे सारे के सारे लोग भारत सरकार और हमारे यहां बैठे हुए मंत्रि-मंडल के अन्दर बैठे लोगों की दृष्टि में अयोग्य हैं या किसी काम के हीं हैं ? एक व्यक्ति को इतना प्रोटेक्शन देना। किसी न किसी बात का द्योतक अवश्य है। मंत्रियों पर जो आरोप लगाये जाते है उनकी जांच के लिए जो प्रक्रिया है उसके लिए तो मैं कहूंगा कि कमेटी बनाई जाय और मैं तो यह भी कहूंगा कि हाई कोर्ट के किसी जज की नियुक्ति की जाय क्योंकि किसी भी विधायक को कमेटी बनायेंगे हम तो उसमें यह नहीं कह सकते हैं कि उसमें संतोष नहीं है लेकिन हम यह मानते हैं कि किसी न किसी प्रकार न्याय नहीं दे सकें उसको एक दो महीने में देने के बजाय दो साल तक पेन्डिंग डाल दें और निर्णय न दे पायें। ऐसी स्थिति में यह कहना उचित समझूंगा कि एक मंत्री पर जितने आरोप लगाये जाते हैं मैं यह मान कर चलता हूं कि उससे कई गुना करप्शन होता है। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की जांच करा ले उनमें जितनी जितनी खराबियां हैं, रिश्वत खाई हो और जुल्म ज्यादती की हो, सारी की सारी जानकारी मिल जाय तो असंभव है लेकिन जो कुछ भी जानकारी मिलती है वह यहां लाकर रखते हैं।

मैं कुछ बात कहूं उसके पहले यह निवेदन कर दूं कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह जो मोशन रखा है उसमें उन्होंने 15 आरोप लगाये हैं और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने उसमें संशोधन प्रस्तुत किया है और कोटा से आये माननीय सदस्य ने भी संशोधन प्रस्तुत किया है, ये सारे मिल कर 17 आरोप हो जाते हैं और कई आरोप जांच में आ सकते हैं। कितने आरोप सत्य हैं और झूठे हैं यह तो जांच कमेटी बैठेगी वही, उपाध्यक्ष महोदय, निर्णय देगी। लेकिन एक बात निश्चित रूप से आपके माध्यम से और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहुंगा कि राजस्थान दलित संघ नाम की एक संस्था चल रही है। हरिजनों की दशा, रहन-सहन सुधारने के लिए, हालत सुधारने के लिए, बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए और जन-जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार द्वारा इस संस्था का निर्माण हुआ था और यही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस संस्था के कार्यालय को चलाने के लिए, बाबू, टेलीफोन, बिजली, पानी और

(श्री लादूराम सुलानिया)

दीगर कर्मचारियों के खर्चे के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार एड देती है और वह छोटी मोटी नहीं है। मेरे ख्याल से पचास साठ हजार रुपया भारत सरकार देती है और लोगों से चन्दा मिलता है और कई बड़े लोग सौ, दो सौ, पांच सौ रुपये डोनेशन के दे देते हैं और दो चार साल में दौरा करके बड़े लोगों से चन्दा इकट्ठा कर लेते हैं। इन सब को देखते हुए इसमें काफी पैसे की आमद है। हरिजनों की हालत सुधारने के लिए यह संस्था और सरकार इसीलिए पैसा देती है कि इन पैसों से लोगों की हालत सुधारी जाय, पर यह कहूंगा कि आज तक, माननीय उपाध्यक्षजी, 57 से 62 तक की मुझे जानकारी है, आज तक की और इससे पूर्व 40 से पहले की जानकारी है कि क्या हरिजनों के साथ खिलवाड़ चल रहा है–यह सब जानकारी रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है श्री अमृतलालजी यादव भी पुराने हरिजन कार्यकर्ता रहे हैं और जब तक ये राजनीति में नहीं आये और एम. एल. ए. नहीं बने तब तक उनकी सेवायें थी और इसलिए इनको इस पद पर लाकर बैठाया था।

श्री गोकुलचन्द : अब भी मान लेना चाहिए।

श्री लादूराम सुलानिया : लेकिन उसके पश्चात् आपकी जो सेवायें रही हैं उन सब को बताने में तो मैं असमर्थ हूं। एक दो घटना तो बता देता हूं कि अमृतलालजी यादव के सम्मान को ठेस नहीं पहुंची है यह 1 करोड़ हरिजनों को ठेस पहुंची है। आदमी अपने स्तर से गिरता है तो पीछे देखता नहीं है कि मैं गिरता हुआ कहां तक जा रहा हूं। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं दलित संघ के लिए कार्यक्रम चल रहा है लेकिन दावे के साथ कहता हूं कि राजस्थान में दलित संघ नाम की संस्था ही नहीं है। है तो बिल्कुल फर्जी। जो आदमी अपने बीवी बच्चों पर खर्च करके सारे के सारे पैसे को उसके सरकार में पौर होने के बल पर हजम कर जाय और लाखों हरिजनों की समस्या खड़ी की खड़ी रहे यह बड़ा अन्याय है। मैं यही कहूंगा कि दलित संघ भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है उसकी एड एक मन्त्री खा जाय उससे बढ़ कर क्या अन्याय हो सकता है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मिल कर खा जाय।

श्री गोकुलचन्द : आप भी यही मानते हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं पुराना वर्कर हूं हरिजनों का। अमृतलालजी यादव को आप भी जानते हैं। कभी चुनाव हुए? हम हरिजनों में नहीं आते हैं क्या? हम जयपुर में नहीं हैं। हम कार्यकर्ता नहीं हैं? क्या जनता यों ही चुन कर यहां भेज देती है? कहां दलित संघ है। दलित संघ है तो आपके पेट में हजम हो गया। आप जैसे लोग हैं। ईमानदार हैं, जो आदमी अच्छे हैं, उनकी आड़ में इस प्रकार ऐसा भला आदमी डाका डाले और पैसा खा जाये। गोकुलचन्दजी कांग्रेस के हरिजन विधायक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन बीस वर्षों में क्या आपने भी बटवारा लिया है,

(श्री लादूराम सुलानिया)
या तो आप दबे हुए हैं या आपको ज्ञान नहीं है और कोई बात नहीं है।

श्री गोकुलचन्द : दलित वर्ग संघ सारे हिन्दुस्तान में है हरिजनों के लिए। क्या वहां पर चुनाव होते हैं? कुछ वर्कर लोग, प्रभावशाली लोग जो वाजिब समझते हैं कर लेते है।

श्री श्रवणलाल : यह क्या आप कह रहे हैं? आपको इससे सौ रुपये महीने दिये जाते रहे हैं।

श्री गोकुलचन्द : यह मजाक हमें पसन्द नहीं है। फालतू मजाक, बात मत करो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! श्री सुलानिया।

प्वाइन्ट आफ आर्डर पर ही डिबेट को रोका जाता है। माननीय सदस्य।

श्री श्रवणलाल : मैं यह कह रहा था, माननीय उपाध्यक्षजी, कि सम्बन्धित माननीय सदस्य यह कह दें कि उन्होंने सौ रुपया नहीं लिया है राजस्थान दलित वर्ग संघ से ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : यह इनको दिये हुए हैं और यह इसमें इनका नाम लिखा हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसे पढ़कर सुना दूं।

श्री गोकुलचन्द : यह गम्भीर मसला है।

श्री श्रवणलाल : मैं पढ़ कर सुना दूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर दिया जायेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, जो श्रवणलाल जी ने कहा है वह अलग मामला है। मैं यह नहीं कहता कि अलवर जिले से आने वाले माननीय सदस्य का इसमें कोई हिस्सा है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप कमजोर हैं। आपको ज्ञान नहीं है या कोई बात है। या आप यह मानकर चलते हैं कि जो हमारा मन्त्रि है वह हमारा बाप है और हम बेटे हैं। बाप खाता है तो कोई बात नहीं है या आपको इसका ज्ञान नहीं है। भारत सरकार और राज्य सरकार दलित वर्ग संघ को ऐड देती है तो यह बात नहीं हो सकती है। जो लोग हमारे रक्षक हैं। जो लोग रात दिन सरकार में हरिजनों की सुरक्षा के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिये मन्त्रि-मण्डल में बैठे हैं, वही मन्त्री दलित वर्ग संघ का पैसा खा जाते हैं इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। हमें तो इसलिये मानना पड़ता है और हम जानते हैं कि हमारा अधिकार छीना जा रहा है। हम यह जानते हैं कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा अन्यायी है। हम भी उसी जनता के प्रतिनिधि हैं और उसका प्रतिनिधित्व हम यहां पर करते हैं। उसने हमें मौका दिया है और एक करोड़ जनता राजस्थान में हरिजन है। उनके अधिकार सुरक्षित रह सकें यह हमारी मोरल ड्यूटी है।

(श्री लादूराम सुलानिया)

यह हमारी मोरल ड्यूटी है कि कोई पक्षपात नहीं कर सके। यदि हम यह बात नहीं करते हैं तो हम अपने अधिकारों से पीछे रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अन्य आरोपों के बारे में मेरे से पूर्व बोलने वालों ने, कई सदस्यों ने कहा है इसलिये उन घटनाओं के बारे में मैं नहीं जाना चाहता। मेरा उससे कोई सम्बन्ध नहीं है और उनसे सम्बन्धित कोई सदस्य है यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। यादव साहब ने ईमानदारी के साथ राजस्थान दलित वर्ग संघ का काम किया है, चलाया है, राजस्थान सरकार की ऐड से उसका ठीक ढंग से कार्य कराया है तो हाउस की कमेटी से जांच करवा कर उसकी रिपोर्ट सरकार को देनी चाहिये। इस सदन में और भी हरिजन विधायक है। हमको सन्तोष कराना चाहिये। नहीं तो यह आरोप लगाता हूं कि लाखों रुपयों का घोटाला किया है, दलित वर्ग संघ का पैसा खाया है। यह इसलिये नहीं कहता हूं कि आपका और हमारा हिस्सा नहीं हुआ, कोई बंटवारा नहीं हुआ। मैं तो यह कहता हूं कि आपने राजस्थान दलित वर्ग संघ का चुनाव नहीं कराया है। इस संस्था का पैसा जेब में रखा . . रखा तो कैसे रखा? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि····

श्री देवीलाल : अब तो आप रह गये हैं। आप आ जाइये। आपको भी फायदा मिल जायेगा।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं वह आदमी हूं, जो दिन भर महनत, मजदूरी करता है और जब विधान सभा का सत्र आरम्भ होता है तो आपकी सेवा में हाजिर हो जाता हूं। मुझे रिश्वत का पैसा नहीं चाहिये और न किसी संस्था का।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है। उसके बारे में हम कहना चाहेंगे। हमारा यह आरोप है कि विधान सभा के कई सदस्यों ने दलित वर्ग संघ का पैसा खाया है। उसका कोई प्रचार नहीं किया है। उसका कोई आफिस नहीं है। उसका कोई पदाधिकारी नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इतनी बड़ी संस्था को हमारा राजस्थान का एक मन्त्री अपने घर में बिठा रखें और उसका कोई लाभ करोड़ों हरिजनों को नहीं मिले तो यह जुल्म है और इस जुल्म से बचने का एक ही रास्ता है कि जांच कराने के पहले आपको मन्त्री पद से हटाया जाये। आप मुझ से यह पूछ सकते हैं कि आपको क्यों हटाया जाये? आप हरिजन मन्त्रि है और विधान सभा के लिये सुरक्षित सीट से जीत कर आये हैं और हमारे मन्त्रि-मण्डल में एक हरिजन की सीट भी है·····

एक माननीय सदस्य : श्री किशन-लाल वर्मा को बना दिया जाये····

श्री लादूराम सुलानिया : वे ट्राइब में आते हैं। उनकी आड़ में तो हमारे भीखा भाई बैठे हैं। नाथूराम जी यहां नहीं बैठे हैं। ये तो बिरदारामजी के आगे हो सकते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इनको मन्त्री पद से क्यों हटाया जाये?····

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त करें माननीय सदस्य। जल्दी करें।

श्री लादूराम सुलानिया : बहुत शार्ट में, दो मुद्दों पर बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष : आप उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मन्त्री पद से क्यों हटाया जाये मैं यह कहना चाह रहा था।

उपाध्यक्ष महोदय, आजकल हमारे राजस्थान में यह प्रक्रिया चल रही है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जो जमीन है, रेवेन्यू एक्ट के तहत सवर्ण लोग उसे नहीं ले सकते हैं। इसलिये उसको खरीदने वाले कम है। जयपुर के 12 मील के एरिया में जो जमीन आज से बीस साल पहले एक रुपये की थी आज उसकी कीमत पांच सौ रुपया हो गई है। पांच सौ गुना कीमत हो गई है। शिड्यूल्ड कास्ट्स के छोटे छोटे खातेदार हैं, और. उपाध्यक्ष महोदय, आज यह कानून उनके सामने है·····

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय से दूर हटते जा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं उदाहरण दे रहा हूं।

उनको ले जाकर इसाई बनाया जाता है और इसाई बन जाने के बाद उनकी जमीन खरीद ली जाती है। इसाई बनने के बाद वे हरिजन रहते हैं या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं है मैं यह कहना चाहूंगा और यह मेरा कहना है कि करीबन इस हिन्दुस्तान के अन्दर करोड़ों हरिजन हैं और राजस्थान में, उपाध्यक्ष महोदय, हरिजन कहलाने वाले शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के एक करोड़ से अधिक लोग हैं। हमने इन सब का सारा का सारा अधिकार यादवजी के हाथ में दे रखा है जो राज्य के मन्त्रि-मण्डल के अन्दर हमारी पैरवी कर रहे हैं लेकिन साहब पैरवी करें तो करें लेकिन इन्होंने हमारा मोरल गिराया है, नीचे गिराया है। जयपुर शहर के हरिजनों के साथ खिलवाड़ किया गया है और वह खिलवाड़ है आदर्श विवाह। आदर्श विवाह के नाम पर यादव साहब ने अपनी सुपुत्री को एक ब्राह्मण के लड़के के साथ कर दिया है और हमारा······

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यक्तिगत मामला है माननीय सदस्य, आप इस पर चर्चा न करें। इस डिबेट से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें हमारे अपमान की बात नहीं हैं। मैं तो सम्मान की बात बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह व्यक्तिगत मामला है।

श्री लादूराम सुलानिया : यह हमारा मसला है। एक करोड़ हरिजनों का मसला है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे सम्बन्धित नहीं है। आर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : और खुशी हुई हमारा आदर्श विवाह हो गया और

(श्री लादूराम सुलानिया)

बराबर की गिनती में आ गये। अब हमें कोई नीचा नहीं समझ सकता। हमारी हरिजन बहिन का आदर्श विवाह हो गया और हमारी तबीयत खुश हो गई परन्तु मुझे जानकर दुःख हुआ कि हमारे भाई, यादव साहब के लड़के को किसी ब्राह्मण की लड़की नहीं मिली तो मेरे को विचार करना पड़ा, और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़े असमंजस में पड़ गया और सोचते सोचते मेरा दिमाग घूम गया। होटल में, सड़क पर बैठे हुए लोग बातें करते हैं, कहते है आपके नेता का ताल्लुक ब्राह्मण से हो गया है। लोग कहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। यह व्यक्तिगत मामला है, इस चर्चा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं निवेदन कर दूं कि कृपया इस मामले को सदन में ज्यादा विस्तार से न लावें। इसको यहीं समाप्त करें।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं बल्कि मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन का समय ले रहे है और वह भी ऐसे उदाहरण देकर जिनका इससे कोई सबंध नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये आधे ब्राह्मण और आधे हरिजन हैं इसलिए इनको मन्त्री पद से हटा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

श्री लादूराम सुलानिया : + + +

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाये।

श्री लादूराम सुलानिया : + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण अंकित नहीं हो रहा है।

श्री लादूराम सुलानिया : + + +

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री लादूराम सुलानिया : + + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ये व्यक्तिगत मामले हैं और इनको सदन में नहीं लायें। मैंने बार बार निवेदन कर दिया है।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं आसन से निवेदन करूंगा कि मेरे जो ऐसे शब्द हों जो व्यक्तिगत आरोप के हों निकाल दें।

श्री उपाध्यक्ष : विषय से दूर हों उसका भी अधिकार आसन का है।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा मुख्य मन्त्री जी को चाहिए कि इनको तो मन्त्रि-मण्डल में रखना है तो हमें आपत्ति नहीं है लेकिन जो सवर्ण सीट है उसमें रखें और हमारी जो हरिजन सीट है मन्त्रि–मण्डल में उस पर और कई

+ + + अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री लादूराम सुलानिया)
विधायक बैठे बैठे बीस वर्ष से ऊंघ रहे हैं उनको नियुक्त किया जाये। हम यह नहीं कहते हैं कि इनको हटा ही दिया जाये, इनको रखें आप बदस्तूर लेकिन सवर्ण सीट पर ही रखें हमारी हरिजन सीट पर न रखें ....

श्री उपाध्यक्ष : विषय से दूर जा रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री बड़े आदमी हैं और बड़ा सोचने वाले हैं। उन्होंने मन्त्री-मण्डल का विस्तार बहुत लंबा किया।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, मेरे बार बार निवेदन करने के बाद भी आप विषय पर नहीं बोल रहे हैं इसलिए मुझे मजबूर होकर आपके भाषण को समाप्त करना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करूंगा कि आपको कुछ कहना है प्रस्ताव के संक्षेप में तो बोलें लेकिन आप व्यक्तिगत आरोपों को दोहरा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : तो उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश दलित वर्ग संघ का मामला था जो कि आपके द्वारा सदन के अन्दर निवेदन किया गया है और अगर किसी की जांच कराने के लिए तैयार नहीं है तो यह तो अलग बात है, लेकिन हरिजनों के प्रतिनिधि मिनिस्टर आप हैं तो आप प्रदेश दलित वर्ग संघ की जांच अवश्य करालें। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि हमारे मंत्री पर आरोप लगें उसका तो मुझे दुख नहीं है, लेकिन यादव साहब पर आरोप लगे इसलिए दुख है कि ये इनसे कैसे मुक्त हों और अगर आप स्वयं ही मान लेते हैं कि दोषी हैं तो फिर जांच किस बात की ? अगर दोषी हैं तो अपने आपको दोषी मान लें। और अगर आरोप सही हैं तो आप कह दें हमें जांच के लिए कुछ नहीं कहना है। हमारा कहना है कि हमारे मंत्री किसी से डरते नहीं हैं।

श्री गोकुल चन्द : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीच में श्रवणलालजी ने मेरा नाम राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ के साथ जिस संदर्भ में लिया था मैं निवेदन करूंगा कि अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी देखा है और माननीय सारण साहब ने भी देखा है कि उनको गलतफहमी हुई है क्योंकि जो दलित वर्ग संघ है मैं उसकी कार्यकारिणी का मेम्बर आज भी हूं। तो उस कार्यकारिणी के मेम्बर्स की लिस्ट दी है और उसके नामों को पढ़कर सुनाया था क्योंकि वहां यह भी लिखा है कि दलित वर्ग संघ के प्रचारक को 100 रुपया मासिक दिया जाता है एवं सहायक प्रचारक को 80 रुपया मासिक दिया जाता है। माननीय सदस्य ने स्वभावतः यह समझ लिया कि जो लिस्ट दी है उसके हिसाब से मुझे भी रुपया मिलता होगा। मैं चाहूंगा कि वह भी इसको साफ करें और यह जानकारी मैं देना चाहूंगा कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है पैसे धेले से और माननीय प्रेसीडेन्ट साहब भी कहेंगे इस बात को। तो मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहूंगा कि श्रवणलालजी इस गलतफहमी को दूर करलें कि मेरा पैसे धेले से

(श्री गोकुल चन्द)
कोई संबंध नहीं रहा और न मेरी मार्फत किसी को लेने देने का रहा।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं जानना चाहूंगा . . .

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, जानकारी किस से लेनी है ?

श्री लादूराम सुलानिया : गोकुल चन्द जी से।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : उन्होंने कहा कि मैं दलित वर्ग संघ की कार्यकारिणी का सदस्य हूँ . . .

श्री गोकुलचन्द : हां, हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : और यह भी कहा जि 100 रुपया मासिक प्रचारक को दिया जाता है और 80 रुपया मासिक सहायक प्रचारक को दिया जाता है तो अलवर का प्रचारक कौन है ?

श्री गोकुलचन्द : माननीय सदस्य, मेरा अलवर से कोई ताल्लुक नहीं रहा।

श्री लादूराम सुलानिया : तो फिर कार्यकारिणी के सदस्य कैसे हैं ?

श्री गोकुलचन्द : यह तो प्रेसीडेन्ट साहब जवाब देंगे।

श्री लादूराम सुलानिया : तो फिर आप कार्यकारिणी के सदस्य होने के नाते सौ रुपया भी तो लेते थे।

एक माननीय सदस्य : बिना पैसा लिये भी कार्यकारिणी के सदस्य हो सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें। श्री रणजीतसिंह।

श्री रणजीतसिंह (ओसिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आज हाउस में यादव साहब के खिलाफ मोशन लाकर चर्चा का विषय बना है उससे यह लगता है कि प्रजातन्त्र के अन्दर जो जनता के प्रतिनिधि हैं अगर उनके खिलाफ किसी तरह के आरोप हैं तो उनका निवारण कहां किया जाये, इसी आशय का इन्होंने मोशन मूव किया है और उसमें काफी आरोप लगाये हैं। आरोप सही हैं या गलत हैं न तो इसमें कोई जा सकता है पर आरोप जिस तरह के लगाये हैं उसमें एक बात साफ कही जा सकती है कि इन्होंने कह दिया कि अपने दबाव के जरिये चीजों को रेगुलेराइज कराया है। अगर लेगुलेराइजेशन यादव साहब के नाम से ही होता है तो मान लें कि इनके खिलाफ इन्क्वायरी से सारे मसले हल हो जायेंगे। इन्क्वायरी किस बात की होती है कि भ्रष्टाचार नहीं फैले पर इन्क्वायरी यदि एक ही आदमी के ऊपर हो उससे भ्रष्टाचार नहीं मिट सकता। आप खुद अन्दाज लगायें कि जहां भी हम जाते हैं सब जगह आज भ्रष्टाचार के नाम से जनता में एक तरह का रोष है और जनता का रोष भी काफी मात्रा में सही होगा और उस सही में खाली जनता के प्रतिनिधि हों यही बात नहीं है बल्कि उसमें दूसरे भी हैं, राज्य के कर्मचारी भी हैं लेकिन आज राज्य के कर्मचारियों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता और जनता के प्रतिनिधियों के खिलाफ इसलिए आवाज उठाते हैं कि सबकी नजरों के

(श्री रणजीतसिंह)

सामने वह प्रतिनिधि खड़े रहते हैं, इसलिए आवाज उठाते है। तो मेरा तो एक ही निवेदन है कि जहां कहीं भ्रष्टाचार हो उसका मौका आ गया है कि उसका निवारण होना जरूरी है। लेकिन निवारण के साथ ही यही है कि यादव साहब के ही नाम को लेकर यहां पर एक कमेटी मुकर्रर करें और उससे सब भला हो जायेगा तो यह नामुमकिन बात है। इनके खिलाफ चार्जेज लगाये हैं कि ये एम. एल. ए. क्वार्टर बी 13 में रहे और वहां इन्होंने नाजायज फायदा लिया। अब आप देखिये कि कितना फायदा ले लिया 5 रुपये, 10 रुपये बिजली पानी के है। हो सकता है कि इसमें इन्होंने कोई एडजस्टमेन्ट किया हो, नौकर को पैसे दिये हों। आखिर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है इनके खिलाफ?

श्री बालसिंह सौढ़ा : यह तो चाय पानी का है।

श्री रणजीतसिंह : प्रदेश दलित वर्ग संघ चल रहा है उसमें चाय पानी का खर्चा हो गया तो क्या बहुत बड़ा जुल्म हो गया? फिर कहें कि बंगले के पास कुछ जमीन रोक रखी है तो यादव साहब ने तो एक जमीन रोक ली लेकिन आप अपने आपको तो टटोलो कि कितने आदमियों ने नाजायज कब्जे किये हैं और उनका किस तरह से रेगुलेराइजेशन हुआ है। उसका किसी ने जिक्र नहीं किया और आपने दा नहीं बल्कि जहां कहीं भी रेगुलेराइजेशन हुए है अगर नाजायज कब्जे किसी तरह से दबाब से हुए हैं उन सब की एन्क्वायरी होनी चाहिये। शुरू से अंत तक हम नाम लेते हैं पार्टी के प्रतिनिधियों का–आप गंगानगर चले जाइये, कहीं भी चले जाइये अगर अलाटमेन्ट हुए हैं तो सबसे ज्यादा राज्य कर्मचारियों के हुए हैं। उन्होंने अलाटमेंट कराया और वह सर्विसेस कहां करते हैं और भूमिहीन कहीं हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता है इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ता है दोनों तरफ से...

श्री विजयसिंह : वह तो सरकार की देखभाल है।

श्री रणजीत सिंह : सरकार को ही बता रहा हूं इसलिये मेरा निवेदन है कमेटी मुकर्रर हो। अगर कमेटी अमृत लाल जी यादव पर मुकर्रर न हो। आज आप पहले के आंकड़े लगा लें कि पहले इनके पास कितनी सम्पत्ति थी और आज कितनी सम्पत्ति बन गई है। जब तो कोई भ्रष्टाचार...

श्री दिग्विजयसिंह : आपका यह संशोधन और जोड़ लिया जाय...

श्री रणजीतसिंह : हाउस में एक कमेटी मुकर्रर हो जो सब तरफ की...

श्री दौलतराम सारण : इसके लिए एग्री है। सर्व सम्मति से एग्री हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष तो आसानी से....

श्री दौलतराम सारण : सर्व सम्मति से तैयार है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भाई रणजीत जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको हम सर्व सम्मति से स्वीकार करते हैं। जो हाउस के किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो, माननीय मंत्री के खिलाफ हो-किसी भी व्यक्ति के कन्डक्ट के खिलाफ हो चाहे वह इधर बैठने वाले हों और चाहें उधर बैठने वाले हों। सब की जांच होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! आपस में बात न करें।

श्री विजयसिंह : हम सवा सोलह आना स्वीकार करते हैं।

श्री रणजीतसिंह : मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार क्या है। ऐलीगेशन लगाये हैं एक तो.....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कमेटी पर छोड़ दें जो मेम्बर्स के खिलाफ करप्शन की जांच करेगी।

श्री रणजीतसिंह : आज जांच नहीं होगी तो कल होगी। अब तो समय आ गया है। इनके खिलाफ जो ऐलीगेशन है-कार बेच दी, यादव साहब ने क्या, एक कार बेच दी बड़े बड़े आफिसर्स ने न जाने कितनी ही कारें ले ले करके बेच दी है। उनका नाम निशान नहीं है। इतनी लम्बी चौड़ी बातें कर रहे हैं और क्या एक कार बेच दी ? कार का एक्सीडेन्ट हो गया और कार काम नहीं देती थी तो बेच दी तो इसमें क्या गुनाह हो गया ? जो जमीन का अलाटमेंट यहां से 8-10 मील दूर पर करा लिया अरे भाई इन्होंने क्या एलाटमेंट करवा लिया इधर से और उधर से कई जागीरदारों ने, कई महाजनों ने कई प्रकार की उथल-पुथल करवा ली है। कई जागीरदार जिनके पास पहले भूमि थी ही नहीं उन्होंने 50-50 बीघा, 100-100 बीघा जमीन एलाट करवा ली है। जिन जागीरदारों के पास नाम मात्र को भूमि थी उन्होंने भी अपने नाम सैकड़ों बीघा एलाट करवा ली है। एक नहीं कई लोग हैं इस प्रकार के। मैं आज ही मिला था-200 बीघा भूमि गंगानगर में एलाट कराई गई है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये तो यादव जी पर ही नहीं माधोसिंह जी के भी विरोध में बोल रहे हैं।

श्री रणजीतसिंह : इसके अलावा जहां पर भ्रष्टाचार की जड़ है उसको मिटाने के लिये, उसका समाधान करने के लिये कमेटी बैठती है तो ठीक है लेकिन अमृत लाल जी का नाम लेकर बैठती है, माधो सिंह जी का नाम लेकर बैठती है तो न तो अपने हित में है और न सदन के हित में है और न माननीय मंत्रियों के हित में है। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई समिति बैठाई जाय-सब के खिलाफ भ्रष्ट राज्य कर्मचारियों के खिलाफ और जो अपने ऊपर आरोप लगाते हैं उसकी जांच होनी चाहिये।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : राज्य कर्मचारी जो भ्रष्ट हैं उनका नाम लें। हर आदमी का नाम न लें। क्या राज्य की नौकरी करते हैं इसीलिये भ्रष्ट हैं। यह आपका गलत आरोप है।

श्री रणजीत सिंह : मैं सबके लिये नहीं कह रहा हूं, जो भ्रष्ट हैं उनके लिये ही बोल रहा हूं। चीफ सेक्रेटरी तक के

(श्री रणजीतसिंह)
खिलाफ पहले आया था कुछ बोले ही नहीं । मैं व्यक्ति विशेष के लिये नहीं कहता । इस भ्रष्टाचार को मिटाना है तो ठोस कदम उठाना चाहिये । जो आप लाये हैं, इस तरह का नहीं कि किसी व्यक्ति के लिये लें और हाउस में निर्णय लें ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह तो हो जायगा । एक आरोप आया है, स्पेसिफिक आरोप आया है । सिद्धान्ततः आप स्वीकार कर रहे हैं । आप किसी के खिलाफ आरोप हैं......

श्री रणजीत सिंह : अरे भाई मेरा तो कहना यह है कि....

श्री कृष्णकुमार गोयल : अरे भाई हम भी यही कहना चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार कर लें और मामले में भी आ जायेंगे।

श्री रणजीत सिंह : चूंकि यह प्रस्ताव माननीय यादव जी पर है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं । भ्रष्टाचार मिटाना है तो सब पार्टी मिलकर ऐसा प्रोग्राम बना लें और तय कर लें इतना ही मेरा निवेदन है ।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय ...

श्री बिरदा राम ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदा राम !

श्री बिरदा राम (जालोर) : एक व्यक्ति के खिलाफ ये बोलते हैं, मैं बोला हूं टैम टैम (अश्रव्य) उसके मैं खिलाफ ...

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : क्या बोले साहब ?

श्री बिरदा राम : पक्षपात करते हैं एक रे साथ में । जैसा गरीब आदमी दिखता है उस पर हावी होता है । शिड्यूल्ड कास्टस का आदमी होवे उस पर ही नजर जावे । मैं कहूं भीखाभाई री लड़की ने जमीन एलॉट हुई क्या हुआ दूसरे ने जमीन नहीं ली ? एक बंगला से दो बंगला शिड्यूल्ड कास्टस का हो जाता है तो दुखता है एक से दो क्यूं हुआ ? उसका रहन-सहन रा ढंग जमता देखें तो भी दूखे । दिल में जानता है, जैसा कोई आदमी बनता है । वह घर बनाया तो कहां से बनाया ? उसमें पैसा कहां से लाया । मैं यह भी निवेदन करूं आप एक आदमी रे मांथे आरोप लगाते हैं वह गलत है । जमीन ली क्या हुआ ? शिड्यूल्ड कास्टस वालों ने औरों ने कितनी जमीन ली वह नहीं बोल्या । दूसरा में कहूं ज्यादा ताकतवर है । उसमें जमीन 17 आदमी ने ले ली है लेकिन हमारे यहां वह है शिड्यूल्ड कास्ट्स खाये नहीं तो ढोलो तो सही, इसने क्यों ली ? एक नहीं दूसरे भी लें । मैं यह निवेदन करूं एक रे साथ में नहीं हो चावे । ई टैम में कोई वातावरण नहीं है । आप तो खिलाफी करते है । हम तो हमारी सूझबूझ से कहते हैं । हम तो जरूर मानते हैं ...

श्री विजयसिंह : जो हुकुम ।

श्री बिरदा राम : बहुमत एक रे साथ में है दूसरां रे साथे में क्यों नहीं लगाते हैं । मैं बता सकता हूं कई आदमी रे खिलाफ आरोप है । हजारों बीघा जमीन

(श्री बिरदाराम)

एलॉट करवाई है। हमने भी सोचा था जयपुर में एक जमीन लेकर मकान बनवाता तो फिर हमारा भी यही हाल होता यह सब गलत है। न मैंने मांगा है और न लिया है। मैं खुद कहना चाहता हूं कि सच्चाई आनी चाहिए। पाप का घड़ा फूटेगा। एक आदमी के कहने से सच्चाई नहीं आयेगी। आप सच्चाई के वातावरण को सुधारें। मैं नहीं कहता कि अन्याय नहीं है। अन्याय कितने दिन चलेगा। सच्चाई तो होनी चाहिए और सच्चाई को लाना पड़ेगा। इन्दिरा जी ने समाजवाद का नारा लगाया। कितने आदमी हैं गरीब? दो तिहाई। हमने देखा कि बहुमत में है तो हमारी भलाई होगी। गरीबों की भलाई नहीं होती है। भलाई का एक दो आदमी फायदा उठाते हैं .....

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कर दें।

श्री बिरदाराम : अमृतलाल जी का नम्बर बाद में आयेगा। उनसे पहले बहुत बैठे हुये हैं। यह गरीबों के साथ में इतना मत पड़िये ....

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें पहले।

श्री मनोहर सिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि पहले नहीं किया है तो पहला नम्बर किस का है।

श्री उपाध्यक्ष : अब खत्म कर दें भाषण।

श्री बिरदाराम : यादव साहब ने एक फार्म लेकर फार्म बनाया जमीन मोल लेकर तो कोई जुर्म नहीं किया। दूसरे मिनिस्टर के फार्म नहीं हैं क्या? यादव साहब ने बनाया और दूसरों ने नहीं बनाया क्या? दूसरों के भी फार्म हैं, मोटरें हैं और दूसरों चीजें हैं। दूसरों के चार चार बंगले हैं तो इनके एक ही होगा।

नाजायज कब्जे की बात है तो मैं एम. एल. ए. रहा तो नाजायज कब्जा दूसरों ने कितना किया? भीनमाल में और दूसरी जगहों पर म्युनिसिपेलिटी की जमीन को नाजायज घेर कर बैठे हैं। उन पर मकान जबरदस्ती बना रहे हैं। उनके ऊपर केसेज चल रहे हैं, लेकिन वह हो रहा है। एक जाता है और दूसरा आता है। गरीब आदमी झोंपड़ी बनाता है तो उसकी झोंपड़ी तोड़कर फूंक दी जाती है। गरीबों के साथ में अन्याय होता है। नाजायज कब्जा कितना है? दूसरों ने नाजायज कब्जा कर रखा है बड़ी बड़ी जमीनों पर। जिन्होंने नाजायज कब्जा किया है उसको करें। न्याय इसमें है कि जिसने पहले जुर्म किया है उसको करें।

श्री श्रवणलाल : नाजायज कब्जा किया वह कौन कौन हैं पहला नम्बर किस का है?

श्री उपाध्यक्ष : बैठे बैठे न बोलें, माननीय सदस्य।

श्री बिरदाराम : खेत की जमीन लेकर कोई जमीन लड़े तो क्या है.....

श्री उपाध्यक्ष : अब जल्दी समाप्त कर दें।

श्री बिरदाराम : सबका आता है। नाजायज बनता है।

श्री उपाध्यक्ष : अब भाषण समाप्त कर दें जल्दी। समय हो रहा है।

श्री बिरदाराम : मैं कहता हूं कि न्याय करना चाहिए। जमीन नहीं खड़ेगा तो क्या करेगा ? जमीन खड़ेगा नहीं तो खाने को कौन देगा ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाइये। समय हो गया। श्री गोकुलप्रसाद।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (बीकानेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अमृतलालजी यादव को लेकर चर्चा चली है। जहां तक आरोप लगाये गये हैं और लगाने में जो शैली अख्त्यार की गई हैं मालूम पड़ता है कि बड़े गम्भीर आरोप हैं। पहले भी इस सदन में इस पर चर्चा हुई है।

यह किराया मकान के लिए कहा गया है। बी 13 का जो क्वार्टर था जब ये एम. एल. ए. थे तब रह रहे है। उस समय इन्होंने बिजली पानी का पैसा एम. एल. ए. स्वयं दिया करते थे, सरकार नहीं दिया करती थी। क्वार्टर जो एम. एल. ए. को मिलते तो उसमें बिजली पानी का पैसा दिया जाता था। दलित वर्ग के लोगों को अपने मकान के किसी हिस्से में रखा तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ स्वीकार किया है कि 5 रु. महीने के हिसाब से 60 रु. एक साल के लिए। मैं नम्र निवेदन करूंगा कि आज कितने लोगों के पास क्वार्टर है उनमें से कितनों ने दूसरों को दे रखे हैं। हाउसिंग कमेटी की रिपोर्ट है उनको बुलाकर पूछ लें कि कितने क्वार्टर्स ऐसे हैं जिनको माननीय सदस्यों ने दूसरों को दे रखा है और दूसरे लोग किराया देते हैं। अमृतलाल जी ने हां भर ली कि 5 रु. महीना लिया, लेकिन लोग तो 100, 100 रु. महीना लेते हैं।

कई माननीय सदस्य : बताइये कि वे कौन कौन हैं ?

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का वेग चार्ज सारे माननीय सदस्यों पर लगाया जा रहा है। जो लेते हैं उनके नाम बताइये और उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। 184 सदस्यों पर आरोप लगा रहे हैं तो यह बताइये कि किस किस ने किराये पर दे रखा है ? इससे बड़ी गलत बात नहीं हो सकती है कि सभी माननीय सदस्य लेते हैं। या तो इनको अपने शब्द वापिस लेने चाहिए या स्पष्टतः आरोप लगाना चाहिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मैं सोच समझ कर बोलता हूं। आप बिराजिये।

श्री दौलतराम सारण : अगर सोच समझकर बोलते तो नाम लेते। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है इन शब्दों पर। अच्छा हो कि माननीय सदस्य इसके लिए माफी मागें या अपने शब्दों को वापिस लें या स्पेसिफिक चार्ज लगायें उनके खिलाफ जिन्होंने क्वार्टर किराये पर दे रखा है,

श्री उपाध्यक्ष : आपने जो आपत्ति की है उसके सम्बन्ध में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : कितने सरकारी अधिकारी एम. एल. एज. क्वार्टर में रहते हैं ? क्यों रहते हैं ? क्या है उनका? कितने ही ऐसे क्वार्टर्स में रह रहे हैं जिन्होंने अपने बंगले किराये पर दे रखे हैं ? क्या ऐसे लोग क्वार्टर्स में नहीं रहते हैं जो रहते तो एम. एल. एज. क्वार्टर्स में और मकान किराया सरकार से उठाते हैं ?

श्री दौलतराम सारण : तो जांच कराइये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : मकान किराया सरकार से उठायें और आपके क्वार्टर में रहें।

श्री दौलतराम सारण : वेग चार्ज क्यों लगा रहे हैं। जो किराया लेते हैं उनके नाम बताइये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आप जल्दबाजी क्यों करते हैं, आप तो कुछ अन्दाजा लगाते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं कितने क्वार्टर हैं जो एम. एल. एज. ने दे रखे हैं और जिनमें सरकारी अधिकारी रहते हैं और वे अपने विभाग से किराया उठाते हैं उनका आप किराया उठाकर नहीं देते हैं। रहने वाला लिहाज से रहता होगा। अमृतलाल जी ने स्वयं ने 5 रुपये महीना कह दिया। साफ आदमी हैं जिसके मन में चोर होगा तो क्यों कहेगा व दूसरे लोग 110 रुपया और 80 रुपया महीना उठा लेते हैं सरकारी अधिकारी और आपके क्वार्टर में रहते हैं। यह बेचारा शेड्यूल्ड कास्ट का है इसलिए कहेंगे कि चोर है।

दूसरा, मैं यह निवेदन करूंगा कि अमृतलाल जी ने मकान किराया लिया या नहीं लिया यह उसमें नहीं है शायद रिपोर्ट में। माननीय सदस्य ने इसमें नाम नहीं लिया कि मकान का किराया नहीं लिया...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आफिस रेन्ट लिया गया है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मकान किराया हो सकता है कि अपने आप अमृतलाल जी को नहीं दिया गया हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जांच तलब बात है। मैं नहीं कह सकता।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : लेकिन बिजली पानी व्यय सदस्य अपने आप देते हैं।

श्री बालसिंह सोढा : आज भी देते हैं।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपका पानी से क्या काम है। आप बिराजिये। आप तो पानी पानी किया करते थे। आपके राज्य में क्या हालत वह मैं जानता हूँ। जैसलमेर से आये हैं तो आप तो शरणार्थी हैं।

तीसरा यह है कि नर्मदा सदन में जब वे चले गये तो किराया इन्होंने लिया। नर्मदा सदन में जब यह गये तो उस वक्त में मिनिस्टर नहीं थे। वे अपने मकान में जाकर रहे। मिनिस्टर बाद में बने। अपना मकान है उसको किराये से दे दिया तो मैं समझता हूँ कि दोष नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हस्तक्षेप के लिए क्षमा करें। यह बता दें कि कब बने मन्त्री जी ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : क्या कह सकता हूँ। आपको याद होगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं यह जानना चाहूँगा कि नर्मदा सदन का मन्त्री बनने के बाद कोई किराया चार्ज नहीं किया।

श्री शंकरलाल : यह आप बतायें। आरोप आपने लगाया है। आपको तारीख का पता होना चाहिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : मन्त्री बनने से कुछ नहीं। मकान इनकी पत्नि का है मकान का हिस्सा दे दिया तो पत्नी तो मकान किराये पर दे सकती है मिनिस्टर हो गये ? तो क्या यह अपने पति को किराये पर नहीं दे सकती अगर यह नाम है तो बात करें अगर यह नाम नहीं है तो मैं समझता हूं कि किराये पर दे दिया है और कमा लिया तो बुरी बात नहीं है। गवर्नमेंट का मकान तो था नहीं।

दूसरा यह था कि नगर विकास न्यास की जमीन पर अनधिकृत कब्जा किया। बहुत बुरी बात है। अनधिकृत कब्जा नहीं करना चाहिए, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय जयपुर शहर में 20 हजार से ऊपर जमीनों पर अनधिकृत कब्जा और अमृतलाल यादव की पत्नी है और उनके पति राजनीति में काम करते हैं, मिनिस्टर हैं तो वह पैसा जाकर जमा करा देते हैं कि इतनी सी जमीन नाले की पड़ी है उसमें बच्चे गिर न जायं, कोई गाय न गिर जाय और उस पर दीवाल कर ली तो उसने पाप, गुनाह किया कि यह कहा कि जो मरजी आये जमा कर लो और माननीय सदस्य ने जैसा कि कहा 8 हजार रुपया जमा करवाया। कितने लोगों ने जमा कराये हैं ? जिन्होंने जमा नहीं कराये हैं, वह वैध हैं। चौथा यह है कि दलित वर्ग संघ की धन-राशि का दुरुपयोग किया है। आप बतायें कोई संस्था है। अगर वहां चाय वाय पिलादी तो क्या दुरुपयोग हो गया। संस्था में यह होता ही है। अगर हम आप के घर जायें तो क्या चाय नहीं पिलायेंगे ? चाहे वह इधर के लोग हों या उधर के लोग हों किसी भी संस्था को चाय पिलानी ही पड़ती है। जनसंघ का दफ्तर जब धाबाई जी की हवेली में था तो कई बार वहां चाय पीकर आया हूं। चाय पिला देने से क्या दुरुपयोग किया है। इसके लिए जांच करें तो दलित वर्ग संघ की करें।

कार के बारे में कहा गया है। माफ करें, उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार दूसरे लोगों को कार देते हैं। कई आदमियों ने 6, 6 महीने में गाड़ियां ली हैं। इन्होंने तो ईमानदारी से 6 महीने के बाद जब गाडी टूट गई तो दूसरी कार खरीदी है। अगर इनकी नीयत में खराबी होती तो दूसरे के नाम से भी कार ले लेते। इन्होंने नीयत में कोई खराबी नहीं दिखाई है। दलित वर्ग संघ के हिसाब के कहते हैं कि 3518 रु. का झूठा हिसाब दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इनकी नियत मुजरिमाना होती तो यह बिल, वाउचर्स बना सकते थे ? बहुत से लोग बनाते रहते हैं। कई मेडिकल बिल इसी तरह बना करते हैं। नंदलाल जोशी को रुपया दिया गया। स्वर्गीय नन्दलाल जोशी जिन्दगी भर जनता की सेवा के काम आये। उन्होंने आजादी की लड़ाई के वक्त वर्षों जेल भुगती है। वह आदमी बीमार था। बीमारी से अच्छा हो

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

गया तो दलित वर्ग संघ में रहे। वह रुपया उनके पास रहा। उनकी मृत्यु हो जाने से उसका हिसाब नहीं हुआ है। तो इन्होंने

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री पदासीन)

(455 म.प.)

यह कहा। अगर इनके मन में बेईमानी होती तो यह हिसाब बनवा सकते थे। हिसाब उनके पास रह गया। अगर ऐसा होता तो यह वाउचर्स बनवा सकते थे।

एक माननीय सदस्य : आप ने सलाह दे दी है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : वह हिसाब इसीलिए नहीं दे पाये हैं। इसीलिए कि उनकी मृत्यु हो गई।

गाडियों और स्कूटर के अलाटमेंट में क्या गड़बड़ी हुई है, यह मुझे पता नहीं है। किसे देना चाहिए किसे नहीं देना चाहिये। बाकी मैं यह देखता हूं कि गाड़ी लेने की फिकर में वही रहता है जिसके पास धन अधिक आता है। ज्यादा पैसा आता है। अगर कोई कहता है कि मुझे हार्टट्रबुल है। स्कूटर बिना जा नहीं सकता है। तो एक मिनिस्टर ने अगर दे दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई और कारण हो तो अमृतलाल जी खुद बतायेंगे? झूठा वक्तव्य उन्होंने क्या दिया। इसी प्रकार से विधान सभा के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार।

श्री गिरधारीलाल व्यास : सभानेत्री जी, समय समाप्त हो रहा है। इसलिए बढ़ा दिया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अभी कहां समाप्त हो रहा है। अभी तो 50 साल की उमर है। कहा समाप्त हो रहा है?

श्रीमती सभानेत्री : आधा घण्टे के लिए समय और बढ़ाया जाता है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : दुर्व्यवहार की बात है तो आदमी जिस तरह से बात कर पाता है, उसी तरह से बात करता है। आप जिस जोश से बात करते हैं, आप वाला जोश हम सब सीख नहीं पाते हैं। अपने अपने संस्कार होते हैं, उसी तरह से आदमी बात करता है। यह तो समझ में आता नहीं है। अब यह मनोहरसिंह जी हैं। नाम से सेठ हैं, बात से सेठ हैं। बोलचाल में बहुत बड़े हैं। भले ही पैसा न हो। दुर्व्यवहार का तो यह है कि एक कड़ा शब्द कह दिया तो क्या हो गया। आप तो यह कह रहे हैं जैसे किसी के सिर से पगड़ी उतार ली हो। कोई गड़बड़ की बात लगी तो आप ऐसे ही संसद में गये होंगे। अब कोई हजामत बना रहा हो और आप जायें तो क्या करें।

एक माननीय सदस्य : कब जाना चाहिए।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आप वक्त बे वक्त नहीं देखो और घर में चले जाओ। बोलने का तो आदमी का अपना अपना तरीका हुआ करता है। इसलिए माफ करें। अगर यही बात है तो आप कोई क्लास

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)

लगाइये जिससे कि ये आपका तरीका सीख जायें।

अब कहते हैं कि 2 लाख रुपये का मकान। मैं समझता हूं कि मकान 2 लाख रुपये का होगा भी नहीं। आज से 10 साल पहले मकान देखा था। 10 साल पहले देखा था ये खुद अपने घर के लोगों के साथ मकान बनाने में लगे हुये थे। हमारे हरिजन तो पहले भी मकान बनाते थे। मकान बनाने में इन्होंने बड़ी मेहनत की है।

श्री दौलतराम सारण: यह आप को मालूम है।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा: बात यह है कि इन्होंने मकान बनाया तो क्या होगया, एक ओवरसियर तक मकान बना लेते हैं। जब देखो, आपको अमृतलाल जी याद आते हैं। इन्होंने खुद की मैरिट पर मकान बनाया है। मैंने इनको छबड़ी झलाते देखा।

जब मैं गया इसलिए झला रहे थे या रोज झलाते थे-यह मैं नहीं जानता। मैं उधर से जा रहा था, उस वक्त झला रहे थे। मैंने कहा-क्या कर रहे हैं? कहा मकान बनवा रहा हूं। मैं गया तो मैंने देखा, परिवार का प्रत्येक व्यक्ति-सब महनत कर रहे थे, सारे बरके लगे हुए थे तो उनके लेबर की सारी कीमत भी उसमें आयेगी··

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह तो पुश्तैनी आदत है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा: कृषि भूमि के बारे में है। पत्नी ने जमीन ले ली, सरकारी जमीन पर कुआ बनवा लिया। राजस्थान में लाखों आदमियों ने कृषि भूमि पर कब्जा किया है, और उसको आपने रेगुलेराइज करना तय किया है। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा है, कृषि भूमि पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसको रेगुलेराइज कर रहे हैं। तो अमृतलाल जी की पत्नी ने क्या पाप किया है? उनका क्यों नहीं रेगुलेराइज करें? उनका भी करें। इसमें जांच क्या होगी?

अब मन्त्री की हैसियत से क्या अधिकारों का दुरुपयोग किया है, यह आप जानें। मैंने इतनी बातें बताई। जो मैं जानता हूं वह मैंने बता दी हैं। एक दो बातें और हैं उनमें मैं कुछ देखता नहीं हूं। मकान है, मकान के पास जमीन ले ली है, गाय बैठे इसलिए जगह ले ली है, तो गाय, हरिजन-इनके बीच में क्यों पड़ते हैं श्री सतीशचन्द्र जी? कई लोग ऐसे हैं, बड़े बड़े सेठ साहूकार, जागीरदार हैं उन्होंने ढेर सारी एग्रीकल्चर लैंड ले ली है, कइयों ने बेच दी है एग्रीकल्चर लैंड। उनके बारे में बताये तो आप और हम दोनों उनके पीछे पड़ें। क्यों अमृतलाल जी के पीछे गये हैं? मुझे तो इसमें दम नहीं दिखा। मैं इसे ठीक नहीं समझता। मैं यह उचित नहीं समझता कि इस सदन के एक माननीय सदस्य को इस तरह से जलील करें, उसका मकान किराया क्या है, उसकी जमीन क्या है? आज जगह ऐसे पुरुष हैं, उन सबकी आप रिपोर्ट दे दीजिये कि किस किस ने क्या किया है तो आपको पता लग जायेगा। आप केवल

(श्री गोकुल प्रसाद शर्मा)
माननीय सदस्य के लिए कहते हैं कि पांच रुपया पानी बिजली का कैसे ले लिया ? तो आज गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के कई आफिसर बैठे हैं जो पचास पचास रुपये ले रहे हैं और वर्षों से ले रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : आपका सुझाव उचित है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : इसलिए इस प्रस्ताव में दम नहीं है। इसलिए मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इसको वापिस ले लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वापिस मैं ले लूंगा, अगर आप जो शिकायतें हैं उनकी जांच कराने के लिए तैयार हों। इससे हाउस का टाइम भी बचेगा।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हां ? हां, हां कह दिया।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपने अपनी बात कही, अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना प्रस्ताव वापिस ले लें।

श्रीमती सभानेत्री : आप उत्तर दे दें। उत्तर देने के लिए आधा घण्टे का वक्त बढ़ाया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे भी बोलना होगा।

श्रीमती सभानेत्री : काफी बोल लिये हैं।

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदया...

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मैं बोलूं.....

श्रीमती सभानेत्री : माननीय अमृतलाल जी उत्तर देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसके बाद समय मिलेगा।

श्रीमती सभानेत्री : नहीं, इसके बाद मुश्किल है। अभी जो बातें आ गई हैं उनका जवाब देने दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : दो मिनिट, तीन मिनिट। वरना तो फिर जाने दीजिये।

श्रीमती कान्ता खतूरिया : सभापति महोदया, मैंने समय की मांग की थी।

श्रीमती सभानेत्री : काफी बातें कही गई हैं। आप उत्तर दे दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप मुझे बोलने दें। बाद में कहें तो बाद में बोल लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : समय होगा तो देखेंगे, अभी उत्तर देने दीजिये।

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदया, इस देश में आज तो इतनी प्रगति हुई है, हमारे पूर्वजों ने तो उन स्थितियों को सहन किया है कि जहां अगर हम वेद

(श्री अमृतलाल यादव)

मंत्र सुन लें तो कान में शीशा डाल दिया जाय। उस वक्त से आज तक जो कुछ देश में प्रगति हुई है-इससे हमें संतोष और आशा ही होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदया यह शायद आपको भी मालूम है कि मैं इस सदन का प्रारम्भ से सदस्य हूं और जहां जब चुनाव में खड़ा हुआ जनता ने मुझे चुन कर के भेजा है। जब से मैंने अपनी उम्र सम्भाली तब से मैं जो कुछ अपने श्रद्धेय ठक्कर बापा इत्यादि बुजुर्गों के साथ रह कर ट्रेनिंग ले सका, जनता की सेवा करने की कोशिश की। मैं इस इरादे से कि हम एक गरीब और उस उपेक्षित समाज से आते हैं कि जिसके लिए देश में अभी तक बड़े बड़े नेताओं और समाज सेवकों ने उस भेद को मिटाने की कोशिश की है, इसलिए मुझे हमेशा इस बात का अहसास रहा है कि मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूं तो मुझे अपने आचरण के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपनी सेवा के द्वारा एक ऐसा आदर्श उपस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए कि जिससे औरों को भी प्रेरणा मिले और मैंने ईमानदारी से इस राह पर चलने की कोशिश की। लेकिन मुझे यह देख कर बहुत दुःख है, इस सदन के प्रांगण में कोई अवसर ऐसा नहीं छोड़ा गया, कोई निम्न स्तर की बात ऐसी नहीं छोड़ी गई-जो मेरे लिए नहीं कहीं गई हो। मैं निवेदन करता हूं, इसका खास कारण है, शायद इस सदन के प्रांगण पर इसके पहले भी आरोप-प्रत्यारोप की चर्चा के हुई है, लेकिन उस चर्चा का क्या स्तर रहा इस चर्चा का क्या स्तर है-इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि हमें क्यों इस बात को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि हम शायद एक अमुक वर्ग के हैं। इसलिए मैं सोचता हूं, क्या किया जाय सहन ही करना पड़ेगा। मैं चाहता यह था, जो मैंने अच्छे काम किये हैं, उन कामों में सदन में प्रशंसा होगी। मैं कभी नहीं समझता था, मेरे अच्छे कामों को गलत रूप से रखने की कोशिश की जायगी। जो मेरे माननीय मित्र हैं जिन्होंने बड़ी कृपापूर्वक मेरे भले के लिए 15 आक्षेप रखे हैं वह कहते हैं, उनकी मुझ से कोई दुर्भावना नहीं है. वह कहते हैं उन्होंने मेरे प्रति कोई राग-द्वेष की भावना करेक्टर असेसिनेशन की भावना, और बिल्कुल द्वेष की भावना से यह सब बातें रखी गई हैं। उसका कारण मैं समझ सकता हूं। क्योंकि उनको आजादी है सदन में चाहे जो कुछ कहने की, वह इस आजादी का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं--यह बात, जो कुछ उन्होंने कहा, उससे सभापति महोदया, समझ सकती है। मैं एक ऐसी संस्था का प्रतिनिधि हूं, सदस्य हूं जिससे कि उनको विरोध है। मैं एक ऐसे वर्ग से आता हूं जिस वर्ग की मेरे प्रति अत्यन्त कृपा है, उनका मेरे प्रति विश्वास है। इसलिए जब कभी चुनाव आते हैं, मैं, माननीय सभापति महोदया, आपसे निवेदन कर दूं कि मेरी यह मान्यता है कि जनसंघ पार्टी इस देश में साम्प्रदायिकता को फैलाने वाली और देश का अहित करने वाली पार्टी है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी को बर्दाश्त कर सकता हूं, सोशलिस्ट पार्टी को बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन जनसंघ पार्टी का, जब तक मैं जिन्दा रहूंगा, उसके खिलाफ काम करता रहूंगा। यही कारण है, आज इस विधान सभा में एक दो

(श्री अमृतलाल यादव)

सदस्य दलित वर्ग के जनसंघ के टिकट पर हो सकते हैं, अन्यथा हरिजन और आदिवासियों के अधिकांश सदस्य आज कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं–इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस भावना से कि इस व्यक्ति का आज हरिजनों में कुछ सम्मान है, इसके समाज के लोग इसको मानते हैं–इस लिए इसका करैक्टर असेसिनेशन कर दिया जाय, जिसकी वजह से आज इसका प्रभाव कम हो जाय, इसका राजनैतिक महत्व कम हो जाय–इस दुर्भावना से मेरे ऊपर यह आरोप लगाये गये हैं।

अब मैं इसका जावब देने से नहीं कतराता हूं। इसका मैं कोई न कोई जवाब दूंगा। कहीं किसी विधानसभा के प्रांगण में आपने यह नहीं देखा होगा कि बीस बीस, पच्चीस पच्चीस साल पहले घटनाओं और बातों का जिक्र सदन के प्रांगण पर हो। क्या कोई व्यक्ति जब से पैदा हुआ है और जब तक मरेगा–उसका सारा करैक्टर इस विधान सभा में एक्जामिन किया जाय ? यह किसी सदन की परम्परा है ? न सिर्फ हिन्दुस्तान में है। माननीय सभापति महोदया, मुझे यह सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मैं एक गरीब घर का हूं गरीब समाज से उठ कर मैंने कोशिश की थी कि समाज सेवा के जरिये मैं समाज में कुछ स्थान ऐसे वर्ग के लिए प्राप्त कर सकूंगा। लेकिन मैं दुखित हो यह कहना चाहता हूं कि न केवल विधान सभा का, न केवल हिन्दुस्तान की विधान सभा का बल्कि दुनिया की किसी विधान सभा का एक भी नमूना बता दें। मैं जहां पर किसी के करैक्टर के बारे में इस प्रकार की चर्चा की गई हो, जो कि उस के जिन्दगी के 20 सालों पहले के करनी के लिये हो। ये सब इस सदन में मुझे नीचा दिखाने के लिये और जो मुझे बदनाम करने के लिये किया गया है। सभानेत्री महोदया, मैं इसके लिये ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा पर अगर मैं इसमें कुछ नहीं कहूं और सही स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं करूं तो अध्यक्ष महोदया, ये मेरे पर आरोप लगायेंगे कि मैं जवाब देना नहीं चाहता हूं और सदन में जवाब देने से कतराता हूं। सभानेत्री महोदया, इन्होंने जो तारीखे बताई वे भी सही नहीं हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें स्पेशियली मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है इसके लिये मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी इन्होंने मेरे विरुद्ध आरोप लगाये है मैं उनका क्रमवार जवाब देना चाहूंगा वह इस प्रकार है :—

सभानेत्री महोदया आरोप नं. 1 के बारे में मेरा यह मेरा निवेदन है कि मैं बी–13 एम. एल. ए. क्वार्टर में 15 अगस्त, सन् 1960 में आया और 28 अगस्त, 1964 तक उसमें रहा। इस अवधि में राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ का कार्यालय क्वार्टर के गेरेज में रहा। जिसका मैंने कोई किराया संस्था से नहीं लिया। उसके बाद में मेरे निजी मकान में चला गया जो कि सी. स्कीम में है। दलित वर्ग संघ का दफ्तर जो कि एक दो माह बाद वहां गया था अतः उसके लिए मैंने 40 रुपये महीना चार्ज किया था, अध्यक्ष महोदया मैं आप से यह निवेदन करूंगा कि वह किराया गलत नहीं लिया गया था।

(श्री अमृतलाल यादव)

सभानेत्री महोदया, जब तक मैं बी-13 में रहा चूंकि पानी और बिजली के पूरे बिल मैं चुकाता था । इसलिए आंशिक तौर पर केवल मात्र पानी और बिजली के 5 रुपये मासिक के हिसाब से दलित वर्ग संघ से चार्ज किया । इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दलित वर्ग संघ के एकाउन्टेन्ट ने मुझे बताया कि पानी और बिजली के बिल बी-13 के आप ही चुकाते हैं इसलिए आप पानी और बिजली का खर्चा जो भी दलित वर्ग संघ का आता है वो ले सकते हैं, पर अध्यक्ष महोदय मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने तो आंशिक किराया मात्र ही लिया है । 2॥ रुपये पानी के 2॥ रुपये बिजली के । इसके लिए मैंने श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सदस्य, विधान सभा से भी सलाह ली जो कि वहीं पास में एम. एल. ए. क्वार्टर में रहते थे इन्होंने भी मुझे कहा कि आप ले सकते हैं ।

सभानेत्री महोदया मुझे यह पता नहीं था मैंने जो इनसे सलाह ली उसका ये इस तरह दुरुपयोग करेंगे, मैंने इसे वास्तव में सही समझ कर पानी और बिजली का किराया चार्ज किया । अगर यह कोई गलत था तो इसके लिए आप मुझे सजा देना चाहे दे सकते हैं । सभानेत्री महोदया, मैं समझता हूं कि 2॥ रुपये या 5 रुपये महीना लेने से मैं कोई मोटा तो नहीं हो जाऊंगा । मेरी इसमें कोई बदनीयती नहीं थी । मैं एकाउन्ट्स में समझता नहीं इसलिए सभानेत्री महोदया, मैंने यह किराया चार्ज किया जो मैंने इस सदन में और आपके सामने स्वीकार किया है । सभानेत्री महोदया टेलीफोन तथा ट्रंक के पैसे चार्ज करने के बारे जो चार्ज लगाया है उसके बारे में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने टेलीफोन तथा ट्रंककाल के उतने पैसे संस्था से लिये, जो टेलीफोन तथा ट्रंक काल संस्था के काम से किये गये थे । क्योंकि टेलीफोन नं. 2380 मेरा अपना निजी था यह सरकार ने टेलीफोन नहीं लगाया था । इसका जो खर्चा आता था वह मैं चुकाता था इसलिये यह जो आरोप लगाया गया है वह गलत है । सभानेत्री महोदया, मैंने तो जो संस्था के नाम पर ट्रंक काल होते थे उनके ही पैसे लिये हैं । मैं आपसे यह भी निवेदन कर दूं कि मैंने लोकल काल जो भी संस्था के लिये करने थे उनका कोई पैसा चार्ज नहीं किया है । इसके लिये मैं यह भी निवेदन करूंगा कि अगर माननीय सदस्य यह चाहते कि संस्था का टेलीफोन ट्रंक का खर्चा मैं ही बर्दास्त करता इतना तो मैं नहीं कर सकता था ।

दूसरा आरोप मेरे ऊपर जो लगाया गया है उसके बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 28-8-61 के बाद मैं मेरे निजी मकान में आ गया और अभी तक वहीं रह रहा हूं इस अवधि में 2 जून, 65 से 13 मार्च, 67 तक राज्य मन्त्री मण्डल में मन्त्री रहा और 5 सितम्बर, 67 से राज्य मन्त्री-मण्डल में मन्त्री हूं । मैं मेरे ही मकान में रह रहा हूं इस अवधि में राज्य से मुझे पानी बिजली और टेली-फोन की सुविधा मिली हुई है । इसलिये मैंने राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ से इस अवधि में कोई टेलीफोन, ट्रंक काल और

(श्री अमृतलाल यादव)

पानी बिजली का पैसा नहीं लिया। सभानेत्री महोदया, केवल इस अवधि में 170 रुपये भूल से पानी बिजली के चार्ज किये गये थे वह मुझे ज्ञात होते ही दिनांक 22-6-67 को संस्था में जमा करा दिये। इसके लिये यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह मोशन सदन में आया उसके बाद में मैंने जमा नहीं कराये हैं बल्कि उसके पहले जमा करा दिये। उसकी रसीद भी मैंने प्राप्त करली थी। चूंकि मकान मेरा निजी है इसलिये संस्था से केवल मकान किराया लिया गया है।

आरोप संख्या तीन के बारे में मेरा यह निवेदन है कि इस आरोप के अन्तर्गत विवादास्पद भूमि का मूल्य नगर विकास न्यास, जयपुर को उनके मांग पत्र संख्या 5402 दिनांक 13–3–69 के द्वारा मैंने 7,635 रुपये जरिये चैक नं. 660627 के दिनांक 22–4–69 को जमा करा कर पट्टा प्राप्त कर लिया है। इस जमीन के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य जो एन्क्रोचमेन्ट की बात कहते हैं, सभानेत्री महोदया, मैंने कोई एन्क्रोचमेन्ट नहीं किया है अभी भी माननीय सदस्य चाहें तो देख सकते हैं कि मेरे मकान के पीछे एक नाला बहता है चौमासे में जब ज्यादा पानी पड़ता है, तो उस नाले के पानी का असर मेरे मकान पर पड़ता है जब बाढ़ आई थी तो उसकी वजह से दीवार में क्रेक्स आ गई थी तो इस सम्बन्ध में मैंने यू. आई. टी. को पत्र लिखा इस पर यू. आई. टी. के ओवरसियर आदि आये उन्होंने स्थिति को देख कर कहा कि पीछे मिट्टी डलवा दी जावे तो थोड़ी सुरक्षा हो सकती है। पर यू. आई. टी. द्वारा मिट्टी डलवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई और फिर चौमासे में पानी की वजह से मेरे मकान की दीवार में क्रेक आ गई। अध्यक्ष महोदया, कोई भी इन्सान अपने मकान का नुकसान होता नहीं देख सकता। मैंने इन्तजार किया कि यू. आई. टी. इसका हल निकाले पर एक साल तक इन्तजार करने के बाद भी मिट्टी डलवाने की कोई भी कार्यवाही नहीं की गई तो मुझे मजबूरन मेरे मकान के पीछे जो जमीन थी उस पर कन्स्ट्रक्शन करवाना पड़ा और मैंने वहां एक काउशेड भी बनवाया यू. आई. टी वालों ने इसके लिये आब्जेक्शन उठाया और बाद में केस कम्पाउन्ड किया गया और वह जमीन जो कि मैंने सन् 1952 में पौने दो रुपये गज से खरीदी थी उसी जमीन के पास की जमीन जो मैंने एक्वायर की थी यू. आई. टी. वालों ने मेरे से 15 रुपये गज लिये। सभानेत्री महोदया, जितनी जमीन मैंने एक्वायर की थी और कन्स्ट्रक्शन करवाया था जो काउशेड बनवाया था वह सब मेरे मकान की सुरक्षा, चौमासे में उस नाले से हो, कोई नुकसान मेरे मकान में न हो जाय मुझे मजबूर होकर करना पड़ा था। उसके मैंने पैसे यू.आई.टी. को चुका दिये जिसका भी पट्टा मेरे पास है।

चौथा आरोप मेरे पर इन्होंने इस बात का लगाया कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ को 75 प्रतिशत अनुदान मिलता है। इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि, अध्यक्ष महोदया, कि उसका बाकायदा हिसाब रखा जाता है और राज्य सरकार को प्रतिवर्ष चार्टर्ड

Page No. 145

(श्री अमृतलाल यादव)

एकाउन्टेन्ट द्वारा ग्राडिट किया हुग्रा भेजा जाता है, ग्रौर संस्था की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित होता है, ग्रतएव धन के दुरुपयोग का ग्राक्षेप जो मेरे ऊपर माननीय सतीशचन्द्रजी ने लगाया है, वह निराधार है।

ग्रारोप संख्या 5 ग्रौर 6 के बारे में मेरा यह निवेदन है. सभानेत्री महोदया, कि मेरी कार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी ग्रौर दुरुस्त करवाने पर भी लम्बे दौरे के लायक नहीं रही थी। इसलिये मैंने राज्य सरकार को मेरी कार खरीदने का निवेदन किया, उनके इन्कार होने पर ही मैंने मेरी कार बेची इसलिये मैंने कार कन्ट्रोल ग्रार्डर का वॉयलेशन नहीं किया 'No person sh..ll, before the expiry of two years from the date when a motor car was first purchased as a new motor, sell or offer to sell it or divert it for a purpose other than the one for which it is obtained, enter into any other transaction involving the transfer of possession of the motor car to any other person except under and in accordance with the terms and conditions of a permit in writing from the Controller or in a State an officer appointed for the purpose or by the Govt. of that State."

इसके लिये मैंने गवर्नमेन्ट को लिखा था इसके ग्रलावा मेरी कार के बारे में ग्रॉटोमोबाइल सर्वे बॉडी बिल्डिंग कम्पनी व टेक्निकल इन्जीनियर्स से जो रिपोर्ट मिली मैं ग्राप को पढ़ कर सुनाता हूं :

"We found that this car has been damaged to a great extent and has been involved in a major accident even though We have carried out extensive repairs to the car. We are of the opinion that it can not be used for long journeys particularly."

जिसके लिए मैंने राज्य सरकार मोटर गैरेज विभाग को लिखा उस मोटर गैरेज विभाग के इंजीनियर के सर्टिफिकेट देने के बाद ही मुझे दूसरी कार खरीदने की परमिशन मिली।

"In view of the position explained you are hereby permitted under clause (a) of the Motor Car Control Order, 1959 to sell your Fiat Car......

श्री विजयसिंह (मकराना) : कार कंट्रोल ग्रार्डर रूल्स के तहत में यह है कि कोई भी··

श्री अमृतलाल यादव : वो तो मैंने पढ़ लिया ग्रौर पढ़ दूं Permission letter.

श्री विजयसिंह (मकराना) :

Except with the permission of the Government at the depreciated value.

श्री अमृतलाल यादव : हां, मैंने पढ़ा गवर्नमेंट को मेरी गाड़ी खरीदने को लिखा था ग्रौर गवर्नमेंट ने यह कहा कि...

श्री शंकरलाल (जैतारण) : गवर्नमेंट के आर्डर लिए हुए हैं।

श्री अमृतलाल यादव : हम आपकी इस गाड़ी को नहीं खरीदेंगे आप चाहें तो इसे बेच सकते हैं।

श्री विजयसिंह : गवर्नमेंट ने कब कहा और इन्श्योरेन्स का कितना क्लेम किया ?

श्री अमृतलाल यादव :

This is certified that Fiat Car bearing No... of Shri A. L. Yadav met with an accident on 18-10-66 and the claim was settled by us for a sum of Rs. 1666.89.

श्री सतीशचद्र अग्रवाल: गवर्नमेंट आर्डर किस तारीख का है कि आप बेच सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट आर्डर का मतलब ट्रांसपोर्ट विभाग का आर्डर ?

श्री अमृतलाल यादव : 6 अक्टूबर, 1967।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गवर्नमेंट आर्डर है ?

श्री अमृतलाल यादव : हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल यह है कि आपने जो गाड़ी बेची, सरकार ने परमिशन किस तारीख को दी और किस तारीख को बेची और कितने में बेची ?

श्री अमृतलाल यादव : 6-10-1967.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको डाईरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट ने इजाजत दी कि गाड़ी बेची जाय ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने में बेची ?

श्री अमृतलाल यादव : मेरे पास नहीं है, पीछे बताऊंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डाइरेक्टर आफ ट्रांसपोर्ट जो आपके अंडर था, आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे ?

श्री अमृतलाल यादव : आप जानते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गाड़ी कितने में बेची, यह रेलेवन्ट चीज है। आपने कहा मेजर एक्सीडेन्ट हो गया। 1600 का क्लेम है इन्स्योरेन्स का। 1600 का क्लेम तो मेजर एक्सीडेन्ट वाली चीज नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : जो कुछ मैंने कहा है, सुन लीजिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अच्छा।

श्री अमृतलाल यादव : सातवां आरोप निराधार है मेरा लड़का और मेरा जवांई सरकारी गाड़ी नहीं चलाते है। जिस दुर्घटना का जिक्र है उसकी सही बात यह है कि मेरा ड्राइवर मेरी कार चला रहा था जिसमें मेरी लडकी, जवाई और लड़का बैठा था उसमें पीछे से रोडवेज की गाड़ी का ब्रेक फेल होने से वह गाड़ी मेरी गाड़ी से टकरा गई जिससे उस गाड़ी को

(श्री अमृतलाल यादव)
थोड़ा नुकसान हुआ। यह ड्राइवर के बयान से स्पष्ट है। ड्राइवर के बयान की प्रतिलिपि सुनना चाहें तो वह मेरे पास है पढ़कर सुनाऊं ?

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री विजय सिंह : आपने कहा थोड़ा नुकसान हुआ, उधर बता रहे हैं कि मेजर एक्सीडेंट हुआ ?

कई माननीय सदस्य : वह दूसरा एक्सीडेंट है।

श्री अमृतलाल यादव : दलित वर्ग संघ के 3518 रु. की बात कही गई, इसके हिसाब की आडिटेड कापी संलग्न है। जब दलित वर्ग संघ का सम्मेलन हुआ था उस समय में मैं अध्यक्ष नहीं था। श्री पन्नालाल बारूपाल थे। राज्य सरकार ने उसके लिए 5000 मंजूर किए थे। जो रुपया खर्च किया गया उसका हिसाब श्री नन्दलाल जोशी कनवीनर के पास था क्योंकि मैं मंत्री था और वहां का रहने वाला हूं, मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी थी मैं इससे संबंधित था, मैंने उनसे कहा काम चलाने के लिए थोड़ा बहुत पैसा मुझसे ले लो क्योंकि राज्य सरकार ने अध्यक्ष पन्नालाल को लिख कर दिया है उनसे पैसे ले लेंगे। उसमें बाद में श्री पन्ना लाल ने कहा मैंने खर्च कर दिया और 3,518 का चेक मुझसे ले लिया जाए। चेक मेरे खाते में जमा हुआ। मैंने श्री नंदलाल को मेरे बैंक के चेक नं0 9938 के जरिये 2500 रु. दिये और बाकी नगद दिए। क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उस साल के एकाउंट में वह नहीं गया था क्योंकि उनके यहां से कागजात नहीं मिले थे। बाद में दलित वर्ग संघ उदयपुर के कागज मिले। उन्होंने आडिट कराकर हिसाब पेश किया संघ के कार्यालय ने हिसाब भेजा था। जब तक हिसाब नहीं दिया था तो समाज कल्याण विभाग ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि समाज कल्याण विभाग में कोई बिना आडिटेड एकाउंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसलिए श्री नंदलाल की मृत्यु की वजह से हिसाब नहीं मिल सकता था। उसका हिसाब बाकायदा दिया गया, उसकी आडिटेड कापी है, मैं दे दूंगा, मेरे पास उसकी कापी है।

(9) यह आक्षेप निराधार है और मुझे बदनाम करने की मन्शा से किया गया है।

(10) यह सही नहीं है।

11, 12 व 13 सब आरोप निराधार है। मैंने 1952 में 1-3-4) रु0 गज में यह भूखन्ड यू. आई. टी. से खरीदा और 1962 तक इसमें मिट्टी डलवा कर थोड़ा-थोड़ा काम करवाता रहा। 1963 से 1964 तक मैंने मकान बनवाया, उसकी लागत मुझे लगभग 50 हजार पड़ी जिसमें से मैंने आठ हजार रुपए सरकार से चार हजार अन्य मित्रों से ऋण लिया और बाकी मेरे वेतन की बचत में से लगाया। 1950 से अब तक राज्य में विधायक और मन्त्री के पद रहता आया हूं और मेरे कोई लम्बा-चौड़ा खर्च नहीं है। इसके अतिरिक्त मैंने कोई मिस्त्री या ओवरसियर न रखकर स्वयं देखरेख कर किफायत से बनाया। माननीय सदस्य जानते हैं कि हम लोगों का यह पुश्तैनी धंधा रहा है। स्वयं माननीय सदस्य ने मुझे वहां काम करते हुए देखा है, अगर नहीं देखा हो

(श्री अमृतलाल यादव)

तो इंकार करें इस बात से। वह एक दिन आए थे, मेरी पत्नि · ·

श्री शंकरलाल : समय बढ़ा दें।

श्रीमती सभानेत्री : आधे घंटे का समय और बढ़ाया जाता है।

श्री अमृतलाल यादव : उस समय माननीय सदस्य ने कहा, बहुत अच्छा काम किया हम लोगों को इसकी खुशी हुई आदर्श उपस्थित किया है। और आज सदन में इसकी आलोचना करते हैं, यह मर्जी की बात है लेकिन यह जरूरी है कि मेरी हार्दिक भावना रही कि जहां हम लोगों को कोई पक्का मकान बनाने न दें, कोई खिड़की खोलने न दें, खुद भरतपुर के माननीय सदस्य जानते हैं, भगवान उनको सच बोलने की शक्ति दे, आज तक भी इनके गांवों में कई जगह ऐसी हैं जहां पर जमींदार लोग हरिजनों को पक्के मकान बनाने से रोकते हैं और झगड़ा करते हैं। तो मैंने इस बात को देखकर कहा था कि एक मकान मैं भी कम से कम अपना बना दूं तो आज 15 साल से विधायक और गवर्नमेंट में हूं और बीस साल से रहता आया हूं पुश्तैनी मेरा धंधा रहा है, बीबी बच्चों समेत इसमें काम किया, वह भी आपकी आंखों में खटकता है तो मर्जी की बात है।

(14) यह आक्षेप निराधार है।

(15) अब मेरी तो कोई जमीन ही नहीं है। यह बार बार नर्मदा सदन आपने कहा। मेरा मकान का कुछ भी नाम नहीं है, उसमें अमृत लिखा है। उन्होंने जमीन की बात कहीं, जमीन मेरे नाम की कोई नहीं है, मेरी पत्नी के नाम से जमीन है। इनको किसी ने कह दिया होगा, खुद भी देखने के लिए गये थे, किसी ने कह दिया होगा कि सरकारी जमीन पर कुआ खुदवा लिया। जो जमीन राज्य सरकार ने मेरी पत्नि को एलाट की उसमें जमीन पर कुआ खुदवाया है। जो जानकारी आपको मिली है बिल्कुल गलत है और कहने लगे इधर कब्जा कर लिया, वह कर लिया। राजस्व अधिकारियों ने जो कुछ मेरी पत्नि को जमीन का कब्जा दिया उतनी जमीन पर कब्जा है, कोई दूसरी जमीन पर नहीं है।

छीतर योजना की बात करते हैं, मेरा फर्ज है, कोई हरिजन आए उसकी मैं मदद करूं। मुझे मालुम हुआ है कि वहां पर एक मेहतर ने जमीन का फार्म भरा था। मेरे पड़ौस में जमीन थी। वहां के सरपंच ने एलाटमेन्ट कमेटी के रूल्स के खिलाफ दिल्ली में रहता है उनका भाई उसको एलाट की। बस भंगी ने अदालत वगैरा में कार्यवाही की तो उससे मेरा क्या ताल्लुक है? जो मेरे पास आये उसकी मदद करने का मेरा फर्ज है।

इसके बाद माननीय भैरोंसिहजी ने तिल का ताड़ बना कर लम्बी चौड़ी बातें रखीं। मैं तो, माननीया सभापति महोदया, यह उम्मीद करता था कि जो कदम एक यातायात मन्त्री ने उठाया उसकी सराहना की जावेगी। मैं ही पहला यातायात मंत्री हूं कि जिसने गंगानगर जिले में बस के रूट्स को नेशनेलाइज किया और कार्पोरेशन को दिया। एक मूर्ख आदमी और पागल

(श्री अमृतलाल यादव)

आदमी भी अपने मुंह से नहीं कह सकता है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया। आज मुझे दुःख है कि इस सदन में देश के एक बड़े नेता का नाम घसीटा गया और इतने निम्न स्तर पर घसीटा गया कि उनकी पत्नी और बच्चे आये तो मैं होस्ट और गेस्ट थे। इस स्तर पर वे चले गये। कम से कम इतने निम्न स्तर पर तो चर्चा नहीं करनी चाहिये थी। हमने नेश्नेलाइजेशन रूट का किया। कैंसल कर दिया होता तो कोई बात होती। हाई कोर्ट से मुकद्मा लड़ कर डिसीजन को कायम रखवाया। सुप्रीम कोर्ट में बस आपरेटर गये तो ऊंचे से ऊंचा वकील करके मुकद्मा लड़ा। यह तो कोई मूर्ख आदमी और पागल आदमी भी नहीं कह सकता कि जगजीवनरामजी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी जस्टिस को कह देंगे और उनका कहना मान कर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी कि रूट नेश्नेलाइज किया है वह नहीं किया जाना चाहिए। जहां गंगानगर जिले के लोगों के लिये आपने कहा कि बड़े होशियार हैं, कम से कम होशियार आदमी तो माना। कामन आदमी भी समझ सकता है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? देश की सुप्रीम कोर्ट और बड़े नेता को घसीटा जाय। कुछ लोग नाराज हुए इसलिये कि रूट नेश्नेलाइज किया, उससे वे बदनाम करेंगे। कौनसा इनाम देंगे।

जिस रसीद की चर्चा की जाती है, माननीय सभापति महोदया, एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया उसी क्षण मैंने चैलेन्ज किया और इन शब्दों में चैलेन्ज किया कि आप साबित कर देंगे तो इस सदन से भी इस्तीफा दे दूंगा और मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दूंगा। मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को जाकर कहा कि मुझे मंत्री पद से हटा दीजिये और आरोप लगाये गये हैं उसके लिये क्या कहते हैं और मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि उन साहब ने आरोप लगाया है और अमृतलाल यादव ने चैलेन्ज किया है और कोई रसीद है तो तीन दिन के अन्दर–अन्दर रसीद पेश कर दें उसके बाद पन्द्रह बीस दिन तक सदन चला उसमें पेश नहीं की गयी और उसके बाद भी सदन चला तो उसमें पेश नहीं की गयी और मुझे बदनाम करने के लिये रसीद के लिये कहा गया और माननीय सदस्य जो अब इस संसार में नहीं हैं उनके लिये कहा और माननीय भैरोंसिंहजी इस स्तर पर उतर गये और वे यह कहें कि रसीद तो थी किन्तु ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसका नाम नहीं बता सकता हूं। रसीद नहीं गयी। यह सवाल उठाया तो फिर रसीद की बात आयी यह कहते हैं कि रसीद लिख कर दी है कि तुम्हारा काम नहीं हुआ तो 15 हजार रुपये लौटा दूंगा। माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे बढ़ कर मेरे साथ जुल्म और अन्याय नहीं हो सकता है। मैंने कोई रसीद नहीं दी। यह मेरे साथ घोर षड़यन्त्र है और मैं इसका घोर विरोध करता हूं। प्रत्येक माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं उनमें परमात्मा की गवाही देकर कहलाना चाहता हूं कि क्या मैंने यह बात नहीं कही थी और क्या उसके बाद भी सदन नहीं चला था? कुछ तो न्याय करो और कुछ तो सुनो और

(श्री अमृतलाल यादव)

द्रोपदी का चीर छीना जाय और भरी सभा में देखा जाय इतना अन्याय तो मत करो।

श्री मदनसिंह : आपने सही कहा है तो सब लोग कहेंगे।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने सही कहा है और सही कह रहा हूं। मैंने कोई रसीद नहीं लिखी और कोई रिश्वत नहीं ली। चूंकि मैंने यह रूट नेशनेलाइज किया, बेशक उनकी रोटी पर लात मारी, प्रदेश के हित में काम किया वे तो नाराज होंगे हो, और षड़यन्त्र करें मेरे खिलाफ तो वे कर सकते हैं। अगर आप साबित कर दें कि मैंने कोई रिश्वत ली है या कोई खाया है, रिश्वत ली होती तो आज इस स्थिति में नहीं होता। माननीय सदस्य मेरी स्थिति जानते हैं और मुझे भी जानते हैं। मैंने कोशिश की, मैं ऐसी जगह से और ऐसे घर से आता हूं, जो भी महकमा मुझे मिले मैं ऐसा काम करूं कि जनता सराहना करे। ट्रान्सपोर्ट मंत्री होते ही मेरे मन में उत्सुकता थी, लोग मुझे याद करें और मैंने रूट नेशनेलाइज करने का काम सबसे महत्वपूर्ण समझा और मैंने वह किया और कहीं उससे पहले नेशनेलाइज नहीं किया था।

माननीया सभापति महोदया, और तो मैं क्या निवेदन करूं कि यह कहा गया कि मैंने स्कूटर दे दिये, किसी को कार दे दी। मैं इतना ही निवेदन करूं कि जो कमेटी बनी होती है उसमें अधिकारियों को देने का प्रोविजन होता है, उसमें कुछ डिस्क्रीशन मिनिस्टर वगैरा के लिये होता है। जो आया हो और उनको दे दी हो। उनका आरोप लगाना कि कहीं जौहरी बाजार का लिख दिया। जो भी जरूरतमन्द आया उसको दी उसमें कोई अड़चन नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय भैरोंसिंहजी, उनसे उम्मीद नहीं की थी, इतनी गम्भीर बात बिना किसी आधार के यहां कहेंगे। खैर, उनकी मर्जी है वे कहें। उनको और कुछ निवेदन नही करना चाहता।

एक बात रह जाती है। हमारे गोयल साहब ने एक अजीब गरीब कहानी घड़ी। और मैं समझ नहीं पाता और उम्मीद नहीं कर पाता कि ऊट-पटांग कहां का जोड़ा जोड़ कर यह बात कही कि कन्जूमर्स कोआपरेटिव सोसाइटी कोओपरेटिव डिपार्टमेंट में है और पहले भी थी। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स उसमें होते हैं। वह ही निर्णय करते हैं। गवर्नमेंट का उसमें कोई इन्टरफियरेन्स नहीं होता है। बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स मांगते हैं चेयरमैन दे दे तो गवर्नमेंट दे देती है। गवर्नमेंट और मिनिस्टर दबाव डालें, कीमती चीजों को कहते हैं या और कोई बात कहते। मैंने 20 हजार रुपये का चूर्ण खरीदने के लिये कहा। 20 हजार रुपये का चूर्ण, आयुर्वेद का स्टोर और कोई दवाखाना होता तो बात समझ में आती। कोई दवाखाना नहीं आयुर्वेद का लोग नाराज होते हैं, यहां यह बात कही वहां अफसर पहुंच गया और कुछ भी दिया और आरोप चेप दिया। कुछ तो सोचा होता कि 20 हजार का चूर्ण खरीदा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : त्रिफला का चूर्ण था क्या ?

श्री अमृतलाल यादव : चर्चा का प्रश्न नहीं है । वे तो खुद कह रहे हैं कि नहीं खरीदा । वे कहते हैं कि मैंने कहा कि खरीदो ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय मुख्य मन्त्री जी बैठे हैं । विश्वेश्वरनाथ जी भार्गव का पत्र आया था या नहीं ?

श्री मोहन लाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): पत्र आया था । वह खरीदा नहीं गया यादव जी के ओर से खरीदा जा रहा है ऐसा नहीं है ।

श्री अमृत लाल यादव : दूसरा उन्होंने वेंकटेश ट्रेडिंग कम्पनी के लिये कहा ।

मेरा उनको कहना है, मेरी समझ में नहीं आता कि कौनसी वेंकन्टेश ट्रेडिंग, मद्रास से मैंने कोई कपड़ा खरीदने के लिये कहा है । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर बोर्ड आफ डाइवटर्स हो और जो इस पर निर्णय करता है जो कुछ भी खरीदना होता है उसके लिये तो मैं कैसे उसमें दखल कर सकता हूं । गवर्नमेंट आफ इन्डिया ने भावों को रेगुलेराइज करने के लिये कन्जूमर के सामने माल पहुंचे इसलिये उसी को माल दिया है और वह हमारे कोआपरेटिव स्टोर को दिया जाता है तो इसमें मेरा दखल कैसे हो सकता है । कोआपरेटिव का कोई एक आफिसर आपके पास में आता है जो कि रिटायर हो गया है वह अपना री-अपाइन्टमेंट कराना चाहता है मैंने उसको एक्सटेन्शन नहीं दिया गवर्नमेंट की पालिसी के तहत कि जहां लोग बेकार हों वहां रिटायर्ड को वापिस नहीं लगाया जायेगा । उससे वह नाराज होकर सौ जगह यह कहता फिरे तो इससे मैं गवर्नमेंट की पोलिसी को तो नहीं बदल सकता हूं ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसके केस के अन्दर आप यह बता दें और आज भी आप कोआपरेटिव डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर हैं, इस कपड़े के सवाल को लेकर कोई इनक्वायरी चल रही है और आपके डिपार्टमेंट में चल रही है ? आपके डिप्टी-रजिस्ट्रार इसके चेयरमेन हैं, उनके द्वारा पर्चेज होती है, खराब हुई है, गलत हुई है और महंगी हुई है उसके लिये क्या इनक्वायरी चल रही है और किसी को चार्ज शीट दी है और उसका रिप्लाई आया है और उस इनक्वायरी को आपने दबा दिया है । यह आप बता दें ।

श्री अमृतलाल यादव : डिप्टी रजिस्ट्रार नहीं मैं आपको करेक्ट कर दूं, रजिस्ट्रार चेयरमेन होता है, वह बोर्ड आफ डाइरेक्टर है और कोई भी अनुचित काम होता है तो उसको अधिकार होता है कि वह उसको देखे । इसमें मिनिस्टर के दखल करने की क्या बात आती है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उसमें आपका हवाला दिया गया है कि मिनिस्टर ने कहा है ।

श्री अमृतलाल यादव : एक त्यागी के कहने से वह सही बात हो गई । वह रिटायरमेंट के बाद रि अपाइन्टमेंट चाहता था, उसके कहने से यह नहीं हो गया । उसके कहने से आप इस बात को मानते हैं ।

(श्री अमृतलाल यादव)

इसके बाद, सभापति महोदया, आप सुनियेगा कितनी अजीबोगरीब बात है। आपने कहा कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में एक रंगमंच है तो माननीय सदस्यों की सूचना के लिये, सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह रंगमंच, सभापति महोदया, मैंने आकर के नहीं बनाया है। गवर्नमेंट के कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में रंगमंच है तो क्या मैं उसको तोड़ दूंगा उससे तो लोग बेकार होंगे। मैंने तो उसको नहीं बनाया है वह पहले से ही मौजूद है। आप उसमें कहते हैं कि कोई धनीराम का प्रमोशन मैंने किया....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह पर्सनल बात है। आगे चलिये।

श्री अमृतलाल यादव : यह कहा गया कि मैंने उसको पब्लिसिटी आफिसर बनाया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : बनाना चाह रहे है।

श्री अमृतलाल यादव : इसका क्या सबूत है। वह एक कलाकार है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप इसकी जांच करवा लें।

श्री अमृतलाल यादव : क्या जांच करवालें। यह झूंठी बात है। गोयल साहब जैसे आदमी ऐसी निम्न स्तर की बात कहें यह मैं नहीं जानता था। आप को स्वतन्त्रता है हर तरह से आरोप लगावें हम लोग पैदा ही ऐसे हुए हैं। आप कोई कसर मत रखिये। कोई आरोप बाकी न रखिये। मेरी इज्जत आबरू को जितना भी आप खराब करना चाहते हैं, कर सकते हैं करिये। आपको सदन के अन्दर अधिकार है, लेकिन सदन के अधिकार से भी ज्यादा कानून है। इस सदन के बाहर भी कानून चलता है। भारतवर्ष में और सरकारें भी चल रही हैं। क्या उनका कोई कानून नहीं है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यहां तो आपको स्वतन्त्रता है। आप कह सकते हैं। लेकिन अगर वास्तव में यहां पर जो आपने कहा है। वैसी ही बात है तो इसके लिये कानून बना हुआ है। आप कानून के जरिये आइये और फांसी लगवाइये वहां पर सुनवाई होगी। वहां मुझे जो कहना है वह मैं कहूंगा और आप भी कहिये। लेकिन यहां पर आपका मकसद राजनैतिक कारणों से है और मेरी प्रतिष्ठा को गिराना है और यही इस प्रस्ताव के पीछे आपका उद्देश्य है। मैं समझता हूं कि यह घृणित कार्य है। सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि यह सिलसिला चल पड़ा तो कहां तक चलेगा और सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं का जीवन कितना निष्कलंक, पवित्र रह पायेगा ? यहां आपको स्वतन्त्रता है आप यहां पर कहें परन्तु इस सदन के दूसरे माननीय सदस्यों को भी इस पर सोचना है ? मैं समझता हूं कि मैंने पाइन्ट वाइज निवेदन कर दिया है और अब भी, सभापति महोदया आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम अन्यायपूर्वक आरोप लगाने का प्रयत्न नहीं करें। मैं जैसा भी हूं खुली तस्वीर हूं। कई लोग मुझे जानते

(श्री अमृतलाल यादव)

है। परसनली जो मित्र मुझसे मिलते हैं तो उनका क्या रुख रहता है और यहां उनका क्या रुख है, यह देखकर मैं समझ नहीं पाता हूं। मैं समझता था कि जैसे मिलते हैं वैसे ही हैं लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि उनका मिलने का क्या रूप है और यहां उनका क्या भयंकर रूप है और मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। मुझे इस बात का बहुत दुःख है। मैं उम्मीद करता था कि जो अच्छा काम किया है उसके लिये मेरे मित्र मुझे सलाह देंगे लेकिन जो कुछ इन लोगों ने कहा उसके लिये उन्हें स्वतन्त्रता है। उसके बारे में मैंने पाइन्ट वाइज निवेदन किया है। इतना ही निवेदन करके मैं समाप्त करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभानेत्री महोदया····

श्रीमती सभानेत्री : अब तो काफी हो चुका है। यथेष्ट वाद-विवाद हो चुका है।

श्री मदनसिंह दांता : सभापति महोदया एक पक्ष बोला है, उस पर दूसरे पक्ष ने जवाब दिया है। उससे हमारा क्या व्याख बनता है। उस सम्बन्ध में हम बोलेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : जिन्होंने प्रस्ताव रखा है वे ही जवाब देंगे।

श्री मदनसिंह दांता : जिनने कोई आरोप नहीं लगाये और सुना है उनको भी बोलने का अधिकार है।

श्रीमती सभानेत्री : स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : एक आरोप लगा है और उसका खण्डन किया गया है···

श्री रामानन्द अग्रवाल : आरोप है तो बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, आप जानते हैं नियम है। जब रिप्लाय हो चुका है तो जिन्होंने प्रस्ताव रखा है उन्हें ही पूछना है वह कह दें। बाकी डिबेट समाप्त है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राइट आफ रिप्लाय है। उनको नहीं है। उनका तो वह एक्सप्लेनेशन है।

श्रीमती सभानेत्री : आप जवाब देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बोलूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : मैं भी बोलूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : काफी समय हो चुका है। दो बार समय बढ़ा चुके हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

यह प्रश्न केवल जिस माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है उन्हीं का नहीं है या जिन्होंने रिप्लाय दिया है उन्हीं का नहीं है। यह हम जो तमाम सदस्य हैं हम लोगों का क्या स्टेन्डर्ड होना चाहिये, हम लोगों को किस प्रकार कन्डक्ट करना चाहिये, होना चाहिये यह प्रश्न ऐट इशु आ गया इसलिये कोई आपस में ही समझ ले यह तो नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : पांच मिनिट।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : एक बात निवेदन करना चाहता हूं। चार्ज किया गया

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

उसका जवाब दिया गया। फिर चार्ज करेंगे, फिर जवाब देंगे। मैं मानता हूं राइट ऑफ रिप्लाय होता है। वह हो। आप भी चार्ज करेंगे और फिर बोलेंगे तो कोई अन्त नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नये चार्ज का सवाल नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपने कुछ भी कहा तो उसका जवाब देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें कोई पार्टी या ग्रुप का सवाल नहीं है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : फिर तो वाद-विवाद चलता रहेगा। आरोप लगेंगे तो जवाब होगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दलगत या नीतियों का कोई प्रश्न नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं सदन से यह निवेदन करूंगी कि काफी वाद-विवाद हो चुका है। माननीय सतीशचन्द्र जी जवाब देंगे ताकि इसे समाप्त किया जाये। इससे तो जवाब सवाल बढ़ेंगे। आप समाप्त करें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री अध्यक्ष, पदासीन)

श्री प्रोफेसर केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न करना चाहता हूं। तीन साल से यह मसला मुख्य मन्त्रीजी के सामने है तो क्या आपने अपनी परसनल नॉलेज के लिये कोई जांच कमेटी या सब कमेटी बनाई है? यह इम्पोरटेन्ट मसला है और एक माननीय मन्त्रीजी से संबधित है और तीन साल से इस सदन के अन्दर और आपके सामने है। ऐसा तो नहीं कि पार्टी का एक मुख्यमन्त्री हो और उनके मन्त्रिमण्डल एक या और किसी की शादी में चालीस हजार रुपया खर्च करदे और आपको नालेज न हो गुरुनामसिंह मन्त्रिमण्डल के ऐसे ही एक सदस्य के मामले में जांच की गई थी। तो आपके सामने भी यह आया है और आपने इस मसले पर अपनी नॉलेज के लिए क्या कोई जाँच भी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्यमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि यह जो सवाल यहां पर उठाया गया है उसके सम्बन्ध में कुछ चर्चा 1963 के वक्त से चली आ रही है। उसकी जानकारी अभी माननीय मन्त्री महोदय ने दी है और वही जानकारी मेरे जरिये अध्यक्ष महोदय के पास भेजी गई और वह जानकारी मेरे पास आ चुकी थी और इन तथ्यों के बारे में मैं समझता हूं आम तौर से माननीय सदस्यों को यह आभास हुआ होगा कि जो बात उन्होंने बतायी है उसमें कितनी तो गम्भीरता है और कितनी नहीं है। यह निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, कि ट्रान्सपोर्ट वाले मामले के अन्दर जो रसीद की बात है, जो दूसरी बातें सामने रखी थी, इस सदन में शायद माननीय सदस्यों को याद होगा मैंने जिक्र किया था और जब यह कहा गया था कि उसकी रसीद यादव साहब के हाथ की है तो इधर उधर की बहस करने के बजाय उस चीज को सदन के अन्दर पेश कर दिया जाये तो ज्यादा आसानी होगी सारे मसले को समझने की, लेकिन वह रसीद आज की तारीख तक पेश नहीं की गई है मैं यह भी निवेदन कर दूं, वे तो कह ही चुके हैं, मैंने

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)

कोशिश की है एक केस जो सारा उठता है वह इस बात को लेकर उठता है एक रूट नेशनलाईज होने के बाद, गवर्नमेंट का फैसला था और वह हाईकार्ट से गवर्नमेंट के फेवर में चला गया। माननीय सदस्य तो जानते हैं और समझते हैं ऐसे निरंजनसिंह जी व्यक्तियों में से नहीं हैं। वे सारी पेचदगियों और पहलुओं को समझते हैं। कहा जाता है यादव साहब का केस हाईकोर्ट से गवर्नमेंट के फेवर में डिसाइड हो गया है वह कान्ट्रेक्टर के फेवर में सुप्रीम कोर्ट में जाकर निकल जाय। मैं समझता हूं कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस प्रकार से हो। उस रसीद से सेटिसफाई हो सके। हैन्ड राइटिंग एक्सपर्ट से या दूसरों को दिखाने की बात हो तो आगे सोचने की गुंजाइश होती है। वरना हाईकोर्ट से प्राइमा फेसी मेटर होकर उसके हक में फैसला करते हैं तो एक बात अलग थी लेकिन इन हालतों के अन्दर यह मालूम होता था साफ तौर से कि रसीद की बात कह दी जाय, दूसरी बात कह दी जाय। ऐसा नहीं है कि जानकारी नहीं की गई है। जानकारी की गई है लेकिन इत्मिनान नहीं होता था इस प्रकार सच हो।

श्री भैरोंसिंह: एक जानकारी करना चाहता हूं। इत्मिनान नहीं हो सकता है, यह बात सही है। लेकिन आपने मुल्कराज जी थिन्द से पूछा है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मुल्कराजजी थिन्द की बात आज चर्चा में ज्यादा आई है। मेरे सामने तो शीशराम और मोहनलाल जी का मामला था। इन दोनों के नाम मेरे सामने हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल: रोशनलाल जी से पूछा?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैं समझता हूं रोशनलाल जी भी जानते हैं। जिस रसीद की चर्चा की गई है वह किस तरीके की है और क्यों है...

श्री रामानन्द अग्रवाल: उनसे बात हो गई?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: जी हां। मैं समझता हूं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य भी शायद इस बात को मानेंगे जिस रसीद की चर्चा बराबर चलती है वह रसीद जिनाइन रसीद वाली बात तो हरगिज नहीं है...

श्री भैरोंसिंह: यह कौन कह सकता है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: आपने देखी है?

श्री मोहनलाल सुखाडिया: मैंने देखी नहीं है लेकिन जिन्होंने देखी है उनसे चर्चा की है तो क्या बात करें और क्या बात नहीं करें मैं उस रसीद को देखूं और कहूं तो मैं समझता हूं माननीय सदस्य स्वयं इन सारे पहलुओं को जानने वाले हैं रसीद की इबारत एग्जेक्ट मालूम नहीं है लेकिन उसमें लिखा है–मैं विशेष काम के लिए 15 हजार रुपया ले रहा हूं और आपका काम पूरा नहीं हुआ तो मैं आपको वापिस लौटा दूंगा। कोई इस प्रकार की इबारत हो आप

(श्री मोहनलाल सुखाडिया)
भी यह नहीं मानेंगे कि इस तरह की बात हो सकती है। इस तरह की भाषा किस तरह से कनेक्टेड है यह सभी माननीय सदस्य जान सकते हैं। और मैं तो समझता हूं इधर बैठने वाले माननीय सदस्य जान सकते हैं जिस समय गंगानगर के नेशनलाईजेशन की बात हुई है जब पी. सी. सी. की मीटिंग गंगानगर में हुई थी किस प्रकार का रोष पी. सी. सी. की मीटिंग के वक्त हुआ, कितना दंगा फिसाद किया वह भी शायद माननीय सदस्य की जानकारी में हैं। यह गम्भीर प्रश्न हो जाय माननीय अध्यक्ष जी और कोई स्टेप इस प्रकार का लिया जाय और जो अफेक्टेड पार्टी है कोई मुद्दा तैयार करके मिनिस्टर पर इन्क्वायरी यह चीज देखने की बात है और कितनी गम्भीर बात हो जाती है जैसा मैंने निवेदन किया सुप्रीम कोर्ट से कनेक्टेड मेटर है और इस प्रकार की रसीद ये सारी बातें जो आपकी भी जानकारी में आई हैं आप भी समझते हैं कितनी सच्चाई हो सकती है।

श्री भैरोंसिंह : एक मसला रह गया माननीय श्री मुल्कराज जी थिन्द हैं उन्होंने अध्यक्ष महोदय के सामने एक वक्तव्य दिया था....

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं एक निवेदन कर दूं मुल्कराज जी ने स्टेटमेंट दिया और जो भी बात हुई जैसा कि अध्यक्ष महोदय आज सुबह इस बात को जाहिर कर चुके हैं। मकराना से आने वाले माननीय सदस्यों ने एक प्रिविलेज मोशन मूव किया है-मोदी के खिलाफ जो इस मेटर से कनेक्टेड है और कमेटी की दूसरी बाते यहां पर कही जाती है। प्रिविलेज कमेटी हाउस की है और स्पीकर महोदय के जरिये बनाई हुई है। उस कमेटी के सामने मेटर है। प्रिविलेज कमेटी के अन्दर मोदी जी व अन्य सदस्यों का एग्जामिनेशन हो तो मैं यह कह सकता हूं कोई भी व्हिप इश्यू नहीं करवाऊंगा। प्रिविलेज कमेटी के सामने किसी प्रकार की बंदिश नहीं रहेगी।

एक माननीय सदस्य : प्रिविलेज कमेटी के सामने केवल ट्रान्सपोर्ट वाली बातों का आरोप ही लगाया जायेगा या सारे मेटर्स का...

श्री अध्यक्ष : इट विल बी वेरी डेन्जरस।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय एक प्रश्न बड़ा रिलेवेन्ट है।

एक माननीय सदस्य : समय समाप्त हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : समय, रिप्लाई समाप्त न हो तब तक के लिये सदन की अनुमति से बढ़ाया जाता है।

श्री दौलतराम सारण : यह सवाल मेरे ख्याल से पैदा नहीं होता। जिस समय प्रश्न सदन में उठा उस समय ही माननीय मुख्य मंत्री जी कन्सील कर लेते और पूरी कार्यवाही करके स्टेटमेंट के जरिये किसी भी अवसर पर, किसी भी रूप में अगर मामला स्पष्ट हो जाता तो आज माननीय मंत्री महोदय को इतना हैरैस नहीं होना पड़ता

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

श्री दौलतराम सारण : लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस मसले को लटकाये रखा और आज भी उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं समझी जब तक डाइरेक्ट एवेचन नहीं किया गया। यह स्थिति जान बूझ कर मुख्य मंत्री जी पैदा करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : रिप्लाई माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : आरोप चलते रहते हैं या तो उनकी नीति यह है कि मिनिस्टर को लटकाये रहें ताकि वह उनकी दया पर चलता रहे और सदन के सामने झुका रहे .....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य को शायद यह ख्याल नहीं है सब्सटेन्टिव मोशन मैंने मूव नहीं किया ....

श्री दौलतराम सारण: आपकी यह कोशिश रही है। भैरोंसिंह जी ने कहा है माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं जांच करा लें, यह आप का फर्ज था

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो आज बात कही है।

श्री दौलतराम सारण : जिस समय यह चार्ज लगाया था, भैरोंसिंह जी ने पहले कहा है। आप को पता नही हो तो प्रोसीडिंग्स देख ली जाय। भैरोंसिंह जी ने कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे खुशी है मेरे जवाब से आपको तसल्ली हो गई है। हो सकता है ...

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य कहने दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : जिस तरह से आप फंक्शन करना चाहते हैं उस तरह से तो यह है कि आप बारबार उनको पिटवाते हैं।

एक माननीय सदस्य : इससे काम नहीं चलता है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है। इसलिए राईट आफ रिप्लाई मूवर के पहले मेरे ख्याल से मेरा होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पहले आपने रखा है। आपका तो एमेंडमेंट है।

श्री भैरोंसिंह : एमेंडमेंट है इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : एमेंडमेंट वाले को कोई राइट आफ रिप्लाई नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय ...

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वह मुल्कराज थिद स्टेटमेंट देना चाहते हैं उनका सुन लिया जाय। यदि नहीं देना चाहते हैं तो उनको छोड़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : देना चाहते तो खड़े होते अपने आप। श्री अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राज्य विधान सभा के एक सदस्य, श्रीमान् अमृतलाल जी यादव के विरुद्ध उनके आचरण की जांच के सम्बन्ध में जो मैंने एक सब्स्टेन्टिव मोशन सदन में प्रस्तुत किया है उस सब्स्टेन्टिव मोशन

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

के सिलसिले में दो संशोधन के प्रस्ताव आये हैं, एक श्रीमान भैरोंसिंह जी शेखावत का और दूसरा श्रीमान कृष्ण कुमार जी गोयल का। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैं इन दोनों संशोधनों के प्रस्तावों को स्वीकार करता हूं।

प्रश्न,—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में यह है कि आज सदन में जो चर्चा हुई उसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से तीन माननीय सदस्य बोले-श्री रणजीत जी, श्री बिरदाराम जी और श्री गोकुलप्रसाद जी। जहां तक श्री बिरदाराम जी का सवाल है, मुझे खेद है, मैं उनके भाषण को समझ नहीं पाया कि वे क्या बोल रहे हैं। भाषा के कारण समझ नहीं पाया। इसलिए मैं उस सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जितनी भावनाएं मैं उनकी समझ पाया उनमें उनकी शिकायत मोटे तौर से यही है कि अमृतलाल जी ने क्या मकान बनाया औरों ने चार-चार बंगले भी बनाये हैं, इन्होंने क्या जमीन दबाई है औरों ने भी बहुत दबाई है। उनका कहना था कि अकेले वे ही चोर नहीं हैं और भी चोर हैं-कोई छोटा चोर है, कोई बड़ा चोर है। उनकी बातचीत से ऐसा लगा। मैं उनका पूरा भाषण समझ नहीं पाया भाषा के कारण। उस पर मैं ज्यादा कहने की आवश्यकता नही समझता। जहां तक सवाल रणजीत जी का है गोकुल प्रसाद जी का है उसमें उन्होंने जो डिफेन्स दिया है उनका डिफेन्स इमोशनल और सेन्टीमेन्टल है। श्री रणजीत जी ने इस बात को माना है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने सिद्धान्ततः इस बात को स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी के बोलने वाले दो जिम्मेदार सदस्य हैं उन्होंने इस बात को सिद्धान्ततः स्वीकार किया है कि राजनैतिक नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सदन की समिति होनी चाहिए, लेकिन केवल अमृतलालजी यादव को ही सिंगल आउट नहीं भाई गोकुलप्रसादजी ने इस सिद्धान्त का करना चाहिए। विरोध नहीं किया, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से कहा कि जैसे कोई गरीब है, हरिजन जाति का है, थोड़ा कर लिया है ऐसा है, वैसा है, क्या हुआ।

मेरे प्रस्ताव का तो विरोध किया और विरोध इसलिए किया है कि व्हिप जारी हुआ। मैं समझता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले में पार्टी की तरफ व्हिप जारी किया जाय, यह भी सोचने का सवाल है। (विपक्ष की ओर से शेम, शेम) मैं इसको अच्छा नहीं समझता कि आज सदन में माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट नहीं कर सकते संविधान के तहत जिसकी गारन्टी है, फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन दी गई है। करप्शन के मामले में पार्टी व्हिप दिया जाय। वोटिंग का सवाल हो तो पार्टी का व्हिप फिर भी मैं मानता हूं, लेकिन बोलने का सवाल है और बोलने के लिए व्हिप जारी किया गया है कि श्री अमृतलाल यादव के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा तो मैं समझता हूं कि कोई व्हिप जारी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के तीन चार सदस्य ही मेरे प्रस्ताव के विरुद्ध बोले और बाकी बैठे रहे तो उनकी अन्तरात्मा मेरी बात को मानती है। वे

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इस सिद्धान्त को मानते हैं कि राज-नेताओं के खिलाफ अदालत में मुकदमे लेकर नहीं जा सकते। विजिलेन्स कमीशन का जुरिस्डिक्शन नहीं है तो पंचायतों के सरपंच पंचायत समितियों के प्रधानों, प्रमुखों, विधान सभा के विधायकों, लोकसभा के सदस्य और जनता के प्रतिनिधियों के खिलाफ कोई ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कि जिस व्यवस्था के माध्यम से इस प्रकार की भ्रष्टाचार की शिकायतों का निराकरण होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था तो वे चाहते हैं क्योंकि कोई व्यवस्था हमारे राज्य में नहीं हैं इसलिए भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के सम्माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं।

एक सदस्य ने तो यह भी कहा है कि एम. एल. एज. क्वार्टर्स पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है उनको निकाला जाना चाहिए। किसने इस बात का समर्थन किया है? किसी एम. एल. ए. ने अपने क्वार्टर को सबलेट कर रखा है तो उसके खिलाफ मै इस प्रकार का प्रस्ताव लाने को तैयार हूं। यह मेरा प्रस्ताव मिसकन्डक्ट का है ब्रीच आफ प्रिविलेज का है। माननीय सदस्य मुझे कहेंगे तो प्रस्ताव हाउस में मूव करने को तैयार हूं चाहे वे किसी भी पार्टी के क्यों न हों। आखिर उन्होंने एक जनरल ऐलिगेशन लगाया है कि एम. एल. एज. सबलेट करते हैं वह समझ में नहीं आता है। किसी एम. एल. ए. ने सबलेट किया है हाउस-कमेटी को और हाउस को सीरियसली इस मामले को लेना चाहिए। लेकिन उस आधार पर हम यह कह कर चलें, अध्यक्ष महोदय, कि अमृतलालजी ने नहीं किया है तो वह ठीक नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेनेन्ट स्टेंडिंग अरेन्जमेंट होना चाहिए जहां इस प्रकार की शिकायतें की जा सकें, चाहे हाउस को सब्लेट करने का सवाल हो, चाहे, प्रिविलेज का सवाल हो। मैंने इस सुझाव को पहले भी स्वीकार किया है और आज भी स्वीकार करने को तैयार हूं। हाउस की सेंक्टिटी बढ़ेगी, हाउस की डिगनिटी बढ़ेगी तो मेम्बर्स के कन्डक्ट से बढ़ेगी। किताबों और नियमों से नहीं बढ़ेगी। जब तक मेम्बर्स का कन्डक्ट वैसा नहीं बनेगा तब तक हाउस की डिगनिटी नहीं बढ़ेगी। मेम्बर्स का कन्डक्ट इतना ऊंचा होना चाहिए और उसके लिए आवश्यक है कि मेम्बर्स के शिकायतों के जांच की व्यवस्था होना चाहिए, चाहे मामला 5 रुपये का हो, चाहे मामला 10 रुपये का हो।

अध्यक्ष महोदय, मै जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे स्वयं को बड़ा खेद इस बात का है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जवाब देने खड़े हुए तो उन्होंने कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कुछ तथ्य उन्होंने सदन के सामने नहीं रखे। मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता। मेरा अमृतलालजी से कोई राग द्वेष नहीं है। मैने पहले सदन में प्रारम्भ में ही इस बात को कहा था कि मेरा व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है। सदन के बाहर हम मिलते हैं तो बड़े प्रेम से मिलते हैं, लेकिन जहां तक

Page No. 160

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कन्डक्ट का सवाल है तो हमने संविधान की शपथ ली है कि हम विधान सभा में अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। यह मैंने आज ही प्रस्ताव नहीं दिया है तीन साल पहले दिया है और हमने इनके खिलाफ ही नहीं बृजसुन्दरजी और शिवचरणजी के खिलाफ भी प्रस्ताव रखा है। अमृतलालजी यादव का ही आग्रह नहीं है और न हरिजन का सवाल कहीं खड़ा होता है। आप जाति के आधार पर बात करना चाहते हैं तो क्या इस आधार पर बात करना चाहते हैं तो क्या इस आधार पर मैं अपने कर्तव्य को छोड़ दूं। मैं इस मोशन को सेन्टीमेण्टल नहीं बनाना चाहता। सेन्टीमेन्ट्स से मैं कर्तव्य भावना को ऊंचा मानता हूं और मैं भावनाओं में नहीं बहूंगा। मैं बालक नहीं, बच्चा नहीं। मुझे सहानुभूति है मंत्री महोदय के साथ और मैं आपको यह कहना चाहूंगा वे खड़े होकर यह कहें कि इस हाउस में जो चार्ज लगाये गये हैं मैं उसकी जांच कराने के लिए तैयार हूं। सुखलाल चौधरी ने चार्ज लगाया तो बीच में खड़े होकर बोलते कि 1 लाख के बंगले का निर्माण हुआ है तो मैं जांच कराऊंगा। इस राजस्थान विधान सभा में मैं 14 साल से देख रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्रीजी पर आरोप लगाये गये तो वे जानते हैं कि आरोपों को किस प्रकार से मेन्युपुलिशन से वेव कर सकते हैं और किस प्रकार से एन्क्वायरी को मेन्युपुलेट कर सकते हैं। तो वे कहते है कि जांच कराने को तैयार हूं चाहे कोई हाई कोर्ट के मेम्बर से कराये, रैवेन्यु बोर्ड के मेम्बर से। हाउस में एडमिशन किया जायेगा कि जांच कराने को तैयार रहते हैं। और आप अपने और रिश्तेदारों की जांच करायेंगे। गुढा बांध की जमीन के सिलसिले में जांच करायेंगे। अपने रिश्तेदारों की रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर से और काफी समय तक बस्ता-ए-खामोशी में रख दी गई। जांच के लिए इन्कार नहीं करेंगे, लेकिन साथी का मामला उठा तो जांच कराने की जरूरत नहीं है। इनको पिट्ठू बनाकर रखना चाहते हैं। इनके आरोप लगते रहें। हाउस में मामला विचाराधीन रहेगा तो मामला फिर उठेगा, कभी सबस्टेन्टिव मोशन आयेगा, कभी प्रिविलेज मोशन आयेगा, डिमाण्ड का मामला आयेगा और यादव साहब की रगड़ाई होगी। तीन साल से यादव साहब की रगड़ाई जनता के सामने मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं गिरा रहा हूं। केरेक्टर एसेसिनेशन मैं नहीं कह रहा हूं जनता की नजरों में अगर किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री सुखाड़िया जी ने किया है। इन्होंने 3 वर्ष से क्यों नहीं जांच की। मैंने कई आरोप लगाये हैं और दो आरोप सही हैं और आप चाहते हैं तो छोड़ दें। हाउस में दूसरे मेम्बर ने कहा कि 5 रुपये की बात है तो छोड़ दें।

एक, दो, तीन, चार, पांच हाउस में बढ़ाते चले गये मामले। हर डिमाण्ड में बढ़ते गये। लेकिन सुखाड़िया जी ने किसी एलीगेशन की जांच नहीं कराई। अगर आप तीन साल पहले जांच करा लेते तो इतने मामले नहीं होते। जिलाधीश जयपुर ने जांच की। वह रिपोर्ट कहां है। अगर अमृतलाल जी यादव निर्दोष हैं, तो सुखाड़िया जी उसको पेश क्यों नहीं करते हैं। वह निर्दोष नहीं हैं।

(श्री सतीश चंद्र अग्रवाल)

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

इसीलिए तो सुखाड़िया जी चाहते हैं कि वह जगजीवनराम के पास जायें, उन से सिफारिश कराते रहें। सुखाड़िया जी फाइल बनाकर अपने पास रखते रहें। प्रस्ताव आयेंगे। प्रस्तावों पर चर्चा होगी। प्रस्तावों की जांच नहीं होगी। क्या आप अमृतलाल जी यादव को इसी प्रकार रखना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जयपुर में श्री अमृतलाल यादव की जमीन के सम्बन्ध में मामला उठाया है। इसके सम्बन्ध में पहले जब इस प्रश्न पर चर्चा हुई तो कई माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी कि यदि इस मामले की जांच की जाये तो इस मामले के कागजात जब्त किये जाने चाहिए। आप को स्मरण होगा कि मैंने एक कलेक्टर जयपुर के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रश्न इस सदन में पेश किया था, वह था–

श्री अमृतलाल यादव सहकारिता मन्त्री के विरुद्ध प्रस्तुत किये निन्दा प्रस्ताव के आरोपों में जिलाधीश जयपुर द्वारा हस्तक्षेप किये जाने से उत्पन्न विशेषाधिकार हनन का प्रश्न।

(1) कि गत सत्र में श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा एक निन्दा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें अन्य आरोपों के अतिरिक्त उनके विरुद्ध अपने कृषि कार्य की सीमा को नाजायज कब्जे द्वारा बढ़ाने का भी एक आरोप था।

(2) कि उक्त निन्दा प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय ने स्वीकृति प्रदान की फलस्वरूप निन्दा प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हुआ और उक्त प्रस्ताव पर बहस आगामी सत्र के लिये स्थगित करदी गई।

(3) कि उक्त प्रस्ताव में उल्लेखित आरोप-पत्र सदन के अधिकार क्षेत्र में होकर सदन की प्रापर्टी थे। जिससे उक्त आरोपों के बारे में किसी प्रकार की जांच तथा आरोपों से सम्बन्धित पत्रों, परिपत्रों, में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्द्धन परीक्षण आदि सभी प्रश्न सदन के आदेश के बिना राज्य सरकार द्वारा किया जाना सदन की गरिमा, परम्परा, व्यवस्था एवं नियम उपनियमों के अनुसार निषिद्ध था, क्योंकि उक्त संकल्पों में किसी प्रकार की जांच आदि करने का दायित्व सदन के सदस्यों की विशिष्ट समिति के गठन होने पर उसके माध्यम द्वारा किये जाने का प्रावधान था।

(4) कि कलेक्टर जयपुर ने सदन की गरिमा, व्यवस्था एवं नियम उपनियमों एवं संकल्प की मंशा के विरुद्ध स्वेच्छा से अपने अधिकारों का उपभोग कर बिना सदन की तथा अध्यक्ष की आज्ञा लिये संकल्प में उल्लिखित विवाद ग्रस्त जमीन का निरीक्षण किया तथा मौके की जांच कर सहकारिता मन्त्री के कब्जे शुदा जमीन की जायज नाजायज स्थिति का निरीक्षण एवं मूल्यांकन कर राज्य सरकार को एक रिपोर्ट पेश की।

Page No. 162

(श्री भैरोंसिंह)

(5) कि इस प्रकार के कदम लेने के पूर्व तथा कृषि फार्म के निरीक्षण के पश्चात् भी इसकी कोई सूचना अध्यक्ष जी को नहीं देकर कलेक्टर जयपुर ने सदन की गरिमा को न केवल ठेस पहुंचाई है किन्तु साथ ही सदन के सम्मुख प्रस्तुत संकल्प में उल्लेखित आरोपों की जांच तक में हस्तक्षेप किया है।

(6) कलेक्टर जयपुर द्वारा प्रदर्शित यह व्यवहार सदन के विशेषाधिकारों का हनन है, अतः उनके विरुद्ध सदन के नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही की जाये। तथा उनके द्वारा बनाई गई तत्सम्बन्धी निरीक्षण रिपोर्ट शहादत के रूप में तलब की जाये।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि कुवे के मामले में जो उस जमीन में बनाया है, आज की स्थिति में यह कह सकते हैं, इसीलिए कि वह रेगूलराइज हो गया है। अगर उस जमीन का नियमन हो गया है तो इस संकल्प का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो जाये तब तक कलेक्टर कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। अगर करता है तो सदन के नियमों का उल्लंघन करता है। मेरी जानकारी में अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर जयपुर ने सारी जानकारी दे दी है। अध्यक्ष महोदय, चाहें तो बता दें कि मैंने जमीन नहीं ली है। इन्होंने कहा है कि वह सारी स्थिति सदन के सामने आ जायेगी। इन दोनों बातों की जानकारी हो जायेगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि विशेषाधिकार समिति ने इस सम्बन्ध में जो निर्णय दिया और जो कलेक्टर की रिपोर्ट है, उस पर कोई निर्णय लिया है, तो वह मालूम हो जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री अग्रवाल।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में··

श्री अध्यक्ष : आप की रिप्लाई के बाद मैं जानकारी करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं यही बात कह रहा था। जिलाधीश जयपुर द्वारा की गई जांच के सम्बन्ध में जानकारी के लिए, पर अब दूसरी तरह से प्रश्न उठा दिया गया है। मैं इस सम्बन्ध में कह रहा था कि जिलाधीश महोदय ने इस सम्बन्ध में जांच की। उनका जितना फार्म है फार्म के दक्षिण में जो जमीन है, उस पर नाजायज कब्जा है। बाकी जमीन पर भी नाजायज कब्जा है। कुवे की जमीन डिस्प्यूटेड है। ज्यादा अच्छा होता उस रिपोर्ट के आधार पर सूचना हम को मिल जाती। तो अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे मामले जो उठाये गये हैं, सदन की कमेटी जांच करती तो तीन साल में जांच हो जाती तो 15 की जगह 5 आरोप रह सकते थे। उनके बारे में स्पष्ट हो सकता था। 9, 10, 11 हैं। कोई इनका जवाब नहीं दिया है।

श्री मदनसिंह : सतीश जी आप कहते हैं कि सी. एम. इनको रगड़ रहे हैं फिर आप क्यों रगड़ रहे हैं। उस रगड़ाई में आप क्यों भागीदार हो रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रगड़ रहे हैं वाई ग्रोमीशन। मैं ने प्रस्ताव किसी के कहने से नहीं रखा है। हर साल टाइप कराया है हर साल रिपीट किया है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि यह इन्क्वायरी का मसला है। डिटेल में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। यादव साहब 65 से मंत्री हुये हैं। जिस समय में एम. एल. ए. क्वार्टर में रह रहे हैं, इन्होंने प्रदेश दलित वर्ग संघ से बिजली, पानी का पैसा चार्ज किया है। मन्त्री बने 65 में फिर सरकारी बंगले में गये हैं। इसके लिये जो नियम बने हैं।

श्री अमृतलाल यादव : अपने बंगले में।

श्री गोकुल प्रसाद शर्मा : आपको मालूम नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 64 में मंत्री बने। 28 अगस्त 64 में एम. एल ए. क्वार्टर छोड़ गये। कार्यालय 31 अगस्त 64 तक रहा।

एक माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : लेकिन सितम्बर 64 में चले गये। 65-66 के समय में प्रदेश दलित वर्ग संघ से किराया बिजली पानी लिया या नहीं यह डिस्प्यूट है। 65-66 में आप ने पानी बिजली, टेलीफोन का पैसा लिया है क्योंकि 1965–66 में मन्त्री थे, मंत्री को टेलीफोन की सुविधा, मंत्री को बिजली पानी की सुविधा भी देती है गवर्नमेंट। इसलिए आपने एम. एल. ए. क्वार्टर का तो एक्सप्लेनेशन दे दिया है। एम. एल. ए. क्वार्टर की बिजली पानी का पैसा देते थे, बस आपने केवल इतना अपराध किया है कि आपने पानी बेच दिया दूसरे को। सरकार की ओर से पैसा नहीं दिया जाता था, मेरा पानी था, मैं पैसा देता था, मैंने पानी बेच दिया। अब मैं 1965–66 के बारे में आपसे पूछना चाहता हूं, 1965–66 की आपकी इन्कम और एक्सपेन्डिचर के सिलसिले में। इन्कम एण्ड एक्सपेन्डिचर फार दी ईअर एडिंग आन 31 मार्च, 1966। अब आपके बंगले में रहा, तब तक 66, 31 मार्च, 66 का केवल एक आइटम बताऊंगा, 31 मार्च, 66 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। इस वर्ष का इन्कम इण्ड एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट है, इनके यहां इस वर्ष आफिस रहा। उस समय यह मंत्री बन चुके थे, सरकारी टेलीफोन था, सरकारी पानी था, सरकारी बिजली थी, लेकिन फिर भी आप इस हिसाब से लेते थे।

पोस्टेज एण्ड टेलीफोन 217.60

श्री अमृतलाल यादव : वह पिछली साल का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आफिस रैन्ट है....

श्री अमृतलाल यादव : पिछली साल का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आफिस रैन्ट 480 है, यह 63,64,65 का है नहीं, 66 का है, उससे पहले आप एम. एल. ए. क्वार्टर में रहे....

श्री अमृतलाल यादव : मकान किराये के लिए कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मकान किराया लिया है? सरकारी बंगले में···

श्री अमृतलाल यादव : अपने बंगले का-

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लाइट एण्ड वाटर चार्जेज 60
आफिस रेंट 480
पोस्टेज एण्ड टेलीफोन 217

श्री अमृतलाल यादव : आफिस रेंट के लिए कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह एम. एल. ए. क्वार्टर का है····

श्री अमृतलाल यादव : वह 1965-66 का है। पिछली साल···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1965–66 का है। पिछली साल का सवाल पैदा नहीं होता है। 1964–65 का बता देता हूं। 1964–65 में लाईट और वाटर 60 रुपये 1965–66 में लाइट एण्ड वाटर 60 रुपये। आप मत कहिये, पिछली साल का है। आप यह कहिये, मैंने ले लिया है, भूल हो गई है। आप यह क्यों कहते हैं। यह मान लिया है, 1965–66 में अपने बंगले में रहते हुए, मंत्री रहते हुए बिजली पानी की सुविधा लेते हुए, बिजली पानी का पैसा वसूल किया है···

श्री अमृतलाल यादव : मेरी समझ में नहीं आता। मैंने कह दिया है, उसके बाद भी सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे पता नहीं, क्या बात है···

श्री अमृतलाल यादव : मैं फिर पढ़ देता हूं।

केवल इस अवधि में 170 रु0 भूल से पानी बिजली के चार्ज किये गये····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी अवधि में?

श्री अमृतलाल यादव : भूल से।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी अवधि में?

श्री अमृतलाल यादव : इस अवधि में जिसमें मैं मेरे मकान में रह रहा था। मैं फिर पढ़ देता हूं।

मैं 28 अगस्त, 1964 से मेरे निजी मकान में आगया और तब से अभी तक यहां ही रह रहा हूं। इस अवधि में 2 जून 1965 से 13 मार्च, 1967 तक राज्य मंत्री मन्डल में मंत्री रहा और फिर 5 सितम्बर 1967 से राज्य मन्त्री मन्डल में मन्त्री हूं और मेरे मकान में ही रह रहा हूं। इस अवधि में राज्य से पानी, बिजली और टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है। इसलिए राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ से इस अवधि में कोई टेलीफोन, ट्रंक-काल और बिजली का पैसा नहीं लिया गया। केवल इस अवधि में 170 रुपये भूल से पानी बिजली के चार्ज किये गये थे सो ज्ञात होते ही दिनांक 22-6-67 को संस्था में जमा करा दिये गये। जिसकी रसीद प्राप्त कर ली गई है। चूंकि मकान मेरा निजी है

(श्री अमृतलाल यादव)
इसलिए संस्था से केवल मकान किराया लिया गया। यह पढ़ा है।

श्री भैरोंसिंह : यह तीन वर्ष के बाद ज्ञात हुआ है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 1965-66 एक मिनट, इसका मतलब हुआ 1965-66, 1966-67 और 1964 व 65 इन वर्षों में अपने मकान में रहे मन्त्री बनने के बाद और बिजली पानी की निःशुल्क सेवा के बाद भी आपने पैसा वसूल किया है, वह रिफण्ड किया है, क्योंकि आडिट आब्जेक्शन हुआ होगा, वहां इन्क्वायरी की गई होगी। यह बात निश्चित है कि 1965-66, 1966-67 में अपने बंगले में रहते हुए, मन्त्री रहते हुए, सरकार की ओर से पानी बिजली की मुफ्त सुविधा होते हुए दलित वर्ग संघ से आपने पैसा चार्ज किया। यह बात सही है। आप कहते हैं रिफण्ड कर दिया तो वह आपने 1967 में रिफन्ड किया है। किया होगा आपने। मैं इन्कार नहीं कर रहा हूं। यह फेक्ट्स दिये हैं....

श्री मदनसिंह : आपसे मांगा था जब दिया होगा।

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त कर दें, माननीय सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कर रहा हूं। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, आपने यह कहा कि साहब टेलीफोन के चार्जेज नहीं लिये। तो 19.5 में भी टेलीफोन चार्जेज है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, यह सब फेक्टस मौजूद हैं, आपने स्वीकार किया है, जब आपने स्वीकार कर लिया कि बिजली पानी का पैसा लिया, आपने पर्सनल काल्स और ट्रंक काल की बात कही, लेकिन आपने प्रदेश दलित वर्ग संघ से चार्ज किया है। अब आप जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वह एक्स्प्लेनेशन बहुमत के आधार पर स्वीकार किया जायगा लेकिन कोई लाजिक और रीजनिंग के आधार पर स्वीकार नहीं कर सकता है। मैंने निवेदन किया कि मेरे सामने प्रश्न यह नहीं है कि गिल्टी बियोण्ड रीजनेबल डाउट सिद्ध करने के पश्चात दण्ड करने की व्यवस्था करके यह कह दें कि यह दण्ड दिया जायगा यह सब्सटेंटिव मोशन का पर्पज नहीं है जैसे कोर्ट में एक केस जाता है क्रिमिनल ला के अन्तर्गत मर्डर का केस जाय उसको कमिट कर देते हैं। प्रायमा फेसी केस देखनेके बाद सैशन कोर्ट कमिट कर दें। उस तरह हाउस के सामने डिफेन्ड करने का मौका मिला। As a committing court there is a case for committal nothing beyond that

सभी केस कमिट होने के बाद सैशन कोर्ट में जायगा-इसका मतलब यह नहीं है कि वहां केस जाकर सजा होगी यह कह कर चलें कि आपके केस में दम नहीं है। सजा नहीं होनी है, इसलिए मैं कमिट नहीं करता हूं। यह नहीं हो सकता मेरा केस तो लिमिटेड है मेरा इतना प्रश्न है कि मैं पिछले दस ग्यारह सालों में बराबर इस मामले को उठाता रहा हूं कि राज्य नेता विरोधी दलों के निर्वाचित सदस्यों के विरुद्ध किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था कर दी जाय जहां जाकर शिकायत की जा सके और जहां भ्रष्टाचार के आरोप रखे जा सकें जहां इस सदन के दस माननीय सदस्य जाकर आरोप रख सकें मुझे खेद है, आज राजस्थान

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

की विधान सभा में विधान सभा के सदस्यों के भले के लिए आरोपों को जो सप्रमाण पुस्तकों के आधार पर डाकूमेंट्स के आधार पर पेश किया गया, उनके सम्बन्ध में निर्णय उस सेंस से नहीं लेना चाहते, बल्कि बहुमत के आधार पर लोग चाहते हैं, बहुमत के आधार पर फैसला लेना चाहते है, यह फैसला जैसा निवेदन किया यह प्रस्ताव निन्दा का प्रस्ताव नहीं है यह प्रस्ताव है अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है बृजसुन्दर शर्मा और शिवचरण माथुर के खिलाफ निन्दा का प्रस्ताव था सेंसर करने का प्रस्तावथा लेकिन यह केवल कमेटी कान्स्टीटयूट करने का प्रस्ताव है उसको स्वीकार करने में आपको जोर आता है, आखिर कुछ फैक्टस मैं कहता हूं, कुछ वह एडमिट करते हैं, कुछ फैक्टस उन्होंने कहें: यह मैं एडमिट करता हूं कुछ डिस्प्यूटेड हैं, जिनकी इन्क्वायरी होगी, जिनके बारे में कमेटी बैठकर जांच करेगी, उस कमेटी की रिपोर्ट इस सदन के सामने आ जायेगी। वैसे इसका निराकरण नहीं हो सकता, क्योंकि स्वीकार वह नहीं करेंगे। कौन सबूत ला सकता है, कौन इसका निर्णय करेगा जिसके आधार पर कहें कि कार के एलॉटमेंट, स्कूटर के एलाटमेंट में पैसा लिया। क्योंकि जो रसीद माननीय सदस्यों ने देखी, उप मन्त्री ने देखी, और अध्यक्ष महोदय के सामने बयान आये जिसके लिए मुख्य मन्त्रीजी आग्रह कर रहे है, कि रसीद चाहिए, लेकिन रसीद खो जाय, जिस माननीय सदस्य के पास हो, वह मर जाय, तो उसके सम्बन्ध में बयान हो सकते हैं, कण्टेन्ट के ऊपर बयान हो सकते हैं। वह मामला हाउस में आ गया है, फिर यह कहा जाय कि रसीद नहीं है। तो रसीद खो जाय तो क्या वह एवीडेंस में नहीं आ सकती (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मेरा निवेदन है, जो कुछ जिन कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने यहां पर विचार रखे, उन्होंने सिद्धान्ततः यह स्वीकार किया है कि कमेटी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं आशा करके चलता हूं कि वह पार्टी में इस सवाल को खड़ा करते, और इसके सम्बन्ध में निर्णय लेते कि कोई स्टैंडिंग कमेटी हो, जो मिसकन्डक्ट के सिलसिले में जांच करे, चाहे किसी पार्टी का मेम्बर हो। लेकिन उसके सम्बन्ध में निर्णय नहीं लिया और व्हिप जारी कर दिया कि कोई मेम्बर अमृतलाल यादव के खिलाफ नहीं बोले। यहां पर मुख्यमंत्री जी इसलिए हैं कि उन्हें लगा कि काफी लोग बोलने वाले हैं इसलिए यहां बैठें तो वह दब सकते हैं। तो व्हिप के आधार पर, ताकत के आधार पर इस प्रस्ताव को गिराना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों की अन्तर्आत्मा जरूर जगेगी कभी और वह ढाई करोड़ जनता को इस भ्रष्ट शासन से मुक्ति दिलाना चाहेंगे। कांग्रेस के अन्दर भी ईमानदारमित्र हैं, उनकी अन्तर्आत्मा जरूर जगेगी, वह कहेंगे, राजस्थान में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इस भावना से मैंने यह प्रस्ताव रखा है। कोई यह न समझे कि हरिजन मंत्री हैं इसलिए यह प्रस्ताव रखा है। जैसा यादव जी ने कहा कि जनसंघ को वह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, कम्युनिस्ट पार्टी को सहन कर सकते हैं। जब कि पिछले अधिवेशन में एक मामला आया था और रामानन्द जी से उलझे थे, तब आपने कहा था यह देशद्रोही पार्टी है, मैं इस पार्टी का साथ नहीं दे सकता। आज वह बोलने ख

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुए तो क्योंकि उनको उनका साफ्ट कार्नर लेना था, इसलिए जनसंघ के लिए कहा। तो आपके कहने से यह नहीं होने वाला है। मैं इस मौके पर जनसंघ की क्या नीति है उसका विश्लेषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं, इतना कहना चाहता हूं कि जनसंघ में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एम.एल.ए. हैं, एम.पी. हैं, काफी संख्या में है। और 1967 में हमारी गवर्नमेंट बन गई होती तो आप भी हमारे साथ आ जाते। वह नहीं बनी यह अलग बात है· · ·

श्री मदनसिंह : इनको ले लेते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय ले लेते। आरोप आते तो फिर कमेटी बनाते। यह अलग बात है। मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, उन्होंने कहा–उन्होंने मुझसे सलाह ली। मैं निवेदन कर रहा हूं, मकान बना रहे थे तो मकान बनाते हुए देखा है और मकान आज भी देखते हैं और वह दो लाख का है, मैं जानता हूं, मुझे एतराज नहीं, मैं इंकार नहीं करता। मकान बनाया है, ठाठ बाट का बनाया है, वेल फर्निश्ड है, आलीशान बनाया है। उस इलाके में या तो रेजीडेन्सी पैलेस है और दूसरा आपका मकान है, तीसरे किसी का ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक सवाल है···

श्री अमृतलाल यादव : मैं आपके मकान से एक्सचेंज करने को तैयार हूं।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मैं तैयार हूं।

श्री मदनसिंह (श्री सतीशचंद्र अग्रवाल से) : क्या यह बहस इसलिए शुरू की थी कि इनका मकान ही आप हड़प लो ?

श्री अध्यक्ष : समाप्त।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : समाप्त कर रहा हूं। मैं पुनः सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी वोटों के आधार पर, इस प्रकार के प्रस्तावों का निर्णय करके अच्छी परम्परा नहीं डाल रहे हैं। आप लोकतंत्र की जड़ें खोद रहे हैं। आप लोकतंत्र के प्रति जनता की आस्था खतम कर रहे हैं, जनता की निष्ठा खतम हो रही है मैंने उस दिन कहा था, भ्रष्टाचार की जो टंकिया हैं, उनकी पानी में जहर मिला हुआ है, जब तक उन टंकियों को नहीं फोड़ेंगे तब तक नलों में जहर आएगा। आज इस प्रकार के करप्ट आदमी प्रशासन के हैड रहेंगे, तब तक राजस्थान को स्वच्छ प्रशासन नहीं मिल सकता। मुझे खेद है सरकार के रवैये पर कि वह एनक्वायरी कमेटी नियुक्त करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि यह तो एक अमृतलाल यादव है, किस किस के खिलाफ समिति बिठायेंगे, सब ऐसे ही बैठे हैं, नेला, धेला, बेगम, गुलाम बादशाह सारे मंत्रियों के खिलाफ जांच समिति बिठानी पड़ेगी इसलिए मुख्यमंत्री को डर है कि 35 के 36 प्रस्ताव आयेंगे, एक बार प्रस्ताव आ गया, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चार्जेज की कमी नहीं, भ्रष्टाचार की कमी नहीं, उदाहरणों की कमी नहीं। इसलिए बिरधा रामजी ने. . . .

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

ठीक कहा कि अमृतलालजी ने तो एक मकान बनाया है, लोगों ने 4–4 मकान

Page No. 168

(श्री सतीशचंद्र अग्रवाल)

बनाए हैं, उनका नाम तो नहीं लिया। इस कोने से शुरू करो या उस कोने से शुरू करो। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कांग्रेसपार्टी ने, मुख्यमंत्री ने, इस प्रस्ताव के सिलसिले में जो रवैया अपनाया है, वह राजस्थान में भ्रष्टाचार को पनपाने वाला है, बढ़ावा देने वाला है, जो मंत्रिमंडल राजस्थान की ढाई करोड़ जनता की परवाह न करे, ऐसे मंत्रिमंडल को समाप्त करना, हमारा फर्ज होगा। हमने इस प्रस्ताव को जन हित में रखा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं मुख्यमंत्री से कि जो पार्टी व्हिप जारी किया है…

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव चले तब तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : इन्हीं शब्दों के साथ आशा करता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

श्री अध्यक्ष : The motion was submitted on 24th October, 1969 which lapsed on the prorogation of the House.

श्री भैरोंसिंह : लेप्स हो गया, उस बारे में जानकारी नहीं करता। मंत्री महोदय ने कहा था कि उन्होंने जमीन पर अतिक्रमण नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि कलेक्टर जयपुर ने मेरे विशेषाधिकार के प्रश्न के संबंध में अध्यक्ष महोदय को रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि श्री अमृतलाल ने भूमि पर अतिक्रमण किया है…

श्री अध्यक्ष : क्योंकि आपका नोटिस लप्स हो गया··

श्री भैरोंसिंह : उससे मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न इसमें नहीं था।

श्री भैरोंसिंह : इसी में है।

श्री अध्यक्ष : मैं प्रश्न को रखता हूं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे बोलना है।

श्री अध्यक्ष : संशोधन पर राइट आफ रिप्लाई नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : संशोधन का एक मोशन है।

श्री अध्यक्ष : दोनों माननीय सदस्यों के संशोधन स्वीकार कर लिए, इसलिए राइट आफ रिप्लाई नहीं होता।

श्री भैरोंसिंह : सतीशचन्द्र जी ने जो आरोप लगाया उसका जवाब अमृतलाल यादव ने दिया, उससे सम्बन्धित आपने बातें कहीं। मैंने अलग आरोप लगाया उन्होंने जवाब दिया मैं उस जवाब के उत्तर में बताना चाहूँगा। दो मिनट में।

श्री वृद्धिचंद जैन : गलत परम्परा होगी।

श्री भैरोंसिंह : नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : आखिर आपका उसी मोशन पर संशोधन है।

श्री भैरोंसिंह : है। जो संशोधन मैंने दिया है, वह मोशन के बाहर एक तथ्य दिया है जिसका उन्होंने जवाब दिया। उस तथ्य का खंडन किस प्रकार किया जाए, स्थिति क्या है उसका उत्तर.

श्री अध्यक्ष : under The rules

Page No. 169

श्री रघुनाथ विश्नोई : जो मूवर था उन्होंने संशोधन आपका मंजूर कर दिया, जवाब दे दिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो विशेषाधिकार के सिलसिले में जिलाधीश से जांच कराने की बात कही, मुख्य मंत्री ने कहा जांच कराई और जो कुछ जांच हुई उसके आधार पर उन्होंने जवाब दिया है, उस संबंध में तथ्य बता दिए तो कलेक्टर ने जो जांच की उसकी रिपोर्ट को भी अध्यक्ष महोदय के पास भेज दिया जमीन के अनअथोराइज्ड आक्यूपेशन···

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं निपटेगा रूल स्पष्ट है 277:

Provided that nothing in this sub-rule shall be deemed to give any right of reply to the mover of an amendment to a Bill or a resolution save with the permission of the Speaker.

श्री भैरोंसिंह : आपकी परमीशन से केवल 5 मिनिट, ज्यादा समय नहीं, दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यादव साहब ने कहा कि हमने बड़े निम्न स्तर की बातें कहीं। उन्होंने कहा मैंने श्री जगजीवन राम को गेस्ट बता दिया और यादवजी को होस्ट बता दिया। वह असली बातें तो समझ गया होगा। मैं नहीं कह सकता लेकिन गेस्ट और होस्ट बताना निम्न स्तर की बात नहीं है आपका स्तर किस प्रकार का है, मैं नहीं कहना चाहूंगा।

श्री अमृतलाल यादव : आपने उनकी पत्नी के बारे में कहा था।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है लेकिन निम्न स्तर कहां से आ गया ? मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बाद मैंने एक पाइंटेड सवाल पूछा था कि श्री थिंद इस संबंध में कोई वक्तव्य देना चाहते हैं या नहीं ? उन्होंने मोन रहकर इस बात को स्वीकार किया वह वक्तव्य नहीं देना चाहते। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय के सामने जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वह बिलकुल सही है और उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि श्री यादव ने 15,000) लिए, मैंने समझौता कराने की कोशिश की, सारी घटना का जिक्र मुख्य मंत्री से किया। मुख्य मंत्री आज कहते हैं कि थिंद की बात नए सिरे से आई है, मुझे अफसोस है कि श्री थिंद ने अपने बयान में, जो अध्यक्ष महोदय के सामने दिया है, आप मंगाकर देखें, उसने कहा है कि मैंने इस घटना का जिक्र मुख्य मंत्री से किया है। ऐसी हालत में मुख्य मंत्री कुछ भी कह गए हैं विवशता के कारण, मैं उस दलील में नहीं जाना चाहता लेकिन राज्य सरकार के उप मंत्री वक्तव्य देकर इस बात को स्वीकार करें कि मैंने जो आरोप लगाया है वह सही है उसके बाद सरकार बिना जांच के कुछ कहे, उसमें कोई दम नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जैसा मैंने कहा, श्री शीशराम पूनिया और श्री मोहनलाल मोदी से बात हुई थी। अगर थिन्द ने बात की होती तो मैं नहीं कहता। क्या स्टेटमेंट दिया, मैं नहीं कह सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैंने पाइंटेडली इसलिए पूछा था।

(श्री भैरोंसिंह)

दूसरी पाइन्ट, अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार का प्रश्न प्रस्तुत किया। उस संबंध में माननीय यादव जी ने कहा, मैंने किसी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं किया। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि कागज मेरे पास नहीं हैं। कागज सरकार और कलेक्टर के पास हैं। कलेक्टर के कागज सदन के सामने रखे जायें, कलेक्टर की रिपोर्ट बोलती है कि श्री अमृतलाल यादव ने जमीन पर अतिक्रमण किया है। सदन में सही बात कहनी चाहिये। मुख्य मंत्री सही बात नहीं कह सकते। मुख्य मन्त्री कह सकते हैं कि भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। आपने जमीन को रेग्यूलराइज कराया, कलेक्टर की रिपोर्ट आने के बाद जमीन को रेग्यूलराइज किया, जमीन पर कुआ बनाया। इस प्रकार वहां कलेक्टर की रिपोर्ट हुई हो, सरकार के पास मामला जाए, सरकार के राजस्व विभाग के पास जाए, राजस्व विभाग उसको नियमित करे, फिर उस जमीन के बारे में कहें, अतिक्रमण नहीं किया····

श्री अमृतलाल यादव: मैंने कहा था कि जो 15वां आरोप सतीशचन्द्र जी का था, उसमें यह था कि सरकारी जमीन पर कुआं खुदवाया, मैंने जवाब दिया सरकारी जमीन पर कुआं नहीं खुदवाया, मेरी जमीन थी, उस पर खुदवाया।

श्री भैरोंसिंह: आप यह मानते हैं कि अतिक्रमण किया है, वह चार्ज सही है।

श्री अमृतलाल यादव: मेरी पत्नी को राजस्व विभाग ने जो जमीन दी उस पर उसका कब्जा है।

श्री भैरोंसिंह: 12 बीघा का अतिक्रमण किया। कलेक्टर ने जांच की। जमीन का नाप किया और नाप करने के बाद में उसने रिपोर्ट दी और राजस्व विभाग ने उसको रेगुलराइज किया। यहां तक स्थिति है।

श्री मथुरासिंह दांता: ज्वाला प्रसाद जी ने भी ले ली।

श्री भैरोंसिंह: 15 हजार रुपये का आरोप लगाया। इसके बारे में शीशराम जी के बयान जो आपके सामने हुए हैं, जो लड्ढा साहब की उपस्थिति में हुए जो इरींगेशन मिनिस्टर हैं उनकी मौजूदगी में हुए हैं। यदि साहब का जवाब आपके समक्ष हुआ। दोनों ने इस बात का उल्लेख किया है। इस स्थिति में ये आरोप पूर्णतया प्रमाणित हैं। जमीन का मामला कलेक्टर की रिपोर्ट से प्रमाणित है। उस उपरान्त भी मुख्य मन्त्री जी चाहें जांच करने की आवश्यकता है तो जांच कराई जाय लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में बहुमत के ऊपर निर्णय कर लिया जाय यह दुर्भाग्य पूर्ण होगा। मुख्य मन्त्री जी आप जबान बन्द नहीं कर सकेंगे। कल परसों दूसरे मन्त्रियों के खिलाफ आरोप आयेंगे और यह कहेंगे कि करेक्टर असैसिनेशन करने के लिए यह कर रहे हैं। कई मामले ऐसे हैं, आपको, सदन को जानकारी दें और इसकी इनक्वारी नहीं करना चाहें तो किस मामले की जानकारी करना चाहेंगे। आपने यह कह दिया कि 15 हजार का मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने गया। वह कमेटी जांच करेगी और उसका जो निर्णय होगा वह हो जायेगा। प्रिविलेज कमेटी ने मोशन

(श्री भैरोंसिंह)

रिजेक्ट कर दिया। कोई इम्पलीकेशन यह सही है कि श्री मोहन मोदी ने जो चार्ज लगाया वह सही है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए वह करेंगे ? यह नहीं कहा आपने। कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है इसको अपने दिमाग से निकाल दें। हम एक आदमी की इनक्वायरी करते हैं, यादव साहब को सर्टिफिकेट दे दिया, हमारी इनक्वायरी करायें 182 में इस्तगासा कीजिये ···

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : किसी के खिलाफ चार्ज साबित न हो तो 182 का नहीं बनता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : We are prepared to face the consequences.

श्री भैरोंसिंह : हम रिस्क लेने के लिये तैयार हैं कमेटी यह फैसला दे दे आरोपों के सम्बन्ध में विपरीत निर्णय दे दें, सदन जो भी फिर हमारे विरुद्ध लेना चाहे हमें सदन से निष्कासित कर दें हम सहर्ष उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हैं।

(करतल ध्वनि)

और सरकार को चुनौती देते हैं कि सरकार इस पर खड़ी हो जाय और असलियत देखे कि क्या है। बहुमत की राय सामने आयी है। यह लोकतन्त्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन न आये इसलिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अपनी अन्तरात्मा के अनुसार जिस प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में अन्तरात्मा की पुकार के अनुसार काम कर के सारे हिन्दुस्तान की स्थिति को बदल दिया उस स्थिति में सही निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र जी ने प्रस्तुत किया है और जो संशोधन श्री भैरोंसिंहजी, श्री कृष्णकुमार गोयल ने प्रस्तुत किया है उनको स्वीकार किया जाय ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : वोट के आधार पर तय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें। (हां की आवाज) जो इसके विपक्ष में हैं वे ना कहें। (ना की आवाज) ना पक्ष जीता।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हां पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव गिर गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एज हैव इट। वी वान्ट डिविजन।

श्री कुम्भकुंवर शर्मा : काहे को दुःख देते हो ?

(मत विभाजन सूचक घंटी)

श्री मदनसिंह दांता : ये चीजें···

श्री अध्यक्ष : मत विभाजन के समय भाषण नहीं होता है।

(मत विभाजन-सूचक समय के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है

(श्री अध्यक्ष)

और उसमें जो संशोधन श्री कृष्णकुमार गोयल और श्री भैरोंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही दिनांक 17-5-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही 6.46 म. प. दिनांक 17-5-71 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(ता.प्र.सं. 768 की सूची)

क्र. सं. नाम अध्यक्ष मय ग्राम सभा	दी गई राशि देने की तारीख	अनुदान	ऋण	योग
1- श्री नाथूसिंह ढाणी नबोडी (सघन ग्रामदान)	31-3-70	2500	10000	12500
2- श्री मूलाराम लादी का वास पिछली बचत	26-3-70	2000	10000	12000
3-श्री नाथूराम स्वामी की ढाणी	27-2-70	1100	5450	6550
4- श्री प्रभुदयाल गड़कबीजपुर	,,	1370	6760	8130
5- श्री नाथूराम स्वामी की ढाणी	,,	1370	6760	8130
6- श्री दानाराम खोरा	,,	1370	6760	8130
7- श्री भूराराम ढावाली	,,	1370	6760	8130
8- श्री गुलाराम घाटागुवार	,,	1370	6760	8130
9- श्री नाथूराम होला की ढाणी	,,	1370	6760	8130
10- श्री मांगूराम फटा की ढाणी	,,	1370	6760	8130
11- श्री हुर सहाय नाथूवाला	,,	1370	6760	8130
12- श्री नन्दराम ढाणी चौटावाली	,,	1370	6760	8130
13- श्री वचनाराम ढाणी लाम्बीवाली	,,	1370	6760	8130
14- श्री भगवान सहाय ढाणी देवातावाली	,,	1370	6760	8130
15- श्री भूडाराम ढाणी बागावाली	,,	1370	6760	8130
16- श्री देवीसिंह किशोरपुरा	,,	1370	6760	8130
17- श्री रामेश्वरलाल ढाणी गुरसली	,,	1370	6760	8130
18- श्री रूडाराम ढाणी नीमावली	,,	1370	6760	8130
19- श्री नाथूसिंह ढाणी नबोडी	11-3-70	1370	6760	8130
20- श्री लादूराम ढाणी सल्लाजीवाली	13-3-70	1370	6760	8130
21- श्री मूलाराम लादी का वास	26-3-70	1370	6760	8130
22- श्री बींजाराम मूंगावाला	,,	1370	6760	8130
23- श्री चन्द्राराम ढाणी नृसिंहवाला	31-3-70	1370	6760	8130
		33000	160650	193650

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 783 की सूची)

गाडिया लुहारों को दी गई सहायता की सूची

वर्ष	जिला	कार्य	परिवार	राशि
55-56	बाड़मेर	जमीन साफ करना व खेती के औजार	10	3300/-
,,	बाड़मेर	मकान सहायता	7	2100/-
56-57	बाड़मेर	मकान सहायता	21	7300/-

गाडिया लुहारों को मकान सहायता के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई उसकी सूची

क्रमांक	वर्ष	स्थान	जिला	परिवारों की संख्या	स्वीकृत धनराशि
1	57-58	बूरन्डा	बाड़मेर	10	3500
2	,,	फलोदी	जोधपुर	3	1050
3	,,	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	3	1050
4	,, ,,	शिव एवं शबी	बाड़मेर	3	2800
5	,,	लाडनूं	नागौर	26	9100
6	,,	शेरगढ़	जोधपुर	5	1750
7	,,	असोप एवं मगरिया	जोधपुर	2	9400
8	,,	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	4	1400
	,,	माटाखेरा	उदयपुर	4	1400
1	58-59	सोजत	पाली	99	39600 अतिरिक्त सहायता
2	,,	लाडनूं	नागौर	26	3900
3	,,	जोधपुर	जोधपुर	34	11900
4	,,	परताब बस्ती	बीकानेर	28	12600

क्रमांक	वर्ष	स्थान	जिला	परिवारों की संख्या	स्वीकृत	धनराशि
5	58-59	शेरगढ़	जोधपुर	4	800	,,
6	,,	शेरगढ़	जोधपुर	1	750	नई
7	,,	शिव	बाड़मेर	8	2800	अतिरिक्त सहायता
8	,,	गणेशपुरा	जैसलमेर	16	5600	
9	,,	अशोप एवं मगरिया	जोधपुर	18	1800	
10	,,	बीकानेर	बीकानेर	32	14400	
11	,,	पोकरण	जैसलमेर	2	1500	नई
12	,,	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	22	4400	अतिरिक्त सहायता
13	,,	भाटा खेरा, नाडोती	उदयपुर	4	600	
1	63-64	ब्यावर	अजमेर	25	18750	
2	,,	किशनगढ़	अजमेर	16	12000	
1	64-65	पाली	पाली	16	12000	
1	66-67	बाड़मेर	बाड़मेर	6	750	

Page No. 176

बाड़मेर खास में बसाने हेतु भूमि निम्न गाड़ोलिया लुहारों को दी गयी है उसकी सूची

क्रमांक	नाम	पिता का नाम
1	2	3
1	श्री रवाराम	श्री राणाराम
2	श्री सवाईराम	श्री राणाराम
3	श्री सवाईराम	श्री राजाराम
4	श्री केवाराम	श्री हमीराराम
5	श्री पुरखाराम	श्री बादराराम
6	श्री भीखाराम	श्री पन्नाराम
7	श्री नेताराम	श्री सिदाराम
8	श्री रणछोड़ाराम	श्री चिम्माराम
9	श्री लक्ष्मणराम	श्री चेनाराम
10	श्री केशराराम	श्री हराराम
11	श्री गिरधारीराम	श्री उम्मेदाराम
12	श्री किशनाराम	श्री पुरखाराम
13	श्री ग्रादा	श्री हमीराराम
14	श्री जोराराम	श्री हमीराराम
15	श्री राणाराम	श्री हेमराज
16	श्री लखाराम	श्री चिम्माराम
17	श्री रामाराम	श्री खेताराम
18	श्री भोपाराम	श्री बिजलाराम
19	श्री सोनाराम	श्री हरजीराम
20	श्री सवाईराम	श्री राजूराम
21	श्री राणाराम	श्री पाबूराम
22	श्री ढेल	श्री राजूराम
23	श्री हरियाराम	श्री ग्राम्बाराम
24	श्री गोरखाराम	श्री बोजाराम
25	श्री बिशमाराल	श्री चेनाराम
26	श्री पोकरराम	श्री रतनाराम
27	श्री रतनाराम	श्री भगवाना
28	श्री सोनाराम	श्री हरजीराम

परिशिष्ट 3

ता. प्र. सं. 537 की सूची

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 1591 सा. नि. मं. दिनांक 27-5-71

सहायता कार्यों में तहसील देसूरी में किये कार्यों की सूची :—

(1) कोट से दीवार
(2) क्रोस ड्रिनेज वर्क्स सादड़ी से रनकपुर
(3) रानी से छांछोरी रोड
(4) सोमेसर से थीवाना
(5) क्रोस ड्रेनेज बाली से देसूरी
(6) रानी से देसूरी
(7) फोलाद से जोजावर

(नोट) :—उक्त कार्य प्लान में स्वीकृत नहीं हैं।

परिशिष्ट 4

(ता. प्र. सं. 551 की सूची)

सूची मुकदमात जो श्री चेनाराम प्रधान पंचायत समिति डीडवाना के विरुद्ध 1–4–62 से अब तक नागौर में दर्ज हुए।

क्र.सं.	प्राप्त सूचना नम्बर	रिपोर्ट तारीख दायरा मुकदमा	धारा	नाम थाना	नतीजा तफतीश	वजह देने एफ.आर.	वजह जेर तफतीश	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	44	21–9–66	325।324।342। 379 ता. हि.	डीडवाना	एफ. आर. अदम सबूत 31–[illegible]–70	मुलजिम के विरुद्ध सबूत काबिल ना होने से एफ. आर. अदम सबूत में पेश की गई है। एफ. आर. पेश होने पर अदालत श्रीमान एम. एम. सा. डीडवाना ने इस मामला में कोगनीजेन्स ले लिया है और मामला उनकी अदालत में विचाराधीन है।	–	–

2.	29	25-9-66	147।447।347। 427 ता. हि.	बरड़वा	एफ. आर. अदम सबूत 3-7-69	कुल 26 मुलजिमान जिनमें श्री चेनाराम भी शामिल है के विरुद्ध सबूत काबिल चालान ना होने से एफ. आर. अदम सबूत में पेश की गई जो अदालत मुंसिफ मजि. सा. डीडवाना में पेंण्डिग है ।	—	—
3.	69	1-8-69	323।332।353 ता.हि.	नागौर	तफतीश से सिर्फ रामेश्वर ही मुलजिम पाये जाने पर अकेले का चालान दि. 8-8-69 को एम. एम. सा. नागौर में पेश किया गया है ।	—	—	—
4.	49	26-11-68	447।365 ता.हि.	पादू	एफ.आर. अदम वकूआ 25-12-68	तफतीश से फरयादी का जमीन पर कोई कब्जा होना नहीं पाया गया । जमीन मुलजिम	—	—

Page No. 180

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						पार्टी के कब्जे में मुताबिक तहसील मेड़ता की जिन व्यक्तियों को भगाकर ले जाने का सवाल था। उनका वकुआ के 5–6 रोज पहले हो अहमदाबाद की तरफ कमाने खाने जाना पाया गया।		
5.	33	26–8–69	363।366 368।120 बी ता.हि.	खुनखुना	दिनांक 30–4–70 को धारा 366।368 ता. हि. में नारायणराम, नाथू, जीवनराम व रामूराम के खिलाफ श्रीमान् एम. एम. सा. डीडवाना में चालान हुआ। तफतीश श्री चेनाराम मुलजिम नहीं पाया है। मुकदमा पैंडिग अदालत है।	–	–	–

6.	11	24-2-71	395।342। 435 ता. हि.	खाटू	—	—	इस मुकदमा में श्री जवानाराम से वा दीगर मुलजिमान से तफतीश करना बाकी है।	—
7.	16	15-3-71	392।342 ता. हि.	कुचामन सिटी	—	—	गवाहान वा मुलजिमान से तफतीश बाकी है। जल्द कार्यवाही होगी।	—
8.	6	21-3-71	147।148। 149।440 452 ता. हि.	झुनझुना	—	—	बावरियान जिनके मकान तोड़े गये वो नहीं मिल रहे हैं। इसलिए तफतीश पेंडिंग है।	यह तफतीश राजस्थान राज्य सी.आई.डी. (सी.बी.) में पेंडिंग है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	9	23-3-71	147।148। 149।427। 325 ता.हि.	खुनखुना	तारीख 12-4-71 को चालान श्रीमान एम. एम. सा. डीडवाना की अदालत में श्री चेनाराम वा 15 अन्य मुलजिमान के खिलाफ जुर्म 147।148।457। 348।384।325।323 ता. हि. में पेश किया गया है। आयन्दा ता. 24-5-71 है।	–	–	तफतीश सी. आई. डी. विभाग द्वारा की गई है।

परिशिष्ट 5

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

नगर परिषद् के प्रशासक द्वारा वैद्यों की नियुक्ति

784. श्री परसराम गंगाराम (परबतसर): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् के प्रशासक ने आदेश संख्या 2235, दिनांक 31–1–67 द्वारा पूरे समय के लिए वैद्यों की नियुक्ति की थी ? यदि हां, तो किन किन की ?

(2) क्या यह सही है कि उनमें से एक वैद्य 28–2–1969 को रिटायर हुआ उसकी जगह अब तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि एक रिटायर्ड वैद्य की अब पार्ट टाइम नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् के स्टाफ पैटर्न के अनुसार किसी को पार्ट टाइम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ?

(स्थगित किया गया)

पशु पालकों से पान चराई के मतालबे की वसूली

785. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में पशुपालकों पर पान चराई का हजारों रुपयों का पिछले सालों का मतालबा वसूली हेतु बना दिया गया है ? अगर हां, तो किन किन सालों का एवं कितना कितना पान चराई का मतालबा पशुपालकों पर लगाया गया है और किस आधार पर व क्यों ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि पान चराई के मतालबे की वसूली पशुपालकों से जबरदस्ती की जा रही है ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि इस वसूली को रोकने के बारे में सरकार को पशुपालकों की ओर से कई दरख्वास्तें दी गई थी ? अगर हां तो कब ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त पान चराई की वसूली सरकार द्वारा स्टे की जा चुकी है, परन्तु फिर भी उक्त वसूली अब तक बन्द नहीं की गई है ? अगर हां, तो वसूली स्टे जब की गई थी एवं वसूली अभी तक बन्द क्यों नहीं की गई है ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि वहां पशुपालकों पर पान चराई की रकम लगाई गई है वहां पर राजकीय सिवायचक की कोई पड़त भूमि नहीं है एवं सारी चराई काबिले जमीन भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित की जा चुकी है ?

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

(6) क्या यह भी सत्य है कि यही पान चराई पहिले घास, मारी के रूप में तहसील सांचोर में लगाई गई थी, जो सरकार द्वारा माफ कर दी गई ?

(स्थगित किया गया)

नगरपालिकाओं को हरिजन बस्तियों में नल एवं बिजली लगाने के लिए अनुदान

786. श्री नन्दलाल बेरवा (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य की किन किन नगरपालिकाओं को वर्ष 1970–71 में हरिजन बस्तियों में जल एवं बिजली लगाने के निमित्त कितना कितना अनुदान दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अनुदान की राशियों में से किस किस नगरपालिका ने कितना कितना अनुदान उक्त कार्य में व्यय किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) स्वायत्त शासन विभाग द्वारा वर्ष 1970–71 में हरिजन बस्तियों में जल एवं बिजली लगाने के लिए किसी भी नगरपालिका को कोई राशि अनुदान स्वरूप नहीं दी गई है ?

(2) प्रश्न के भाग 1 के उत्तर के अनुसार प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

लाडनूं में भूमि का नामान्तरकरण

787. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) तहसील लाडनूं जिला नागौर के क्षेत्र में कुल जितने नामान्तरकरण कब कब से बिला तस्दीक के पड़े हैं ? पटवार क्षेत्र वाइज सूची मय व्यक्तियों के नाम व पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) सन् 1969 व 70 में कौन कौन से नामान्तरकरण तस्दीक किये गये ? व्यक्तियों के पूरे पते सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

मोकल बुईली सीमा सड़क

788. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मोकल-बुईली सीमा सड़क के निर्माण के लिए टेन्डर लेकर ठेका भी दे दिया गया था और ठेकेदार को कार्य करने के आदेश भी हो चुके थे ? अगर हां, तो आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य पहले भी हो चुका है जो अब भी अपूर्ण पड़ा है ? अगर हां, तो अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं ?

(3) जिस ठेकेदार द्वारा प्रथम बार कार्य किया गया था उसने कार्यविधि में कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया और उसके विरुद्ध राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(श्री बालसिंह सोढ़ा)

(4) उपरोक्त सड़क के निर्माण पर आज तक कुल कितना खर्चा हुआ है और किस किस ठेकेदार को कितना कितना भुगतान किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(स्थगित किया गया)

बीकानेर शहर से रेल्वे लाइन के कारण असुविधा

श्री दौलराम सारण:–क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के अन्दर होकर रेल्वे लाइन गई है जिससे शहर की मुख्य सड़कों पर दिन में अनेक बार रेल गाड़ियां आने के कारण, फाटक बन्द हो जाते हैं ? आवागमन इस प्रकार कितनी सड़कों पर दिन में कितनी बार, कितने कितने समय के लिए रुकता है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त रेल्वे फाटकों के कारण जनता को बहुत असुविधा होती है और बार बार आवागमन अवरोध के कारण जनता का बहुत समय बरबाद होता है तथा दुर्घटनाएं भी होती हैं ?

(3) यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक इस संबंध में क्या कोई प्रयत्न किए हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? अब क्या योजना है ? कब तक इस संबंध में जन कष्ट का निवारण कर दिया जायेगा ?

(स्थगित किया गया)

अलवर जिले की मंजूर सड़कें

790. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अलवर जिले में पिछले पांच साल में कौन-कौन सी सड़कें मंजूर की गई हैं ? प्रत्येक सड़क का नाम व लागत की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन सड़कों में से कौन-कौन सी सड़क की तामीर पूरी हो चुकी है और किसकी तामीर होना बाकी है ?

उत्तर

(1,2) सूची (अ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No. 186

सूची (अ) तारांकित प्रश्न संख्या 229

नवीन सड़कें (अलवर जिले की) जिनकी निर्माण की स्वीकृति गत 5 साल में प्राप्त हुई है:-

क्र.सं. 1	नाम सड़क 2	लागत 3	विशेष विवरण 4
1.	कुशालगढ़ नारायणपुर वाया ताल वृक्ष	25,000/-	कार्य पूरा हो चुका है।
2.	खेड़ा श्यामपुर	15,000/-	धन राशि के अभाव के कारण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।
3.	सोड़ावास से पीपली मार्ग	50,000/-	कार्य चालू है।
4.	खेरथल से पहल मार्ग	1,75,000/-	
5.	कोटकासिम से किशनगढ़ मार्ग	4,11,350/-	"
6.	कोटकासिम से पंजाब बोर्डर	2,22,000/-	"
7.	खेरथल से इस्माईलपुर मार्ग	1,75,000/-	"
8.	मकरवाल मित्तलवास से बोलनी मार्ग	1,50,000/-	"
9.	बहरोड़ से गन्डरेला मार्ग	3,50,000/-	"
10.	सिरसका टहला राजगढ़ मार्ग	49,146/-	कार्य पूरा हो गया है।
11.	नारायणपुर घाटा बान्दरोल रोड़	2,10,000/-	कार्य चालू है।
12.	माचाड़ी से करनपुरा वाया रैनी	5,30,000/-	"
13.	माचाड़ी से मन्डावर वाया गढ़ी	2,40,000/-	"
14.	बोहरा नागल खोर	1,50,000/-	"
15.	मालाखेड़ा से यूषीपुरा लिंक रोड़ बिजवाड़ा	2,36,000/-	"
16.	अप्रोच रोड़ जयसमन्द	75,000/-	कार्य पूरा हो गया है।
17.	कठूमर से धोपराना बाबा नोखर	2,00,000/-	कार्य चालू है।
18.	रामगढ़ गोविन्दगढ़ मार्ग	41,264/-	"
19.	तिजारा फिरोजपुर रोड़ (वरड़)	1,75,000/-	कार्य पूरा हो गया है।
20.	अप्रोच रोड़ शाहबाद	31,000/-	"
21.	तिजारा से खानपुर वाया तितर का मार्ग	2,50,000/-	कार्य चालू है।
22.	टपूकड़ा से तूह	2,00,000/-	"
23.	अप्रोच रोड़ अजरका रेल्वे स्टेशन से अलवर बहरोड़ रोड़ (पदमारा ग्राम)	1,00,000/-	लगभग 4 मील सड़क का काम पूरा हो चुका है।

1	2	3	4
			शेष काम भूमि अवाप्ति के झगड़े के कारण पूरा नहीं हो सका है।
24.	हरसोली से बोबीरानी मार्ग	2,50,00 0I-	3 मील का कार्य पूरा हो चुका है, शेष मीलों के कार्य चालू है।

स्थगित प्रश्न

(5-5-77)

देवगढ़ तहसील से सड़कों तथा पुलियाओं का निर्माण

634. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या देवगढ़ तहसील में अकाल के समय दो तीन सड़कें बनाई गई थी और उन पर पुलियों का निर्माण भी किया गया था ?

(2) क्या वे पुलियां अधूरी पड़ी हैं ? यदि हां, तो क्या क्या काम बाकी है और उनको पूरा कब कराया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पुलियों पर चुनाई स्लेब पाइंटिंग का कार्य शेष है ? अर्थाभाव के कारण निश्चित नहीं कहा जा सकता।

परिशिष्ट 6

(अ. प्र. सं. 702 की सूची)

राजस्थान गुप्तचर विभाग (अपराध शाखा एवं विशेष शाखा) में तैनात एक्जीक्यूटिव स्टाफ के अमले की सूची

विशेष शाखा	चीफ आफ इण्टेलीजेन्स	डी. आई. जी. पी.	एस. पी.	एडो. एस. पी.	डी. एस. पी.	इन्सपेक्टर	एस. आई. ए.		हेड. एस. आई. कानि.	कानि.
विशेष शाखा	1	1	2	9	4	31	132	7	170	357
अपराध शाखा	–	1	1	5	5	18	43	–	47	64
योग :—	1	2	3	14	9	49	175	7	217	421

राजस्थान गुप्तचर विभाग (अपराध एवं विशेष शाखा) में तैनात मिनिस्ट्रीयल स्टाफ, के अमले की सूची

	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड प्रथम	अकाउन्टेन्ट	असिस्टेन्ट	स्टेनो	वरिष्ठ लेखक	कनिष्ठ लेखक	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	हिन्दी शार्ट हैंड रिपोर्टर
विशेष शाखा	1	1	1	4	20	54	4	6
अपराध शाखा	3	–	1	2	16	41	10	–
योग :	4	1	2	6	36	95	14	6

कुल योग : एक्जीक्यूटिव स्टाफ 898

मिनिस्ट्रीयल स्टाफ 164

परिशिष्ट 7

(अ. प्र. स. 706 की सूची)

प्रश्न 1 की सूची

क्र. सं.	नाम जिला	प्रावधान, लाख रुपयों में
1.	अजमेर	100.630
2.	अलवर	145.356
3.	बांसवाड़ा	48.304
4.	बाड़मेर	242.530
5.	भरतपुर	140.795
6.	भीलवाड़ा	124.531
7.	बीकानेर	123.878
8.	बूंदी	62 641
9.	चित्तौड़गढ़	67.258
10.	चूरू	607.508
11.	डूंगरपुर	36.494
12.	गंगानगर	807.271
13.	जयपुर	273.170
14.	जैसलमेर	74.393
15.	जालोर	137.895
16.	झालावाड़	55.819
17.	झुंझुनू	175.167
18.	जोधपुर	200.887
19.	कोटा	143.057
20.	नागौर	294.477
21.	पाली	206.046
22.	सवाई माधोपुर	138.966
23.	सीकर	142.407
24.	सिरोही	50.190
25.	टोंक	68.777
26.	उदयपुर	158.258
	योग :	4626.705

शुद्धि-पत्र

(बृहस्पतिवार, दिनांक 13 मई, 1971)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
8	अंतिम से 12	से	ने
10	,, 9	श्री विश्वम्भर ना जोशी	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
11	,, 12	उकली	उसकी
14	11	से	सबसे
18	अंतिम से 3	सार्वमनिक	सार्वजनिक
19	,, 8	स्वीकृति	स्वीकृति
26	,, 12	चार्वेज	चार्जेज
,,	,, 10	63.40)	63440)
,,	,, 8	सिक्योएिटी	सिक्योरिटी
,,	,, 1	श्री कृष्ण कुमार	श्री कृष्णकुमार गोयल : 10 रुपये ?
27	7	डेवप मेन्ट	डेवलपमेन्ट
,,	16	स	केस
,,	17	श्रीमती सु ।।	श्रीमती सुमित्रा
30	5	execute	enecuter
,,	6	hat	that
,,	7	been	is being
,,	11	betetrment	betterment
34	अंतिम से 9	राजस्व मंत्री मह	राजस्व मंत्री यह
37	10	समझीता	समझौता
45	अंतिम से 12	कुज	कुछ
47	8	ख्याल	ख्याल
48	अंतिम से 13	श्री बाल सह सोढ़ा	श्री बालसिंह सोढ़ा
50	,, 12	कानीजेन्स	काग्नीजेन्स
63	8		
64	5	कम	केस
90	अंतिम से 11	तरिक्कयां	तरक्कियां
91	,, 10	श्री दयान्नद	श्री दयानन्द
127	,, 1	ajasthan	Rajasthan
132	15	अयक्ष	अध्यक्ष
133	अंतिम से 8	कौलिक	मौलिक
135	,, 6	दिजिये	दीजिये
140	8	मसने चलले	मसले चलते
145	5	nex	next
177	अंतिम से 10	o	of
179	3	सर्विसेब	सर्विसेबिल
188	7	तो	जो

1	2	3	4
188	10	ससयोग	सहयोग
196	5	यह भारत को उसमें,	यह भारत सरकार को
197	अंतिम से 11	श्राय	श्राप
199	,, 16	1963-70	1968-70
208	1	Tabe	ble
212	9	on'ble	H n'ble
,,	अंतिम से 1	evfidence	evi lence
213	7	I	It
220	17	दह	यह
,,	19	श्री अमृदला ल	श्री अमृतलाल
230	19	1500 रु.	15,000 रु.
243	अंतिम से 5	ग्र:ल	वोल
271	9	श्री दौलतराम ण	श्री दौलत राम सारण
,,	अंतिम से 16	ती कुछ अण्दाज	तो कुछ अन्दाज
,,	,, 1	अमृतलास	अमृतलाल
275	,, 15	भृत्यू	मृत्यु
276	,, 14	दुर्व्यवखार	दुर्व्यवहार
,,	,, 10	संसद	समय
282	13	उन्होंने मेरे प्रति कोई रागद्वेष की भावना करेक्टर असेसिनेशन की भावना,	उन्होंने मेरे प्रति कोई रागद्वेष की भावना से यह नहीं रखे। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भ से लेकर अन्त तक रागद्वेष की भावन. क कटर असेसिनशन की भावना
285	अंतिम से 12	निशेदन	निवेदन
288	,, 3	महोनया	महोदया
307	,, 9	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (श्री अध्यक्ष पदासीन)	(5.51 म. प.) (श्री नरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदा ीन)
304	3	मत्री मंडल एक या	मंत्री मंडल का एक सदस्य अपने पुत्र को या
311	11	वक्त .	व्यक्त
316	3	सदष्य	सदस्य
,,	6	लिच	लिये
,,	8	सिंगल आउट नहीं भाई गोकुल प्रसाद जी ने इस सिद्धांत का करना चाहिये।	सिंगल आउट नहीं करना चाहिये। भाई गोकुल प्रसादजी ने इस सिद्धांत का